मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्‍वासनों संबंधी समिति

का

अठारहवां प्रतिवेदन

(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 28 जुलाई, 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

<u>**विषय सूची**</u>

क्रमांक (1)	**विषय (2)**	**पृष्ठ संख्या (3)**
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन-चार
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	01
	(2) नगरीय विकास एवं पर्यावरण	27
	(3) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35
	(4) स्कूल शिक्षा	43
	(5) राजस्व	54
	(6) लोक निर्माण	64
	(7) सहकारिता	77
	(8) जल संसाधन	90
	(9) गृह(पुलिस)	95
	(10) आदिम जाति कल्याण	115
	(11) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	118
	(12) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	136
	(13) वन	145
	(14) उच्च शिक्षा	152
	(15) महिला एवं बाल विकास	162
	(16) सामान्य प्रशासन	166
	(17) चिकित्सा शिक्षा	172
	(18) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	175
	(19) ऊर्जा	177
	(20) वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	195
	(21) आयुष	196
	(22) खनिज साधन	197
	(23) वाणिज्यिक कर	206
	(24) नर्मदा घाटी विकास	207
	(25) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	209

	(26) परिवहन	211
	(27) श्रम	212
	(28) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	213
	(29) वित्त	215
	(30) जेल	216
	(31) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	217
	(32) अनुसूचित जाति कल्याण	220
	(33) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	221
	(34) पशुपालन	222
	(35) खेल एवं युवक कल्याण	223
	(36) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	224
	(37) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	225
	(38) संस्कृति	226
	(39) पर्यटन	227
	(40) विधि एवं विधायी कार्य	228
	(41) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	229
	(42) लोक सेवा प्रबंधन	230
	(43) जनसम्पर्क	231
5.	**परिशिष्ट - "अ" (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा)**	232
6.	**परिशिष्ट- "ब" (अनिर्णीत प्रकरण)**	234

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2016-17)

<u>सभापति</u>

1. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय.

<u>सदस्यगण</u>

2. श्री राजेश सोनकर
3. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
4. श्री रामेश्वर शर्मा
5. श्री के.के.श्रीवास्तव
6. श्री दुर्गालाल विजय
7. श्री हजारी लाल दांगी
8. डॉ. योगेन्द्र निर्मल
9. श्री यादवेन्द्र सिंह
10. श्री मनोज कुमार अग्रवाल
11. श्री सोहनलाल बाल्मीक

<u>विधान सभा सचिवालय</u>

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री पी.एन.विश्वकर्मा	. .	अपर सचिव
3.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
4.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
5.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 28 अप्रैल, 2016 को गठित की गई है।

3. इस प्रतिवेदन में, फरवरी-मार्च, 2015 सत्र में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है।

4. समिति की बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2016 में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया।

5. समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

6. समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया।

7. समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया।

भोपाल :

दिनांक : 27 जुलाई, 2016

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 97, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
2.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	70, 71, 72, 73, 74, 75, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
3.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 159, 266, 267, 268, 269, 270, 415, 416, 417, 418, 419
4.	स्कूल शिक्षा	112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 170, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 420, (421 विलोपित), 422, 423, 424
5.	राजस्व	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 99, 160, 161, 162, 163, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 355, 356, 357, 485, 486
6.	लोक निर्माण	37, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
7.	सहकारिता	05, 11, 12, 13, 14, 98, 155, 156, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 462, 463, 464
8.	जल संसाधन	26, 27, 28, 29, 30, 166, 198, 342, 343, 344, 479
9.	गृह(पुलिस)	19, 48, 49, 50, 51, 201, 202, 203, 204, 205, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
10.	आदिम जाति कल्याण	129, 130, 131, 271, 272, 273, 274, 275, 410, 411, 412, 413, 414
11.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	15, 16, 17, 18, 38, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457,
12.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	61, 62, 63, 64, 65, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 481, 482, 483, 484
13.	वन	76, 77, 78, 79, 80, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 400, 401, 402
14.	उच्च शिक्षा	43, 44, 45, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 207, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 475, 476, 477, 478
15.	महिला एवं बाल विकास	66, 226, 227, 228, 229, 352, 353, 354, 497, 498
16.	सामान्य प्रशासन	34, 35, 36, 164, 165, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 345, 346
17.	चिकित्सा शिक्षा	100, 134, 154, 276, 407
18.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	09, 10, 153, 314, 315

19.	ऊर्जा	20, 21, 22, 23, 24, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 465, 466, 467, 468, 469, 470
20.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	95, 404
21.	आयुष	277
22.	खनिज साधन	31, 32, 33, 167, 168, 169, 187, 188, 189, 190
23.	वाणिज्यिक कर	196
24.	नर्मदा घाटी विकास	199, 347, 348, 471
25.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	39, 40, 41, 340, 341
26.	परिवहन	152, 317, 458, 459
27.	श्रम	133, 408, 409
28.	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	125, 126, 127, 128, 405
29.	वित्त	351, 480
30.	जेल	52
31.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	67, 68, 69, 171, 256, 403
32.	अनुसूचित जाति कल्याण	132, 406
33.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	460, 461
34.	पशुपालन	232
35.	खेल एवं युवक कल्याण	96, 255
36.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	42, 472, 473
37.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	496
38.	संस्कृति	350
39.	पर्यटन	47, 349
40.	विधि एवं विधायी कार्य	231
41.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	25, 200
42.	लोक सेवा प्रबंधन	316
43.	जनसम्पर्क	46, 474

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**01**	ता.प्र.सं.01 (क्र. 473) दि. 19.02.2015 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	(1) विधान सभा क्षेत्र सीधी के अंतर्गत रिजर्व टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के ग्रामों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अंतर्गत पुलियों का निर्माण कराया जाना। (2) ग्राम शेर एवं अमडेहा में सड़कों का निर्माण कराया जाना।	(1) ***विभागीय मंत्री का वन मंत्री से यह आग्रह कि* -** कुछ पुलिया जो अपेक्षित है, वह बनवाने की कृपा करेंगे। **वन मंत्री** :- आरईएस और ग्रामीण विकास विभाग वन विभाग को पैसा हस्तांतरित कर देगा तो हम उसमें निर्माण करवा सकते हैं। (2) **विभागीय मंत्री :-** सड़क बनवाने का काम शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करवाउंगा।	(1) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी द्वारा उनके पत्र दिनांक 02.01.015 से कार्य रिजर्व वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मार्गो में निर्माण हेतु मनरेगा अंतर्गत निर्माण एजेंसी बनाते हुये प्रथम किस्त की राशि संचालक संजय टाईगर रिजर्व सीधी को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, किन्तु उनके द्वारा यह राशि पत्र दिनांक 30.10.2012 द्वारा जिला पंचायत को वापिस की गई। स्वीकृत निर्माण की अनुमति हेतु निरंतर पत्राचार तथा व्यक्तिगत संपर्क पर भी वांछित अनुमति प्राप्त न होने के कारण पुल-पुलियों के कार्य प्रारंभ नहीं कराये जा सके। (2) ग्राम अमेढिया वर्ष 2006-07 में स्वीकृत था, निजी भूमि के कारण मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सका। जिसके कारण मार्ग ड्राप कर दिया गया। ग्राम शेर की सड़क का एकरेखण पूर्णत: निजी भूमि में है, जिसके कारण मार्ग का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5890/22/वि-12/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 14.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	**02**	ता.प्र.सं.10 (क्र.466) दि.19.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना")	रीवा जिले के जनपद पंचायत नईगढ़ी के ग्राम पंचायत डिहिया पाडांन में रोजगार सहायक के पद पर नियुक्त आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना।	कलेक्टर, जिला रीवा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढी जिला रीवा को ज्योति पाण्डेय आ.श्री सूर्यमणि पाण्डेय के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।	श्रीमती ज्योति पाण्डेय के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु कलेक्टर रीवा के आदेश क्र. 10097 दि.16.02.2015 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी को आदेशित किया गया था, किन्तु श्रीमती ज्योति पाण्डेय के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका 5335/2015 दायर की गई, जिसमें मा.उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2015 द्वारा कलेक्टर रीवा के उक्त आदेश पर स्थगन दिया गया है। मा.उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध स्थगन दिये जाने के कारण आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराया जा सका। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4720/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2015,दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	**03**	ता.प्र.सं.14 (क्र.223) दि. 19.02.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गुणवत्ता विहीन सड़कों के निर्माण कार्य की जांच कराई जाना।	स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण मानीटर्स का दल बनाकर जांच आदेशित की है।	बागली एवं कन्नौद विकासखण्डों से संबंधित मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 29 सड़कों की जांच 03 स्टेट क्वालिटी मॉनीटर का जांच दल बना कर जांच कराया जाना आदेशित किया गया। उक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण की गई 26 सड़कों में से 23 सड़कों का कार्य संतोषप्रद पाया गया एवं 03 सड़कों में सुधार की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। तदानुसार सुधार कार्य कराया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8277/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./15, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	**04**	परि.ता.प्र.सं.12 (क्र. 241) दि. 19.02.2015 (श्री वीरसिंह पंवार)	विदिशा जिले में राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो में अनियमितता करने वाले संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना क्र. 02 में परियोजना के टीम लीडर के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है।	आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना क्र.02 में परियोजना के टीम लीडर के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता की जांच की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा द्वारा पूर्ण की गई तथा उनके पत्र क्र.1371/आईडब्ल्यूएमपी/जि.प./2015, दिनांक 16.02.2015 द्वारा संबंधित टीम लीडर को वित्तीय अनियमितता किये जाने का दोषी पाये जाने से वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया, जिस पर संबंधित टीम लीडर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में याचिका क्र. 1166/2015 दायर की गई । मा.उच्च न्यायालय के निर्णय दि.25.02.2015 से उक्त कार्यवाही पर स्थगन प्रदाय किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7343/22/वि-9/आर.जी.एम./15, दिनांक 06.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	**06**	अता.प्र.सं.18 (क्र.268) दि.19.02.2015 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसमी में गायत्रीपुरम कालोनी में कॉलोनाईजर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि को प्लाट के रूप में विक्रय किये जाने की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	नियमों के अधीन कालोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है।	जिला बालाघाट अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट के प्रकरण क्रमांक 113 बी-121 वर्ष 2015-15 ग्राम पंचायत कोसमी प.ह.नं.19 रा.नि.म. बालाघाट तहसील बालाघाट मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध श्री श्रृद्धानंद एवं शैलेन्द्र शर्मा, निवासी वार्ड नं 28 बालाघाट के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 15-4/2015/22/पं.-2, दिनांक 27.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
6.	**07**	अता.प्र.सं.40 (क्र. 490) दि. 19.02.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार की ग्राम पंचायत लालपुरा के सरपंच द्वारा आर्थिक अनियमितताएं किये जाने की विधिसम्मत् कार्यवाही की जाना।	सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा के विरूद्ध म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही की जावेगी।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार ने पत्र क्रमांक ज.पं.मनरेगा/2015-16/1072, दिनांक 05.05.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि राशि रू.16934/- वसूल कर ग्राम पंचायत लालपुरा के खाता क्र. 2030296611 में दिनांक 05.05.2015 को जमा कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-25/2015/22/पं.-1, दिनांक 29.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
7.	**08**	अता.प्र.सं.41 (क्र. 499) दि. 19.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले की विधान सभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत ग्राम बिलहरा से केवलारी तक निर्माणाधीन गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना तथा समय-सीमा में सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना।	(1) दो स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराये जाने के आदेश दिये गये है। जांच पूर्ण होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (2) बिलहरा से केवलारी मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।	1. दो स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की संयुक्त टीम बनाकर जांच करायी गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। 2. बिलहरा से केवलारी मार्ग का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में स्थिति 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8285/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./15, दिनांक 06.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	**97**	ता.प्र.सं.07 (क्र.1308) दि. 24.02.2015 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	चितरंगी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रेहदा कौहा नाला पर पुल निर्माण, दिपवा से बहेरी के मध्य चुनहवा नाला पर पुल निर्माण, बहेरी से कोल्डिहा के मध्य झरिया नाले पर पुल निर्माण, बढ़नई से ढिलरी के मध्य सेमरा नाला पर पुल निर्माण, कपुरदेई से सूदा मार्ग में गोतान नाला पर पुल निर्माण कराया जाना।	(1) मैं इसका परीक्षण करवा दूंगा। (2) उसको ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से करवाने का प्रयास करूंगा।	आश्वासन अंतर्गत उल्लेखित कार्यो का परीक्षण कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिंगरौली से कराया गया। कार्यपालन यंत्री, सिंगरौली द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2015 द्वारा सूचित किया है कि उक्त मार्गो पर पुलिया/पुलों के कार्य कराये जा सकते है। निर्माण कार्यो की स्वीकृति बजट आवंटन के अधीन होने से कार्यो के प्रस्ताव जिला स्तर की योजनाओं में शामिल करने हेतु कलेक्टर सिंगरौली को लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2997/22/वि-10/ग्रायांसे/2015, दिनांक 04.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
9.	**143**	ता.प्र.सं.08 (क्र.2935) दि.26.02.2015 (श्री कालूसिंह ठाकुर)	धार जिले के धरमपुरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में अनियमितता करने वाले स्व-सहायता समूहों के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर संबंधित समूहों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	धार जिले के विधान सभा क्षेत्र धरमपुरी के अंतर्गत समूहों के विरूद्ध की गई जांच के आधार पर कुल 08 स्व. सहायता समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिसमें से 05 स्व. सहायता समूहों (शिवानी समूह- कनडीअवार, आशा समूह-कनडीपुर, ज्वाला समूह-माण्डव, दुर्गा समूह-ईमलीपुरा, शिवभोले समूह-दसोंडा) को मध्यान्ह भोजन से अनुबंध समाप्त किया जाकर नवीन स्व. सहायता समूहों को मध्यान्ह भोजन संचालन का दायित्व सौंपा गया तथा शेष 03 स्व. सहायता समूहों (रामकृष्ण समूह-मेवासजामन्या, सरस्वती समूह-हीरापुरा, सोडल्यापुरा समूह-सोडल्यापुरा) को जांच उपरांत भविष्य के लिये चेतावनी दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7192/22/वि-9/एम.डी.एम./वि.स./ 2015, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	144	ता.प्र.सं.19 (क्र.350) दि.26.02.2015 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखण्ड के तहत टौरियाघाट-रतनगुंवा स्टॉप डेम कम काजवे के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाना तथा पूर्व में हुये निर्माण कार्य की विस्तृत तकनीकी जांच वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से कराते हुये गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पूर्ण कराए जाने की कार्यवाही की जावेगी । निर्माण कार्य की विस्तृत जांच वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से कराई जाकर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	अधी.यंत्री, ग्रायांसे, सागर मंडल, सागर के पत्र क्र.2559/तक/ग्रायांसे/15, दि.13.11.2015 के अनुसार निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्राक्कलन का प्रस्ताव दि.09.11.2015 से कार्यपालन यंत्री, ग्रायांसे टीकमगढ़ को प्रेषित की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्य पूर्ण किया जा सकेगा । निर्माण कार्य की विस्तृत जांच वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से कराई जाकर गुण-दोष के आधार पर उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव आयुक्त सागर संभाग को प्रेषित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6754/22/वि-10/ग्रायांसे/15, दिनांक 27.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
11.	145	परि.ता.प्र.सं.05 (क्र.253) दि.26.02.2015 (श्री भारत सिंहकुशवाह)	ग्वालियर जिले के खुरेरी बड़ागांव से वाया सिरसोद जिगतिया मार्ग की मरम्मत कराई जाना।	आगामी पांच वर्षो के संधारण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है।	निविदा स्वीकृत हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8065/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./15, दिनांक 01.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
12.	146	परि.ता.प्र.सं.25 (क्र.812) दि.26.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना")	रीवा जिले के हनुमना विकासखण्ड के अंतर्गत मिसिरगवां-गोपला मार्ग के त्रुटिपूर्ण निर्माण को ठीक कराये जाने की त्वरित कार्यवाही कराई जाना।	शेष कार्य नई एजेंसी से पूर्ण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।	पूर्व निविदाकार के अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8279/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./ 2015, दिनांक 05.05.2015	समिति अनुशंसा करती है कि अनुबंध की शर्तो के अनुसार काम न करने वाले निविदाकार/ठेकेदार के विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुये त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराकर 03 माह में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	**147**	अता.प्र.सं.13 (क्र.616) दि.26.02.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना जिले की रामपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किये गये नियम विरूद्ध कार्यो की शीघ्र जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।	प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की गई । ग्राम पंचायत लखनवाह के तत्कालीन सरपंच श्री प्रशांत सिंह को दी गई, एन.ओ.सी., मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा निरस्त की जा चुकी है तथा जनपद पंचायत रामपुर बघेलान, जिला सतना के पत्र क्रमांक ज.पं./वि./नि./सांसदनिधि/2015-16/652, दि.07.05.2015 द्वारा श्री प्रशांत सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लखनवाह एवं श्री कामता प्रसाद तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत लखनवाह को नोटिस जारी किया गया है । संबंधितों द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने पर संबंधितों को म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 का प्रकरण दर्ज करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग रामपुर बघेलान को भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 571/787/2016/22/पं.-1, दि. 23.06.2016	विभागीय जांच को असीमित समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है । समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि संबंधितों का प्रति उत्तर समय-सीमा में प्राप्त कर तदनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जाय ।

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>148</td>
<td>अता.प्र.सं.35
(क्र.943)
दि.26.02.2015
(श्री नीलेश अवस्थी)</td>
<td>जबलपुर जिले के मझौली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत इन्द्राना में दिनांक 22.01.2012 से 01.11.2013 तक पंचायत पदाधिकारियों एवं सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में त्वरित विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।</td>
<td>राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।</td>
<td>ग्राम पंचायत इन्द्राना के सरपंच/सचिव के द्वारा स्व कराधान एवं पंच परमेश्वर योजना में की गई अनियमितता के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है। स्व कराधान एवं पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत सरपंच सचिव द्वारा निर्माण कार्य कराये गये सभी कार्यो का मूल्यांकन भी श्री विजय प्रकाश यादव उप यंत्री के द्वारा कराया गया मूल्यांकन का सत्यापन श्री आर.एस.तिवारी सहायक यंत्री के द्वारा किया गया सरपंच एवं सचिव इन्द्राना के द्वारा मूल्यांकन से अधिक राशि व्यय की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th>क्र</th><th>नाम</th><th>पद</th><th>स्व कराधान में वसूली</th><th>पंच परमेश्वर से वसूली योग्य राशि</th><th>कुल वसूली योग्य राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्रीमती मोनू वर्मन</td><td>तत्का. सरपंच</td><td>125956</td><td>67299</td><td>193255</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री गोविंद असाटी</td><td>तत्का. उप सरपंच</td><td>43038</td><td>19000</td><td>62038</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री संजय असाटी</td><td>तत्का. सचिव</td><td>168993</td><td>88235</td><td>257228</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्रीमती सरस्वती बाई</td><td>तत्का. सरपंच</td><td>0</td><td>1935</td><td>1935</td></tr>
</table>
मूल्यांकन से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली हेतु आयुक्त, पंचायत राज के पत्र क्र. 100/2015 मझौली दि. 30.01.2015 (2) पत्र क्र./102/2015 मझौली दिनांक 30.01.2015 (3) पत्र क्र. 2015 मझौली दिनांक 27.03.2015 परंतु तत्कालीन सरपंच/सचिव के द्वारा राशि जमा नहीं की गई है।
पत्र क्र./534/2015, मझौली दिनांक 20.04.2015 के द्वारा विहित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सिहोरा को म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा (92) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
एफ 15-15/2015/22/पं.-2,
दिनांक 22.06.2015</td>
<td>कोई टिप्पणी नहीं।</td>
</tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	**149**	अता.प्र.सं.53 (क्र.1322) दि.26.02.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	प्रदेश में संचालित विभिन्न ग्रामीण नल-जल योजनाओं के लिये तकनीकी अमले की व्यवस्था करते हुये प्राथमिकता के आधार पर पदस्थी किया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।	प्रदेश में संचालित विभिन्न ग्रामीण नलजल योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रारंभ की जाकर ग्राम पंचायतों को संचालन एवं संधारण हेतु हस्तांतरित की जाती है तथा तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 15-16/2015/22/पं.-2, दिनांक 26.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
16.	**150**	अता.प्र.सं.85 (क्र.1873) दि.26.02.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले के महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो की मजदूरी का भुगतान नोडल बैंक खातों से एफ.टी.ओ. के माध्यम से संबंधित मजदूरों को शीघ्र कराया जाना।	जिले के नोडल बैंक खाते से एफटीओ के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।	उज्जैन जिले के महिदपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो में लंबित मजदूरी राशि 49.21 लाख रूपये के जनपद स्तर से मजदूरों के खातों में राशि जमा करने हेतु एफटीओ जारी कर दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4336/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2015, दि.30.04.15	कोई टिप्पणी नहीं।
17.	**151**	अता.प्र.सं.93 (क्र.1927) दि.26.02.2015 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नियमानुसार संधारण न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार धारा 32 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलन में है।	ठेकेदार द्वारा मार्गो का अनुरक्षण न करने के कारण पैकेज क्रमाक एमपी 4623, एमपी 4625 एवं पैकेज क्रमांक एमपी 4603 की निविदा निरस्त कर दी गई है। अनुबंध अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8253/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./2015, दिनांक 05.05.2015	समिति अनुशंसा करती है कि अनुबंध की शर्तो के अनुसार काम न करने वाले निविदाकार/ठेकेदार के विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुये संधारण कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	**157**	अता.प्र.सं.07 (क्र. 880) दि.07.07.2014 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	मुरैना जिले के सुमावली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भैंसरोली में विधायक निधि से सामुदायिक भवन का निर्माण लंबी समयावधि के बाद भी पूर्ण न करने वाली एजेन्सी के विरूद्ध निश्चित समयावधि में जांच कराई जाकर वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना।	(1) कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण संबंधित एजेंसी के विरूद्ध वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में विचाराधीन है। (2) अंतर की राशि की वसूली हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के यहां प्रचलन में है। वर्तमान कार्य अपूर्ण है। राशि वसूल होने पर शेष कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।	ग्राम पंचायत भैंसरौली के ग्राम चेंटीबाई का पुरा में वर्ष 2007-08 में सामुदायिक भ्वन विधायक निधि से राशि रू.3.00 लाख स्वीकृत हुई, जिसमें से ग्राम पंचायत एजेंसी को उक्त कार्य हेतु राशि रू. 2.30 लाख प्रदाय किये गये, जिसमें से केवल राशि रू.141701 का निर्माण कार्य कराया जाकर शेष राशि का कार्य नहीं कराया गया है। शेष राशि की वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय जौरा के कार्यालयीन पत्र क्र. 3888 मुरैना, दि. 24.04.2015 से निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय जौरा में म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत दर्ज होकर विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-26/2014/22/पं.-1,दि. 04.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
19.	**158**	अता.प्र.सं.55 (क्र. 3564) दि.21.07.2014 (श्रीमती शीला त्यागी) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	(1) रीवा जिले की जनपद पंचायत जवा में मध्याह्न भोजन योजना में वित्तीय अनियमितता करने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का शीघ्र परीक्षण कराकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना। (2) बालाघाट जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का तत्काल परीक्षण कराकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) वित्तीय अनियमितता की शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है। (2) आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा 07 ग्राम पंचायतों के विरूद्ध प्रतिवेदन मांगा गया था शेष का परीक्षण कराया जा रहा है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	**278**	परि.ता.प्र.सं. 08 (क्र. 364) दि. 11.03.2015 (श्री ठाकुरदास नागवंशी)	होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायत दहलवाड़ाकलां, रहटवाड़ा एवं कुलकुही नगर परिषद में सम्मिलित हो जाने पर इन पंचायतों के नियुक्त ग्राम रोजगार सहायकों को अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया जाना।	ग्राम रोजगार सहायकों को अन्यत्र पदस्थ किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	बनखेड़ी जनपद पंचायत के चार ग्राम पंचायतों- दहलवाड़ा, रहटवाड़ा, कुलकुही एवं बनखेड़ी, नगर पंचायत बनखेड़ी में शामिल की गई है। चारों ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा समाप्त हो चुकी है। ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अन्यत्र पदस्थी हेतु आवेदन किए गए है। पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल के आदेश क्र.3265, दिनांक 30.03.2015 के अनुसार संबंधित रोजगार सहायकों को नगरीय क्षेत्रों में समायोजित करने हेतु निर्देश जारी किए गए है। जिसके अनुक्रम में जिला पंचायत होशंगाबाद से पत्र क्र. 4106, दिनांक 03.06.2015 द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनखेड़ी को कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7582/MGNREGS-MP/NR-11/ वि.स./2015, दिनांक 25.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
21.	**279**	परि.ता.प्र.सं. 14 (क्र. 880) दि. 11.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले की ग्राम पंचायत करेला, जनपद पंचायत राघौगढ़ में निर्माण कार्य की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जाँच कार्यवाही प्रचलन में है।	प्रकरण की जांच में दोषी पाये गये जनपद पंचायत राघौगढ़ की ग्राम पंचायत करेला के तत्कालीन सचिव श्री बद्रीलाल मीना को निलंबित किया गया एवं तत्कालीन सरपंच श्री जयनारायण मीना पर धारा 92 की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। उप यंत्री श्री पी.एस.वर्मा एवं सहायक यंत्री श्री अनिल रघुवंशी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7098/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2015 दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	**280**	परि.ता.प्र.सं. 15 (क्र. 884) दि. 11.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले के चाचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तैयार किये कोर नेटवर्क में छूटे शेष ग्रामों को जोड़ा जाना।	कोर नेटवर्क से छूटे हुये ग्रामों को योजनांतर्गत जोड़े जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तैयार किये गये छूटे हुये ग्रामों को शेष ग्रामों से जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु नस्ती प्रचलन में है। आवंटन उपलब्ध होने पर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण हो जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4681/22/वि-10/ग्रायांसे/2015, दिनांक 14.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
23.	**281**	परि.ता.प्र.सं. 34 (क्र. 1611) दि. 11.03.2015 (श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक)	दमोह जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित गुणवत्ताविहीन सड़कों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच की कार्यवाही 02 माह में पूर्ण की जावेगी।	कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग सागर से प्राप्त पत्र क्रमांक 06/तीन-विभा.जांच/2015, दिनांक 04.01.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दमोह जिले अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित गुणवत्ता विहीन सड़कों के संबंध में जांच पूर्ण की जाकर,संबंधित दोषी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उप यंत्री को कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 543/22/वि-10/ग्रायांसे/2016, दि.28.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	**282**	परि.ता.प्र.सं. 48 (क्र. 1958) दि. 11.03.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	बैतूल जिले के जनपद पंचायत शाहपुर की ग्राम पंचायत झापड़ी एवं कांटावाड़ी के निर्माण कार्य में आर्थिक अनियमितता किए जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच पश्चात दोषियों के विरूद्ध गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।	**1-** ग्राम पंचायत झापडी में जांच उपरांत सरपंच सचिव द्वारा शासकीय कार्यो में राशि रू.150000/- का दुरूपयोग पाया गया। जिसके लिए सचिव को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच प्रचलित है एवं सरपंच/सचिव के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर न्यायालय में म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के वसूली का प्रकरण प्रचलन में है। **2-** ग्राम पंचायत काटावाड़ी के जांच के उपरांत पूर्व सरपंच श्रीमती मैनाबाई एवं पूर्व सचिव श्री चरणसिंह वरकडे द्वारा 1123252/-रू. शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना पाया गया, जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में वसूली प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा रा.प्र.क्र.29/अ-89(19) वर्ष 2013-14 में आदेश क्र. 302, दि.11.05.2015 को पारित कर पूर्व सरपंच श्रीमती मैनाबाई एवं श्री चरणसिंह वरकड़े से समान राशि म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92(3) के तहत दोषी पाकर तहसीलदार शाहपुर को भू-राजस्व के तहत वसूली हेतु आदेशित किया एवं सरपंच को धारा 92(5) के तहत 6 वर्ष के लिए निर्वाचित हेतु निरर्हित किया गया। उपरोक्त प्रकरण न्यायालय में संबंधित राशि वसूली हेतु प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1389/2015/22/पं.-2, दि.25.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
25.	**283**	परि.ता.प्र.सं. 55 (क्र. 2073) दि. 11.03.2015 (श्री संजय शर्मा)	नरसिंहपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एन. एच. 266(लिंगा) से इमझिरी क्षतिग्रस्त मार्ग का पुन: निर्माण कराया जाना।	स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नरसिंहपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र तेंदुखेड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एनएच 26(लिंगा से इमझिरी) क्षतिग्रस्त मार्ग के उन्नयन प्रस्ताव की स्वीकृति दि.09.06.2015 एवं कार्य की निविदा दिनांक 21.09.2015 को स्वीकृति हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 20261/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./2015, दिनांक 20.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	**284**	परि.ता.प्र.सं. 74 (क्र. 2443) दि. 11.03.2015 (श्री कुँवरजी कोठार)	राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों का कार्य अनुबंध अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं करने पर निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	ठेकेदारों का दायित्व निर्धारण, कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जाकर, अर्थदण्ड आरोपित कर अंतिम भुगतान किया जावेगा।	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ब्यावरा(राजगढ) म.प्र. से प्राप्त पत्र क्रमांक 787 दिनांक 10.06.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माणाधीन सड़कों का कार्य अनुबंधानुसार समय-सीमा में पूर्ण नहीं करने वाले संबंधित दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानुसार समयवृद्धि के रूप में उनके चलित देयकों में से राशि रूपये 1071322/- रोकी गई है। अंतिम देयक के भुगतान के समय अर्थदण्ड का निर्धारण किया जाकर रोकी गई राशि में से अर्थदण्डानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3570/22/वि-10/ग्रायांसे/2015, दिनांक 29.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
27.	**285**	परि.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 2625) दि. 11.03.2015 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों के पंजीयन क्रमांक प्रान (PRAN) नंबर आवंटित किये जाकर पेंशन हेतु संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को वेतन से कटोत्रा की राशि अंतरण किया जाना।	पंजीयन क्रमांक आवंटित होने पर प्रान नंबर आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जावेगी तथा संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।	योजनान्तर्गत संचालनालय का पंजीयन क्रमांक 3101954 प्राप्त हो गया है। समस्त जिला एवं जनपद पंचायतों के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-80/2015/22/पं.-1, दि. 27.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
28.	**286**	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 2871) दि. 11.03.2015 (श्री नथनशाह कवरेती)	छिन्दवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंधानुसार सड़क का निर्माण समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	उत्तरदायी ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार अर्थदण्ड हेतु कार्यवाही की जा रही है।	सड़कों का निर्माण निर्धारण समयावधि में नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत देयकों में से अनुबंधानुसार अर्थदण्ड की राशि रू.210.97 लाख का कटोत्रा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 22304/22/वि-12/वि.स./आश्वा.अद्य./15, दिनांक 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
29.	**287**	परि.ता.प्र.सं. 107 (क्र. 3083) दि. 11.03.2015 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	दतिया-मौ रोड से भीकमपुर मार्ग रेत परिवहन की ओवर लोडिंग से क्षतिग्रस्त हुये मार्ग की मरम्मत कराया जाना।	मरम्मत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	विकासखण्ड सेंवढ़ा के दतिया - मौ रोड से भीकमपुरा मार्ग का संधारण कार्य करा दिया गया है। उक्त मार्ग आवागमन हेतु सुचारू रूप से चालू है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 20883/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./2015, दिनांक 02.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	**288**	परि.ता.प्र.सं. 108 (क्र. 3109) दि. 11.03.2015 (श्री शंकर लाल तिवारी)	जिला सतना के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालयों में म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत लंबित प्रकरणों का निश्चित समय-सीमा में निराकरण नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	प्रकरण का गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
31.	**289**	परि.ता.प्र.सं. 113 (क्र. 3156) दि. 11.03.2015 (श्री अजय सिंह)	सीधी जिले के विधान सभा क्षेत्र चुरहट अंतर्गत खेरा से चन्दरेह मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने पर मार्ग गारंटी अवधि के अंतर्गत संधारण किया जाना।	मार्ग की 5 वर्ष की गारंटी अवधि के अंतर्गत शेष बचे समय में संधारण किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति जारी करने के पश्चात मार्ग संधारण हेतु कार्यवाही की जावेगी।	मार्ग के संधारण हेतु क्रस्ट उन्नयन की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 22306/22/वि-12/वि.स./आश्वा.अद्य./15, दिनांक 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
32.	**290**	परि.ता.प्र.सं. 143 (क्र. 3592) दि. 11.03.2015 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	मंदसौर, जबलपुर एवं नीमच जिले में ई-पंचायत भवन का कार्य (प्री फेब्रीकेशन) निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध अनुसार समय सीमा में पूर्ण नहीं करने एवं घटिया निर्माण कार्य कराये जाने की जांच एवं दोषी निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध शर्तो अनुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) नियम/अनुबंध की शर्तों के अनुसार दण्डारोपित करने हेतु निर्देश दिये गये है। (2) प्रगतिरत कार्य समयसीमा में शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
33.	**291**	परि.ता.प्र.सं. 149 (क्र. 3781) दि. 11.03.2015 (श्री उमंग सिंघार)	एस.आई.आर.डी. के अंतर्गत एन.जी.ओ. को दिये गये प्रशिक्षण में आर्थिक अनियमितताओं की, कराई गई जांच में जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषी संचालक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।	म.प्र.शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-01/2015/वि-5/22/स्था., दि.23.04.2016 द्वारा तत्कालीन संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर के विरूद्ध म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8426/22/वि-15/प्रशि./2015, दिनांक 21.07.2016	मामले की जांच समय-सीमा में पूर्ण हो। प्रकरण में दोषी दण्डित हों, इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	**292**	परि.ता.प्र.सं. 174 (क्र. 4049) दि. 11.03.2015 (श्री दिलीप सिंह परिहार)	प्रदेश की स्वयं सेवी संस्थाओं को कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा दिये कार्यादेश की अनुबंध/शर्तो के अनुसार कार्य संतोषप्रद नहीं करने पर संबंधित संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	असंतोषप्रद संस्थाओं को ब्लेक लिस्ट करने तथा विभाग की किसी भी योजना में भाग लेने से वर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है।	मुरैना एवं रतलाम जिले में स्वप्निल एजूकेशन सोसायटी भोपाल, छतरपुर एवं टीकमढ़ जिलों में डार्ट डेव्हलपमेन्ट रिसर्च टीम होशंगाबाद तथा ठीकमगढ़ जिले में अंबिका शिक्षा समाज कल्याण समिति भोपाल का कार्य अनुबंध की शर्तो तथा कौशल उन्नयन एवं नियोजन मार्गदर्शिका क्र. 3 के अनुरूप संपादित न किए जाने के कारण उक्त तीनों संस्थाओं को संबंधित जिलों के द्वारा ब्लेक लिस्ट किया गयाहै तथा म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 1314/रा.आ.फो./पं.ग्रा.वि.वि./2015 भोपाल, दिनांक 05.11.2015 द्वारा उक्त तीनों संस्थाओं को राज्य स्तर से सूचीबद्ध की गई 37 संस्थाओं की सूची से विलोपित किया जाकर, उन्हें विभाग की किसी भी योजना में भाग लेने से वर्जित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7744/22/विधानसभा सेल/2015, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
35.	**293**	परि.ता.प्र.सं. 182 (क्र. 4190) दि. 11.03.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले की तहसील मझौली अंतर्गत ग्राम मुरेठ में हिरन नदी पर निर्मित रपटा (पाईप काजवे) क्षतिग्रस्त होने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कार्य के निर्माण की जांच जल संसाधन विभाग द्वारा कराई जा रही है। गुणदोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	परीक्षणोपरांत प्रमुख अभियंता के पत्र दिनांक 04.12.2015 द्वारा श्री आर.एस.तिवारी तत्कालीन उप यंत्री के विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी कर विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 58/475/2015/सामान्य/31, दि.25.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	**294**	परि.ता.प्र.सं. 186 (क्र. 4263) दि. 11.03.2015 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख)	जिला बैतूल की मुलताई विधान सभा क्षेत्र में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत निर्माण कार्यो की सामग्री की गुणवत्ता का नियमानुसार परीक्षण कराये बिना निर्माण कार्य पूर्ण कर सी.सी. जारी करने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	सी.सी. जारी करने वाली तकनीकी अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है।	जनपद पंचायत प्रभातपट्टन एवं मुलताई के सहायक यंत्री(मनरेगा) द्वारा अनुभव एवं स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता पूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने पर कार्यो की सी.सी. जारी की गई है तथा पूर्ण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये कार्यो की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, इसलिये विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। भविष्य में गुणवत्ता परीक्षण कराने के बाद ही सहायक यंत्रियों द्वारा सी.सी. जारी की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1141/1031/2015/22/पं.-1, दिनांक 06.08.2015	समिति विभागीय कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुये, यह महसूस करती है कि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्री (RAW MATERIAL) की गुणवत्ता की जांच निर्माण कार्य आरंभ होने के पूर्व कराई जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है, इससे यह परिलक्षित होता है कि विभागीय अधिकारीगण इस संबंध में लापरवाह रहे। समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि **निर्माण कार्यो के संबंध में निर्धारित मापदण्डों का विभागीय अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जायेगा, जिससे लोक धन का अपव्यय न हो।**
37.	**295**	अता.प्र.सं. 16 (क्र. 1001) दि. 11.03.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोर नेटवर्क से छूटे ग्रामों को जोड़ा जाना।	कोर नेटवर्क से छूटे हुये ग्रामों को योजनांतर्गत जोड़े जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तैयार किये गये छूटे हुये ग्रामों को शेष ग्रामों में जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु नस्ती प्रचलन में है। आवंटन उपलब्ध होने पर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण हो जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3451/22/वि-10/ग्रायांसे/2015, दिनांक 24.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
38.	**296**	अता.प्र.सं. 40 (क्र. 2266) दि. 11.03.2015 (श्रीमती इमरती देवी)	जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अनुबंध अनुसार समय-सीमा में मार्ग का निर्माण नहीं करने पर नियमानुसार निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार अर्थदण्ड हेतु कार्यवाही की जा रही है।	कुल 11 प्रगतिरत मार्गो में से 03 मार्गो में समय-सीमा में कार्य न करने के कारण अनुबंधानुसार अनुबंध निरस्त कर नवीन एजेंसी गठित होकर काय प्रारंभ है। 05 मार्ग पूर्ण हो चुके है। 03 मार्गो का कार्य प्रगति पर है। विलंब हेतु अनुबंधानुसार ठेकेदारों से अर्थदण्ड की राशि काटी जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 16916/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./2015, दिनांक 31.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	**297**	अता.प्र.सं. 89 (क्र. 3277) दि. 11.03.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में विभाग के आदेश दिनांक 19.04.2011 के विरूद्ध मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराने की जांच एवं संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जांच।	वर्तमान में जिला स्तर पर जांच प्रचलन में है।	जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि जिले में मुरम-बोल्डर एवं मिट्टी-मुरम के 100 करोड़ के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है, चूंकि उक्त कार्य ग्राम के आंतरिक मार्गो में किये गये है, इसलिए मॉनिटरिंग अधिकारियों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी, जिस कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7184/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2015 दिनांक 16.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
40.	**298**	अता.प्र.सं. 114 (क्र. 3898) दि. 11.03.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के विभिन्न ग्राम में कराये जाने वाले निर्माण कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधि के मांग पत्र की अनदेखी करने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	मांगपत्र में उल्लेखित कार्यों का विभिन्न संबंधित विभागों एवं योजनाओं के आलोक में परीक्षण कराया जा रहा है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.	**425**	परि.ता.प्र.सं. 04 (क्र. 885) दि. 18.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में इंदिरा आवास कुटीर एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाना एवं हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराया जाना।	(1) इंदिरा आवास प्रगतिरत हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा। (2) हितग्राहियों को भेजने की राशि प्रक्रियाधीन है।	(1) 01वर्ष 2013-14 में स्वीकृत 1554 इंदिरा आवास की प्रथम किश्त की राशि जारी की जा चुकी है । प्रथम किश्त की दरवाजा स्तर तक आवास का निर्माण करने वाले की नियमानुसार 970 हितग्राहियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों की अनुशंसा पर द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है एवं उनके द्वारा आवास पूर्ण कर लिये गये है । शेष 584 हितग्राहियों के द्वारा दरवाजा स्तर तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। कार्य पूर्ण होते ही रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों से प्राप्त अनुशंसा से द्वितीय किश्त जारी की जावेगी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा पूर्ण कराया जाना है। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 के 77 मुख्यमंत्री अंत्योदय आवासों में से 52 को द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है, जिन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 25 हितग्राहियों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों से मांग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही द्वितीय किश्त जारी कर दी जावेगी तथा जनपदों द्वारा ही पूर्ण करा लिया जावेगा। (2) वर्ष 2015-16 में प्राप्त लक्ष्य 1710 के विरूद्ध 1649 हितग्राहियों की एम.आई.एस. किया जा चुका है । 1710 लक्ष्य के विरूद्ध 1369 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि सीधे हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तान्तरित कर दी गई है। शेष 256 हितग्राहियों के प्रस्ताव प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1363/22/वि-7/ग्रा.आ./वि.सभा/2016, दिनांक 29.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	**426**	परि.ता.प्र.सं. 20 (क्र. 2167) दि. 18.03.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले की जनपद पंचायत ब्यौहारी के ग्राम पंचायत साखी में मर्यादा अभियान की राशि नियम विरूद्ध व्यय की जांच एवं व्यय की गई राशि की वसूली की जाना।	दोषी सचिव को निलंबित किया गया है। दोषियों से राशि वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को लेख किया गया है।	दोषी सचिव से अधिरोपित राशि रू.26346.00 (छब्बीस हजार तीन सौ छियालीस रू. मात्र) जनपद पंचायत ब्यौहारी द्वारा वसूल कर ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1274/22/वि-7/SBM/2015, दि.05.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
43.	**427**	परि.ता.प्र.सं. 49 (क्र. 3265) दि. 18.03.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र कोलारस के अंतर्गत मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपूर्ण कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	मार्च, 2015 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्र. 01 शिवपुरी के पत्र क्र. 1135, दिनांक 13.07.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कोलारस विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपूर्ण कार्यो को मनरेगा से होने वाले भुगतान के विलंब के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5145/22/वि-10/ग्रायांसे/2015, दि.02.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
44.	**428**	परि.ता.प्र.सं. 52 (क्र. 3307) दि. 18.03.2015 (श्री रणजीतसिंह गुणवान)	सीहोर जिले की आष्टा विधान सभा क्षेत्र में निर्मल भारत अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण में की गई अनियमितताओं के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	सूचना पत्र जारी किया गया। आगामी कार्यवाही प्रचलित है।	जिला पंचायत सीहोर के पत्र क्रमशः क्र. 5569, दि. 06.07.2015, 5571, दि.06.07.2015 से क्रमशः ग्राम पंचायत सचिव श्री अजब सिंह ठाकुर एवं श्री अनोखी लाल मालवीय के निलंबन की कार्यवाही की गई है। पूर्व सरपंच/सचिव से राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. पत्र क्रमांक 3096, दिनांक 02.12.2015, 3097, दि.02.12.2015, 3098 दि.02.012.2015, 3099, दि 02.12.2015 से जारी कर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा को प्रेषित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 348/22/वि-7/SBM/2016, दि.29.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	**429**	परि.ता.प्र.सं. 61 (क्र. 3523) दि. 18.03.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी जिले के विधान सभा क्षेत्र सिहावल में वाटर शेड परियोजना का सर्वे कराया जाना।	परियोजना स्वीकृति हेतु सर्वे की कार्यवाही प्रचलन में है।	सीधी जिले के विधान सभा क्षेत्र सिहावल में वाटर शेड (आईडब्ल्यूएमपी) परियोजना की स्वीकृति हेतु सर्वे का कार्य कराया गया। आईडब्ल्यूएमपी योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना का वर्तमान में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में समाहित किया गया है। भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग के पत्र क्र. Z-11011/8/2009-PPC, दिनांक 06 मई 2015 में निर्देश है कि वर्ष 205-16 में आईडब्ल्यूएमपी की पुरानी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जाना है, इस वर्ष नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की संभावना नहीं है। प्रकरण में राज्य स्तर से अब आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 15503/22/वि-9/आर.जी.एम./2015, दिनांक 30.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
46.	**430**	परि.ता.प्र.सं. 86 (क्र. 4033) दि. 18.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बना))	रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुये ग्रामों को जोड़ा जाना एवं प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्ताव में उल्लेखित सड़कों की स्वीकृति प्रदान की जाना।	(1) 2014-15 में 5 सड़कें चिन्हित की जाकर स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। (2) स्वीकृत की कार्यवाही की जावेगी।	रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 05 छूटे हुये ग्रामों को जोड़े जाने हेतु कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6425/22/वि-10/ग्रायांसे/2015,दि.07.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
47.	**431**	परि.ता.प्र.सं. 104 (क्र. 4458) दि. 18.03.2015 (श्री गिरीश गौतम)	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के अंतर्गत भवन हेतु हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराना।	स्वीकृति हेतु शेष प्रकरण बैंक शाखाओं में परीक्षण में प्रक्रियाधीन हैं।	बैंक शाखाओं में स्वीकृति हेतु शेष 258 प्रकरण परीक्षण उपरांत स्वीकृत कर दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 12520/22/वि-12/जी.एम.टी.-8/वि.स./06/ 2015 दिनांक 30.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.	**432**	परि.ता.प्र.सं. 126 (क्र. 4774) दि. 18.03.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	रीवा जिले की ग्राम पंचायत खटखरी के सरपंच/सचिव के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जॉच की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) शिकायत की जॉच प्रचलन में है।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा का पत्र क्रमांक 1410/विजां-शिका/सी-63/जि.पं/ 2016 रीवा दिनांक 17.06.2016 द्वारा आश्वासन पूर्ति की अद्यतन जानकारी प्रेषित की है जो निम्नानुसार है :- • विधान सभा प्रश्न में उद्‌भूत बिन्दुओं एवं शिकायत तथ्यों की जांच के आधार पर 03 निर्माण कार्यो में वित्तीय अनियमितता हेतु श्री पुरूषोत्तम मिश्रा सरपंच एवं श्री गंगाप्रसाद गुप्ता तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत खटखरी तथा श्री आर.पी.मिश्रा तत्कालीन उप यंत्री एवं श्री डी.पी.सोनी तत्कालीन सहायक यंत्री(वर्तमान में सेवानिवृत्त) रू.259775.00 की वित्तीय अनियमितता हेतु दोषी पाये गये है। • म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत दोषी सरपंच/सचिव के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हनुमना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 20/अ-89/15-16 पंजीबद्ध होकर प्रक्रियारत है। • श्री आर.पी.मिश्रा तत्कालीन उप यंत्री एवं श्री बी.पी.सोनी तत्कालीन सहायक यंत्री के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्रादि प्रारूप मय जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ आयुक्त रीवा संभाग को प्रेषित किये गये है। • मर्यादा अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्यो के पर्यवेक्षण दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छा चारिता बरतने हेतु उत्तरदायी तत्कालीन नोडल अधिकारी श्री रोशनलाल पाण्डे(मूल पद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) विकासखण्ड हनुमना के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत कलेक्टर रीवा के हस्ताक्षर से आरोप पत्र जारी कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 227/2016/22/पं.-2 पार्ट, दिनांक 23.06.2016	
49.	**433**	परि.ता.प्र.सं. 138 (क्र. 5011) दि. 18.03.2015 (श्री दिनेश कुमार अहिरवार)	टीकमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पलेरा से टोरियाखेरा खास, लिधौरा से दिगौडा एवं चंदेरा से खुर्रमपुरा मार्ग का क्रस्ट उन्नयन किये जाना।	मार्गों का क्रस्ट उन्नयन करने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।	टीकमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मार्गो के क्रस्ट उन्नयन की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार की जा चुकी है। 1. पलेरा से टोरियाखास मार्ग - पत्र क्र.12270, दिनांक 26.06.2015 2. लिधौरा से दिगौड़ा मार्ग - पत्र क्र. 8146, दिनांक 05.05.2015 3. चंदेरा से खुर्रमपुरा मार्ग - पत्र क्र. 15439, दिनांक 10.08.2015 **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 19763/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./2015, दिनांक 13.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
50.	**434**	परि.ता.प्र.सं. 141 (क्र. 5080) दि. 18.03.2015 (श्री गोवर्धन उपाध्याय)	विदिशा जिले में समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत देहरी जागीर तथा सुल्तानपुर द्वारा दी गई राशि का उपयोग नहीं किये जाने पर राशि वापस लिया जाना।	वर्तमान में राशि वापिस की कार्यवाही की जा रही है।	ग्राम पंचायत सुल्तानपुर द्वारा राशि 3.70 (तीन लाख सत्तर हजार) जमा कर दी गई है। ग्राम पंचायत देहरी जागीर में राशि 4.65 लाख वसूली की कार्यवाही प्रचलित थी। जिसमें से 1.50 लाख जमा कर दी गई है। शेष राशि की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 350/22/वि-7/SBM/2016, दि. 29.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
51.	**435**	अता.प्र.सं. 30 (क्र. 2656) दि. 18.03.2015 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	जिला खरगोन की जनपद पंचायत भगवानपुरा में 13वॉं वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत परफारमेंस ग्रांट की राशि से खेल मैदान का चयन/निर्माण किया जाना।	खेल मैदान के स्थल चयन की कार्यवाही प्रचलित है।	खरगोन जिले की विधान सभा क्षेत्र भगवानपुरा की जनपद पंचायत भगवानपुरा में ग्रामीण खेल-कूद मैदान का स्थल चयन कर लिया गया है, जो ग्राम धूलकोट है। खेल मैदान की स्वीकृति दिनांक 20.08.2015 एवं प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18.03.2016 द्वारा जारी की गई। स्टेडियम हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 654/802/2016/22/पं.-1, दि. 11.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	**436**	अता.प्र.सं. 31 (क्र. 2851) दि. 18.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार एवं रौन विकासखण्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शेष ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जाना एवं ग्राम पंचायत लारौल के ग्राम घुरावर तक की सड़क निर्माण की क्षतिग्रस्त सड़क का अनुमोदन अनुसार सुधार किया जाना तथा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) सड़कों की स्वीकृति विचाराधीन है। (2) अनुबंधानुसार ठेकेदार से सुधार कराया जायेगा तथा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	(1) भिण्ड जिले के लहार एवं रौन विकासखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत शेष 05 ग्रामों को जोड़े जाने हेतु योजना के मापदण्डानुसार जिला योजना समिति/जिला पंचायत से अनुमोदन उपरांत स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। (2) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज क्र. सी.एम.0414 के अंतर्गत ग्राम लारौल के ग्राम घुरावर मार्ग का सुधार एवं मरम्मत कार्य संबंधित ठेकेदार से करा लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6476/22/वि-10/ग्रायांसे/2015, दिनांक 09.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
53.	**437**	अता.प्र.सं. 104 (क्र. 4760) दि. 18.03.2015 (श्री अनिल जैन)	टीकमगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में बंद पड़े निर्माण कार्यों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	ग्राम पंचायतों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
54.	**438**	अता.प्र.सं. 119 (क्र. 4943) दि. 18.03.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	शाजापुर जिले की सुसनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पंच परमेश्वर योजना के तहत क्रय की गई सामग्री की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रपत्र-ब के कॉलम नंबर 7 के अनुसार खरीदारी की जॉच की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
55.	**439**	अता.प्र.सं. 120 (क्र. 4980) दि. 18.03.2015 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके)	मण्डला में ग्रामीण सेवा यांत्रिकी द्वारा कराये गये पीस वर्क कार्यों की जांच एवं संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर को अनियमितता की विस्तृत जॉच हेतु आदेशित किया जावेगा, अनियमितता पाये जाने पर गुण दोष के आधार पर दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी। जॉच कार्य 02 माह में पूर्ण किया जावेगा।	अधी.यंत्री ग्रायांसे, जबलपुर मंडल जबलपुर के पत्र क्रमांक 1736/तक/ग्रायांसे/15, दि.07.11.15 के पत्रानुसार अनियमितता का जांच प्रतिवेदन मय प्रतिवेदन के आधार पर दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्रादि प्राप्त का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6752/22/वि.2/स्था./2015,दि.27.11.2015	कोई टिप्पणी नही.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.	**440**	अता.प्र.सं. 121 (क्र. 4986) दि. 18.03.2015 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके)	मण्डला जिले के विकासखण्ड बिछिया के ग्राम मोचा के गंधार नाले पर स्लैब कल्वर्ट के घटिया निर्माण की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) संबंधितों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण विचाराधीन है। विस्तृत जॉच कराई जाकर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (2) जॉच प्रतिवेदन अनुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	(1) अधी.यंत्री. ग्रायांसे जबलपुर मंडल जबलपुर के पत्र क्र. 1384/तक/शिका.-16/ग्रायांसे/15, दि.17.08.2015 से संबंधित के विरूद्ध उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु जांच प्रतिवेदन मय आरोप-पत्रादि प्राप्त। (2) उक्त जांच प्रतिवेदन का निर्माण कार्य के अनुरूप परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत कार्य में प्रक्रियात्मक त्रुटि को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में नहीं माना गया है। अत: दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6629/22/वि-10/ग्रायांसे/15, दि.20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
57.	**441**	अता.प्र.सं. 129 (क्र. 5177) दि. 18.03.2015 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले की जावरा एवं पिपलोदा जनपद पंचायत अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि जारी की जाना।	हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।	(1) जनपद पंचायत जावरा :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 03 हितग्राहियों द्वारा आवास पूर्ण नहीं किये जाने से जो अंतिम चेतावनी पत्र जारी किये गये थे, उसके उपरांत उक्त 03 हितग्राहियों द्वारा आवास कार्यपूर्ण कर लिये गये है। वर्ष 2012-13 में 05 हितग्राहियों को नोटिस जारी कराने के उपरांत उन समस्त 05 हितग्राहियों द्वारा भी आवास पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2013-14 में 27 हितग्राहियों में से 12 हितग्राहियों द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 15 हितग्राहियों को जनपद पंचायत द्वारा अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है एवं वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त राज्य शासन द्वारा जारी कर दी गई है। (2) जनपद पंचायत पिपलौदा :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में 04 हितग्राहियों को एवं इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में 79 हितग्राहियों को जनपद पंचायत द्वारा अंतिम चेतावनी पत्र जारी किये गये थे, उनमें से वर्ष 2012-13 के 04 हितग्राहियों द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया है तथा वर्ष 2013-14 के 79 हितग्राहियों में से 34 हितग्राहियों द्वारा आवास कार्य प्रारंभ करने पर द्वितीय किश्त	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					जारी करा दी गई है, शेष 45 हितग्राहियों को आवास प्रारंभ कराये जाने हेतु जनपद पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 3694, दिनांक 23.10.2015 से पुन: सूचना पत्र जारी किए गये है तथा 2014-15 में प्रथम किश्त राज्य शासन द्वारा जारी कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1185/22/वि-7/ग्रा.आ./वि.सभा./2015, दिनांक 28.01.2016	

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	**70**	ता.प्र.सं.03 (क्र.373) दि. 24.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन एवं शहरी पार्किंग के लिये निर्धारित समयावधि एवं तिथि में नीति बनाई जाना।	(1) माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि अतिशीघ्र एक महीने के अंदर यह नीति आ जायेगी। (2) 30 दिन के अंदर नीति आ जायेगी। (3) मै दे दूंगा।	राज्य शासन द्वारा पार्किंग नीति तैयार की जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय यूनिफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट काउंसिल से अनुमोदन कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4096/2402/2015/18-2, दि. 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
59.	**71**	ता.प्र.सं.06 (क्र.1528) दि. 24.02.2015 (श्री हर्ष यादव)	भोपाल विकास प्राधिकरण की एयरो सिटी परियोजना में हुई अनियमितताओं के दोषी इंजीनियर्स के विरूद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही किया जाना।	(1) 02, सब इंजीनियर्स के खिलाफ कार्यवाही की गई, उसमें विभागीय जांच चल रही है। (2) अतिशीघ्र कर देंगे।	एयरो सिटी योजना में पदस्थ उपयंत्री श्री राकेश कुमार जैन एवं श्री आरिफ अली खान के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने हेतु दिनांक 07.02.2015 को आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 20-6/2015/18-5, दि.05.05.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 13035/वि.स./आश्वा./2015, दिनांक 23.06.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में आरोप पत्रादि जारी किये जाने एवं आरोपियों से प्राप्त प्रति उत्तर पश्चात् कृत कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **अद्यतन जानकारी :-** एयरो सिटी योजना में पदस्थ उपयंत्री श्री राकेश कुमार जैन एवं श्री आरिफ अली खान के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने हेतु दिनांक 07.02.2015 को आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके है। विभागीय जांच अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसे पूर्ण करने में समय लगना स्वाभाविक है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 20-6/2015/18-6, दि.29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 13035/वि.स./आश्वा./2015, दिनांक 23.06.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षो की अद्यतन जानकारी ।*** **अद्यतन जानकारी :-** एयरो सिटी योजना में पदस्थ उपयंत्री श्री राकेश कुमार जैन एवं श्री आरिफ अली खान के विरूद्ध लघुशास्ति परिनिंदा अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है । कार्यवाही पूर्ण । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 20-06/2015/18-6, दि.17.11.2015	
60.	**72**	ता.प्र.सं.18 (क्र.445) दि.24.02.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	इंदौर नगर पालिक निगम में सम्मिलित 20 नए वार्डो में हुये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर अतिक्रामकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना	हमने निर्देश दे दिये है, अतिशीघ्र वहां पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चालू हो जाएगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
61.	**73**	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र.266) दि. 24.02.2015 (श्री मधु भगत)	बालाघाट एवं वारासिवनी नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाना।	नियमितीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
62.	**74**	परि.ता.प्र.सं.25 (क्र.600) दि.23.02.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	भोपाल स्थित मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में नियम विरूद्ध किये गये अवैध निर्माण के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना।	जांच रिपोर्ट के निष्कर्षो पर कार्यवाही करने हेतु भोपाल को निर्देशित किया गया है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
63.	**75**	परि.ता.प्र.सं.75 (क्र.1400) दि. 24.02.2014 (श्री रजनीश हरवंश सिंह)	सिवनी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत छपारा का नगर पंचायत में, समीपस्थ 06 ग्रामों को जोड़कर, उन्नयन किया जाना।	कलेक्टर, जिला-सिवनी द्वारा 06 ग्राम सम्मिलित करते हुये संशोधित प्रस्ताव दिनांक 18.06.2014 को प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64.	242	परि.ता.प्र.सं. 44 (क्र. 1378) दि. 03.03.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना नगर निगम क्षेत्र में सूचीबद्ध 138 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना।	अवैध कालोनियों के नियमितीमकरण की कार्यवाही नियमों में प्रावधान के अनुसार की जावेगी।	अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु ले-आउट तैयार कराया जा रहा है, तत्पश्चात् उनके नियमितीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2699/1671/2015/18-2,दि.08.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
65.	243	परि.ता.प्र.सं. 46 (क्र. 1434) दि. 03.03.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंजबासौदा को, अनुबंध अनुसार किराये की राशि का भुगतान किया जाना।	शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये गये है। नगर पालिका द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में देय राशि भुगतान कर दी जायेगी।	विदिशा जिले की नगरपालिका गंजबासौदा द्वारा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल प्रबंधन की किराये की राशि का 35 प्रतिशत भुगतान प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंजबासौदा को पंजाब नेशनल बैंक के चैक क्रमांक 926126, दिनांक 09.06.2015 से राशि रू. 3,94,202/- का भुगतान किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2994/1862/2015/18-2,दि.30.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
66.	244	परि.ता.प्र.सं. 48 (क्र. 1478) दि. 03.03.2015 (श्री गिरीश भंडारी)	नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ द्वारा वर्ष 2013 में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन न किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिये गये है।	संभागीय उप संचालक, भोपाल संभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। दोषियों के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रारूप तैयार किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3000/1863/2015/18-2, दि.30.06.2015	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषी दंडित हों।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67.	**245**	परि.ता.प्र.सं.124 (क्र.2867) दि.03.03.2015 (श्री दिलीप सिंह परिहार)	नगर पालिका नीमच द्वारा सिनेमा एवं अन्य भवन हेतु लीज पर दी गई भूमि का लीजधारी द्वारा लीज शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर कार्यवाही की जाना।	माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	तत्कालीन कन्टोमेन्ट बार्ड द्वारा जनरल रोड़ (वर्तमान टैगोर मार्ग) स्थित 95.200 वर्गफीट भूमि सिनेमा व अनुषांगिक (Necesaary) भवन निर्माण हेतु लीज पर दी गई भूमि के संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर जनहित याचिका क्रमांक 1879/07/पारित निर्णय दिनांक 13.02.2015 के परिपालन में आदेश क्रमांक 1129/विधि-1/212/07-15 दिनांक 01.05.2015 द्वारा लीज पट्टानामा दिनांक 19.10.1946 प्रथम नवीनीकृत पट्टानामा दिनांक 04.10.1986 एवं द्वितीय नवीनीकृत पट्टानामा दिनांक 18.06.2014 को समाप्त/सहपहरण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2015 के विरूद्ध श्री रघुराज चौघड़िया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील क्रमांक 16958/2015 दायर की है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2015 से स्थगन प्राप्त किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4441/1662/2015/18-2, दि.14.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
68.	**246**	अता.प्र.सं. 12 (क्र. 999) दि. 03.03.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा नगर में अटल सरोवर नागचून तालाब के चारों ओर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।	नागचून तालाब के आसपास की भूमि शासकीय अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन के नाम से दर्ज है, जिसके संबंध में कलेक्टर, जिला खण्डवा को पत्र क्र./5.वि./198/ 2011 दिनांक 29.10.2011 के द्वारा कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया गया था । तहसीलदार खण्डवा द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर तालाब के चारों ओर के 56 अतिक्रमणों के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के अनुसार प्रकरण कायम कर उनसे राशि रू.1.58 लाख दण्ड स्वरूप वसूल की जाकर, अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया गया है। वर्तमान में यह भूमि रिक्त है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 606/711/2015/18-2, दि.04.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69.	**247**	अता.प्र.सं. 35 (क्र. 2088) दि. 03.03.2015 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	मंदसौर जिले के नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तावित सड़कों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति यथाशीघ्र दिया जाना।	नगरपालिका परिषद मंदसौर में सिंहस्थ 2016 के तहत स्वीकृत कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही परीक्षणाधीन है।	नगरपालिका मंदसौर द्वारा सिंहस्थ 2016 के कार्य योजना के परीक्षण उपरांत रू.273.40 लाख की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति संचालनालय, न.प्र. एवं विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 1530, दिनांक 26.02.15 द्वारा प्रदान कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4088/2287/2015/18-2, दि.14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
70.	**248**	अता.प्र.सं. 98 (क्र. 2807) दि. 03.03.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के अंतर्गत नगरीय निकायों के स्वामित्व की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित दुकानों को गिराने एवं अवैध निर्माण के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।	सागर जिले के अंतर्गत नगर पालिक निगम सागर के स्वामित्व की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित दुकानों को गिराने एवं अवैध निर्माण के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में नगर निगम सागर एक दैनिक वेतन भोगी की सेवायें समाप्त की गई व बाजार विभाग के लिपिक श्री मनीराम रैकवार का स्थानांतरण निकाय के अन्य विभाग में किया गया है। अवैध निर्माणकर्ताओं को नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये है। प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित होने से माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5047/3496/2015/18-2, दि.05.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
71.	**388**	परि.ता.प्र.सं. 16 (क्र. 1017) दि. 16.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले की नवगठित नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग में नगरपालिका अधिकारी की पदस्थापना किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	श्री चन्द्रप्रकाश राय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग जिला सागर को पत्र दि.23.05.2015 द्वारा पदस्थ किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1066/4359/2013/18-1, दि. 03.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
72.	**389**	परि.ता.प्र.सं. 27 (क्र. 2022) दि. 16.03.2015 (श्री पन्नालाल शाक्य)	वर्ष 2004-05 में गुना नगर पालिका क्षेत्र में शुष्क शौचालय का जलवाही शौचालय में परिवर्तन किये जाने में की गई आर्थिक अनियमितता की जांच एवं राशि की वसूली किया जाना।	राशि रूपये 10.51 लाख की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।	वर्ष 2003-04 में निर्मित शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालय के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत ऋण राशि की वर्तमान तक रू.6690/- की वसूली की जा चुकी है। शेष वसूली की कार्यवाही प्रचलित होकर शीघ्र पूरी कर ली जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5172/3592/2015/18-2,दि.07.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73.	**390**	परि.ता.प्र.सं. 35 (क्र. 2348) दि. 16.03.2015 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर नगर में नवीन मास्टर प्लान लागू किया जाना।	विकास योजना धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
74.	**391**	परि.ता.प्र.सं. 58 (क्र. 3006) दि. 16.03.2015 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप)	रतलाम में वातानुकूलित ऑडिटोरियम के लिये भूमि आरक्षित किया जाना।	भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा ऑडिटोरियम निर्माण के लिए वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम के पास 90,000 वर्गफीट भूमि का चयन कर आवंटन के लिए कलेक्टर रतलाम को प्रस्ताव भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-126/2015/18-2,दि.14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
75.	**392**	परि.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 3436) दि. 16.03.2015 (श्री गिरीश भंडारी)	नरसिंहगढ़ नगर पालिका द्वारा बस स्टैण्ड पर सीमेंट कांक्रीट कार्य नियम विरूद्ध करने वाले दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में जाँच करायी जा रही है। जाँच निष्कर्षों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण में जांच करा ली गई है। जांच प्रतिवेदन में कोई दोषी नहीं पाया गया है। सीमेंट कांक्रीट के क्षतिग्रस्त भाग को ठेकेदार से ठीक कराया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4212/2300/2015/18-2, दि.25.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
76.	**393**	परि.ता.प्र.सं. 86 (क्र. 3443) दि. 16.03.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ नगर पालिका अंतर्गत उत्कृष्ट रोड के वर्क ऑर्डर जारी किया जाना एवं पार्क का निर्माण किया जाना।	(1) जी हां। वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, वित्तीय स्वीकृति पश्चात कार्यादेश दिया जायेगा। (2) पार्क निर्माण कार्य दिनांक 30 जून, 2015 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।	1. वित्तीय स्वीकृति दिनांक 16.06.15 को दी जा चुकी है एवं ठेकेदार को निकाय द्वारा कार्यादेश दिनांक 22.09.15 जारी किया जा चुका है। 2. पार्क निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था, उक्त नोटिस के पालन में ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, पार्क निर्माण कार्य 02 माह में ठेकेदार से पूर्ण कराया जाना लक्षित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5140/3610/2015/18-2, दि07.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
77.	**394**	परि.ता.प्र.सं. 114 (क्र. 4050) दि. 16.03.2015 (श्री दिलीप सिंह परिहार)	नगर पालिका परिषद, नीमच में कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गई परियोजना के तहत कार्य प्रारंभ किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	मे. डी.के.एसोसिएट्स भोपाल द्वारा महिला बजट गृह की खुली भूमि पर 28 दुकानों के निर्माण कार्य के लिए डी.पी.आर. तैयार कराया गया था, जिसके तहत 28 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाकर किराये पर आवंटित कर दी गई है। कन्सल्टेंट द्वारा की गई शेष 02 डी.पी.आर. पर कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1651/1372/2015/18-3,दि.06.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	**395**	परि.ता.प्र.सं. 134 (क्र. 4402) दि. 16.03.2015 (श्री जितू पटवारी)	इंदौर स्थित विशालकाय ट्रेचिंग ग्राउण्ड को शहरी सीमा क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000 के अनुसार भूमि उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।	नगरीय निकाय इंदौर के ठोस उपशिष्ट प्रबंधन हेतु ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि की मांग हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5166/3660/2015/18-2,दि.07.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
79.	**396**	परि.ता.प्र.सं. 136 (क्र. 4420) दि. 16.03.2015 (श्री जतन उईके)	छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु परसोड़ी जलाशय से पानी उपलब्ध कराये जाने बाबत्।	स्थल के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
80.	**397**	अता.प्र.सं. 06 (क्र. 1124) दि. 16.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल जिले में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो संरचना विकास मण्डल द्वारा वाल्मिकी अंबेडकर योजना के तहत निर्मित शेष भवनों को नियमानुसार आवंटन किया जाना।	आवंटन हेतु परियोजना के निर्देशों के अनुसार आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।	मण्डल द्वारा वाल्मिकी अम्बेडकर योजना के तहत :- (अ) बागसेवनिया, भोपाल में 523 भवनों का निर्माण बी.एच.ई.एल. के झुग्गीवासियों के लिए किया गया था। बी.एच.ई.एल. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची अनुसार 440 भवनों का आवंटन कर दिया गया है। शेष 83 भवनों के आवंटन की कार्यवाही बी.एच.ई.एल. से हितग्राहियों की सूची प्राप्त होते ही कर दी जावेगी। (ब) लहारपुर, भोपाल में 70 भवनों का निर्माण किया गया था। 44 भवनों का आवंटन शासन से प्राप्त हितग्राहियों की सूची अनुसार कर दिया गया है, शेष 26 भवनों का आवंटन शासन से सूची प्राप्त होते ही कर दिया जावेगा। (स) अयोध्या नगर, भोपाल में भवनों के आवंटन हेतु शपथ पत्र व सहमति पत्र प्राप्त कर सूची कलेक्टर को प्रेषित की गई है। अनुमोदित सूची कलेक्टर से प्राप्त होने के उपरांत आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1751/1984/2016/18-6, दिनां 22.07.2016	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि वाल्मिकी अंबेडकर योजना के तहत निर्मित शेष भवनों के आवंटन की कार्यवाही हितग्राहियों को शीघ्र पूर्ण की जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81.	**398**	अता.प्र.सं. 62 (क्र. 3340) दि. 16.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	कटनी जिले में नगर निगम सीमा के अंदर पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत बगैर सहमति के संचालित लाल ईट भट्टों के संचालकों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना।	कलेक्टर, कटनी (खनिज) द्वारा खनिज साधन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-1/2013/12/1 (पार्ट), दिनांक 10.04.2013 अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
82.	**399**	अता.प्र.सं. 127 (क्र. 4809) दि. 16.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की नगर परिषद् लहार, मिहोना, दबोह के अध्यक्ष एवं अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों में कार्यवाही की जाना एवं उप यंत्री की नियुक्ति की जाना।	(1) प्रकरण में प्राप्त शिकायत पर गठित समिति द्वारा जॉच की जा रही है। जॉच उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (2) उपयंत्री के नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	(1) भिण्ड जिले की नगर परिषद लहार में निजी स्वामित्व की भूमि में कराये गये सी.सी. सड़क निर्माण कार्यो की जांच कराई गई है। समस्त कार्य सक्षम स्वीकृत उपरान्त जनहित में आवश्यकतानुसार कराया गया है। जिससे किसी को दोषी नहीं पाया जाता है। (2) भिण्ड जिले की नगर परिषद लहार, मिहोना एवं दबोह में उपयंत्री की पदस्थापना कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक : -** 6111/4072/2015/18-2, दि.15/12/2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83.	**101**	परि.ता.प्र.सं.07 (क्र.227) दि.25.02.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	राज्य बीमारी सहायता निधि से रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज के अंतर्गत निवास करने वाले रोगियों के उपचार हेतु शीघ्र सहायता राशि स्वीकृत कराई जाकर उपचार कराया जाना।	(1) स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। (2) प्रावधान अनुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है, उक्त प्रकरणों का निराकरण 15 दिवस में कर दिया जावेगा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/वि.स./2015/5001, दिनांक 30.06.2015 द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रेषित की गई है। (1) श्री रणवीर सिंह आत्मज नन्हे सिंह निवासी लखनपुर तह.बेगमगंज जिला रायसेन के प्रकरण में कार्या. पत्र क्रमांक/1591/रायसेन, दिनांक 25.02.2015 द्वारा नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए चौथराम अस्पताल इंदौर को ईलाज हेतु राशि भेजी जा चुकी है। (2) श्री कमलेश मिश्रा आ.हरिप्रसाद निवासी खमरिया तह.बेगमगंज जिला रायसेन का प्रकरण मा.राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री के पत्र क्रमांक 1142/मंत्री/रा.पु./2015, दि. 29.05.2015 मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी जिला रायसेन को दिनांक 01.06.2015 को प्राप्त हुआ, जिसे सिविल सर्जन रायसेन कार्यालय के पत्र क्रमांक रा.बी./2015/3677-81 रायसेन दिनांक 03.06.2015 द्वारा अपूर्ण प्रकरण पूर्ण कर मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी रायसेन के कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसे कार्यालयीन पत्र क्रमांक/रा.बी./2015/4158 रायसेन दिनांक 03.06.2015 द्वारा रूपये 70,000/- (सत्तर हजार मात्र) चिरायु मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भोपाल को ईलाज हेतु भेजा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 546/1418/2015/सत्रह/मेडि-3, दि.13.04.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
84.	**102**	परि.ता.प्र.सं.23 (क्र.852) दि.25.02.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों/औषधालयों में पदस्थ चिकित्सकों/चिकित्साकर्मियों की कार्यस्थल से अनुपस्थिति की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	तीन चिकित्सकों की सेवा समाप्त किए जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शेष के संबंध में गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
85.	**103**	परि.ता.प्र.सं.27 (क्र.978) दि.25.02.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर हेतु पेरामेडिकल स्टॉफ एवं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था कराई जाना।	पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित कराने की कार्यवाही प्रचलन में है। उपकरणों की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलन में है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
86.	**104**	परि.ता.प्र.सं.34 (क्र.1099) दि.25.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले के सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैराढ़ में पदस्थ चिकित्सक के अभ्यावेदन का शीघ्र निराकरण कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	डॉ.मौर्य के अभ्यावेदन के निराकरण की प्रक्रिया संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर पर प्रचलन में है। प्रकरण का निराकरण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संचालनालय का आदेश क्र./01/विज्ञप्त/सेल-5/2015/368, दिनांक 11.03.2015 द्वारा डॉ.ए.के.मौर्य चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण विरूद्ध अभ्यावेदन मान्य करते हुये संचालनालय का आदेश दिनांक 01.10.2009 निरस्त किया गया तथा डॉ. ए.के.मौर्य चिकित्सा अधिकारी यथावत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराढ़ जिला शिवपुरी में सेवायें प्रदान करेंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4082/4035/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 28.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
87.	**105**	परि.ता.प्र.सं.40 (क्र.1214) दि.25.02.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	(1) जिला चिकित्सालय, श्योपुर में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था न करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही किया जाना। (2) प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हिमोडायलिसिस मशीनों की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था कराई जाना।	(1) समय पर कार्यवाही न करने के कारण सिविल सर्जन, श्योपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (2) प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हिमोडायलिसिस मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है।	अस्पताल प्रशासन शाखा का पत्र क्रमांक 1728, दिनांक 18.11.2015 को कारण बताओ नोटिस के संबंध में स्मरण पत्र डॉ.सुरेन्द्र कुमार तिवारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला श्योपुर को लिखा गया था, जिसका जवाब दिनांक 26.11.2015 को प्राप्त हुआ उक्त पत्रानुसार (1) जिला चिकित्सालय श्योपुर में कम्प्युटराईज्ड रेडियोग्राफी सिस्टम आदेश क्रमांक 4594, दिनांक 09.10.2015 द्वारा क्रय कर स्थापित किया जा चुका है। (2) सोनोग्राफी मशीन क्रय करने हेतु तीन बार निविदायें आमंत्रित की गई, परन्तु दर निर्धारण नहीं हो सका तथा निविदायें निरस्त की गई । पुन: निविदा क्रमांक PHFW/ TENDER NO. 1376, DATE 28.10.2015 के द्वारा चौथी बार सोनोग्राफी मशीन क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई है। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉपरेशन भोपाल के आदेश क्रमांक 762, दिनांक 09.10.2015 द्वारा मेसर्स डी.सी.डी.सी. किडनी केयर, नई दिल्ली को जिला चिकित्सालय श्योपुर के डायलिसिस यूनिट हेतु डायलिसिस मशीन के क्रय आदेश जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 862/5560/2016/सत्रह/मेडि-1,दि. 06.04.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
88.	**106**	परि.ता.प्र.सं.44 (क्र.1332) दि.25.02.2015 (श्री जितू पटवारी)	प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालयों में विगत तीन वर्षो में विकेन्द्रीयकृत क्रय नीति का उल्लघंन कर बिना सक्षम स्वीकृति के निर्धारित प्रतिशत से अधिक क्रय किये जाने की जांच कराई जाकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	20 प्रतिशत से अधिक राशि का क्रय बिना सक्षम अनुमति के जिन अधिकारियों द्वारा किया गया है उनकी जांच की जायेगी एवं जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
89.	**107**	परि.ता.प्र.सं.70 (क्र.1799) दि.25.02.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	जिला चिकित्सा अधिकारी, रीवा द्वारा वर्ष 2011 से की गई नियुक्तियों की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
90.	**108**	अता.प्र.सं.04 (क्र.108) दि.25.02.2015 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर जिले में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण कराया जाना।	यथाशीघ्र।	शाजापुर जिले में प्रश्नाधीन तिथि तक 38 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहिन है, जिनके निर्माण की स्वीकृति समिति वित्तीय संशोधन को दृष्टिगत रखते हुये प्राप्त नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 1481 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन है, इन सभी के भवन निर्मित किये जाते है तो लगभग रू.400 करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी। अत: वित्तीय संशोधन की उपलब्धता होने पर भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र में भवन निर्माण कराया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1255/1541/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 09.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
91.	**109**	अता.प्र.सं.38 (क्र.1084) दि.25.02.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना।	संचालनालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा।	श्रीमती नीतू राजावत पत्नी स्वर्गीय श्री विश्वजीत सिंह कुश्वाह को आगामी प्रशिक्षण सत्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1241/1543/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 09.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
92.	**110**	अता.प्र.सं.57 (क्र.1386) दि.25.02.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले में महिलाओं/पुरूषों की नसबंदी के फेल प्रकरणों में मुआवजा हेतु शेष हितग्राहियों को नियमानुसार शीघ्र भुगतान कराया जाना।	शेष प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा।	विभाग द्वारा दिसम्बर 2014 तक नसबंदी के फेल प्रकरणों में की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1285/1618/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 14.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
93.	**111**	अता.प्र.सं.63 (क्र.1541) दि.25.02.2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलकिसगंज, जिला सीहोर में रेडियोग्राफर के पद का सृजन कर रेडियोग्राफर की नियुक्ति किया जाना।	वर्तमान में रेडियोग्राफर का पद सृजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94.	**159**	परि.ता.प्र.सं.06 (क्र. 605) दि.04.07.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	अशोक नगर जिले के मुंगावली स्थित सिविल अस्पताल के पुराने भवन को ओ.पी.डी. बनाने के प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान किया जाना।	जी हां, यथाशीघ्र।	संचालक(भवन) के पत्र क्रमाक 5/भवन/2015-16/109, दि.12.01.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुंगावली स्थित पुराने ओ.पी.डी. भवन में संस्था का भण्डार गृह बना हुआ है एवं वर्तमान में ओ.पी.डी. पुरानी बिल्डिंग जो कि भर्ती वार्ड था, उसमें सही ढंग से संचालित हो रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 210/660/2015/सत्रह/मेडि-3, दि. 10.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
95.	**266**	ता.प्र.सं.16 (क्र.3007) दि.04.03.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में अगस्त 2014 तक आर.सी.एच. एवं एन.आर.एच.एम.योजना की राशि में आर्थिक अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही।	पायी गई अनियमितताओं की जांच कराई जायेगी। जांच प्रतिवेदन में गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	जांच करा ली गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई, में पाई गई वित्तीय अनियमितता के लिये 09 दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों को क्रमश: डॉ.बी.एल.काम्बले, डॉ.प्रमोद वाचक, श्री शैलेन्द सोमकुंवर, डॉ.बी.एल.पुरिया, डॉ.ए.के.सेन, कुमारी दीपिका साहू, कुमारी अलका वाडिया, श्री नंदकिशोर मोखगाय एवं श्री योगेश सिरपुरकर, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक 28.08.2015 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये है। वर्तमान में पदस्थ बी.एम.ओ. डॉ.ए.के.सेन, द्वारा जांच में सहयोग न देने के कारण उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा में वर्तमान में पदस्थ बी.एम.ओ. डॉ.बी.एल.पुरिया द्वारा आंशिक अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जांच में सामान्य नियमों का पालन किया जाने का उल्लेख किया गया है। बी.एम.ओ. को जांच में पूर्ण सहयोग न देने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1352/1647/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.09.2015 उक्त प्रेषित जानकारी के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई:- ***प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् आश्वासन अनुरूप की गई कार्यवाही तथा कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	अनियमितता के लिए दोषियों के विरूद्ध एक निश्चित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण की जाना आवश्यक है। समिति अनुशंसा करती है कि इस दिशा में आवश्यक पहल करते हुये त्वरित कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से समिति को भी शीघ्र अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
96.	**267**	परि.ता.प्र.सं. 23 (क्र. 1561) दि. 04.03.2015 (श्री मधु भगत)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा स्थानीय स्तर पर पात्रता से अधिक की राशि की औषधि क्रय किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	दोषी शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग की एक सतत प्रक्रिया है।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा केवल वर्ष 2012-13 में 23 प्रतिशत स्थानीय क्रय किया गया जो निर्धारित 20 प्रतिशत से 03 प्रतिशत अधिक है। यह क्रय चिकित्सालयों में उपचार हेतु दवाईयों की उपलब्धता बनाये रखने के लिये आवश्यक था। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 20 प्रतिशत की सीमा में स्थानीय क्रय किया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 778/1050/2016/सत्रह/मेडि-3, दि. 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
97.	**268**	परि.ता.प्र.सं. 81 (क्र. 2593) दि. 04.03.2015 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल)	धार जिले के कुक्षी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डही में निर्माण कार्य अनुबंधानुसार समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	अनुबंधानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डही के निर्माण कार्य हेतु श्री मगन सिंह भाटिया, ठेकेदार को 16 माह की समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 22.10.2011 को कार्यादेश जारी किया गया था। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर छत स्तर तक पूर्ण करने के बाद आगे कार्य करने में रूचि नहीं ली गई है। इसलिये ठेकेदार का अनुबंधानुसार धारा 3 सी के अंतर्गत रिस्क एण्ड कॉस्ट के आधार पर ठेका समाप्त कर दिया गया एवं उसके हर्जे खर्चे पर पुन: निविदा आमंत्रित कर स्वीकृति उपरांत दिनांक 18.08.2015 को कार्यादेश जारी करने के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1245/1542/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 09.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
98.	**269**	अता.प्र.सं. 13 (क्र. 1237) दि. 04.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिला चिकित्सालय में नि:शुल्क जांच योजना के तहत थायराईड प्रोफाईल टार्च टेस्ट, आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाना।	शेष थायराईड प्रोफाईल टार्चटेस्ट, की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करा दी जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
99.	**270**	अता.प्र.सं. 28 (क्र. 1710) दि. 04.03.2015 (श्री प्रताप सिंह)	दमोह जिले के जबेरा एवं तेंदूखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमानुसार रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन नहीं कराने के लिए जिम्मेदार विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।	दोनों विकासखण्ड अधिकारियों को पत्र क्रमांक - आर.के.एस./2015/1293 एवं 1295 दिनांक 27.08.2015 को चेतावनी पत्र जारी किया गया। साथ ही दोनों ब्लाक मेडिकल ऑफीसर जबेरा/तेन्दूखड़ा जिला दमोह द्वारा लिखित में आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी तथा रोगी कल्याण समिति की बैठक नियमित आयोजित की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1194/1794/2015/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 18.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
100.	**415**	परि.ता.प्र.सं. 25 (क्र. 1971) दि. 17.03.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जिला जबलपुर के सिहोरा, कछपुरा, कुण्डम, सुनावल, आमाटिट्हा व लड़पुरा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना।	उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्रचलन में है।	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जा रही है। जबलपुर जिले के ग्राम सिहोरा, कछपुरा, कुण्डम, सुनावल, अमाटिटहा व लड़पुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1399/1612/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28.09.2015	प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाही एवं वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराया जायेगा, इस अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
101.	**416**	परि.ता.प्र.सं. 53 (क्र. 2977) दि. 17.03.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजनान्तर्गत शिवपुरी जिले के मरीजों के इलाज हेतु दी गई राशि से इलाज न कराने के कारण वापस प्राप्त किया जाना।	जिन-जिन हितग्राही के ऑपरेशन नहीं हुए है, उन मरीजों को आवंटित हुई राशि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा वापिस मंगाने की कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
102.	**417**	परि.ता.प्र.सं. 63 (क्र. 3138) दि. 17.03.2015 (श्री भारत सिंह कुशवाह)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर, जिला ग्वालियर के पुराने आवासों को तोड़कर नये आवासों का निर्माण कराया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर, जिला ग्वालियर में 01 एफ, 2 जी एवं 2 एच. टाईप आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव आगामी स्थाई वित्त समिति में प्रस्तुत किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1178/1214/2015/सत्रह/मेडि-2,दि.22.08.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि आवासों का निर्माण कार्य समयावधि में कराया जायेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
103.	**418**	परि.ता.प्र.सं. 168 (क्र. 4799) दि. 17.03.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	जिला चिकित्सालय रीवा में अवैध नियुक्तियों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	प्रकरण में कार्यवाही विभाग स्तर पर विचाराधीन है।	विषयान्तर्गत प्रश्न/आश्वासन जिसमें चिकित्सालय रीवा में अवैध नियुक्तियों के संबंध में कमिश्नर रीवा को प्राप्त समाचार पत्र की कतरन एवं सहपत्र जांच हेतु कलेक्टर जिला रीवा की ओर भेजे गये । तत्पश्चात् कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरणकी जांच अपर कलेक्टर जिला रीवा एवं जिला कोषालय अधिकारी रीवा से संयुक्त रूप से कराई जाकर तथ्यात्मक एवं वैधानिक दृष्टि से गहन जांच कर जांच प्रतिवेदन कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा कलेक्टर रीवा से चाहा गया जो कलेक्टर जिला के पत्र क्रमांक 130/ दिनांक 19.03.2014 द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग को प्राप्त हुआ। कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को कलेक्टर जिला रीवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ.आई.एम.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा को दोषी पाते हुए उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अत: अनुरोध कर लेख है कि उक्त आश्वासन में कमिश्नर रीवा संभाग से अवैध नियुक्तियों के संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने पर डॉ.शर्मा को विभाग स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1421/1610/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 01.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
104.	**419**	अता.प्र.सं. 124 (क्र. 4970) दि. 17.03.2015 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	जिला रतलाम के अंतर्गत सिविल अस्पताल जावरा एवं अन्य चिकित्सालयों में अनुपस्थित चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही किया जाना।	तीन चिकित्सकों की सेवा समाप्त किए जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शेष के संबंध में गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
105.	**112**	ता.प्र.सं.13 (क्र.1418) दि.25.02.2015 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत महर्षि विद्या मंदिर क्र. 01 नर्मदा रोड जबलपुर द्वारा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का पालन न किये जाने की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी	महर्षि विद्या मंदिर क्र. 01 नर्मदा रोड जबलपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत हेतु कलेक्टर जबलपुर द्वारा जांच समिति गठित की गई थी। जांच के दौरान संबंधित शाला के प्राचार्य के द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शाला में संचालित कक्षा नर्सरी में 25 प्रतिशत रिक्त स्थानों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित बच्चे का सत्र 2011-12 से सत्र 2014-15 तक अधिनियम के प्रावधानों के पालन में प्रवेश दिया गया है। नर्सरी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश की कार्यवाही जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की उपस्थिति में की गई। निर्धारित संख्या से कम संख्या में प्रवेश होने का कारण जानकारी का अभाव बताया गया है। प्राचार्य द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने का लेख किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1087/1452/2015/20-2, दि.31.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
106.	**113**	ता.प्र.सं.14 (क्र.1361) दि.25.02.2015 (श्री राजेश सोनकर)	उच्च शिक्षा विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ तत्कालीन संयुक्त संचालक के विरूद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) श्री एस.बी.सिंह शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने के कारण जांच प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु श्री सिंह के पैतृक विभाग उच्च शिक्षा विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है। निर्णय लिये जाने के बाद अवगत कराना संभव हो सकेगा।	(1) श्री एस.बी.सिंह, तत्कालीन संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, इंदौर संभाग, इंदौर के विरूद्ध आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन मूलत: लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र. स्था-1/सत/सी/इंदौर/14/26/2092, दिनांक 30.12.2014 द्वारा उनके पैतृक विभाग उच्च शिक्षा विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी अपेक्षित है। उक्त क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र क्र.145, दिनांक 20.02.2015 एवं क्र. 169, दि.19.05.2014 द्वारा निर्णय से अवगत कराने हेतु स्मरण कराया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1421/484/2015/20-4, दि.23.05.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 18019/वि.स./आश्वा./2015, दि.17.08.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***उच्च शिक्षा विभाग से जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	आश्वासन अनुरूप विभागीय कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने को समिति उचित नहीं मानती है। विभागीय जांच को असीमित समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। समिति इस निर्देश के प्रकरण समाप्त करती है कि विभागीय जांच के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई की जाकर दोषियों को दण्डित किया जाए।
107.	**114**	परि.ता.प्र.सं.21 (क्र.823) दि.25.02.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	इंदौर एवं उज्जैन संभाग के निजी विद्यालयों में निर्धारित अर्हताधारी शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जाना।	संबंधित विद्यालयों को लिखा जायेगा कि वे निर्धारित अहर्ता वाले शिक्षकों को ही उनके विद्यालय में अध्यापन हेतु रखें।	संचालनालय स्तर से पत्र क्रमांक /1998 दिनांक 21.05.2015, क्रमांक/2784 दिनांक 08.07.2015 द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर एवं उज्जैन को अशासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहें इंजीनियरों को हटाने के निर्देश जारी किये गये है, जिसकी प्रतिलिपि संभागीय संयुक्त संचालक इंदौर एवं उज्जैन को भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1707/1730/2015/20-3, दि. 05/12/2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
108.	**115**	परि.ता.प्र.सं.33 (क्र.1078) दि.25.02.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले में प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-भिण्ड एवं कोषालय अधिकारी भिण्ड से जांच कराई जा रही है।	कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा आदेश क्रमांक क्यू/एस.सी.-2/2015/3667,दिनांक17.04.2015 द्वारा री डी.एन.मिश्रा जिला परियोजना समन्वयक भिण्ड को तत्काल प्रभाव से मूल पदस्थी स्थान में पदस्थ किया जाकर जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार श्री दीपक पाण्डेय जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है। प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु कलेक्टर भिण्ड को राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र. /राशिके/स्था./2015/3384, दि.28.04.2015 एवं पत्र क्र. राशिके/स्था./ 15/4100, दि.27.05.2015 से लेख किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 956/1275/2015/20-1, दि.27.06.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 14640/वि.स./आश्वा./2015, दि.10.07.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***प्रकरण में दिए गए आश्वासन अनुरूप जांच निष्कर्ष के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	आ.क्र. 113 के अनुसार.
109.	**116**	परि.ता.प्र.सं.72 (क्र.1816) दि.25.02.2015 (श्री लखन पटेल)	दमोह जिले के शासकीय हाईस्कूल रियाना के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न करने के दोषी ठेकेदार के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	शासकीय हाईस्कूल रियाना के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार को नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।	निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं वर्तमान में रेल्वे सेट्रिंग स्तर पर है। कार्य अगस्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। कार्य में विलंब के लिए संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. दमोह के द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध की धारा(2) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 888/886/2015/20-3, दि.22.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110.	**117**	परि.ता.प्र.सं.80 (क्र.1902) दि.25.02.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	(1) सतना जिले के मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था कराई जाना। (2) मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों की भूमि पर हुये अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाते हुये अतिक्रामकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शौचालय हेतु विभिन्न स्त्रोतों से व्यवस्था जुटाने की कार्यवाही की जा रही है। (2) अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लेख किया गया है।	मैहर विधान सभा क्षेत्र के समस्त शालाओं में शौचालय स्वीकृत है। संचालित शासकीय विद्यालयों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 774/807/2015/20-2, दि.30.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
111.	**118**	अता.प्र.सं.11 (क्र.428) दि.25.02.2015 (कुंवर सौरभ सिंह)	नियम विरूद्ध स्वयं के उपयोग हेतु शासकीय खाते से धन राशि का आहरण किये जाने की शीघ्र जांच की जाकर दोषियों के विरूद्ध विधि- सम्मत कार्यवाही किया जाना।	प्रकरण की जांच जिला शिक्षा अधिकारी, कटनी से करवाई जा रही है। जांच परिणाम के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	(1) प्रकरण की जांच एवं जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु कलेक्टर कटनी को पत्र क्रमांक 4081, दि.26.05.2015 द्वारा लिखा गया था। (2) जिला परियोजना समन्वयक ने पत्र क्र. 453, दिनांक 11.06.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें श्री ढोलन सिंह परस्ते द्वारा 3,14,471(तीन लाख चौदह हजार चार सौ इकहत्तर रू.) के अनियमित आहरण किये जाने का दोषी पाया गया है। श्री ढोलन सिंह को म.प्र.पंचायत अध्यापक संवर्ग(नियोजन एवं शर्तें) नियम 2008 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा संबंधित के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित भी किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 898/1634/2015/20-2, दि.06.07.2015	समिति विभागीय कार्यवाही को संतोषजनक नहीं मानती है, विभागीय धन राशि के नियम विरूद्ध आहरण एवं उपयोग करने के दोषी दण्डित हों एवं आहरित की गई राशि की वसूली की तत्काल कार्यवाही हो तथा 03 माह के भीतर कृत कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।
112.	**119**	अता.प्र.सं.13 (क्र.505) दि.25.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	प्रदेश के हाई स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना।	हाईस्कूल के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	हाई स्कूल के पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 27.05.2015 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 954/1159/2015/20-1, दि.27.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
113.	**120**	अता.प्र.सं.23 (क्र.793) दि.25.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के जावरा स्थित शासकीय काटजू हाई स्कूल की प्राचार्या के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	उत्तर में संबंधित के विषय में तथ्य परस्पर उद्धरत हो जाने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पृथक से जांच की जा रही है।	प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल काटजू जावरा जिला रतलाम के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत अनियमित भुगतान किये जाने के कारण संचालनालय के आदेश क्र. स्था-1/सत/ए/158/2014/131, दि.16.02.2015 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जा चुकी है। शिकायत में प्राचार्य दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। जांच में व्यक्तिगत रूप से किसी को दोषी नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2353/1386/2015/20-4,दि.02.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
114.	**121**	अता.प्र.सं.40 (क्र.1111) दि.25.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले के पोहरी विधान सभा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने की दोषी एजेंसी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण शीघ्र कार्यवाही किया जाना।	धारा 40/92 का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है।	कुल 109 कार्यो में से 16 अप्रारंभ कार्य एवं 93 अपूर्ण कार्यो हेतु अनुविभागीय अधिकारी(राज) में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, जिसमें से 09 अप्रारंभ कार्यो की राशि एजेंसी से वापस प्राप्त कर ली गई है। 93 अपूर्ण कार्यो में से 07 कार्य पूर्ण हो गये है। 07 अप्रारंभ कार्य एवं 86 अपूर्ण कार्य इस प्रकार कुल 93 कार्यो हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राज) कार्यालय में धारा 92 के तहत कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 768/805/2015/20-3, दि.30.05.2015	समिति अनुशंसा करती है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में धारा 92 के तहत कार्यवाही हेतु प्रचलित प्रकरणों में कार्यवाही 03 माह में पूर्ण कर, तदनुसार समिति को अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115.	**122**	अता.प्र.सं.54 (क्र.1354) दि.25.02.2015 (श्री रणजीत सिंह गुणवान)	प्रदेश में औपचारिकेतर शिक्षा के अनुदेशकों/ पर्यवेक्षकों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है। यथाशीघ्र।	शिक्षा गारंटी शाला में कार्यरत गुरूजी/ पर्यवेक्षक एवं तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत पर्यवेक्षकों/अनुदेशकों को म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्र. एफ 44-56/2007/20-2, दिनांक 14.05.2010 एवं आदेश क्रमांक एफ-44-14/2012/20-2, भोपाल दिनांक 18.05.2012 द्वारा संविदा शाला श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक से आयोजित पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत पर्यवेक्षकों/अनुदेशकों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की गयी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** R-1283/2015/20-1/998, दि.04.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
116.	**123**	अता.प्र.सं.55 (क्र.1369) दि.25.02.2015 (श्री राजेश सोनकर)	जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर के आदेश दिनांक 08.11.2014 की अवहेलना करने वाली शिक्षिका के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	संस्था के प्रभार के संबंध में श्रीमती श्याम सुन्दरी रायजादा सहायक शिक्षिका, मा.वि. मोहम्मदपुरा जिला मंदसौर के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि श्री संजय द्विवेदी अध्यापक के पद पर होने से वरिष्ठ है तथा मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत होने से कनिष्ठ हूं, अत: प्रभार लेने में असमर्थ हूं ऐसी स्थिति में श्री संजय द्विवेदी अध्यापक को संस्था का प्रभार सौंपा गया। तदानुसार श्रीमती रायजादा की ओर से प्राप्त प्रति उत्तर संतोषप्रद होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** f-30-113/2015/20-1, दि.23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
117.	**124**	अता.प्र.सं.67 (क्र.1589) दि.25.02.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	जबलपुर संभाग में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शेष छात्रों को समेकित छात्रवृत्ति की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाकर वितरण कराया जाना।	2013-14 में प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति हेतु शेष रहे, जिन्हे स्थानीय निकायों द्वारा आई.डी. दी जाकर मेपिंग से जोड़ा जाकर छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है।	जबलपुर संभाग के जिला जबलपुर में सत्र 2013-14 के 103 छात्रों को छोड़कर शेष सभी पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है एवं भुगतान की कार्रवाई प्रचलन में है, जबलपुर संभाग के शेष सभी जिलों में 2013-14 के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1533/2670/2015/20-2, दि.27.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
118.	**170**	अता.प्र.सं.64 (क्र. 4003) दि.25.07.2014 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	मान्यता शुल्क वसूली में दोषी पाये गये माध्यमिक शिक्षा मंडल के इंदौर कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच निश्चित समयावधि में पूर्ण कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	विभागीय जांच संस्थित की जाकर आरोप पत्र जारी किये गये है।	कार्यालयीन आदेश क्रमांक 356-57 भोपाल दिनांक 07.02.2015 द्वारा श्री भावेश श्रीवास्तव, सहा.ग्रेड-3 एवं श्री विशाल शर्मा, सहा.ग्रेड-3 के विरूद्ध दो-दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति आचंलिक कार्यालय, मा.शि.मं. इंदौर पर अधिरोपित की गई है । श्री नरेश कुमार जोशी, सहा.ग्रेड-3, श्री गजेन्द्र सिंह छौकरे, सहा.ग्रेड-3 एवं श्री कालूसिंह सक्तावज, सहा.ग्रेड-3 तत्समय नस्ती आवंटित नहीं होने से जांच अधिकारी ने इन कर्मचारियों के विरूद्ध अधिरोपित आरोप को प्रमाणित होना नहीं पाया है । श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, श्री गजेन्द्र सिंह छौकरे, सहा.ग्रेड-3 एवं श्री कालूसिंह सक्तावत, सहा.ग्रेड-3 को भविष्य में कार्यालयीन कार्य सतर्कता पूर्वक किये जाने हेतु इन्हें सचेत करते हुये इनके विरूद्ध प्रचलित इस अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण को समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 730/634/2015/20-3, दि.23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
119.	**257**	ता.प्र.सं. 05 (क्र. 2901) दि. 04.03.2015 (श्री विश्वास सारंग)	प्रदेश में बी.आर.सी.सी. के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	राज्य शिक्षा सेवा के प्रावधानों के अंतर्गत पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।	शासन द्वारा राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है, जिसमें बी.आर.सी.सी. के पदों को समाहित करते हुए ए.ई.ओ. का पद निर्मित किया गया है । ए.ई.ओ. पद पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर-1015/2015/20-1, दि.06.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
120.	**258**	परि.ता.प्र.सं. 11 (क्र. 1079) दि. 04.03.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले के सरस्वती कन्या उ.मा.वि.गोरमी के प्राचार्य श्री रामबहादुर सिंह भदौरिया के विरूद्ध संस्थित जांच का जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जॉच के निष्कर्षो के आधार पर सक्षम स्तर से यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण में कलेक्टर, भिण्ड द्वारा भी रामबहादुर भदौरिया के विरूद्ध शिकायत की जांच की गई । जांच में शिकायत निराधार पाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1471/908/2015/20-3, दि.09.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
121.	**259**	परि.ता.प्र.सं. 93 (क्र. 2839) दि. 04.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	प्रदेश के अंशकालीन लिपिक एवं भृत्यों के मानदेय में वृद्धि किया जाना।	जी हां। मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है।	म.प्र.शासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8-3/2015/नियम/चार, दिनांक 27 मार्च 2015 के द्वारा स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक एवं भृत्यों के मानदेय वृद्धि कर दी गई है। अत: आश्वासन की पूर्ति हो चुकी है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** f-30-25/2015/20-1, दि.23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
122.	**260**	परि.ता.प्र.सं. 97 (क्र. 2895) दि. 04.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह)	पन्ना जिले के गुन्नौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 67 शालाओं की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है।	पन्ना जिले की गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 67 शालाओं की भूमि पर किये गये अतिक्रमण, तहसीलदार, तहसील गुन्नौर के पत्र क्र. 758/प्रवा./2015, दि.09.07.2015 अनुसार 67 शाला परिसरों में से 55 शाला परिसरों से अतिक्रमण हटा लिया गया है तथा 12 शाला परिसरों में से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1461/1414/2015/20-3, दि.06.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
123.	**261**	अता.प्र.सं. 03 (क्र. 435) दि. 04.03.2015 (श्री कुंवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले की बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र में शासकीय माध्यमिक शाला खमरिया (बाकल) के प्राचार्य श्री लट्टीलाल रेदास के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	(1) अंतिम जॉच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) प्रश्नांश में वर्णित शिकायत की जॉच प्रक्रियाधीन है।	जांच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार आरोप सिद्ध पाये जाने पर श्री लट्टीलाल चौधरी (रेदास) को कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) कटनी के आदेश क्र./सर्त/2015/6513, दि 28.09.2015 द्वारा निलंबित कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2254/1281/2015/20-4, दि.16.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
124.	**262**	अता.प्र.सं. 33 (क्र. 1743) दि. 04.03.2015 (श्री अमर सिंह यादव)	राजगढ़ जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निश्चित समय-सीमा में निराकरण किया जाना।	पद की उपलब्धता अनुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।	जिला राजगढ़ अंतर्गत 08 प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रश्नांकित दिनांक को लंबित थे इनमें से 04 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। 01 प्रकरण में संबंधित दिवंगत लोक सेवक के परिवार सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। शेष 03 प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** R-1289/2015/20-1/1000, दि.04.07.2015	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि अनुकंपा नियुक्ति के शेष प्रकरणों में मानवीय दृष्टिकोण का पालन करते हुये पात्रतानुसार त्वरित विधिसम्मत कार्रवाई हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
125.	**263**	अता.प्र.सं. 41 (क्र. 1998) दि. 04.03.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले में रिक्त पदों की पूर्ति कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति से किया जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग के निम्नांकित आदेश द्वारा पदोन्नति की जा चुकी है:- **1.**क्रमांक/स्था.4/लिपिक/पदोन्नति/2015/3901, दिनांक 31.10.2015 **2.**क्रमांक/स्था.4/लिपिक/पदोन्नति/2015/3903, दिनांक 31.10.2015 **3.**क्रमांक/स्था.4/लिपिक/पदोन्नति/2015/3905, दिनांक 31.10.2015 **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-39/2015/20-1, दि.28.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
126.	**264**	अता.प्र.सं. 45 (क्र. 2086) दि. 04.03.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	प्रदेश में प्राचार्य परीक्षा निरस्त किये जाने के उपरांत जमा परीक्षा शुल्क अभ्यार्थियों को वापस किया जाना।	शुल्क वापसी में होने वाले व्यय राशि को काटकर भुगतान किया जाएगा।	आश्वासन का संबंध म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर से है। लोक सेवा आयोग को लेख किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 287/2016/20-1, दि.12.02.2016 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 8438/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 10.03.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में म.प्र.लोक सेवा आयोग इंदौर से किए गए पत्राचार के बाद आश्वासन पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	समिति आश्चर्यचकित है कि प्राचार्य परीक्षा निरस्त किये जाने के काफी समय बाद भी परीक्षार्थियो/ अभ्यार्थियों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि वापस नहीं हो सकी है। यह एक गंभीर स्थिति है। समिति चाहेगी कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाकर कृत कार्रवाई से 03 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।
127.	**265**	अता.प्र.सं. 58 (क्र. 2295) दि. 04.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया)	गुना जिले में अवितरित एवं स्टोर की गई पुस्तकों का नवीन शिक्षण सत्र में वितरण कराया जाना।	प्राप्त पुस्तकों में से अवितरित 15, 987 पुस्तकें रखी हुई हैं। जिन्हें आगामी वर्ष की मांग के विरूद्ध समायोजित करते हुए नवीन शिक्षण सत्र में वितरण किया जावेगा।	दिनांक 16 जून 2015 में वितरण उपरांत आश्वासन की पूर्ति स्वमेव हो जावेगी। इस संबंध में आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कक्षा 01 से 08 तक वर्ष 2014-15 में शेष बची पुस्तकों के वितरण हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 2412, दि.31.03.2015 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर क्र. 784/4228/2015/20-2, दिनांक 01.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
128.	**420**	परि.ता.प्र.सं. 56 (क्र. 3052) दि. 17.03.2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले के अंतर्गत विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पेयजल आदि निर्माण कार्यो की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में दोषी व्यक्तियों एवं निर्माण इकाई के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर प्रचलन में है।	निर्माण इकाई शाला प्रबंधन समिति शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्र. 49 राजमोहल्ला व शासकीय प्राथमिक विद्यालय हुजूरगंज हेतु स्वीकृत क्रमश: राशि रू.62000/- तथा रू. 56500/- वसूल की जा चुकी है। तत्कालीन जनशिक्षक श्री संजय महाजन उच्च श्रेणी शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्र. 49 राजमोहल्ला की लापरवाही पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इंदौर के आदेश क्र. /जिशिके/2015/1863, दि.07.12.2015 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक कर दण्डित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2468A/1472/2015/20-4, दि.22.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
129.	**422**	परि.ता.प्र.सं. 149 (क्र. 4442) दि. 17.03.2015 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर जिले के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जाना।	(1) प्रचलन में है। (2) प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	उक्त विद्यालय के नवीन भवन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यवाही संभव नहीं हो सकती भूमि की उपलब्धता/उपयुक्त बजट प्रावधान होने पर भवन निर्माण संम्भव हो सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1709/1729/2015/20-3, दि. 05/12/2015	कोई टिप्पणी नहीं।
130.	**423**	परि.ता.प्र.सं. 156 (क्र. 4568) दि. 17.03.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	प्रदेश में हाईस्कूल प्राचार्य एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यो के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	प्राचार्य हाईस्कूल की पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	व्याख्याता उ.मा.वि. से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.05.2015 को एवं प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 05.11.2014 एवं 30 जनवरी 2015 को विभागीय समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 952/1242/2015/20-1, दि.27.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
131.	**424**	अता.प्र.सं. 120 (क्र. 4868) दि. 17.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	प्रदेश में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पारी-बाहर पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना।	शेष सहायक शिक्षकों के संबंध में पात्रतानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। पदोन्नति का लाभ देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त 13 सहायक शिक्षकों को पारी बाहर पदोन्नत कर शिक्षक पद पर पदोन्नति दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-63/2015/20-1/पी.एफ., दिनांक 02.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
राजस्व विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
132.	53	ता.प्र.सं.04 (क्र.281) दि.23.02.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के नागौद विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 6.4 के तहत मुआवजा के लिये लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराकर संबंधितों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाना।	(1) अगर लेटलतीफी कहीं हो रही है तो हम इसका परीक्षण कराएंगे। तुरन्त उनको सहायता मिलना चाहिए। (2) फिर से हम इसकी जानकारी भी लेंगे।	विधान सभा क्षेत्र नागौद अंतर्गत तहसील नागौद एवं उचेहरा में अगस्त 2013 में अतिवृष्टि, बाढ़, ओला पाला, आंधी तूफान आसमानी बिजली गिरने के कारण पीडित व्यक्तियों को राहत राशि रूपये 40.64 लाख वितरण किया जाना शेष था। स्वीकृत प्रकरणों में शासन से राहत राशि प्रश्नांश दिनांक तक उपलब्ध न होने के कारण समय सीमा में वितरण नहीं किया जा सका। इस कारण मा.विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह, विधान सभा क्षेत्र नागौद द्वारा विधान सभा प्रश्न उठाये जाने पर राहत राशि का आवंटन रू.40.64 लाख विभिन्न मदों में तहसील नागौद अंतर्गत (1) सर्पदंश के तहत 16 व्यक्तियों को 08.00 लाख रूपये (2) अग्नि दुर्घटना में 73 व्यक्तियों को 478820.00 रूपये (3) आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान के तहत 03 व्यक्तियों को 4.50 लाख एवं (4) अतिवृष्टि एवं बाढ़ के तहत 27 व्यक्तियों को 834800.00 रूपये तथा तहसील उचेहरा अंतर्गत (1) सर्पदंश के तहत 04 व्यक्तियों को 2.00 लाख रूपये (2) अग्नि दुर्घटना से 11 व्यक्तियों को 54410.00 रूपये (3) आकाशीय बिजली, आंधी तूफान के तहत 09 व्यक्तियों को 2.34 लाख रूपये, (4) अतिवृष्टि एवं बाढ़ के तहत 922 व्यक्तियों को 3129100.00 रूपये राहत आयुक्त म.प्र.भोपाल द्वारा दिनांक 11.02.2015 को प्रदाय किये जाने के पश्चात् सभी पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि का वितरण किया जा चुका है, उक्त कार्य में किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-05/2015/सात/शाखा-3, दिनांक 30.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
133.	**54**	ता.प्र.सं.09 (क्र.881) दि.23.02.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले की तहसील गुना के ग्राम कुशमौदा पटवारी हल्का नं.77 के राजस्व नक्शे तथा बंदोबस्त के अभिलेख में विद्यमान त्रुटियों का एक माह में सुधार किया जाना।	मा.विधायक जी ने जो सुधार के कार्य का कहा है तो एक माह में उसको दुरूस्त करा दिया जाएगा।	कलेक्टर गुना द्वारा यह लेख किया है कि संदर्भ नक्शा एवं चालू नक्शे में कोई अंतर नहीं है। अत: त्रुटि को दुरूस्त कराये जाने का प्रश्न ही उदभूत नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सावि/2015/प्रराआ, दि.26.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
134.	**55**	ता.प्र.सं.10 (क्र.945) दि.23.02.2015 (श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह)	भोपाल के कलियासोत बांध के डूब प्रभावित 183 परिवारों को काबिज स्थानों पर शीघ्रातिशीघ्र भू-अधिकार पट्टे दिया जाना।	निश्चित रूप से मैं मा.विधायक जी की बात से सहमत हूं। जिले से रिपोर्ट बुलाकर पट्टे देने संबंधी कार्यवाही तुरंत की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
135.	**56**	ता.प्र.सं.14 (क्र.1127) दि.23.02.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले के रेगांव विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों (ग्राम पंचायत गिंजारा, शिवराजपुर, कल्पा, मड़ई, सिंहपुर, जतारा, सोहावल एवं खमरिया) में राजस्व भूमि पर कब्जाधारियों को भू-अधिकार पट्टे प्रदान किया जाना।	हम उसकी जांच करायेंगे और गरीबों को सुविधा देने की जो सोच है, उसको हम पूरा करेंगे।	कलेक्टर जिला सतना द्वारा उल्लेख किया गया है कि सतना जिले के रैगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ऐसे कब्जाधारी शेष नहीं है, जिन्हें पट्टा दिया जाना है। शासन के निर्देशानुसार शासकीय एवं निजी आराजी गरीबों के आवास योजना अंतर्गत मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास योजनान्तर्गत का लाभ दिया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वासन/2016/318, दिनांक 19.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
136.	**57**	ता.प्र.सं.23 (क्र.682) दि. 23.02.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	सिवनी जिले की सिवनी एवं लखनादौन तहसीलों के विभिन्न पटवारी हल्कों में अविवादित नामान्तरण के प्रकरणों का समय-सीमा में निष्पादन न करने वाले राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	उनके खिलाफ हम तहसीलदार को नोटिस जारी कर रहे है।	कलेक्टर, सिवनी द्वारा अवगत कराया है कि विधान सभा के संबंधित तारांकित प्रश्न के प्रेषित उत्तर के प्रश्नांश(घ) में अविवादित बंटवारा के स्थान पर त्रुटिवश विवादित बंटवारा की जानकारी अंकित होने से संशोधित उत्तर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 488/अ.भू.अ./रा.नि./वि.स./2015 सिवनी दिनांक 20.02.2015 के द्वारा प्रेषित की गई है, जिसमें लेख है कि सिवनी जिले की तहसील सिवनी तथा लखनादौन में अविवादित बंटवारे के प्रकरण लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सा.वि./प्र.रा.आ./2015/5846, दिनांक 30.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
137.	**58**	अता.प्र.सं.07 (क्र.239) दि. 23.02.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	रायसेन एवं देवास जिले के नक्शाविहीन ग्रामों के राजस्व नक्शे निर्धारित समयावधि में तैयार कराया जाना।	नक्शाविहीन ग्रामों में नक्शा निर्माण हेतु 09 महीने की कार्ययोजना तैयार की गई है, इसके अनुसार कार्य कराया जा रहा है।	रायसेन जिले में कोई नक्शा विहीन ग्राम नहीं होने के कारण नक्शा निर्माण की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। जिला देवास में 10 नक्शा विहीन ग्राम थे, जिसमें 02 ग्रामों के नक्शे तैयार कर जिला प्रशासन को अंतरित कर दिये गये है । शेष ग्रामों का नक्शा निर्माणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सावि/2015/प्रराआ, दि.26.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
138.	**59**	अता.प्र.सं.11 (क्र.297) दि. 23.02.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के रेगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पटवारी हल्का दुर्गापुर के आराजी न. 225/4 एवं 225/5 से अवैध अतिक्रमण हटाकर अतिक्रामकों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	अवैध अतिक्रमण कर खेती किये जाने के कारण अतिक्रामक के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही की जा रही है।	कलेक्टर जिला सतना द्वारा उल्लेख किया गया है कि सतना जिले द्वारा तहसीलदार नागौद के राजस्व प्रकरण क्रमांक 42 अ/68/2012-13 में पारित आदेश के अनुसार शासकीय आराजी से अनावेदक को बेदखल करते हुए रू.90 हजार अर्थदण्ड एवं सिविल जेल की कार्यवाही की गई है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1/आ.आवं.-आश्वासन/2016/302, दिनांक 19.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
139.	**60**	अता.प्र.सं.17 (क्र.585) दि. 23.02.2015 (श्री जीतू पटवारी)	सिंहस्थ महाकुंभ 2016 हेतु अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान संबंधित भूमि धारकों को किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	सिंहस्थ 2016 पड़ाव क्षेत्र हेतु रू.7,63,81,322/- के अवार्ड अस्थाई भूमि अर्जन के रकबा 2208.539 का पारित किये गये। संबंधित कृषकों को ई-पेमेंट के माध्यम से बैंक पासबुक प्राप्त होने पर उनके बैंक अकाउण्ट में राशि जमा की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-4/भू.आ./प्र.रा.आ./2016/आश्वा./4/4179, दिनांक 15.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
140.	**99**	ध्यानाकर्षण सूचना क्र.99 दि. 24.02.2015 (डॉ.रामकिशोर दोगने)	हरदा जिले के टिमरनी विकासखण्ड के ग्रामों में आंधी एवं ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति का आकलन कराकर प्रभावित कृषकों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान अनुसार मुआवजा दिलाया जाना।	किसानों का अगर नुकसान हुआ है तो उसका आकलन हम निश्चित रूप से कराएंगे।	हरदा जिले के विकासखण्ड टिमरनी की तहसील टिमरनी के तहसीलदार टिमरनी द्वारा फसलों का आंकलन राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों से कराया गया था। फसल कटाई प्रयोगों से किसी भी ग्राम में प्रावधानों के अनुसार क्षति होना नहीं पाया गया। अत: आंधी/ओलावृष्टि से फसल क्षति का आंकलन कराया गया, क्षति नहीं होने से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत आर्थिक सहायता की पात्रता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-534/107/2015/सात/शाखा-3, दिनांक 14.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
141.	**160**	परि.ता.प्र.सं.15 (क्र. 630) दि.16.07.2014 (श्री ठाकुर दास नागवंशी) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	होशंगाबाद जिले की तहसील बनखेड़ी के आपदा प्रभावित ग्राम विजनहाई के पात्र आवासहीनों को पट्टा प्रदाय किया जाना।	नियमानुसार व्यवस्थित किये जाने एवं भूमि को आबादी घोषित कराये जाने हेतु प्रकरण तैयार कर भूमि मद परिवर्तन किये जाने एवं आबादी घोषित कराये जाने पर पात्र आवासहीनों को पट्टा प्रदाय किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
142.	**161**	अता.प्र.सं.61 (क्र. 3929) दि.16.07.2014 (श्री बाला बच्चन) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	दि.01.01.2007 से दि.20.06.2014 तक बायोडीजल निर्माण हेतु रतन जोत के उत्पादन हेतु भूमि प्राप्त कर भूमि का अन्यत्र उपयोग करने वाली कम्पनियों एवं अधिकारियों की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही किया जाना।	आवंटित भूमि का आधिपत्य प्राप्त कर भूमि पर प्लांटेशन का कार्य पूर्ण न करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
143.	**162**	परि.ता.प्र.सं.18 (क्र. 3654) दि.23.07.2014 (श्री दिनेश राय "मुनमुन") ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	सिवनी विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रामकों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	शेष 11 अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखली आदेश जारी किया गया है, जिसे शीघ्र हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
144.	**163**	अता.प्र.सं.11 (क्र. 1794) दि.23.07.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	उज्जैन जिले में जिनिंग फैक्ट्री की भूमि पर नियम विरूद्ध काबिज कब्जादारों को हटाया जाकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	कब्जेदारों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।	कलेक्टर, उज्जैन के पत्र क्र. कले. 9728/री.नजूल/2015, दि.06.11.2015 से प्राप्त जानकारी में उल्लेख किया गया है कि कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री ग्राम पाण्याकलां तहसील नागदा की भूमि को नगर पालिका परिषद नागदा को सौंपे जाने के संबंध में विषयांकित भूमि के संबंध में न्यायालयीन क्रमांक-1/ब-39/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2014 से शासन पक्ष में निर्णित हुआ है। भूमि का कब्जा शासनहित में प्राप्त कर लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ4-7/वि.स.आ./नजूल/प्र.रा.आ./2015/7048, दिनांक 26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
145.	**206**	ता.प्र.सं. 20 (क्र. 2706) दि. 02.03.2015 (श्री विश्वास सारंग)	शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मशीनों एवं प्लेटों की हेराफेरी तथा अनियमितताओं की त्वरित जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) नियमानुसार जांच की जा रही है। (2) जांच अभी प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
146.	**208**	परि.ता.प्र.सं. 34 (क्र. 1464) दि. 02.03.2015 (श्री भारत सिंह कुशवाह)	(1) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के मजरों/टोलों को राजस्व ग्राम बनाया जाना। (2) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों में से शेष मजरों/टोलों को राजस्व ग्राम बनाया जाना।	(1) वर्तमान में जिला स्तर पर प्रस्तावों पर कार्यवाही चल रही है। (2) शेष पर नियमानुसार कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलित है।	(1) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों में जन प्रतिनिधि के माध्यम से कुल 23 ग्रामों के 27 मजरे टोलों को नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुआ। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर जांच कराई गई जांच उपरांत 10 मजरा टोलों को नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने की श्रेणी में आये। काशीपुर एवं मुहम्मदपुर 02 मजरे टोलों को म.प्र.भू-राजस्व की धारा 73 के तहत नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया। (2) शेष 8 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-3/2015/सात/6, दिनांक 17.08.2015	कोई टिप्पणी नही.
147.	**209**	परि.ता.प्र.सं. 42 (क्र. 1682) दि. 02.03.2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	(1) मुरैना जिले की कैलारस तहसील के राजस्व हल्का न.18 में आवंटित भूमि के पट्टों की त्वरित जांच कराई जाना। (2) मुरैना जिले की कैलारस तहसील की नेपरीपुल क्वांरी नदी पर पुल निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का संबंधित एजेंसी से कृषकों को शीघ्र मुआवजा दिलाया जाना।	(1) जांच में पट्टा नियम विरूद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) पुल निर्माण में आने वाले कृषकों की भूमि का मुआवजा देने की कार्यवाही मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
148.	**210**	परि.ता.प्र.सं. 45 (क्र. 1822) दि. 02.03.2015 (श्रीमती रेखा यादव)	बैतूल जिले में संरक्षित वन मानकर वर्किंग प्लान में सम्मिलित की गई भूमि के स्वामियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाना।	उन जमीनों पर वन अधिकार पत्र दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
149.	**211**	परि.ता.प्र.सं. 55 (क्र. 2089) दि. 02.03.2015 (श्री रामप्यारे कुलस्ते)	मण्डला जिले के मण्डला विकाखण्ड के ग्राम गाजीपुर में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर अतिक्रामकों के विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	जी हां।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
150.	**212**	परि.ता.प्र.सं. 73 (क्र. 2330) दि. 02.03.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	सिंगरौली/सीधी जिले में कृषक की भूमि पर जे.पी.पॉवर प्लांट निगरी द्वारा किये गये नियम विरूद्ध निर्माण पर म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के अनुसार निर्माणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	प्रावधानानुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवसर को निर्देशित किया गया है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
151.	**213**	परि.ता.प्र.सं. 95 (क्र. 2629) दि. 02.03.2015 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	राजस्व विभाग में स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति किये जाने संबंधी कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	स्नातक पटवारी राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर चयन हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल से करायी जाने हेतु पत्र दि.22.09.2015 द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सावि/2015/प्राआ, दि.26.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
152.	**214**	परि.ता.प्र.सं. 103 (क्र. 2699) दि. 02.03.2015 (पं. रमेश दुबे)	छिंदवाड़ा जिले के मौजा नवेगांव मकरिया के खसरा नं.403/2 की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिसूचित किये जाने के पश्चात् भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन करने के दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) विभागीय कार्यवाही की जा रही है। (2) वसूली हेतु कार्यवाही प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
153.	**215**	अता.प्र.सं. 07 (क्र. 615) दि. 02.03.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना जिले की मैहर तहसील में निजी कंपनी द्वारा नियम विरूद्ध आदिवासियों की भूमि अपने वाहन चालक के नाम खरीदे जाने की शीघ्र जांच कराई जाने पर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	विधिक वस्तुस्थिति आयुक्त रीवा संभाग, रीवा से अपेक्षित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्पष्ट हो सकेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
154.	**216**	अता.प्र.सं. 13 (क्र. 782) दि. 02.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के पिपलौदा में स्थित जिनिंग फैक्ट्री की भूमि के स्वत्व की त्वरित जांच कराई जाकर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	वर्तमान में निजी स्वत्व पर अंकित भूमियों की जांच कार्यवाही प्रचलित है। जांच की पूर्णता पर (शासन के निर्देशों के अनुरूप) नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	वर्तमान में निजी स्वत्व पर अंकित भूमियों की जांच की कार्वाही अनुविभागीय अधिकारी जावरा से प्राप्त जानकारी अनुसार रतलाम जिले के पिपलोदा में स्थित जिनींग फैक्ट्री की भूमि में वर्ष 1957-58 बंदोबस्त के खसरे में पक्का कृषक दर्ज है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4-10/वि.स.आ./नजूल/प्र.रा.आ./2015/6062, दिनांक 12.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
155.	**217**	अता.प्र.सं. 26 (क्र. 1393) दि. 02.03.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	(1) सतना जिले में बढ़ाए गए राजस्व निरीक्षक वृत्तों हेतु पदों की स्वीकृति दिलाई जाना। (2) राजस्व निरीक्षकों के शेष 111 रिक्त पदों पर पटवारियों को पदोन्नति प्रदान किया जाना एवं 416 राजस्व निरीक्षकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती की जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है। (2) 111 शेष पटवारियों को परिभ्रमण में होने से उनसे संबंधित जानकारी जिलों से प्राप्त होते ही शीघ्र उन्हें भी रिक्त राजस्व निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत कर पदस्थ कर दिया जावेगा । कार्यवाही प्रचलित है।	1. यद्यपि जिले में कलेक्टर द्वारा 28 राजस्व निरीक्षक सर्किल को बढ़ाकर 40 कर दिये गये है तथा इन पर भू-अभिलेख के विभिन्न योजनाओं में पदस्थ राजस्व निरीक्षकों को कार्य करने हेतु आदेशित कर दिया गया है। किन्तु शासन द्वारा सतना जिले में राजस्व निरीक्षकों के वृत्तों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अत: पदों की स्वीकृति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। 2. इस कार्यालय के आदेश क्र.3/सी.ओ./स्था.1/138/2013, दिनांक 03.03.2014 द्वारा राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों पर 118 पटवारियों को पदोन्नत कर विभिन्न जिलों में पदस्थ किया जा चुका है एवं व्यापम द्वारा राजस्व निरीक्षकों की सीधी भर्ती के 416 पदों को व्यापम के माध्यम से भरने की कार्यवाही की जा चुकी है, व्यापम द्वारा इस हेतु दिनांक 22.02.2015 को परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम प्रकाशित किये जाने के पश्चात् इस कार्यालय के आदेश क्र. 18/स्था.1/रा.नि.व./15, दिनांक 10.08.2015 एवं दिनांक 14.08.15 द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सावि/2015/प्राआ,दि.26.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
156.	**218**	अता.प्र.सं. 45 (क्र. 1820) दि. 02.03.2015 (श्रीमती रेखा यादव)	छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिलों की सरंक्षित वन भूमि मानी गई जमीनों की वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत शीघ्र जांच कराई जाना।	भूमि की जांच की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
157.	**219**	अता.प्र.सं. 51 (क्र. 2055) दि. 02.03.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	रायसेन एवं देवास जिलों में कृषकों की व्यवसायिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि के बकाया प्रीमियम की त्वरित वसूली किया जाना।	वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
158.	**230**	परि.ता.प्र.सं. 36 (क्र. 1496) दि. 02.03.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	(1) 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त राशि का अनुशंसित कार्यो में उपयोग किया जाना। (2) क्षमता निर्माण की शेष राशि की व्यवस्था कराई जाने संबंधी कार्यवाही त्वरित रूप से किया जाना। (3) क्षमता निर्माण की शेष राशि का त्वरित उपयोग अनुशंसित कार्यो पर किया जाना।	(1) शेष राशि व्यय की प्रक्रिया में है। (2) क्षमता निर्माण की शेष राशि प्राप्त करने हेतु केन्द्र से सतत् पत्राचार जारी है। (3) क्षमता निर्माण की शेष राशि व्यय की प्रक्रिया में है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
159.	**355**	परि.ता.प्र.सं. 13 (क्र. 632) दि. 13.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया)	गुना-अशोकनगर जिले में बदोबस्त का कार्य संपूर्ण इमेजरी प्राप्त होने पर डिजिटल नक्शा एवं अभिलेख तैयार कराया जाना।	संपूर्ण इमेजरी प्राप्त होते ही डिजिटल नक्शा एवं अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।	विभाग को गुना एवं अशोकनगर जिले की सेटेलाईट इमेजरी प्राप्त हो गई है। तदुपरांत डिजिटल लैण्ड पार्सल मैप एवं ROR तैयार किए जाने हेतु पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर एवं मुरैना जिले के 3-3 ग्राम आवंटित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके उपरांत प्रदेश के सभी जिलों के डिजिटल नक्शा एवं अभिलेख क्रमश: तैयार कराए जाएंगे। कार्य के वृहद स्वरूप को देखते हुए पूर्ण करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सावि/प्रसरा/15, दि.09.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
160.	**356**	परि.ता.प्र.सं. 58 (क्र. 2735) दि. 13.03.2015 (डॉ. कैलाश जाटव)	(1) नरसिंहपुर विकासखण्ड एवं गोटेगांव तहसील में जाति प्रमाण पत्रों का डिजीटलाईजेशन कराया जाना। (2) तहसील गोटेगांव के लंबित जाति प्रमाणों पत्रों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।	(1) शेष जाति प्रमाण पत्रों को डिजीटलाईजेशन की कार्यवाही की जा रही है। (2) तहसील गोटेगांव में कुल 19371 आवेदन पत्र लंबित है।	जांच में पाया है कि - (1) **अ-** नरसिंहपुर विकासखण्ड में 31 मार्च 2015 की स्थिति में सभी जाति प्रमाण पत्रों के डिजीटलाईजेशन की कार्य पूर्ण किया जा चुका है। **ब-** तहसील गोटेगांव के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र के डिजीटलाईजेशन का कार्य सतत् प्रक्रिया में है। (2) तहसील गोटेगांव में लंबित जाति प्रमाण पत्रों के 19371 प्रकरणों का निराकरण माह फरवरी-मार्च 2015 में किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सा.वि./प्र.रा.आ./2015/1911, दिनांक 10.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
161.	**357**	परि.ता.प्र.सं. 129 (क्र. 3903) दि. 13.03.2015 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	सिवनी जिले में माह फरवरी 2015 में ओलावृष्टि से फसलों के हुये नुकसार पर शीघ्र सर्वे कराकर प्रभावित कृषकों को पात्रतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।	(1) सर्वे कार्य जारी है। (2) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान अनुसार पात्रता होने पर सहायता राशि प्रदान की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
162.	**485**	परि.ता.प्र.सं. 11 (क्र. 2961) दि. 20.03.2015 (श्री सचिन यादव)	श्री बजरंग बहादुर तहसीलदार व अन्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
163.	**486**	अता.प्र.सं. 126 (क्र. 5449) दि. 20.03.2015 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	तहसील अम्बाह एवं मुरैना जिला मुरैना अंतर्गत मजरे टोले को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
लोक निर्माण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
164.	**37**	ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 83 (श्री जसवंत सिंह हाड़ा)	शाजापुर जिले के शुजालपुर से सारंगपुर के मध्य निवेशकर्ता ठेकेदार से अपूर्ण सड़क के निर्माण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	(1) निवेशकर्ता से शीघ्र कार्य प्रारंभ कर, पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। (2) कार्य को दिसंबर 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वर्ष के पूर्व मार्ग का यातायात योग्य बना दिया जावेगा।	कन्सेशनायर द्वारा किये जा रहे मार्ग की प्रगति अनुबंधानुसार नहीं होने से निगम द्वारा अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। सड़क को मोटरेबल बनाये रखने के लिये आवश्यक मरम्मत कराई जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2823/3867/2015/19/यो, दिनांक 24.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
165.	**81**	ता.प्र.सं.08 (क्र.1187) दि. 24.02.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेमलापार से सिंधोडा मार्ग के अपूर्ण निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	इसको हम प्राथमिकता पर स्वीकृत करने का कार्यक्रम बनाएंगे।	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र में सेमलापार से सिंधोडा मार्ग नवीन निर्माण है। इस मार्ग पर सेतु संभाग उज्जैन द्वारा पार्वती नदी पर पुल निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। अत: मार्ग निर्माण कराया जाना आवश्यक है। मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन उपरांत प्रथम अनुपूरक बजट में सम्मिलित किया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2718/3857/2015/19/यो, दिनांक 22.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
166.	**82**	ता.प्र.सं.10 (क्र.1008) दि.24.02.2015 (इंजी.प्रदीप लारिया)	सागर जिले के नरयावली विधान सभा क्षेत्र में टीलाखेड़ी-चावड़ा मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताएं एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) अगर रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि गुणवत्ताविहीन काम हुआ है तो उन पर कार्यवाही की जायेगी। (2) उनकी रिपोर्ट आने में 15-20 दिन जितने भी लगेंगे, उसके बाद ही इसका निर्णय किया जायेगा कि वास्तव में क्या कार्यवाही कर सकते है।	अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. सागर द्वारा दि.09.02.2015 को कार्य की जांच की गई। कार्य गुणवत्तापूर्ण पाया गया । अत: कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2789/3863/2015/19/यो, दिनांक 24.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
167.	**83**	ता.प्र.सं.11 (क्र.04) दि. 24.02.2015 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले के सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अतरैला, चौखंडी, रामबाग मार्ग का प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य कराया जाना।	(1) आरडीसी के माध्यम से यह इस सड़क को बनाने की कार्यवाही की जा रही है। (2) टेंडर हो जाने के बाद जो कंस्ट्रक्शनर है उससे कहा जाएगा कि इस पोर्शन को पहले रिपेयर कर दे।	ए.डी.बी.-4 परियोजना के अंतर्गत कार्यादेश दि.11.05.2015 को जारी किये जा चुके है। कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2825/3867/2015/19/यो, दिनांक 24.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
168.	**84**	ता.प्र.सं.14 (क्र.1460) दि.24.02.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील में सबलगढ़ से अटार मार्ग पर गुणवत्ता विहीन पेंच वर्क के कार्य की जांच स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में जांच कराई जाना।	(1) वह भी उनके साथ जाएं और निरीक्षण हो जाएगा, जांच हो जाएगी यदि माननीय विधायक जी का आरोप सत्य पाया गया तो उस आधार पर कार्यवाही भी की जाएगी। (2) मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एसडीएम को भी सूचित कर दिया जाएगा।	मुरैना जिले के सबलगढ़ अटार मार्ग का निरीक्षण माननीय विधायक महोदय श्री मेहरबान सिंह जी रावत, विधान सभा क्षेत्र सबलगढ़, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) श्री एम.एल.मालवीय, अनुविभाग-सबलगढ़, श्री पी.एस.राजपूत, सहायक महाप्रबंधक एवं श्री एम.के.गर्ग, प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम, चंबल संभाग ग्वालियर के साथ उक्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मार्ग पर मरम्मत कार्य की माप पुस्तिका में दर्ज मापों की सैंपल चेकिंग की गयी एवं मरम्मत कार्य का माप पुस्तिकानुसार सही पाया गया । जांच प्रतिवेदन में कोई विपरीत टीप नहीं पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 190/227/2016/19/यो, दिनांक 13.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
169.	**85**	ता.प्र.सं.15 (क्र.926) दि.24.02.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यो की जांच क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में कराई जाना।	(1) अगर माननीय विधायक जी उचित माने तो उसकी जांच करा लेंगे। (2) जांच करने की है जिसके लिए मैंने सहमति दी है और माननीय विधायक जी की उपस्थिति में जांच होगी। सड़क मोटरेबल नहीं है तो उसको आगे काम करने के लिए लिया जाएगा।	माननीय विधायक जी की सहमति से अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2015 को जांच की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2781/3847/2015/19/यो, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
170.	**86**	ता.प्र.सं.19 (क्र.16) दि.24.02.2015 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	(1) उज्जैन जिले के खाचरौद से रतलाम के मध्य सड़क के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य के दोषी विभागीय अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के विरूद्ध शीघ्र विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना। (2) खाचरौद-रतलाम सड़क को आवागमन योग्य बनाये जाने के लिए आवश्यक पेंच वर्क कराया जाना।	(1) जो अधिकारी दोषी थे, ए.के.टूटेजा, जो ई.ई. थे, सतीश शर्मा, एस.डी.ओ., कटारिया, एस.डी.ओ. और ए.के.दुबे, सब इंजीनियर इन सभी पर रिकवरी निकाली गई है, रिकवरी भी की जाएगी और डी.ई.स्थापित करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। (2) हमारी कोशिश रहेगी कि बरसात से पहले उसमें कुछ रिपेयर करवा दिया जाए।	(1) म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 23.02.2015 द्वारा श्री ए.के.टूटेजा, तत्का.कार्यपालन यंत्री, श्री सतीश शर्मा तत्का.अनु.अधि., श्री आर.के.कटारिया, तत्का.अनु.अधिकारी एवं ए.के.दुबे, उप यंत्री को आरोप पत्र जारी किये गये है। (2) पेंच वर्क कार्य की कार्यवाही प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2819/3866/2015/19/यो, दिनांक 24.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
171.	**87**	परि.ता.प्र.सं.55 (क्र.1097) दि. 24.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले में सतनबाड़ा-नरवर सड़क के निर्माण में विलंब करने की दोषी निर्माणकर्ता एजेंसी के विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर दिनांक 09.04.2015 को उनका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है एवं धरोहर राशि राजसात कर ली गई है। वर्तमान में सतनबाड़ा-नरवर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6372/8135/2015/19/यो, दिनांक 19.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
172.	**88**	अता.प्र.सं.19 (क्र.656) दि. 24.02.2015 (श्री आशीष गोविंद शर्मा)	देवास जिले के कन्नौद से सीहोर जिले के आष्टा के मध्य क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का दुरुस्तीकरण कराया जाना।	योजना का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है।	आष्टा-कन्नौद मार्ग के संधारण कार्य हेतु ओएमटी मोड में मेसर्स माधव इन्फ्राकोन प्रा.लि.बड़ोदरा द्वारा कार्य प्रारंभ दिनांक 09.04.2014 से कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2853/2015/19/यो, दिनांक 24.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
173.	**89**	अता.प्र.सं.27 (क्र.759) दि. 24.02.2015 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले के गोरस-आवदा-अजापुर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता के लिए संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के विरूद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	मुख्य अभियंता ग्वालियर के पत्र दि.19.11.2015 द्वारा श्री महेशचन्द्र गोयल का पंजीयन काली सूची में डाला गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-04/2015/स्था/19, दिनांक 26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
174.	**90**	अता.प्र.सं.44 (क्र.1088) दि. 24.02.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले के उमरी से सगरा के मध्य सड़क निर्माण में हुई गंभीर अनियमितताओं की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	जांच की जा रही है।	अधीक्षण यंत्री मण्डल ग्वालियर द्वारा दिनांक 10.02.2015 को प्राप्त शिकायत के आधार पर उक्त मार्ग के कि.मी. 3, 6, 7, 8, 10 में निर्माणाधीन मार्ग के क्रस्ट की विभिन्न लेयर्स की जांच की गई । उक्त कार्य का जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.04.2015 के अनुसार कार्य मानक के अनुसार सही पाया गया । अधीक्षण यंत्री मण्डल ग्वालियर द्वारा दिनांक 27.04.2015 एवं 29.04.2015 को उक्त मार्ग के कि.मी. 6 से 12 के मध्यम (बी.एम.+एम.डी.बी.सी.) कार्य की पुन: जांच की गई । उक्त कार्य की औसत थिकनेस 65 एम.एम. पाई गई एवं कि.मी 5/10 में औसत थिकनेस 53.33 एम.एम. पाई गई । कार्य अभी रनिंग (प्रगतिरत्) अवस्था में है । ठेकेदार को पत्र क्र. 2644 दि.05.06.2015 द्वारा सुधार कार्य हेतु निर्देशित किया गया है। मार्ग के लगभग 03.00 कि.मी. एस.डी. बी.सी. कार्य का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया गया है । मार्ग के अंतिम देयक का भुगतान उक्त सुधार कार्य कराने के पश्चात् ही ठेकेदार को किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7323/8858/2015/19, दि.26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
175.	**91**	अता.प्र.सं.54 (क्र.1232) दि. 24.02.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर-शिवपुरी के मध्य कूनो नदी पर नवीन पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया जाना।	प्रस्ताव परीक्षणोपरांत उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जाना संभव होगा।	वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7414/8944/2015/19/यो, दि.28.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
176.	**92**	अता.प्र.सं.64 (क्र.1408) दि. 24.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त जैसीनगर बायपास मार्ग का पुनर्निर्माण/ सुधार कार्य कराया जाना।	क्षतिग्रस्त मार्गो को ठेकेदार की जमा पूंजी राशि रू.11.99 लाख से अनुबंध की कंडिका अंतर्गत आवश्यक मरम्मत एवं संधारण हेतु कार्यवाही की जावेगी।	सुरखी विधान सभा क्षेत्र के जैसीनगर बायपास मार्ग क्षतिग्रस्त भाग पुन:निर्माण हेतु ठेकेदार की जमा राशि रू.11.99 लाख कार्यालयीन पत्र क्रमांक 481/आ./सागर, दि.07.02.2015 द्वारा राजसात की जा चुकी है । क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु रू.28.86 लाख की निविदा दि.30.06.2015 तक विक्रय की जा कर दिनांक 07.07.2015 को खोली जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3684/4485/201/19/यो, दि.24.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
177.	**93**	अता.प्र.सं.68 (क्र.1476) दि. 24.02.2015 (श्री विश्वास सारंग)	लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01 जनवरी 2012 से 30 जून 2014 के मध्य विभिन्न अधिकारियों के विरूद्ध की जा रही विभागीय जांच एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	विभागीय जांच प्रचलन में है । जांच उपरांत कार्यवाही की जाना संभव होगा ।	01 जनवरी 2012 से 30 जून 2014 तक कुल 41 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में होने का उत्तर दिया गया था। इनमें से 06 अधिकारियों के प्रकरण समाप्त किये गये है । शेष अधिकारियों के विरूद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-02/2015/स्था/19, दि.10.07.2015	विभागीय जांच के प्रकरणों को शासन के निर्देशों के विपरीत लंबे समय तक लंबित रखना समिति के मत में आपत्तिजनक है। समिति का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों की अनदेखी नहीं की जा सकती, इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में ही कार्रवाई होना आवश्यक है। समिति चाहेगी कि इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई कर तथा दोषियों को विधि अनुसार दण्डित करते हुये 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।
178.	**94**	अता.प्र.सं.69 (क्र.1477) दि. 24.02.2015 (श्री विश्वास सारंग)	बैतूल जिले के सारणी-लोनिया रोड पर बने राजडोह पुल के त्रुटिपूर्ण निर्माण के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र जांच की जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	(1) दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन द्वारा अंतिम कारण बताओ सूचना जारी किया गया है। (2) विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है।	विभाग स्तर से श्री ए.आर.सिंह., तत्का.कार्यपालन यंत्री, श्री एम.एल.बास्केल, तत्का.अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित, उप यंत्री को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । प्राप्त उत्तर के परिपेक्ष्य में अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों को शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रकरण में लोक सेवा आयोग की राय प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-03/2015/स्था/19, दिनांक 22.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
179.	**233**	परि.ता.प्र.सं. 31 (क्र. 1071) दि. 03.03.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	(1) भिण्ड शहर में चौ.राकेश सिंह के मकान से गैस गोदाम तक सी.सी.रोड की गुणवत्ता अधीक्षण यंत्री मण्डल ग्वालियर के द्वारा की गई जांच के, जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना । (2) सी.सी.मार्ग की माप की प्रविष्टि एम.बी. में दर्ज करने एवं भुगतान की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) अधीक्षण यंत्री से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के संबंध में पूरक जानकारी चाही गई है जो अपेक्षित है । (2) वर्तमान में जांच प्रगतिरत् है।	**(1)** अधीक्षण यंत्री मण्डल, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार उक्त मार्ग के जांच दौरान चैनेज क्र. 800 से 1200 के मध्य सी.सी.पेवमेंट के नीचे बेसकोर्स(डी.एम.सी.) का कार्य होना नहीं पाया गया । अत: उक्त चैनेजो के मध्य एम.-30 सी.सी. पेवमेंट का कार्य क्षतिग्रस्त हुआ है । शासन को हुई क्षति रू.17.543 लाख का आंकलन कर लिया गया है । **(2)** अधीक्षण यंत्री की जांच रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्ताहीन कार्य कराने जाने वाले उत्तरदायी उपयंत्री श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया एवं मापों की जांच करने वाले सहायक यंत्री श्री एन.के.बाथम एवं भुगतानकर्ता तत्कालीन कार्यपालन यंत्री(से.नि.) श्री आर.जी.मेचन के आरोप पत्र परिक्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के पत्र क्र. उ/क्वा.क./6/2015/16855, दि.20.11.2015 से प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित किये गये है । **विभागीय पत्र क्रमाक :-** 7267/डी/2015/19/यो, दि.24.11.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 455/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 06.01.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***अधीक्षण यंत्री मण्डल ग्वालियर के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी ।*** **अद्यतन जानकारी :-** जांच में दोषी पाये गये निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र म.प्र.शासन, लो.नि.वि. मंत्रालय के ज्ञाप क्र. एफ-17-66/2015/स्था/19, दि.17.12.2015 द्वारा जारी किये गये थे।	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि दोषियों के विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत कार्रवाई हो ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					1. श्री एन.के.बाथम, सहायक यंत्री 2. श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया, उप यंत्री, उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2838/4105/2015/स्था./19, दिनांक 01.07.2016	
180.	**234**	परि.ता.प्र.सं. 62 (क्र. 1966) दि. 03.03.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले के सिहोरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सेलवारा से कछारगांव सिलौण्डी मार्ग के गाड़ा घाट पुल का निर्माण कार्य समयसीमा में पूर्ण कराया जाना।	निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	सैलवारा से कछारगांव सिलौंडी मार्ग के कि.मी. 9/8 में गाड़ाघाट पर पुल निर्माण हेतु अनुबंध क्र. 01/डी.एल./2007-08 के तहत मेसर्स एम.के.एस.कंस्ट्रक्शन के हर्जे खर्चे पर 10 बार निविदा आमंत्रित की गई, किन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई । पुन: 11वीं बार निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गई है, जो दिनांक 20.11.2015 को खोली जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6607/8365/2015/19/यो, दिनांक 28.10.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि निर्माण संबंधी आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र निष्पादित किया जाएगा।
181.	**235**	परि.ता.प्र.सं. 74 (क्र. 2114) दि. 03.03.2015 (पं. रमाकान्त तिवारी)	रीवा जिले के त्यौंथर तहसील के बेलन नदी के गन्था घाट पर पुल का निर्माण कराया जाना।	निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा।	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3994/4992/2015/19/यो, दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
182.	**236**	परि.ता.प्र.सं. 81 (क्र. 2181) दि. 03.03.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले के जयसिंह नगर कस्बे में बायपास सड़क का निर्माण कराया जाना।	प्राक्कलन परीक्षणाधीन है।	विभाग की स्थाई वित्तीय समिति (एस.एफ.सी.) की आगामी बैठक के एजेन्डा में शामिल करने हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7504/9170/2015/19/यो, दिनांक 02.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
183.	**237**	परि.ता.प्र.सं. 114 (क्र. 2750) दि. 03.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना))	रीवा जिले के मऊगंज कटरा मार्ग का निर्माण कराया जाना।	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है।	मऊगंज कटरा मार्ग का निर्माण ए.डी.बी. योजना वित्त पोषित योजनान्तर्गत किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7216/8784/2015/19/यो, दिनांक 20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
184.	**238**	अता.प्र.सं. 14 (क्र. 1021) दि. 03.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले के लुहर्रा मार्ग निर्माण के लिए किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया जाना।	अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है।	खुरई-नगना-ढोंगा-बरोदिया वल्लभ मार्ग निर्माण के अंतर्गत भू-अर्जन राशि रूपये 4,40,440=00 मय सर्विस टेक्स सहित अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सागर के पत्र क्र. 769/तक./सागर, दिनांक 03.04.2013 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग में जमा की जा चुकी है। राजस्व विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि 3,71,140=00 रूपये की मांग की गई है, जिस हेतु आवंटन उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4002/5162/2015/19/यो, दिनांक 06.07.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि किसानों की अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा वितरण की कार्रवाई पारित अवार्ड के अनुसार निश्चित समयावधि में पूर्ण की जाए।
185.	**239**	अता.प्र.सं. 17 (क्र. 1229) दि. 03.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चंद्रपुरा से तलाबड़ा मार्ग का निर्माण कराया जाना।	एस.ओ.आर. के अनुरूप डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	चन्दपुरा से तलावड़ा मार्ग लंबाई 4.60 कि.मी. के पुनर्निर्माण कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। प्रचलित सड़क एस.ओ.आर. के अनुरूप डी.पी.आर. की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4266/5354/2015/19/यो, दिनांक 15.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
186.	**240**	अता.प्र.सं. 18 (क्र. 1231) दि. 03.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मालीपुरा से राडेप मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दि.14.01.15 पर कार्यवाही की जाना।	डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर।	मालीपुरा से राडेप मार्ग लं.5.65 कि.मी. के निर्माण कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। प्रचलित सड़क एस.ओ.आर. के अनुरूप डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4715/6385/2015/19/यो, दिनांक 05.08.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि समस्त प्रशासकीय कार्रवाई पूर्ण करते हुये मार्ग का निर्माण एक निश्चित समयावधि में किया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
187.	**241**	अता.प्र.सं. 71 (क्र. 2474) दि. 03.03.2015 (श्री मुकेश पण्ड्या)	उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के बदनावर रोड से रूणीजा बायपास निर्माणाधीन मार्ग के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना।	निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है।	मध्यप्रदेश शासन द्वारा रू.1672.17 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18.05.15 को जारी की गई है। निजी भूमि अधिग्रहण हेतु आपकी सहमति से क्रय नीति दिनांक 12.11.14 के अधिनियम अंतर्गत कलेक्टर उज्जैन द्वारा 31 कृषकों की भूमि अधिग्रहण हेतु दावा/आपत्ति हेतु दिनांक 05.06.15 को अधिसूचना जारी की गई है। जो स्थानीय विज्ञापनों में भी प्रकाशित की गई है। तदनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। दो कृषकों द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है, जिसके निराकरण के पश्चात् स्वीकृत कार्य पूर्ण हो सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4126/2015/19/यो, दिनांक 08.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
188.	**378**	परि.ता.प्र.सं. 15 (क्र. 982) दि. 16.03.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा-डुल्हार सड़क मार्ग निर्माण हेतु पर्यावरण विभाग से अनुमति ली जाना एवं समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर अनुबंध अनुसार निर्माण एजेंसी से पेनाल्टी वसूली की जाना।	(1) अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) अनुबंध के निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	उक्त कार्य हेतु समयावधि दिनांक 31.03.2016 तक अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. खण्डवा मण्डल द्वारा अनुमति प्राप्त। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 33 प्रतिशत कार्य पूर्ण। कार्य पूर्ण होने पर अनुबंध के निहित प्रावधान अनुसार पेनल्टी वसूली कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6365/8056/2015/19/यो, दिनांक 19.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
189.	**379**	परि.ता.प्र.सं. 31 (क्र. 2122) दि. 16.03.2015 (पं. रमाकान्त तिवारी)	रीवा जिले के मनगवां से चाकघाट फोरलेन मार्ग का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाना।	कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करना संभावित है।	कन्सेशनायर द्वारा पुनरीक्षित कार्य योजना प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्य पुन: प्रारंभ कर दिया गया है, जो मार्च 2016 तक पूर्ण होना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7124/8592/2015/19/यो, दिनांक 17.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
190.	**380**	परि.ता.प्र.सं. 70 (क्र. 3182) दि. 16.03.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले के सबलगढ़ रोड़ पर सिकरौदा एवं नेपरी पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	(1) सिकरोदा पुल का कार्य प्रगति पर है। (2) भू-अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न होते ही कार्य प्रारंभ हो जायेगा।	(1) मुरैना जिले के सबलगढ़ रोड पर ग्राम सिकरौदा में सोन नदी पर पूर्व में कार्यरत कंपनी का ठेका निरस्त किया जाकर पुन: राजश्यामा कंपनी प्रा.लि. का टेण्डर मंजूर किया गया है एवं एल.ओ.ए. दिनांक 16.10.2015 को जारी किया गया है। अनुबंध एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात् पुल निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। (2) मुरैना जिले के सबलगढ़ रोड पर ग्राम नेपरी में क्वारी नदी पर भू-अर्जन हेतु धारा 11 की कार्यवाही जारी है। भू-अधिग्रहण की कार्यवाही संपन्न होते ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। इस निर्माण कार्य हेतु राजश्यामा कंपनी प्रा.लि. का टेण्डर मंजूर किया गया है। अनुबंध एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात् पुल निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7395/4100/2015/19/यो, दिनांक 27.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
191.	**381**	परि.ता.प्र.सं. 90 (क्र. 3494) दि. 16.03.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले की क्वारी नदी पर फूप-उमरी के बीच निर्मित पुल वर्ष 2014 में ढहने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) पुल के ढहने के संबंध में विस्तृत जाँच प्रक्रियाधीन है। (2) पुल के गिरने में डिजाईन एवं अन्य कारणों के संबंध में जाँच प्रक्रियाधीन है। (3) जाँच पूर्ण होने पर क्षति का आंकलन हो सकेगा। जाँच निष्कर्ष उपरांत संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना संभव होगा।	**(1)** प्रथम दृष्टया जांच के दौरान डिजाईन कंसलटेंट को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया एवं ठेकेदार को आगामी आदेश तक निलंबित किया गया। **(2)** विभाग द्वारा पुल के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित सामान्य संरचना मानचित्र एवं लोड टेस्ट के परिणामों के M.A.N.I.T. Bhopal से प्रूफ चैकिंग कराई गई, जिसमें क्षति का मुख्य कारण पुल की क्षमता से अत्याधिक भार के वाहनों का गुजरना परिलक्षित होता है। **(3)** विशेष मरम्मत हेतु क्षति का आंकलन कर रू.241.46 लाख के प्राक्कलन का अनुमोदन स्थाई वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 18.06.2015 में किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3943/4995/2015/19/यो, दिनांक 03.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
192.	**382**	परि.ता.प्र.सं. 107 (क्र. 3873) दि. 16.03.2015 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	हरदा जिले के ग्राम गुल्लास से हण्डिया व्हाया, नादरा, आदमपुर जुगलिया अपूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु रिस्क एण्ड कास्ट पर निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	रिस्क एण्ड कास्ट पर नवमी बार निविदा आमंत्रण में निविदा खोलने की तिथि 19.06.2015 थी। कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4550/5809/201/19/यो, दिनांक 31.07.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने के संबंध में विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक पहल की जायेगी।
193.	**383**	परि.ता.प्र.सं. 108 (क्र. 3874) दि. 16.03.2015 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	हरदा जिले अन्तर्गत ग्राम मसनगांव से हण्डिया, डुमलाय अपूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	रिस्क एण्ड कास्ट पर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	रिस्क एण्ड कास्ट पर 19वीं बार निविदा आमंत्रण में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व ठेकेदार मेसर्स गुरूकृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन काली सूची में दर्ज करने हेतु अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मंडल होशंगाबाद के पत्र क्र. 2315, दि.06.06.2015 द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार मुख्य अभियंता (राजधानी परि.) लोक निर्माण विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 3031, दि.27.06.2015 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4317/5353/201/19/यो, दिनांक 20.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
194.	**384**	परि.ता.प्र.सं. 129 (क्र. 4339) दि. 16.03.2015 (श्री विजयपाल सिंह)	जिला होशंगाबाद अंतर्गत कुवजा नदी के क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण कार्य कराया जाना।	पुल निर्माण का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	नवीन पुल निर्माण हेतु प्राथमिक प्रस्ताव रू.556.00 लाख का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु विचाराधीन । पुल कार्य की मरम्मत हेतु कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3390/6390/2015/19/यो, दिनांक 03.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
195.	**385**	परि.ता.प्र.सं. 148 (क्र. 4609) दि. 16.03.2015 (श्री संदीप प्रसाद जायसवाल)	नवनिर्मित कटनी जिला न्यायालय भवन का निर्माण कार्य स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्य कराये जाने की जांच एवं दोषी विरूद्ध कार्यवाही।	संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये अनुबंधित निविदाकार से अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी के नाम एवं राशि हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7244/8658/2015/19/यो, दि.23.11.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 27721/वि.स./आश्वा./2015, दि. 11.12.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***आश्वासन अनुरूप संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि आश्वासन अनुरूप दोषी दण्डित हो।
196.	**386**	अता.प्र.सं. 108 (क्र. 4478) दि. 16.03.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाना।	केवल सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर किए जाने संबंधी अधिसूचना क्र. सी 3-12/2012/ एक/3 का प्रकाशन दि.27.06.2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र में किया जाकर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-8/2015/स्था./19, दिनांक 04.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
197.	**387**	अता.प्र.सं. 136 (क्र. 4858) दि. 16.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	जिला उज्जैन के महिदपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत झारड़ा से गेलाखेड़ी नागपुरा एवं घटिया से मकलाफंटा मार्ग का निर्माण कार्य सिंहस्थ मद से शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	प्रश्नाधीन दोनों मार्गों के डी.पी.आर. तैयार होकर परीक्षणाधीन है।	**जिला उज्जैन के महिदपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत:-** 1 - झारडा से गेलाखेड़ी नागपुरा मार्ग का प्राक्कलन अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल उज्जैन के कार्यालय में परीक्षणाधीन है। 2 - घटिया से झारड़ा व्हाया जगोटी कानाखेड़ी ढोंगला खेड़ाखजुरिया धनेरिया सोमचरी छज्जुखेड़ी गेलाखेड़ी कांकड झारड़ा मकलाफंटा मार्ग लंबाई 45.50 कि.मी. का प्राक्कलन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल कार्यालय में परीक्षणाधीन है। (चूंकि सिंहस्थ 2016 साधिकार समिति द्वारा इस कार्य को सिंहस्थ मद में अनुशंसा नहीं की गई थी) **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4126/2015/19/यो, दिनांक 08.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
सहकारिता विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
198.	**05**	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र. 246) दि. 19.02.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	रीवा संभाग के सहकारी बैंकों के जिला महाप्रबंधक सीधी एवं सतना के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच तथा जांच निष्कर्षो के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) श्री आर.के.एस. चौहान के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर श्री चौहान को दिनांक 20.12.2014 से निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा, (2) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना के महाप्रबंधक श्री ए.बी.शुक्ला के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है, कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
199.	**11**	ता.प्र.सं.15 (क्र.527) दि. 19.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	जिला सहकारी बैंक सीधी में नियम विरूद्ध हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराये जाने की जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	बैंक को एक माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से ट्रैक्टर ऋणों का परीक्षण कराया जा रहा है।	कलेक्टर सीधी के पत्र क्र. 2015/34/3-बी/स्था./15, दिनांक 08.01.2015 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा बैंक से सम्बद्ध समिति सदस्यों को वितरित ट्रेक्टर ऋणों की जांच/परीक्षण किया गया, शाखा गांधीग्राम 19 कृषक, शाखा पोड़ी 01 कृषक, शाखा मझौली 01 कृषक एवं शाखा सेमरिया 01 कृषक कुल 22 कृषकों को ट्रेक्टर न मिलने का प्रतिवेदन दिया गया। बैक द्वारा क्रमश: शाखा प्रबंधक गांधीग्राम को पत्र क्र. लेखा/71, दिनांक 08.04.2015 शाखा प्रबंधक शाखा सेमरिया पत्र क्र. लेखा/72, दिनांक 08.04.2015 एवं शाखा प्रबंधक शाखा पोडी पत्र क्र. लेखा/90, दिनांक 09.04.2015 व शाखा प्रबंधक मझौली पत्र क्र. लेखा/89, दिनांक 09.04.2015 द्वारा निर्देशित किया गया कि तीन दिवस के अंदर संबंधित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए। उपरोक्त निर्देश के क्रम में शाखा प्रबंधक गांधीग्राम द्वारा शाखा के पत्र क्र. 42, दिनांक 24.02.2015 व पत्र क्र. 115 दिनांक 13.04.2015 से अनुरोध कर अनुविभागीय	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					अधिकार (राजस्व) गोपद बनास सीधी एवं कलेक्टर सीधी को अवगत कराया गया कि वसूली अभियान में सभी बकायादारों को आर.आर.सी. दायर कराई जाकर उक्त ट्रैक्टर शाखा/समिति में अधिग्रहितकर खड़े करा लिये गये है। जिस क्रम में पुन: सत्यापन कराये जाए। साथ ही शाखा प्रबंधक द्वारा अधिग्रहित ट्रैक्टरों की नीलामी हेतु अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग(ई एण्ड एम) के पत्र क्र. 142 दिनांक 10.03.2015 प्राप्त कर उक्त अधिग्रहित ट्रैक्टर नीलाम करने की अनुमति नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास से प्राप्त की जाकर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है । इस संबंध में कलेक्टर एवं बैंक के निर्देशानुसार बैंक द्वारा पुन: पत्र क्र. /लेखा/515, दिनांक 14.05.2015 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोपद बनास सीधी को तीन बिन्दुओं के साथ पुन: सत्यापन/परीक्षण कर सात दिवस के अंदर प्रतिवेदन देने हेतु पत्र जारी किया गया है :- (1) क्या ट्रैक्टर शाखा/समिति में जप्त कर खडे हुये है। (2) क्या ट्रैक्टर ऋण से जप्त किये जा गये है या ट्रैक्टर डीलर/बैंककर्मी द्वारा स्वयं ट्रैक्टर शाखा/समिति में खडे कर दिये गये है। (3) क्या ऋणी को ट्रैक्टर प्राप्त हुये थे। जिस क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोपद बनास द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास से सत्यापन/परीक्षण कराया जाकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रतिवेदन बैंक को उपलब्ध कराया गया । उक्त प्रतिवेदन अनुसार 15 ट्रैक्टरों सत्यापन में पाये गये । शेष 04 ट्रैक्टरों का सत्यापन नहीं हुआ है । जिस क्रम में पुन: शाखा प्रबंधक शाखा गांधीग्राम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास को सत्यापन हेतु पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर बैंक द्वारा पत्र क्र./लेखा/2015/1071, दिनांक 13.06.2015 को उक्त चारों ट्रैक्टरों के संबंध में संबंधितों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					करने हेतु शाखा प्रबंधक शाखा गांधीग्राम को आदेश जारी किया गया। शाखा सेमरिया का पत्र क्र. 72 दिनांक 08.04.2015 के संदर्भ में अवगत कराया गया कि हितग्राही को बैंक/समिति से नियमानुसार ट्रैक्टर प्रदाय किया गया था। जो सर्विसिंग हेतु संबंधित एजेन्सी हितग्राही द्वारा ले जाया गया जहां एजेंसी मालिक द्वारा हितग्राही को ट्रैक्टर वापस नहीं दिया गया। जिसकी शिकायत हितग्राही द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक/चौकी सेमरिया में की गई। बैंक के निर्देश पर समिति प्रबंधक हितग्राही को साथ में लाया जाकर उप पुलिस अधीक्षक को लिखित एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया गया। बैंक के पत्र क्र./लेखा/90, दिनांक 09.04.2015 के क्रम में शाखा प्रबंधक पोड़ी द्वारा ट्रैक्टर का सत्यापन कर हितग्राही के शपथ पत्र के साथ अवगत कराया गया कि हितग्राही के शपथ पत्र के साथ अवगत कराया गया कि हितग्राही को ट्रेक्टर प्राप्त है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। जिस क्रम में कलेक्टर एवं प्रशासक के निर्देशानुसार बैंक का पत्र क्र./514, दिनांक 14.05.2015 में उल्लेखित 03 बिन्दुओं सहित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) कुसमी द्वारा जांच परीक्षण कराया जाकर पत्र क्र./213 दिनांक 05.06.2015 द्वारा हितग्राही को ट्रैक्टर प्राप्त होने का सत्यापन प्रतिवेदन किया गया। बैंक का पत्र क्र./लेखा/89, दिनांक 09.04.2015 के क्रम मे शाखा प्रबंधक शाखा मझौली द्वारा अवगत कराया गया था कि बैंक/समिति द्वारा हितग्राही को ट्रैक्टर प्रदाय किया गया। जो संबंधित डीलर सर्विसिंग के दौरान हितग्राही से खड़ा कर लिया गया। जिसकी शिकायत हितग्राही द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को की गई थी। साथ ही अजाक थाने में आवेदन प्रस्तुत किया गया। समिति प्रबंधक हितग्राही के साथ पुलिस उप अधीक्षक, सीधी को संबंधित एजेंसी से ट्रैक्टर दिलाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया। जिसकी विवेचना जारी है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					उपरोक्त जांच प्रतिवेदन उपरांत 04 हितग्राहियों को ट्रैक्टर न मिलने का बैंक को प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा दिया गया है। जिसमें बैंक द्वारा संबंधितों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु आदेश जारी किए गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10/07/2015/15-1, दिनांक 19.11.2015	
200.	**12**	ता.प्र.सं.18 (क्र.30) दि. 19.02.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले की प्राथमिक सहकारी साख संस्था मर्यादित उगली के संचालक को सहकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार योग्य नहीं होने पर हटाया जाना।	श्री आत्माराम मीणा को संस्था के संचालक पद से हटाने हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां संभाग, उज्जैन द्वारा दिनांक 18.02.2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 50-ए के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।	मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50-ए के अंतर्गत अपात्र संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही के दिये गये निर्देशों के संबंध में श्री आत्माराम मीणा संचालक प्राथमिक सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50-ए/क(1) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री आत्मराम मीणा द्वारा संयुक्त आयुक्त, सहकारिता उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि उनके द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित उगली के संचालक एवं अध्यक्ष पद से दिनांक 30.01.2015 को स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया जा रहा है, जिसे संस्था ने संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 03.02.2015 को स्वीकार कर लिया। चूंकि श्री आत्माराम मीणा द्वारा धारित पद 'स्वेच्छा' से त्यागपत्र दिया है ऐसी स्थिति में संस्था के धारित पद स्वयमेव रिक्त हो जाने से कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-1/2015/15-1, दि.27.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
201.	**13**	परि.ता.प्र.सं.38 (क्र.564) **एवं** अता.प्र.सं.52 (क्र. 576) दि. 19.02.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति, भोपाल के सदस्य द्वारा जमा करावाई गई राशि की जांच एवं समिति के शेष सदस्यों को प्लांट आवंटन किया जाना।	रिकार्ड जप्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत जानकारी दी जा सकेगी।	रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल को सहकारी अधिनियम की धारा 53(12) के अंतर्गत अतिष्ठित किया जाकर दिनांक 23.12.2014 से श्री एन.एस.हाड़ा, अंकेक्षण अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57(1) के अंतर्गत संस्था प्रबंधक श्री ए.के.शुक्ला की अभिरक्षा से रिकार्ड जप्ती हेतु उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा श्री एन.एस.हाड़ा को जप्ती अधिकारी नियुक्त किया गया, जप्ती अधिकारी को संस्था के अभिलेख प्राप्त न होने के कारण उप पंजीयक, सहकारी संस्थाए, जिला भोपाल के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोविन्दपुरा भोपाल को सहकारी अधिनियम की धारा 57(ए-1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सहकारी अधिनियम की धारा 57(ए-2) में वर्णित प्रावधानानुसार रिकार्ड जप्ती हेतु उप निरीक्षक के पद से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सर्च वारन्ट जारी करने हेतु दि.19.06.2015 से अनुरोध किया गया है। संस्था के अभिलेख नहीं सौंपने एवं संस्था की साख को क्षति पहुंचाने के कारण सहकारी अधिनियम की धारा 19(सी)(2) के अंतर्गत उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री राम बहादुर की संस्था से प्रारंभिक सदस्यता समाप्त कर दी गई है। संस्था प्रशासक के द्वारा संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री राम बहादुर सिंह, संस्था प्रबंधक श्री ए.के.शुक्ला एवं अन्य 06 संचालकों के विरूद्ध दिनांक 11.04.2015 को आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु थाना प्रभारी ऐशबाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल दि.29.06.2013 को पूर्ण हो जाने के कारण सहकारी अधिनियम की धारा 49(7)(ख) के	प्रकरण गंभीर प्रकृति का है । समिति विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है । विभागीय कार्रवाई से यह आभाषित होता है कि कहीं न कहीं दोषियों को विभागीय अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। संबंधित दोषियों के विरूद्ध पुलिस थाने में आवेदन देने मात्र से विभागीय कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है न तो दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है ना ही उनसे अभिलेखों की जप्ती की कार्रवाई अपने परिणाम तक पहुंच सकी है। समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि मामले की गंभीरता तथा विभागीय अधिकारियों की उदासीनता को देखते हुये इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे दोषी दण्डित हों एवं पीड़ितों को न्याय मिल सके।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					अंतर्गत श्री एन.एस.हाड़ा को दि.11.06.2015 से प्रशासक नियुक्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F/10-9/2015/पन्द्रह-1,दिनांक 26.09.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 21752/वि.स./आश्वा./2015, दि.07.10.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था के अभिलेख जप्ती की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	
202.	**14**	अता.प्र.सं.30 (क्र.376) दि.19.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के विरूद्ध शिकायत की जांच निष्कर्ष के गुण-दोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	शिकायत की जांच संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, भोपाल संभाग द्वारा की जा रही है तथा जांच की कार्यवाही निष्कर्षाधीन है।	पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा पत्र दिनांक 04.02.2016 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल संभाग को 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुशंसित करने के निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 375/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 8437/वि.स./आश्वा./2016, दि. 10.03.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
203.	**98**	ध्यानाकर्षण सूचना क्र.130 दि. 24.02.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	(1) श्योपुर जिला सहकारी बैंक का मुख्यालय मुरैना के स्थान पर श्योपुर नगर में स्थापित कराया जाना। (2) प्रदेश में जिलों के विभाजन के पश्चात् गठित 12 नए जिलों में जिला सहकारी बैंक स्थापित किये जाने की कार्यवाही किया जाना। (3) नवगठित जिलों में विभिन्न स्थानों पर संबंधित जिले की जिला सहकारी बैंको की शाखाएं आरंभ किया जाना। (4) एवं (5) जिला सहकारी बैंकों के निर्वाचित संचालक मण्डल के पदाधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर सभी जिला सहकारी बैंको की नवीन शाखाएं आरंभ कराई जाना।	(1) हमने अपने अधिकारियों से, विभाग से कहा है कि एक बार सभी का परीक्षण करें, देख लें कि जहां-जहां वायबिलिटी हो, वहां का जो वर्तमान बोर्ड काम कर रहा है, उससे प्रस्ताव मंगाकर और यदि वह प्रस्ताव नहीं भी देता है, तो उसके बावजूद शासन स्तर से हम कार्यवाही करके और जहां-जहां इसकी साध्यता होगी, हम वहां पर बैंक खोलने की कार्यवाही आगे नाबार्ड के लिये भी और आरबीआई के लिये भी हम इसे सुनिश्चित करेंगे (2) इस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और उस जिले की समस्याओं को देखते हुए यहां पर वह स्वतंत्र बैंक की अनुमति दें । जहां-जहां अन्य जिलों में भी, जिन जिलों को मैंने नाम लिया है, यहां पर भी मैं परीक्षण करवा लूंगा । एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे पूरे राज्य के ऐसे जिले जिनका बंटवारा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि इन सभी में जैसी-जैसी स्थिति बनती जाती है, वैसी-वैसी शाखाएं स्थापित हों। (3) अप्रैल में भेज देंगे। (4) हम एक बार पूरा परीक्षण करके और सभी अधिकारियों को साथ में बिठाकर और यदि संभव होगा, तो बैंक का जो निर्वाचक मंडल बोर्ड कार्यरत है, उसके अधिकारियों को और उसके अध्यक्षों को भी बुलाकर हम उनके साथ सहमति बनाकर और हम सभी का अप्रैल के माह में पूरे प्रोसेज में लाकर यह काम करेंगे (5) निश्चित रूप से बुला लेंगे और जो बोर्ड नहीं भेजेगा, उसके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।	12 बैंको में से 03 बैंको की जानकारी प्राप्त परीक्षणाधीन। शेष जानकारी प्राप्त की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1690/1327/2015/15-1, दिनांक 26.08.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 20590/वि.स./आश्वा./2015, दि.15.09.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में दिए गए आश्वासन अनुरूप आश्वासन की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	समिति अपेक्षा करती है कि जनाकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में यथावश्यक त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
204.	**155**	परि.ता.प्र.सं.75 (क्र. 4907) दि.28.07.2014 (श्री सतीश मालवीय) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित भूमि का गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा अवैधानिक रूप से किये गये विक्रय की जांच कराई जाकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	अवैधानिक विक्रय किए गए, भू-खण्ड की रजिस्ट्री निरस्त कराने के निर्देश, कलेक्टर गाइडलाइन से कम दर पर भूखण्ड विक्रय करने के कारण राशि वसूली हेतु सहकारिता अधिनियम की धारा 58-बी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये गए, कृषि भूमि से सदस्यों को पंजीकृत कराए गए 31 भूखण्ड की रजिस्ट्री निरस्त कराने हेतु प्रकरण दायर किए गए, पंजीकृत भूखण्ड से अधिक आकार के भूखण्ड का विक्रय होटल शांति पैलेस को करने वाले 15 सदस्यों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु पुलिस थाने में आवेदन दिया गया तथा तीनों संस्थाओं के संचालक मण्डल के विरूद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन को निर्देश दिए गए।	श्री नमन, आदर्श विक्रम एवं अंजली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री मोहनलाल वासवानी द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष याचिका क्रमांक 9548/13 प्रस्तुत की गई, जिसमें मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2013 को आदेश पारित किया गया । आदेश के विरूद्ध शांति पैलेस होटल एण्ड रिसोर्ट आदि के द्वारा एक याचिका क्रमांक 898/13 मा.उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर की युगल पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 06.08.2014 को आई.ए.एन. 2682/14 पर आदेश पारित करते हुये याचिका क्रमांक 9548/13 में पारित आदेश के क्रियान्वयन एवं उससे संबंधित कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया गया है। श्री चन्द्रशेखर श्रीवास व अन्य 01 के द्वारा मा.न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 उज्जैन के समक्ष भी एक प्रकरण क्रमांक 375/14 प्रस्तुत किया गया है। राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा आर-740 ii/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.02.2015 पारित कर अपर आयुक्त, संभाग उज्जैन का प्रकरण क्र. 104/अपील/13/14 चन्द्रशेखर श्रीवास विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में कार्यवाही कर रोक लगाते हुये 03 माह का समय दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 337/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
205.	**156**	परि.ता.प्र.सं.02 (क्र. 345) दि.21.07.2014 (श्री सुशील कुमार तिवारी "इंदू भैया") ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	परिसमापनाधीन राज्य तिलहन संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविलियन किया जाना।	तिलहन संघ के सेवायुक्तों के संविलियन की कार्यवाही प्रचलन में है।	राज्य शासन द्वारा दिनांक 19.05.2015 को म.प्र.राज्य तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 34 कर्मचारियों का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविलियन किये जाने का निर्णय लिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 314/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
206.	**299**	परि.ता.प्र.सं. 28 (क्र. 1357) दि. 11.03.2015 (श्री राजेश सोनकर)	प्रगति गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों की साधारण सभा की कागजों पर फर्जी बैठक एवं सदस्यों की उपस्थिति के फर्जी हस्ताक्षर की जांच कराया जाना एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	प्रश्नांश की जॉच कराई जा रही है, जॉच निष्कर्षाधीन।	जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के संचालक मंडल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(12) के अंतर्गत उप आयुक्त सहकारिता जिला इंदौर के द्वारा अतिष्ठित किया जाकर आदेश क्र. निर्वाचन/2213, दि.18.06.2015 के द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 270/2016/15-1, दिनांक 11.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
207.	**300**	परि.ता.प्र.सं. 53 (क्र. 2026) दि. 11.03.2015 (श्री पन्नालाल शाक्य)	जिला सहकारी बैंक, गुना अंतर्गत गुना व अशोकनगर जिलों में सेवा नियम 2010 एवं वर्ष 2013 में विहित प्रावधान व प्रक्रिया के विरूद्ध कृषि साख सेवा समितियों को स्वतंत्र प्रभार देने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच के आदेश दिये गये हैं . जांच निष्कर्षाधीन. जांच निष्कर्षाधीन.	संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, संभाग ग्वालियर से जांच कराई जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 365/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 8437/वि.स./आश्वा./2016, दि. 10.03.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग ग्वालियर द्वारा की जा रही जांच की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	समिति अनुशंसा करती है कि जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों को दण्डित किया जाकर 03 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
208.	**301**	परि.ता.प्र.सं. 94 (क्र. 2829) दि. 11.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्या.भिण्ड शाखा मिहोना, रौन एवं दबोह अंतर्गत सेवा सहकारी संस्थाओं में सहायक समिति प्रबंधक/प्रबंधक/ सेल्समेन/चौकीदार के पद पर नियुक्ति किये जाने/दैनिक वेतन भोगी पर नियम विरूद्ध रखे जाने की शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच के आदेश दिये गये, जांच निष्कर्षाधीन. (2) कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन.	(1) शाखा मिहोना, रौन एवं दबोह के अंतर्गत सेवा सहकारी संस्थाओं में नियुक्तियों की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार शाखा मिहोना में मूरतपुरा में 01 विक्रेता, बीरखड़ी, में 01 विक्रेता, अचलपुरा में 02 विक्रेता, रवी में 01 चौकीदार तथा काथा में 01 भृत्य की नियुक्तियां, शाखा रौन में नोधा में 01 विक्रेता तथा मानगण में 01 विक्रेता की नियुक्तियां एवं शाखा दबोह की दबोह संस्था में 01 विक्रेता, आलमपुर में 01 चौकीदार, अरूसी में 01 चौकीदार एवं 01 भृत्य, बरौआ में 01 विक्रेता 01 चौकीदार, मुरावली में 01 विक्रेता, अंधियारी नं.2 में 01 विक्रेता तथा नरोल में 01 विक्रेता की नियुक्तियां हुई है । उक्त संस्थाओं में आवश्यकतानुसार नियुक्तियां की गई है, परन्तु पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. के परिपत्रों का पालन नहीं करने से नियुक्तियां अवैध है। (2) महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड को अवैध नियुक्ति करने वाले दोषी समिति प्रबंधकों के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा संस्थाओं को अवैध नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश दिये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 322/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 8437/वि.स./आश्वा./2016, दि. 10.03.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में दोषी समिति के प्रबंधकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही एवं अवैध नियुक्तियां निरस्त करने की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	मामला गंभीर है आश्वासन के अनुरूप नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से समिति को 03 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
209.	**302**	अता.प्र.सं.50 (क्र.2449) दि.11.03.2015 (श्री कुंवरजी कोठार)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यकाल में एस.जी.एस.वॉय. योजनान्तर्गत वितरित ऋणों की जांच में दोषी पाये गये मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	म.प्र.राज्य सहकारी बैंक के सेवायुक्तों के सेवानियमों के अंतर्गत श्री एन.यू.सिद्दीकी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।	म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल की जानकारी अनुसार श्री एन.यू. सिद्दीकी, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतपुर के विरूद्ध प्रमुख कदाचार के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/1901 दिनांक 25.02.2015 जारी किया जाकर आदेश क्रमांक 1474 दिनांक 25.08.2015 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-49/2015/15-1, दिनांक 17.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
210.	**303**	अता.प्र.सं. 72 (क्र. 2954) दि. 11.03.2015 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर की शासकीय शिक्षक कर्मचारी सहकारिता गृह निर्माण समिति के लिए आरक्षित भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाना एवं भूमि का सीमांकन कराया जाना।	अतिक्रमण हटाने एवं भूमि का सीमांकन कराने हेतु संस्था प्रशासक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोतवाली, जबलपुर के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।	संस्था के लिये आरक्षित भूमि परसे अतिक्रमण हटाने एवं भूमि का सीमांकन कराने हेतु कलेक्टर जिला जबलपुर को अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/गृह निर्माण/129 दिनांक 12.02.2016 प्रेषित कर नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने एवं सीमांकन कराने हेतु लेख किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1571/2016/15-1, दिनांक 28.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
211.	**304**	अता.प्र.सं. 120 (क्र. 3991) दि. 11.03.2015 (श्री मधु भगत)	कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के पुराने सदस्यों को भू-खण्ड न देकर नये सदस्यों को नियम विरूद्ध भू-खण्ड आवंटन किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रश्नांश की जांच कराई जा रही है, शेष जांच निष्कर्षाधीन.	जांच वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक स्तर से कराई गई। उनके द्वारा भूखण्ड आवंटन नियमानुसार पाया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 6318/2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने आयुक्त सहकारिता को जांच कर प्रकरण का निराकरण करने हेतु आदेशित किया, तदनुसार वरिष्ठ स्तर संयुक्त आयुक्त, सहकारिता द्वारा जांच प्रारंभ की गई, किन्तु माननीय उच्च न्यायाल द्वारा याचिका क्रमांक 14773/2015 में दिनांक 23.09.2015 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित प्रोसीडिंग स्थगन का आदेश दिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1557/2016/15-1, दिनांक 28.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
212.	**462**	परि.ता.प्र.सं. 165 (क्र. 5315) दि. 18.03.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	श्री जगदीश कोरकू, संविदा समिति प्रबंधक शाखा मुंगावली संस्था डोंगरा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	जॉच प्रक्रियाधीन है।	कलेक्टर(खाद्य) जिला अशोक नगर के द्वारा खाद्य सहकारिता, राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से सम्पूर्ण शासकीय उचित मूल्य दुकानें (वि.स.क्षे., मुंगवाली) की जांच हेतु आदेशित किया गया एवं सभी दुकानों की जांच कराई गई। इस कारण पूर्व में उपायुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर द्वारा गठित जांच दल द्वारा पृथक से जांच नहीं की गई है। कलेक्टर (खाद्य) अशोक नगर द्वारा उक्त शिकायतों की जांच के दौरान श्री जगदीश कोरकू के प्रभार वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था, डोंगरा, तहसील मुंगावली के द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों की जांच भी की गई है। जांच में प्राप्त अनियमितताओं के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई:-	कोई टिप्पणी नहीं।

क्र	**आवेदक का नाम**	**संक्षिप्त विवरण**	**राशन दुकान का नाम**	**कार्यवाही**
1		सोनाखेड़ी राशन दुकान वापिस करने के संबंध में	सेवा समिति डोंगरा।	कार्य क्षेत्र की होने से वापिस की गई।
2		वितरण कार्य में अनियमितता बाबत्।	सेवा समिति डोंगरा दुकान झागर।	दुकान निलंबित की गई
3	श्री मोहर सिंह पुत्र श्री मेहरबान सिंह लोधी, निवासी डोंगरा।	डोंगरा राशन दुकान के सेल्समेन द्वारा कम राशन देने बाबत्।	डोंगरा	दुकान की जांच की गई वितरण में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण कायम कर कार्यवाही प्रचलित है।
4	श्री मोहर सिंह पुत्र श्री मेहरबान सिंह लोधी, निवासी डोंगरा।	ग्राम पंचायत डोंगरा के उचित मूल्य की दुकान के डीलर गोपाल सिंह यादव की अनियमितताओं एवं विरोध के कारण उसे हटाकर दुकान मोहर सिंह लोधी को दिलाने जाने बाबत्।	डोंगर	दुकान की जांच की गई। वितरण में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण कायम कर कार्यवाही प्रचलित है।
5	समस्त ग्राम पंचायत चिरोल।	राशन वितरण में अनियमितता करने से हटाने बाबत्।	चिरोली	दुकान की जांच की गई। वितरण में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण कायम कर कार्यवाही प्रचलित है।

विभागीय पत्र क्रमांक :-
F10/86/2015/15-1, दिनांक 15.09.2015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
213.	**463**	अता.प्र.सं. 61 (क्र. 3994) दि. 18.03.2015 (श्री मधु भगत)	सहकारिता विभाग के अंतर्गत लंबित न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु न्यायिक पदों का सृजन किया जाना।	नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	विभाग में अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर कार्य की महत्ता अनुसार समय-समय पर इन पदों पर पदस्थापना की जाती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-19/2015/15-2, दि.09.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
214.	**464**	अता.प्र.सं. 85 (क्र. 4492) दि. 18.03.2015 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	ग्वालियर संभाग के दतिया जिले में वर्गवार पंजीकृत परिसमापन सहकारी समितियों का आडिट नहीं कराने के लिये संबंधित दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना एवं इन समितियों का आडिट कराया जाना।	अधिनियम की सक्षम धारा में कार्यवाही की जा रही है। अभिलेख प्राप्त कर आडिट कराने की कार्यवाही की जा रही है।	संस्थाओं का रिकार्ड प्राप्त कर लिया गया है। इन 168 परिसमापनाधीन संस्थाओं में से 161 के वर्ष 2014-15 तक का अंकेक्षण कराया जा चुका है, शेष 07 संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य कराया जा रहा है। सहायक आयुक्त दतिया द्वारा दोषी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 357/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016	समिति अनुशंसा करती है कि लंबित अंकेक्षण का कार्य शीघ्र कराया जाकर दोषियों को दण्डित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से समिति को 03 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
जल संसाधन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
215.	26	ता.प्र.सं.03 (क्र.221) दि. 20.02.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	रायसेन जिले में सर्वे कराये जाकर सिंचाई परियोजना स्वीकृत कराई जाना।	आप जगह दिखा दें और अगर वह जगह उचित पायी जायेगी और वह साध्य होगी तो फिर उसके बारे में विचार किया जायेगा।	रायसेन जिले में सर्वे कराया जाकर सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने के संबंध में जगह दिखाने हेतु मा.विधायक श्री चंपालाल देवड़ा विधान सभा क्षेत्र बागली जिला देवास से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रायसेन द्वारा दिनांक 08.07.2015 को व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया। मा.विधायक जी द्वारा उनके पत्र दिनांक 20.07.2015 द्वारा किसी स्थल के सर्वे हेतु कोई अनुशंसा नहीं नहीं करते हुए आश्वासन विलोपित किए जाने की अनुशंसा की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21/126/2015/लघु/31/742, दिनांक 01.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
216.	27	ता.प्र.सं.06 (क्र.313) दि. 20.02.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले की विजयराघवगढ़ तहसील में बाण सागर डूब क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरी से ग्राम चौरा कनेरा के मध्य वर्षा ऋतु के पूर्व पुल एवं सड़क निर्माण कराया जाना।	पुलिया और सड़क का निर्माण वर्षाकाल से पहले हो जायेगा।	कटनी जिले के जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत चौरी के अंतर्गत ग्राम चौरा-कनेरा के समीप पुल निर्माण दिनांक 05.08.2015 को पूर्ण करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21(A)01/आश्वा./2015/M.P.S./31/1216 दिनांक 18.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
217.	**28**	ता.प्र.सं.15 (क्र.10) दि.20.02.2015 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	(1) उज्जैन जिले के नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में श्री बच्छ बैराज और वाचाखेड़ी तालाब परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना। (2) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में अंतलवासा तथा बनबना तालाब की पाल का सुदृढीकरण तथा चंबल नदी पर स्टॉप डेम बनाया जाना।	(1) इसकी साध्यता रिपोर्ट बनाने के लिए बोल दिया गया है और अतिशीघ्र इनकी साध्यता की रिपोर्ट आ जाएगी। (2) जी अध्यक्ष महोदय।	1. **(i) श्री बच्छ बैराज :-** साध्यता प्रतिवेदन प्राप्त। परीक्षण उपरांत जल संग्रहण न्यून होने से वैकल्पिक प्रस्ताव की संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए है। **(ii) वाचा खेड़ी तालाब :-** साध्यता प्रतिवेदन प्राप्त। सर्वे अनुसंधान कर डीपीआर बनाने के आदेश जारी कर दिए गए है। 2. **(i) अंतलवासा तालाब :-** परियोजना की प्रशासीय स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 02.09.2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। **(ii) पाउल्या(बनबना) तालाब :-** कार्य एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. परियोजना के अंतर्गत जल उपभोक्ता संथा, पाडल्या द्वारा करा दिया गया है। **(iii) चंबल नदी पर स्टॉप डेम :-** प्रस्तावित स्थल (नागदा बैराज) का निरीक्षण दिनांक 13.09.2015 को कार्यपालन यंत्री से कराया गया। जिसके अनुसार परियोजना की प्रति है, लागत निर्धारित मापदण्डों से अधिक होने के कारण परियोजना अनुपयुक्त है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21/127/2015/लघु/31(1229), दिनांक 13.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
218.	**29**	परि.ता.प्र.सं.23 (क्र.471) दि.20.02.2015 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	(1) सीधी एवं सिंगरौली जिले में संचालित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं हेतु कृषकों की अधिग्रहित भूमि के स्वत्व की जांच शीघ्र पूर्ण कराई जाकर संबंधितों को मुआवजे का भुगतान कराया जाना। (2) असाध्य एवं कार्य रूप में परिणित न हो पाने वाली परियोजनाओं के लिये अधिग्रहित भूमि संबंधित कृषकों को पुन: शीघ्र वापस लौटाई जाना।	(1) भूमि के स्वत्व के संबंध में कलेक्टर, सीधी द्वारा जांच कराई जा रही है। (2) भूमि कृषकों को लौटाई जाना विचाराधीन है।	(1) भूमि के भू-अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि बंदोबस्त अभिलेख के उपरांत भूमि शासकीय है। अत: मुआवजा भुगतान करने का औचित्य नहीं पाया गया। (2) प्रमुख अभियंता के पत्र दिनांक 11.09.2015 द्वारा परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई 138 कृषकों की भूमि यथास्थिति में वापस लौटाये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21/12/15/लघु/31/1085, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
219.	**30**	अता.प्र.सं.35 (क्र.500) दि.20.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त करैया वियर का सुधार कार्य संबंधित ठेकेदार के व्यय पर कराया जाकर संरचना में क्षति के दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	मुख्य अभियंता को निरीक्षण कर सुधार कार्य ठेकेदार के व्यय पर कराने और संरचना में क्षति के लिए जिम्मेदारी नियत करने के निर्देश दिए गए है।	मुख्य अभियंता का निरीक्षण दिनांक 08.03.2015 को कराया गया। निरीक्षण में डाऊन स्ट्रीम फ्लोर के ऊपरी सतह पर अतिवृष्टि के कारण सीमेंट कांक्रीट में क्षति पाई गई। फ्लोर के क्षतिग्रस्त होने से परियोजना की उपयोगिता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्य अभियंता द्वारा क्षति के नुकसार हेतु विशेष मरम्मत के अंतर्गत सुधार कराने के निर्देश दि गये। इसके साथ ही मुख्य अभियंता द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि ठेकेदार की सुरक्षा निधि का यदि भुगतान नहीं किया गया हो तो इसे राजसात किया जावे। सुधार कार्य विशेष मरम्मत के अंतर्गत रू.12.30 लाख के व्यय से करा लिया गया है। ठेकेदार की विभाग के पास जमा सुरक्षा निधि रू.2,66,760/- राजसात की गई है। क्षति अतिवृष्टि के कारण हुई। अत: क्षति के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21/129/2015/लघु/31/656, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
220.	**166**	अता.प्र.सं.04 (क्र.110) दि.09.12.2014 (श्री विश्वास सारंग) ***दिसम्बर 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	भोपाल स्थित कलियासोत डेम की नहर पर कालोनाईजर द्वारा किये गये अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाना।	अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यपालन यंत्री भोपाल के पत्र क्र. 5651, दि.14.11.2014 द्वारा नजूल अधिकारी राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है।	जल संसाधन विभाग की शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण दिनांक 24.06.2015 को हटा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 15-49/2014/मध्यम/31/434, दिनांक 02.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
221.	**198**	परि.ता.प्र.सं.62 (क्र.1665) दि.27.02.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले की जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत चौरी के अंतर्गत ग्राम चौरा-कनेरा के समीप निर्धारित समयावधि में पुल निर्माण कराया जाना।	वर्षा ऋतु तक निर्माण कराने के लिए निर्देश दे दिए गए है।	कटनी जिले के जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत चौरी के अंतर्गत ग्राम चौरा-कनेरा के समीप पुल निर्माण दिनांक 05.08.2015 को पूर्ण करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21(A)02/आश्वा./2015/M.P.S./31/1219 दिनांक 18.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
222.	**342**	परि.ता.प्र.सं. 79 (क्र. 2484) दि. 12.03.2015 (श्री सतीश मालवीय)	उपखंड घट्टिया अंतर्गत निर्माणाधीन बेराज के क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।	(1) विभागीय पत्र दिनांक 05.12.2015 द्वारा वर्तमान सेवारत तत्कालीन 1 अधीक्षण यंत्री, 1 कार्यपालन यंत्री तथा 2 उप यंत्रियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है। (2) विभागीय पत्र दिनांक 05.12.2015 द्वारा सेवानिवृत्त तत्कालीन 1 कार्यपालन यंत्री तथा 1 सहायक यंत्री के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21/130/2015/लघु/31/(1318), दिनांक 08.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
223.	**343**	परि.ता.प्र.सं. 126 (क्र. 3330) दि. 12.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर शा.सेवा में नियमित रखने तथा पदोन्नित का लाभ देने वाले दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	विभागीय जांच संस्थित की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	1. श्री एस.एन.पुनसे सेवानिवृत्त मानचित्रकार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण नहीं बनने के कारण पुनर्विचार करते हुए प्रकरण दि.19.05.2015 को समाप्त किया गया। 2. श्रीमती रजनी बाथम, सहायक वर्ग-1 को दि.17.02.2015 को आरोप पत्रादि जारी किया गया। श्रीमती बाथम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका डब्ल्यू.पी.977/2015 प्रस्तुत की गई। मान.उच्च न्यायालय द्वारा दि.22.01.2015 को प्रकरण में निम्नानुसार आदेश दिया गया:- "Till the next date of hearing, the respondents are restrained from removing the petitioner on the basis of report dated 22.12.2014 (Annexure P/1) and no coercive steps be taken against him on the basis of the said report." प्रकरण मा.उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-08/2015/पी-1/इकतीस, दिनांक 04.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
224.	**344**	परि.ता.प्र.सं. 185 (क्र. 4260) दि. 12.03.2015 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख)	विधानसभा क्षेत्र मुलताई जिला बैतूल के अंतर्गत बघोली जलाशय निर्माण में दी गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	एक माह में जॉच हेतु मुख्य अभियंता, होशंगाबाद को निर्देशित किया गया है।	मुख्य अभियंता, होशंगाबाद के पत्र दिनांक 01.12.2015 द्वारा जांच कार्य पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21/56/2015/लघु/31/(1316), दिनांक 08.12.2015	जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषी दण्डित हो, इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
225.	**479**	अता.प्र.सं. 118 (क्र. 5327) दि. 19.03.2015 (श्री चैतराम मानेकर)	बैतूल जिले के आमला विकास खण्ड में मोरखा लघु सिंचाई परियोजना में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किये जाने से क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2009 को जारी दिशा-निर्देश अनुसार निश्चित समय सीमा में पूर्ण की जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना एवं जलाशय की मरम्मत हेतु दोषी अधिकारी से राशि की वसूली की जाना।	(1) विभागीय जॉच संस्थित की गई है। (2) कार्यवाही प्रचलित है।	जांच में दोषी पाये गये श्री एस.एन.वर्मा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी तथा श्री एस.पी.भूमरकर तत्कालीन उप यंत्री को प्रमुख अभियंता के पत्र दिनांक 13.11.2013 से आरोप पत्रादि जारी किए गए थे। संबंधितों के आरोप पत्र समाधान कारक नहीं पाये जाने से प्रमुख अभियंता के आदेश दिनांक 12.05.2015 द्वारा विस्तृत विभागीय जांच अपेक्षित गई जो जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21(A)03/आश्वा./14/M.P.S./31/946, दिनांक 03.07.2015	मा.मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन पर पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न होना समिति उचित नहीं मानती। समिति अपेक्षा करती है कि म.प्र.शासन सा.प्र.वि. द्वारा विभाग जांच के संबंध में दि.22.10.2009 को जारी आदेश के पालन में शीघ्र कार्यवाही कर 03 माह की समयावधि में समिति को भी अवगत कराया जायेगा।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
226.	**19**	ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 72 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	(1) प्रदेश में साइबर क्राईम की रोकथाम के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना एवं इनकी संख्या बढ़ाई जाना। (2) प्रदेश में साइबर थानों की स्थापना किया जाना।	(1) जिस प्रकार के साइबर क्राइम बढ़ रहे है, उसके लिये हम प्रशिक्षित अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी और केन्द्र को भी बढ़ायेंगे। (2) भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में साइबर थाने भी खोले जायेंगे।	(1) वर्तमान समय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है एवं बढ़ते हुये अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये बल की वृद्धि के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती की जा रही है। (2) भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में साईबर जोनल कार्यालय संचालित किये जा रहे है एवं बालाघाट, उज्जैन, होशंगाबाद एवं रीवा जाने में भी कार्यालयों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2636/1605/2015/बी-1/दो, दिनांक 09.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
227.	**48**	ता.प्र.सं.02 (क्र.446) दि.23.02.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	इंदौर शहर में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण तथा ट्रैफिक व्यवस्था में सक्षम सुधार हेतु पुलिस बल में वृद्धि की जाना।	विचार करके बढ़ा देंगे।	दिनांक 18.05.2015 के आदेश के पालन में इंदौर जिले में नवीन बल कुल 114 पद की वृद्धि की गई जिसमें एडीशनल एस.पी.-04, डी.एस.पी.-03, निरी.(अ) 01, उ.नि. 04, स.उ.नि.-19, प्र.आर.-21, प्र.आर. एम.टी.-04, आर.-47, आर.एम.टी.-02, स्टेनो ग्राफर सुबे.(अ)-04, उ.नि. (अ)-01, सउनि(अ)-01 की वृद्धि की जाकर इंदौर शहर में अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु नवीन बल स्वीकृत किया गया है, जिसमें अति.पुलिस अधी.(कार्या.) नगर पुलिस अधि.(कार्या.) नवीन थाना एवं चौकियों में बल वृद्धि की गई है, लेकिन उक्त स्वीकृति बल में ट्रेफिक बल में वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान में उपलब्ध बल से ही अपराधों के नियंत्रण एवं ट्रेफिक व्यवस्था में सुधार हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/07/2015/बी-1/दो, दिनांक 12.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
228.	**49**	ता.प्र.सं.11 (क्र.338) दि.23.02.2015 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	टीकमगढ़ जिले के थाना पलेरा में पदस्थ टी.आई. द्वारा अमानवीय तरीके से मारपीट किये जाने की घटना की जांच कराई जाकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	मा.सदस्या का आरोप सही है और टी.आई. को आज निलंबित किया जाता है । डीआईजी के द्वारा पूरे प्रकरण की कार्यवाही की जायेगी।	मामले की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर से कराई गई। जांच में पाया गया कि आवेदक रज्जू यादव पुत्र हरिदयाल यादव निवासी मडरी द्वारा अपने घर में दिनांक 25.11.2014 को घटित चोरी की घटना की रिपोर्ट निरीक्षक रामेश्वर दयाल असाटय तत्कालीन थाना प्रभारी पलेरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । थाना प्रभारी द्वारा जांच कराये जाने का आश्वासन देने के उपरांत कार्यवाही करने तथा मौके पर उनि डी.पी.गंगेले एवं एक अन्य पुलिस कर्मचारी को भेजे जाने की पुष्टि जांच के दौरान होना पाई गई लेकिन अपराध पंजीबद्ध नहीं किया। इस प्रकार संज्ञेय अपराध की सूचना पर निरीक्षक रामेश्वर दयाल असाटया तत्कालीन थाना प्रभारी पलेरा द्वारा तत्परता से अपराध पंजीबद्ध न कर अपने पदीय कर्तव्यों का उल्लघंन किया जाना पाया गया। रज्जू यादव के साथ मारीपट करने एवं कान में चोट पहुंचाने के संबंध में मजरूब रज्जू यादव का मेडिकल परीक्षण 09.12.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलेरा में कराया गया जहां आवेदक के कान के अंदर कोई खून नहीं निकल रहा था, जबकि मजरूब ने कान में दर्द होना तथा हल्का सा मवाद होना बताया था। मजरूब की कान की चोंट का परीक्षण जिला अस्पताल टीकमगढ़ से करवाया जिसमें कोई बाहय और आंतरिक चोट नहीं होना बताया है तथा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर रेफर किया गया । वहां से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हमीदिया चिकित्सालय भोपाल एंव बाद में क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र पिपलानी, भोपाल में आडियालॉजिस्ट इवेल्यूशन किया गया । डॉक्टर के द्वारा Bilateral mild conductive hearing loss लेख किया गया है। प्रकरण ऑडियोलाजिस्ट के द्वारा किये गये परीक्षण के उपरांत यह लेख नहीं किया गया कि मजरूब के कान में आंतरिक या बाहय	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					कोई चोट है। इस प्रकार थाना प्रभारी द्वारा रज्जू यादव के साथ मारपीट करने एवं कान को नुकसान पहुंचाने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दिनांक 24.12.2014 की शम्भू टी.आई. रामेश्वर दयाल ने ग्राम गडरी में रमेश यादव के घर पहुंचकर फाटक तोड़कर ए.बी.केबल के तीन बंडल एवं अन्य सामान लिया और थाना पलेरा ले गये । प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात् विवेचना स्वयं रामेश्वर दयाल असाटया द्वारा की जा रही थी । उनका स्थानान्तरण होने पर वर्तमान थाना प्रभारी द्वारा विवेचना की गई एवं आरोपी रमेश यादव के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया। आरोपी पेटी कान्टेक्टर के रूप में कार्य करने के कारण अपने घर पर विद्युत कारखाना पाया गया। अत: प्रकरण में खात्मा क्रमांक 09/15, दि.16.05.2015 कता किया गया जो माननीय न्यायालय में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है । निरीक्षक असाटया द्वारा बिजली तार जब्त करते समय यह ज्ञात नहीं किया गया कि तार कहां-कहां से चोरी हुआ है व घटना स्थल कहां है । ऐसी संदेहीपूर्ण स्थिति में विद्युत तार की जब्ती पर अपराध कायम करना चाहिए था और जब्तशुदा माल बिजली के तार व सामग्री के बारे मे सही जानकारी लेने व घटना स्थल का पता लगाने के उपरांत ही संबंधित थाना पर असल अपराध की कायमी करना चाहिए थी। इस प्रकरण में निरीक्षक असाटया, तत्कालीन थाना प्रभारी पलेरा द्वारा जल्दबाजी में कार्यवाही कर संदिग्ध आचरण का परिचय दिया गया, जिसमें ठोस साक्ष्य के अभाव में प्रकरण में खात्मा कता किया गया। आवेदक की चाची, श्रीमती लाडकुंवर यादव के साथ थाना प्रभारी पलेरा अथवा गांव के भगवादास यादव- भवानीदीन पहलवान, भैय्यन यादव, गोविन्द गुप्ता द्वारा कोई घटना घटित करना नहीं पाया गया।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					तत्कालीन टी.आई. पलेरा श्री रामेश्वर दयाल असाटया के विरूद्ध प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 19.02.2015 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही उनके द्वारा संपादित की जा रही है। प्रकरण की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर द्वारा करवाई गई है। उपरोक्त शिकायतें निराकृत की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/26/2015/बी-1/दो, दिनांक 20.08.2015	
229.	**50**	ता.प्र.सं.16 (क्र.16) दि.23.02.2015 (श्री हरदीप सिंह डंग)	मंदसौर जिले के सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के थानों में फरियादियों के साथ उचित व्यवहार न कर मनमाने तरीके से दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	आप लिखित में मुझे यह दे दें, मैं इसकी पूरी जांच करा दूंगा।	विधान सभा सुवासरा क्षेत्र के थानों में फरियादियों के साथ उचित व्यवहार न करने के संबंध में दो शिकायते पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच पर आवेदकों द्वारा चोरी का आरोप एवं पाईप लाईन टूट जाने पर लकडी चोरी का अपराध लगाया जो जांच पर संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-02/2015/बी-3/दो, दिनांक 16.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
230.	**51**	ता.प्र.सं.20 (क्र.779) दि.23.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	अशोक नगर विधान सभा क्षेत्र में दि.08.12.2013 को मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था भंग करने वाले नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना।	उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जायेगा।	कोतवाली अशोकनगर के अप.क्र. 960/13 धारा 353, 332, 186, 188, 294, 336, 147, 148, 149, 427, ता.हि. लोक सभा निर्वाचन अधिनियम 1984 का 40 नामजद आरोपी एवं अन्य उपद्रवी भीड़ के विरूद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया था, जिनमें से 21 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं वीडियो फूटेज के आधार पर पहचान किये गये 11 आरोपियों में से तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। कुल 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके है 09 आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है एवं नामजद 10 आरोपी एवं वीडियो फुटेज के आधार पर पहचाने गये 08 आरोपी फरार है। कुल 18 आरोपियों की चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी लेने के संबंध में तहसीलदार अशोकनगर, चंदेरी, इशागढ़ को पत्र भेजा गया है। जानकारी प्राप्त होने पर फरार आरोपियों के विरूद्ध धारा 82, 83 जा.फौ. के तहत कार्यवाही की जावेगी एवं प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। यह निरंतर जारी रहने वाली सतत् प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/03/2015/बी-1/दो, दिनांक 18.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
231.	**201**	ता.प्र.सं.08 (क्र.595) दि.02.03.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	दि.01.01.2014 से 31 जनवरी 2015 की अवधि में अनियमितताएं करने एवं नियम विरूद्ध कार्य करने की दोषी निजी सुरक्षा एजेंसियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	निर्देश जारी किये गये है।	निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम 2005 के तहत अति.पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व में ही पत्र क्र.नि.स./अमनि/राऔसुब/निसुए/1094, दिनांक 28.11.2014 समसंख्यक पत्र क्रमांक 1099/14, दिनांक 29.11.2014, 1162, 1163, 1167, दिनांक 24.12.2014 एवं पत्र क्र.निसुए/एफ/150/2014/18-ए(3243-3247) दि.29.12.2014 समस्त पुलिस अधीक्षकों को अवैध निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालन पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 34-04/2015/दो/सी-एक्स, दिनांक 03.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
232.	**202**	परि.ता.प्र.सं. 11 (क्र. 631) दि. 02.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया)	गुना जिले की विभिन्न पंचायतों में विगत 05 वर्षो की अवधि के दौरान हुये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के प्रकरणों से संबंधित फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाकर प्रकरणों का निराकरण कराया जाना।	विधिसम्मत कार्यवाही प्रचलन में है।	कुल 19 फरार आरोपियों में से 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष 12 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। यह पुलिस की एक अनवरत् प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/48/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
233.	**203**	परि.ता.प्र.सं. 64 (क्र. 2164) एवं परि.ता.प्र.सं. 65 (क्र. 2165) दि. 02.03.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले की जनपद पंचायत ब्यौहारी में फर्जी कूटरचित अंक सूची के आधार पर रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध शीघ्र विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) प्रकरण में 04 आरोपियों त्रिवेन्द्र सिंह, संगीता सिंह, कैलाश केवट एवं धमेन्द्र कुमार पटेल से संबंधित फर्जी कूटरचित अंक सूचियों की जांच हेतु कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। (2) अंकसूची सत्यापन उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	थाना ब्यौहारी के अप.क्र.505/14, धारा 420 के आरोपीगण त्रिवेन्द्र सिंह, संगीता सिंह एवं धर्मेन्द्र कुमार पटेल, की हायर सेकेण्ड्री की अंकसूचियों की सत्यापन रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से दिनांक 16.06.2015 को प्राप्त हो चुकी है, जो अंकसूचियों कूटरचित होना पाये जाने पर प्रकरण में दिनांक 20.05.2015 की धारा 467,468,474 ता.हि. बढ़ाई जाकर आरोपियों की तलाश की गई, जो सकूनत पर नहीं मिले। मुखबिर मामूर किये जाकर शीघ्र आरोपीगणों की गिरफ्तारी की जावेगी। आरोपी कैलाश केवट की अंकसूची की सत्यापन रिपोर्ट संचालक म.प्र.राज्य ओपन स्कूल भोपाल से अप्राप्त है, जिसे प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। पुलिस द्वारा सक्रियता से कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/32/2015/बी-1/दो, दि.29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
234.	**204**	अता.प्र.सं. 70 (क्र. 2335) दि. 02.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	विभाग में पदस्थ समयमान-वेतनमान से वंचित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान स्वीकृत किये जाने की शीघ्र कार्यवाही किया जाना।	शेष के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	विधान सभा अतारांकित प्रश्न 2335 के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि 1402 अधिकारी/कर्मचारियों को समयमान दिये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (1) उपरोक्त संबंध में लेख है कि तृतीय श्रेणी के 1036 तथा चतुर्थ श्रेणी 02 कुल 1038 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। (2) शेष 364 तृतीय श्रेणी के अधि./ कर्मचारियों में से 57 अधि.कर्मचारियों को विभिन्न कारणों से समयमान वेतनमान की पात्रता न रखने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है। (3) शेष 307 अधिकारी/कर्मचारियों को पात्रतानुसार समयमान वेतनमान दिये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-03/2015/बी-4/दो, दि.01.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
235.	**205**	अता.प्र.सं. 102 (क्र. 2679) दि. 02.03.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाईन में दि.05.05.14 को दर्ज शिकायत शीघ्र जांच कराई जाकर जांच निष्कर्षो पर कार्यवाही किया जाना।	(1) शिकायत की जॉच प्रक्रियाधीन है। (2) जॉच निष्कर्ष में आये तथ्यों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।	शिकायत की जांच संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 6811-19, दिनांक 30.06.2014 के द्वारा डॉ.व्ही.के.पुरे, विभागाध्यक्ष, नाक, कान, गला विभाग की अध्यक्षता में 05 सदस्यों द्वारा कराई गई। जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.08.2014 को अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को प्रस्तुत की गई। जांच समिति के मतानुसार शिकायत निराधार पाई, जिससे की अधीक्षक भी सहमत है एवं उनके द्वारा शिकायत को नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गई है। इससे आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग भी सहमत है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/52/2015/बी-1/दो, दि.21.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं.
236.	**358**	परि.ता.प्र.सं. 07 (क्र. 308) दि. 13.03.2015 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर जिले के सुनेरा स्थित पुलिस चौकी का उन्नयन किया जाना।	जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	शासन आदेश क्रमांक एफ 2(क)-20/ 2014/बी-3/दो, दिनांक 18.05.2015 द्वारा 16 पदों सहित सुनेरा पुलिस चौकी का थाने में उन्नयन किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-16/2015/बी-3/दो दिनांक 01.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
237.	**359**	परि.ता.प्र.सं. 83 (क्र. 3179) दि. 13.03.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना निवासी श्री दीन दयाल मंगल व्यापारी के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किये जाने एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की जांच एवं दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	विवेचना जारी है।	थाना सिटी कोतवाली मुरैना में पंजीबद्ध अप.क्र.54/15, धारा 353, 294 भादवि से विधिवत् विवेचना पूर्ण की जाकर चालान क्रमांक 194/15, दिनांक 30.04.2015 कता किया जाकर माननीय न्यायालय में मिसिल न.955/15 दिनांक 26.06.2015 को प्रस्तुत किया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/98/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
238.	**360**	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 3475) दि. 13.03.2015 (श्री आर.डी. प्रजापति)	पुलिस चौकी समान थाना विश्वविद्यालय रीवा में दर्ज अपराध क्रमांक 266/2014 में गुमशुदा अंकित पटेल की तलाश किया जाना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी किया जाना।	प्रकरण में विवेचना जारी है।	थाना विश्व विद्यालय थाना रीवा में दर्ज अपराध क्रमांक 266/14 मं गुमशुदा अंकित पटेल पिता राजमणि पटेल उम्र 15 साल, निवासी संजय नगर की पता तलाश के हरसंभव प्रयास किये गये । कॉल डिटेल निकलवाया गया था तथा गजट प्रकाशन भी कराया गया है, किन्तु गुमशुदा की दस्तयाबी शेष हे, तलाश एवं विवेचना के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/80/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
239.	**361**	परि.ता.प्र.सं. 102 (क्र. 3552) दि. 13.03.2015 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	सिंगरौली जिले के थाना चितरंगी में दर्ज अपराध क्रमांक 172/2014 में आरोपियों की गिरफ्तारी किया जाना एवं प्रकरण की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	प्रकरण की प्राथमिक जॉच करायी जा रही है । जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण से संबंधित थाना चितरंगी का अपराध क्रमांक 172/2014, धारा 363, 366 भादवि आरोपी पिंटू उर्फ राज गुप्ता पर धारा 82, कार्यवाही की जा चुकी है।उसके विरूद्ध धारा 82 भा.द.वि. के अंतर्गत 5000/-रू. नगद ईनाम की उदघोषणा की गई । आरोपी की गिरफ्तारी एवं अपहृता सीता कुमार व जानकी देवी की दस्तयाबी के निरंतर हरसंभव प्रयास जारी है। यह पुलिस की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/72/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
240.	**362**	परि.ता.प्र.सं. 107 (क्र. 3630) दि. 13.03.2015 (श्री बाला बच्चन)	पी.एम.टी. परीक्षा वर्ष 2006 एवं 2007 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाना।	प्राप्त शिकायतें जॉच में प्रक्रियाधीन है।	पीएमटी परीक्षा 2006-2007 के संबंध में प्राप्त 04 शिकायतों में से 01 शिकायत पर थाना कोहेफिजा भोपाल में अपराध क्रमांक 107/15 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि 3(डी) 1,2/4 म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 दिनांक 12.02.2015 को पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में है। (1) शिकायत की जांच की जा रही है। (2) शिकायतों की जांच पर कोई संज्ञेय अपराध न होना पाये जाने से नस्तीबद्ध की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/63/2015/बी-1/दो, दि.29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
241.	**363**	परि.ता.प्र.सं. 108 (क्र. 3631) दि. 13.03.2015 (श्री बाला बच्चन)	एस.टी.एफ. द्वारा पी.एम.टी. फर्जीवाड़े की प्रकाशित विज्ञप्ति के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाना।	शिकायत के तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। जॉच में उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।	शिकायत के तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। जांच में उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/94/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
242.	**364**	परि.ता.प्र.सं. 120 (क्र. 3844) दि. 13.03.2015 (एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार)	पुलिस विभाग के कर्मचारियों के अलाउन्सेस में वृद्धि की जाना।	अलाउन्सेस में वृद्धि का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(क)-13/2014/बी-3/दो, दिनांक 26.06.2015 द्वारा पौष्टिक आहार भत्ता 350 से बढ़ाकर रू.650 प्रतिमाह किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-48/2015/बी-3/दो, दिनांक 22.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
243.	**365**	परि.ता.प्र.सं. 131 (क्र. 3909) दि. 13.03.2015 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	बिरसिंगपुर पाली जिला उमरिया में बी.पी.एल. कार्ड का अनुचित लाभ लेने के संबंध में जांच एवं आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।	प्रकरण विवेचनाधीन है।	थाना पाली जिला उमरिया में सूचनाकर्ता भागीरथ त्रिपाठी आत्मज रामकरण त्रिपाठी उम्र 57 वर्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाली निवासी नगर परिषद पाली की सूचना पर दिनांक 12.06.2014 को थाना पाली में आरोपी राजकुमार उपाध्याय निवासी उपाध्याय मोहल्ला पाली के विरूद्ध 158/14 धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 08.06.2015 को गिरफ्तार कर चालान क्रमांक 146/15 दिनांक 08.06.2015 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसका मु.न.369/15 दिनांक 17.06.2015 पर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/87/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
244.	**366**	परि.ता.प्र.सं. 143 (क्र. 4077) दि. 13.03.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	थाना कोलगंवा में दर्ज प्रकरण क्रमांक 466 के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जावे।	आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु निरंतर सतत् प्रयास किया जा रहा है।	प्रकरण में आरोपी गुरप्रीत सिंह पिता कुलवत सिंह एवं सिद्धांत पिता सुनील कुमार सचदेवा दिनांक 23.06.2015 को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी विक्की उर्फ विवेक पिता कैलाश खेमका घटना दिनांक से फरार है। आरोपी के विरूद्ध धारा 82-83 जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई है। गिरफ्तारी के लिये सभी विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। यह पुलिस की निरंतर चलने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/90/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
245.	**367**	परि.ता.प्र.सं. 160 (क्र. 4267) दि. 13.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	महिदपुर जिला उज्जैन के निवासी श्री हसमुख लाल के प्रकरण में विवेचना कर कार्यवाही की जावे।	(1) प्रकरण में विवेचना जारी है। (2) विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।	थाना महिदपुर के अपराध क्रमांक 35/15 धारा 420 भा.द.वि. एवं 3/7 ईसी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वर्तमान में प्रकरण की विवेचना जारी है। यह पुलिस की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/92/2015/बी-1/दो, दिनांक 28.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
246.	**368**	परि.ता.प्र.सं. 164 (क्र. 4437) दि. 13.03.2015 (श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया))	कामधेनू गृह निर्माण सहकारी संस्था की मुख्य आरोपी श्रीमती ज्योति शुक्ला के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाही की जाना।	विवेचना में साक्ष्य संकलन किये जा रहे हैं। साक्ष्य प्राप्त होने पर विधि एवं अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	विवेचना के दौरान मूल दस्तावेज कोलोनाईजर लायसेंस कालोनी विकास अनुमति मूल अनुबंध दस्तावेज प्राप्त किये है। आरोपियान श्रीमती ज्योति शुक्ला व अनुबंध के गवाहरण के संबंध में उप संचालक अभियोजन से राय ली गई, जिन्होने लेख किया है कि आवेदन पत्र में वर्णित हस्ताक्षरों की जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराया जाना उचित होगा तभी उचित विधिक राय दी जा सकेगी। मामले में आरोपी व्ही.के.पाण्डे के नमूना हस्ताक्षर लिया जाना शेष है। जिनकी तलाश कर नमूना हस्ताक्षर विशेषज्ञ का भेजा जाना शेष है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/60/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
247.	**369**	अता.प्र.सं. 37 (क्र. 2821) दि. 13.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	जिला दमोह में जलाशय के निर्माण कार्यों में हुई आर्थिक अनियमितताओं के दस्तावेजों में की गई शिकायत पर दर्ज पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 745/11 में आरोपियों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किया जाना।	प्रकरण विवेचना में है, साक्ष्य प्राप्त होने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	थाना कोतवाली अप.क्र.745/11, धारा 420, 467, 468, 34 भा.द.वि. की विवेचना थाना कोतवाली प्रभारी श्री के.के.त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ज्ञान चंद जैन पिता अमर चंद जैन 56 साल निवासी एच.आई.जी. शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र., मेसर्स एस.के.जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर मीरा काम्प्लेक्स के एवं मनीश अग्रवाल पिता एस.के.अग्रवाल 47 साल सा.नियर बीटीआई पन्ना मेसर्स त्रिशूल कंस्ट्रक्शन पार्टनर के कथन लेख किये गये, जिन्होंने अपने कथन में पंचम नगर परियोजना के कार्यो को अनुबंध के नियमों के तहत निष्पादित करना एवं बयाने की राशि शासन द्वारा लौटा देना कथनों में बताया गया है। अपराध सदर में गठित की गई टीम के सदस्य निरीक्षक श्री आई.पी.तिवारी द्वारा दिनांक 22.01.2016 को विशाल कुम्हार, रज्जू कुम्हार, सल्लू कुम्हार, बिरजू अहिरवार, कुलजरी अहिरवार, जालम सिंह, जवाहर अहिरवार, ओमप्रकाश अहिरवार, गीता अहिरवार, रतन सिंह ठाकुर, पुन्नू सिंह एवं कनई रजक के कथन लेख कर प्रेषित किये गये है, जिन्हें डायरी में संलग्न किया गया है। पंकज कुमार ठेकेदार, प्रतिनिधि, 160, तालाबपुरा, उ.प्र. का निवास का स्पष्ट पता पंकज कुमार जैन पिता श्री ज्ञान चंद जैन उम्र 35 साल निवासी 160, तालाबपुरा ललितपुर, उ.प्र. है। विवेचना जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/54/2015/बी-1/दो, दिनांक 11.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
248.	**370**	अता.प्र.सं. 53 (क्र. 3150) दि. 13.03.2015 (श्री तरूण भनोत)	जिला कटनी के थाना कुठला में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 428/14 में आरोपियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाही की जाना।	(1) प्रकरण विवेचना में है । विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। (2) आरोपी की विभागीय जॉच की जा रही है।	जिला कटनी के थाना कुठला में पंजीबद्ध अपराध क्र. 428/14 धारा 409 ता.हि. में आरोपी उप यंत्री मोहनलाल सोनी पिता स्व.श्री रामदुलारे सोनी उम्र 58 साल, नि.पन्ना मोड कुठला को दिनांक 18.03.2015 को गिरफ्तार किया जाकर मामले में विवेचना पूर्ण कर अभियोजन पत्र क्रमांक 97/15 दिनांक 04.04.2015 को तैयार किया गया है, जो शीघ्र स्क्रूटनी पूर्ति कर न्यायालय पेश किया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/83/2015/बी-1/दो, दि.29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
249.	**487**	परि.ता.प्र.सं. 24 (क्र. 3556) दि. 20.03.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले में 1984 के सिक्ख दंगा पीड़ितों को मान. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र.डब्ल्यू.पी.नं./2134/2001 में पारित आदेशानुसार आर्थिक सहायता 40% बढ़ाकर ब्याज सहित दिया जाना।	निराकरण हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।	जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी के पत्र दिनांक 13.12.2013 द्वारा जिले के लंबित 40 दंगा पीड़ितों के प्रकरणों में से 29 प्रकरणों में पात्रता न होने से प्रकरण निरस्त किये जाने का उल्लेख करते हुये पात्र 11 दंगा पीड़ितों के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में आर्थिक सहायता राशि रूपये 1595047/- की मांग की गई थी। जिसके तहत विभागीय आदेश दिनांक 27.01.2014 द्वारा कुल 11 पात्र दंगा पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी को उक्त राशि का आवंटन कर दिया गया है। पुन: कलेक्टर, शिवपुरी के पत्र क्रमांक 69/रा.ले./2015, दिनांक 03.01.2015 द्वारा श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरपाल सिंह को राशि का भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ था । जिला स्तरीय समिति ने वर्ष 1984 के नुकसान का आंकलन लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद वर्ष 2015 में किस आधार पर किया है, इसकी जानकारी जिले से प्राप्त की जाकर परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी । भारत सरकार द्वारा अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 34-11/2015/दो-सी-1, दि. 04.07.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
250.	**488**	परि.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 4819) दि. 20.03.2015 (श्रीमती इमरती देवी)	1. पी.एम.टी. 2006, 2007 एवं पी.जी. 2008 की परीक्षणा में हुई अनियमितता के संबंध में एस.टी.एफ. को प्राप्त सूचना/आवेदन/शिकायती पत्रों में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर जांच कराई जाना । 2. एस.टी.एफ. द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा घोटाले में गिरफ्तार के आरोपियों की कॉल डिटेल की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	(1) तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर जॉच की जा रही है एवं जॉच पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । (2) कॉल डिटेल के आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।	1-(अ) श्री पारस सकलेचा द्वारा प्रेषित प्रथम आवेदन पीएमटी परीक्षा वर्ष 2012 के संबंध में है । इस परीक्षा के संबंध में एस.टी.एफ. में पूर्व में अपराध क्रमांक 12/13 पंजीबद्ध होकर विवेचना में है, जिसमें दलाल, मध्यस्थ, स्कोरर, अभ्याथियों सहित कुल 420 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं विवेचना जारी है । (ब) द्वितीय गुमनाम व्यक्ति के द्वारा प्रेषित आवेदन में उल्लेखित आरोपों के संबंध में शिकायत के तथ्यों का परीक्षण जॉब में किया जा रहा है । जांच में उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । 2- पीएमटी घोटाले में गिरफ्तार व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों की कॉल डिटेल का उपयोग विवेचनाधीन अपराधों में पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया जा रहा है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/108/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं ।
251.	**489**	परि.ता.प्र.सं. 89 (क्र. 4891) दि. 20.03.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मान. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा श्रीमती कल्पना पति विनय जैन निवासी गंजबासोदा (विदिशा) के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट की पुलिस द्वारा तामीली न कराने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जॉच आदेशित की गई है जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है । (2) वारंट गुमने संबंधी प्रकरण में विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।	वारंट गुमने के संबंध में एसडीओपी बासौदा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । एसडीओपी द्वारा जानकारी दी गई है कि वारंट पंजी संधारण करने वाले तत्कालीन प्र.आर.558 सुमेर सिंह दांगी का स्वर्गवास दिनांक 27.12.2013 को हो गया है तथा तत्कालीन उप निरीक्षक श्री एम.पी.निरंजन का स्वर्गवास दिनांक 15.05.2015 को हो गया है, जिन्हें वारंट तामीली हेतु दिये जाने का उल्लेख रजिस्टर में है, दोनों का स्वर्गवास हो चुका है । गुम हुये वारंट संबंधित न्यायालय से दिनांक 06.07.2015 को पुन: प्राप्त कर लिये गये है, जिन्हें शीघ्र तामिल कराया जावेगा । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/109/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
252.	**490**	परि.ता.प्र.सं. 111 (क्र. 5138) दि. 20.03.2015 (श्री के.डी. देशमुख)	बालाघाट जिले के पुलिस थाना कटंगी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी के विरूद्ध दिनांक 06.01.2015 को की गई लिखित रिपोर्ट में विधि सम्मत कार्यवाही की जाना ।	रिपोर्ट की जॉच प्रक्रियाधीन है।	आवेदक दिनेश मिश्रा द्वारा दी गई शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस कटंगी एवं स.उ.नि.कैलाश उईके, थाना कटंगी से कराई गई । जांच के उपरांत आवेदक दिनेश मिश्रा, ईश्वर दयाल पटेल, संजय खोबागढ़े, बाबाजी बुरकर, रामप्रसाद रहांगडाले, प्रदीप डोंगरे, इमतरचन्द्र, रहोगडाले, गोपीचंद मुर्खे, सूर्यकान्त जैन, अतुल जैन, सुबोध नेमा, नीरज धुर्वे, धमेन्द्र चौरीवार, प्रमोद कांवरे, ममता गौरकर, भेमाजी डहरवाल, ठानीराम चकोले, भुनेश चौधरी, सरोज परिहार, मेहताब सिंह गुर्जर (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) से पूछताछ कथन लेख किये गये। अवलोकन पर पाया गया कि श्री मेहताब सिंह गुर्जर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कटंगी द्वारा न्यायालय द्वारा आवेदक दिनेश मिश्रा के दस्तावेज फर्जी है, कहकर दस्तावेज लेनेसे मना करने पर आवेदक द्वारा न्यायालय में जोर-जोर से हल्ला कर अन्य सहयोगी अधिवक्ताओं को बुलाकर मेहताब सिंह गुर्जर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कटंगी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया जिस पर तहसीलदार सरोज परिहार द्वारा अधिवक्ताओं को न्यायालय की मर्यादा में रहकर बात करने को कहा गया था। मेहताब सिंह गुर्जर(अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) व सुरक्षा गार्ड तथा तहसील सरोज परिहार द्वारा अधिवक्ताओं को न्यायालय से बाहर जाने कहा गया था, अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व श्री मेहताब सिंह आवेदक अधिवक्ता दिनेश मिश्रा को गाली गलौच कर धमकी देना नहीं पाया गया, आवेदक द्वारा अनावेदक मेहताब सिंह पर दबाव बनाने के आशय से शिकायत बढ़ा चढ़ाकर देना पाया गया । शिकायत पत्र की जांच पर संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/116/2015/बी-1/दो, दि.12.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
253.	**491**	परि.ता.प्र.सं. 132 (क्र. 5340) दि. 20.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना))	रीवा जिला अंतर्गत थाना मऊगंज में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 75/13 के आरोपियों की गिरफ्तारी की जाना।	अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु विधि अनुरूप विवेचना में सभी प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रकरण वर्तमान में विवेचना में है।	थाना मउगंज में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 75/13 धारा 452, 302 भादवि के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। यह एक पुलिस की निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/114/2015/बी-1/दो, दिनांक 28.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
254.	**492**	अता.प्र.सं. 49 (क्र. 4313) दि. 20.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	थाना रेहटी जिला सीहोर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 24/15 एवं थाना मिसरोद जिला भोपाल में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 35/15 की विवेचना में लापरवाही बरतने की जांच एवं दोषी पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	इस संबंध में जॉच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भोपाल के द्वारा की जा रही है।	थाना रेहटी के अप.क्र.24/15, धारा 302, 201 भादवि में इजाफा कर धारा 376, 10-बी, 34 एवं पास्को एक्ट 2012 की धारा 4,6 में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में चालान क्रमांक 56/15 दिनांक 24.04.2015 कता किया जाकर आर.टी.न. 52/15 पेश किया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/111/2015/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
255.	**493**	अता.प्र.सं. 50 (क्र. 4316) दि. 20.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	भोपाल शहर के शिवाजी नगर स्थित शासकीय आवास गृह क्रमांक H-114/25 पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने पर आवास रिक्त कराने हेतु म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जाना।	प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही प्रचलित है।	म.प्र.लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत प्रकरण क्र.101/15 दर्ज किया गया है। नियमानुसार आवास रिक्त कराये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 15-03/2015/दो-ए(3), दिनांक 17.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
256.	**494**	अता.प्र.सं. 103 (क्र. 5189) दि. 20.03.2015 (श्री रामनिवास रावत)	व्यापम फर्जीवाड़े के संबंध में शिकायतकर्ता ग्वालियर के श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा एस.टी.एफ. एवं एस.आई.टी. को की गई लिखित शिकायतों में उल्लेखित तथ्यों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) एस.टी.एफ. व जिला एस.आई.टी. द्वारा जॉच की जा रही है। 04 शिकयतें जॉच में लंबित है। पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। (2) अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।	**1-** एस.टी.एफ. व जिला एस.आई.टी. द्वारा शिकायतकर्ता श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा व्यापम के संबंध में प्रेषित 04 शिकायतों में से 03 शिकायतों के संबंध में पूर्व से पी.एम.टी. वर्ष 2010 के संदिग्ध छात्रों के विरूद्ध थाना झांसी रोड, ग्वालियर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 489/13 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी ता.हि. एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम का प्रकरण कायम होकर विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक, मुरार द्वारा की जा रही है। शिकायत आवेदन विवेचना में सम्मिलित किये गये। 01 शिकायत पत्र की जांच एस.आई.टी. भोपाल द्वारा की जा रही है। **2-** आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रेषित अन्य 05 शिकायतों में से 01 शिकायत पी.एम.टी. 2009 से संबंधित है। इस परीक्षा के संबंध में थाना झांसी रोड, ग्वालियर पर अपराध क्रमांक 138/13, धारा 419, 420, 467, 468, 120 बी भादवि का अपराध पूर्व में पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में अभी तक की विवेचना पर 151 आरोपियों के नाम ज्ञात हुए है, जिन आरोपियों के नाम ज्ञात हुए है, उनमें 37 छात्र 18 सॉल्वर, 29 अभिभावक एवं 67 रेकेटियर आरोपी है। उक्त आरोपियों में से 32 छात्र, 14 सॉल्वर, 18 अभिभावक एवं 50 रेकेटियर कुल 114 आरोपी गिरफ्तार हो चुके है। वर्तमान में 37 आरोपियों में से 05 छात्र, 04 सॉल्वर, 11 अभिभावक, 17 रेकेटियर है। आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रेषित शिकायत आवेदन को विवेचना में सम्मिलित किया गया है। (2) अपराध क्रमांक 183/14, धारा 420, 120बी इजाफा 467, 468, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में अभी तक आरोपी राहुल यादव पुत्र कप्तान सिंह यादव निवासी बाजू मोहल्ला, भिण्ड के विरूद्ध मा.न्यायालय में चालान पेश किाय जाचुका है। आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रेषित शिकायत आवेदन को विवेचना में सम्मिलित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(3) अपराध क्र. 271/14, धारा 419, 420, 467, 468, 120बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में आरोपी सत्य प्रकाश बघेल, परमानन्द वाधवा, शैलेन्द्र सिंह जाधोन को गिरफ्तार कर प्रकरण में चालान क्रमांक 253/14, दिनांक 02.10.2014 को कता कर मा.न्यायालय में पेश किया गया है । प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत अन्य संदेहियों की तलाश हेतु विवेचना जारी है। आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रेषित शिकायत आवेदन को विवेचना में सम्मिलित किया गया है। (4) अपराध 285/14, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में अभी तक 21 गिरफ्तारियां हो चुकी है एवं 11 आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष है। प्रकरण में नामजद अभियुक्तगण सुधीर भदौरिया, पंकज त्रिवेदी, डॉ.रश्मि सिंह परिहार, डॉ.बी.आर.श्रीवास्तव के संबंध में अनुसंधान जारी है । आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रेषित शिकायत आवेदन को विवेचना में सम्मिलित किाय गया है। (5) अपराध 314/14, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में अभी तक आरोपी दीपक यादव एवं मिडिल मेन आरोपी संतोष चौरसिया की गिरफ्तारी की गई है । 90 दिन पूर्ण होने से चालान मा.न्यायालय में पेश किया गया है, अभियुक्त अभिभावक कप्तान सिंह, साल्वर सुरेन्द्र वर्मा की तलाश जारी है। प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत विवेचना जारी है । आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रेषित शिकायत आवेदन को विवेचना में सम्मिलित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/101/2015/बी-1/दो, दिनांक 02.09.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
257.	**495**	अता.प्र.सं. 107 (क्र. 5233) दि. 20.03.2015 (श्री अमर सिंह यादव)	मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के पारित निर्णयानुसार प्रदेश के नगर सैनिकों को आरक्षक के समान वेतनमान व अन्य सुविधा दी जाना।	प्रकरण परीक्षणाधीन।	मा.उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में होमगार्ड जवानों को पुलिस आरक्षक के न्यूनतम वेतन(रूपये 5200+1900=7100/-) की राशि भुगतान करने के निर्देश है, जबकि होमगार्ड जवानों को पुलिस आरक्षक के न्यूनतम वेतन से अधिक रूपये 10,890/- भुगतान किया जा रहा है एवं दिनांक 01.12.2011 से 05.02.2013 तक की अवधि के अंतर की राशि का एरियर्स भी भुगतान किया गया है । इसी तरह म.प्र.शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2(अ)116/बी-4/दो, दिनांक 06 फरवरी 2013 द्वारा होमगार्ड जवानों के अन्य सुविधाओं के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। होमगार्ड जवानों के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 21.01.2015 में दिए गए दिशा-निर्देश अनुसार होमगार्ड नियम/विनियम बनाने हेतु म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 19-38/2015/1/4, दिनांक 08.05.2015 द्वारा कमेटी गठित की गई है, जिसमें लिए गए निर्णय एवं शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3835/4140/2015/बी-4/दो, दिनांक 26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
258.	129	ता.प्र.सं.06 (क्र.1759) दि.25.02.2015 (कुंवर विक्रम सिंह)	छरतपुर जिले के राजनगर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम रैपुरा चनाटी मौटा चौकन के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित कराते हुये भू-अधिकार पत्र प्रदाय किया जाना।	(1) वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तन हेतु डि-नोटिफिकेशन की कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
259.	130	अता.प्र.सं.01 (क्र.67) दि.25.02.2015 (श्री मुकेश नायक)	वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वनवासियों को लघु वनोपजों के दोहन का अधिकार प्रदान किया जाना।	प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
260.	131	अता.प्र.सं.02 (क्र.76) दि.25.02.2015 (श्री मुकेश नायक)	वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सामुदायिक निस्तार के वन अधिकार हितग्राहियों को प्रदान किया जाना।	परिभाषितनिस्तार के अधिकारों की मान्यता अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
261.	271	ता.प्र.सं. 23 (क्र. 2140) दि. 04.03.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	जिला बालाघाट में वर्ष 2009-10 में स्वीकृत विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास गृह में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जॉच आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा की जा रही है। जॉच उपरांत दायित्व निर्धारित किया जावेगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
262.	272	परि.ता.प्र.सं. 34 (क्र. 1931) दि. 04.03.2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिले में उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधान पाठक से राज्य स्तरीय वरिष्ठता व्याख्याता के पद पर पदोन्नति किया जाना।	राज्यस्तरीय वरिष्ठता में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
263.	**273**	परि.ता.प्र.सं. 69 (क्र. 2436) दि. 04.03.2015 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	सिवनी जिले में परियोजना अंतर्गत गुणवत्ता विहीन विद्युत पंप आदिवासियों को प्रदाय करने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	जी हाँ, पंप की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु कलेक्टर को लिखा गया है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
264.	**274**	परि.ता.प्र.सं. 50 (क्र. 2131) दि. 04.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले में छात्रावासों के लिए क्रय की गई सामग्री के रख-रखाव एवं वितरण में की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जॉच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
265.	**275**	परि.ता.प्र.सं. 51 (क्र. 2132) दि. 04.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	सागर जिले में छात्रावासों के लिये सामग्री क्रय करने में अनियमितता संबंधी जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
266.	**410**	परि.ता.प्र.सं. 17 (क्र. 1498) दि. 17.03.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	प्रदेश के वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलित है। (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
267.	**411**	परि.ता.प्र.सं. 29 (क्र. 2182) दि. 17.03.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिला अंतर्गत कंवर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र दिया जाना।	जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
268.	**412**	परि.ता.प्र.सं. 46 (क्र. 2758) दि. 17.03.2015 (श्री शान्तिलाल बिलवाल)	झाबुआ जिले के छात्रावास-आश्रमों में क्रय की गई सामग्री की जांच एवं भौतिक सत्यापन किया जाना।	(1) नवीन क्रय निर्देशानुसार सामग्री क्रय/सत्यापन की प्रक्रिया की कार्यवाही प्रचलित है। (2) सामग्री के क्रय एवं भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
269.	**413**	परि.ता.प्र.सं. 72 (क्र. 3243) दि. 17.03.2015 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	मध्यप्रदेश ट्राबल वेल्फेयर रेसिडेंसियल आश्रम एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी भोपाल द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 03 वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षकों को नियमित किया जाना।	(1) नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया परीक्षणाधीन है। (2) जी हां । प्रक्रिया परीक्षणाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
270.	**414**	परि.ता.प्र.सं. 147 (क्र. 4413) दि. 17.03.2015 (श्री जतन उईके)	सौंसर आदिवासी परियोजना में अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति की जाना।	मनोनयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
271.	**15**	ध्यानाकर्षण सूचना क्र.23 (डॉ.गोविन्द सिंह एवं श्री आरिफ अकील)	(1) प्रदेश में यूरिया खाद वितरण सहकारी समितियों से कराया जाना। (2) रायसेन जिले के सलामतपुर सोसायटी द्वारा जो कृषकों डिफाल्टर नहीं है उनसे पैसे लेकर खाद्य दिये जाने की जांच कराई जाना। (3) फसल उपार्जन पर बोनस दिया जाना।	(1) आगे जाकर और कुछ भी जो ज्यादा युक्तियुक्तकरण होगा, जो आवश्यक होगा, वह करेंगे। (2) जी एस सोसायटी की जांच करा लेंगे। (3) बोनस देंगे, आप चिंता मत करो, किसी न किसी रूप में बोनस मिलेगा।	म.प्र.शासन के आदेश क्र. बी-9-1/14/14-2, दि.14.09.2015 द्वारा सहकारी समितियों में 80 प्रतिशत यूरिया वितरण करने हेतु आदेशित किया गया। जांच की कार्यवाही सहकारिता विभाग में प्रचलित है। फसल उपार्जन पर वर्तमान में बोनस प्रदान नहीं किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10/51/2015/14-2, दि.22.06.2016	जांच कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषी दण्डित हो, इस अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
272.	**16**	ता.प्र.सं.25 (क्र.311) दि. 19.02.2015 (श्री संजय पाठक)	(1) उप संचालक एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। (2) जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	(1) जी हां, संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव दिनांक 11.02.15 को प्राप्त हुआ। परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (2) जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
273.	**17**	अता.प्र.सं.24 (क्र.316) दि.19.02.2015 (श्री संजय पाठक)	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कटनी द्वारा नियम विरूद्ध दण्ड राशि की वसूली की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
274.	**18**	अता.प्र.सं.39 (क्र. 489) दि.19.02.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, दतिया द्वारा कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों पर पालन न किये जाने की जांच कराई जाकर कार्यवाही किया जाना।	श्री डी.आर.राजपूत, तत्कालीन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के विरूद्ध विभागीय आदेश क्रमांक एफ-4ए-67/2014/14-1, दिनांक 06.02.2015 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गयी हे।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
275.	**38**	ध्यानाकर्षण सूचना क्र.64 (डॉ.कैलाश जाटव)	नरसिंहपुर जिले में गन्ना उत्पादक कृषकों की समस्याओं की जांच मा.सदस्य की उपस्थिति में भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर कराते हुये समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाना।	(1) इसमें कहीं कोई कमी है तो हम ऊर्जा मंत्री जी से चर्चा करके वहां पर अनवरत रूप से बिजली प्रदाय करने की व्यवस्था करेंगें। (2) मैं अपना एक अधिकारी भोपाल से भेजकर दिखवाऊंगा कि वहां पर किसानों के लिये विश्राम/छाया और पीने के पानी की जो मूलभूत आवश्यकताएं है वह है या नहीं? अगर व्यवस्थाएं नहीं होगी तो उसकी व्यवस्था करवाऊंगा। (3) दिन में तुलाई हो जाए और यदि नहीं होती है तो जो गन्ना की फैक्ट्री है उसके विरूद्ध हम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। (4) हम मा.विधायक जी को रख लेंगे और विधायक जी को सूचित कर देंगे।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
276.	**135**	ता.प्र.सं.07 (क्र.621) दि.26.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया)	(1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2013 मौसम हेतु गुना जिले के पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाना। (2) खरीफ 2013 मौसम हेतु गुना जिले के 544 कृषकों के राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बीमा दावों की शीघ्र स्क्रूटनी(जांच) कराकर पात्रता अनुसार बीमा राशि का भुगतान कराया जाना।	(1) क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भारत सरकार से अंशदान प्राप्त कर राज्य शासन का अंशदान शामिल कर भुगतान तदुपरान्त किया जावेगा। (2) स्क्रूटनी कार्य प्रगति पर है।	1. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2013 मौसम हेतु गुना जिले के पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नोडल बैंकों के द्वारा भेजे गये घोषणा पत्र के आधार पर किया गया है। जिनकी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई गई थी। 2. अतिरिक्त दावों हेतु बैंक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे, उसकी अद्यतन स्थिति यह है कि अभी भी दस्तावेजों की जांच प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10-63/2014/14-2, दिनांक 23.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
277.	**136**	ता.प्र.सं.09 (क्र.1904) दि.26.02.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	(1) सतना जिले की विभिन्न मण्डियों के मण्डी सचिवों एवं मण्डी निरीक्षकों के विरूद्ध अनियमितता एवं कदाचरण संबंधी शिकायतों की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना। (2) सतना जिले की विभिन्न मण्डियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की लंबित जांचें शीघ्र पूर्ण कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	(1) शिकायत के कुल 09 प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 05 शिकायतों पर परीक्षण उपरांत विभागीय जांच संस्थित की गई। 01 प्रकरण में श्री अरविन्द ताम्रकार सचिव को पत्र क्रमांक 3138 दिनांक 26.03.2015 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। 01 प्रकरण में श्री आर.बी.सिंह मण्डी निरीक्षक सतना से किराया राशि रूपये 153700/- के विरूद्ध 65015/- की वसूली हो चुकी है। शेष राशि प्रतिमाह 3,000/- रूपये की दर कटोत्रा की जा रही है। मण्डी समिति मैहर एवं सतना का शिकायती प्रकरण जांच उपरांत प्रमाणित नहीं पाये जाने से नस्तीबद्ध किया गया है। (2) शिकायतों के कुल 24 प्रकरणें में से परीक्षण उपरांत 15 शिकायती प्रकरण नस्ती बद्ध किये गये है। 05 प्रकरणों में श्रीमती मोनिका बिल्लोरे सचिव के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। शेष 04 प्रकरणों में पृथक-पृथक कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
278.	**137**	ता.प्र.सं.25 (क्र.876) दि.26.02.2015 (श्रीमती ममता मीना)	कृषि उपज मण्डी समिति गुना के तत्कालीन सचिव के विरूद्ध अनियमितता संबंधी प्रकरण की शीघ्र जांच कराई जाकर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	श्री आर.आर.पचौरी, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मंडी समिति गुना के विरूद्ध प्रश्नाधीन प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है। इस जांच के पूर्ण होने पर प्रकरण की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी।	श्री आर.आर.पचौरी, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मंडी समिति गुना को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दि.14.09.2015 को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया। श्री पचौरी से प्राप्त उत्तर दि.05.12.2015 संतोषजनक न होने के कारण दि.11.02.2016 से उनके विरूद्ध मंडी बोर्ड द्वारा विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके पालन में विभाग को दि.16.05.2016 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराये गये। श्री पचौरी के कार्यकाल में अनियमित रूप से जारी किये गये 22 अनुज्ञप्तियों में से 13 अनुज्ञप्ति हो अनियमित होने के कारण निरस्त किया गया तथा शेष 09 अनुज्ञप्ति उपयुक्त पाये जाने से यथावत रखी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-1269/1628/16/14-3, दि. 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
279.	**138**	परि.ता.प्र.सं.03 (क्र.120) दि.26.02.2015 (श्री मोती कश्यप)	कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी के अधीन दाल मिलों द्वारा की गई अनियमितताओं में सह-भागी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा दोषी दाल मिलों के विरूद्ध मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी नियम 1972 एवं उप विधि सन् 2000 के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही किया जाना।	(1) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (3) जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	(1) उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया: दोषी पाये गये अधिकारी श्री एम.पी.पाल तत्कालीन निलंबित सचिव एवं श्री यू.के.मुदगल सेवानिवृत्त तत्कालीन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति कटनी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25.11.2014 से जारी किया गये है। (2) श्री एम.पी.पाल एवं श्री यू.के.मुदगल तत्कालीन मण्डी सचिव कटनी के उत्तर दिनांक 23.02.2015 एवं 16.03.2015 द्वारा प्राप्त हुये है। प्राप्त उत्तर का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी सेवा के 03 कर्मचारियों को श्री पी.डी.पाठक, सहायक लेखापाल श्री मुकेश राय सहायक ग्रेड-3 श्री आर.पी.खम्पारिया सहायक ग्रेड-3 मंडी समिति, सेवा के कर्मचारी होने से कार्यवाही मण्डी समिति, कटनी स्तर से कार्यवाही प्रचलित है। (3) कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा 09 दाल मिलों को मंडी फीस वसूली हेतु कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किये गये है। कार्यवाही मंडी समिति कटनी स्तर से प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
280.	**139**	परि.ता.प्र.सं.06 (क्र.306) दि.26.02.2015 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर जिले की कृषि उपज मण्डी मोहन बड़ोदिया के विभिन्न अधूरे निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराकर मण्डी समिति स्थानान्तरित किया जाना।	प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यो को कराने की कार्यवाही मंडी बोर्ड द्वारा की जा रही है।	शाजापुर जिले की कृषि उपज मण्डी मोहन बडोदिया में कार्यालय भवन, ट्रालीशेड, कव्हर्ड शेड, बाउण्ड्रीवाल, चेकपोस्ट, शौचालय, आंतरिक विद्युत व्यवस्था एवं जल व्यवस्था की सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। मार्च 2015 से मण्डी प्रांगण में क्रय विक्रय प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रांगण में 500 मे.टन गोदाम निर्माणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2001/1835/2015/14-3, दिनांक 07.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
281.	**140**	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र.497) दि.26.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषि यंत्रों के वितरण में हुई अनियमितता की जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) कलेक्टर द्वारा जांच प्रतिवेदन पर दिये गये निर्णय अनुसार दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी। (2) जांच प्रतिवेदन पर दिये गये निर्णय अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
282.	**141**	परि.ता.प्र.सं.27 (क्र.831) दि.26.02.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	कृषि सेवा के उन्नयन हेतु "राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स" योजना अंतर्गत मानव सेवा प्रदायकर्ता एजेन्सी के चयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निविदा की कार्यवाही पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश होने से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10-40/2015/14-2, दिनांक 23.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
283.	**142**	अता.प्र.सं.73 (क्र.1671) दि.26.02.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अन्नपूर्णा तथा सूरजधारा योजनान्तर्गत कृषकों को बीजों के वितरण में हुई अनियमितताओं की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) योजनान्तर्गत प्रदाय बीज की पुष्टि हेतु जांच कराई जावेगी। (2) प्रकरण में संयुक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर से जांच कराई जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
284.	**305**	परि.ता.प्र.सं. 36 (क्र. 1692) दि. 11.03.2015 (श्री सचिन यादव)	खरगौन जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पंजीकृत कृषकों को अनुदान का भुगतान यथाशीघ्र किया जाना।	चालू वित्तीय वर्ष में पंजीकृत कृषकों को अनुदान का भुगतान उनकी पात्रता के आधार पर नियमानुसार किया जावेगा।	उप संचालक कृषि खरगौन से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 तक पंजीकृत कृषकों में से उनकी पात्रता के आधार पर नियमानुसार शतप्रतिशत कृषकों को अनुदान भुगतान कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
285.	**306**	परि.ता.प्र.सं. 44 (क्र. 1857) दि. 11.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	कृषि उपज मंडी समिति भाण्डेर, जिला दतिया भिण्ड एवं रन्नोद, जिला शिवपुरी में फर्जी अनुज्ञा पत्रों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	इसकी जॉच पूर्ण होने पर प्रकरणवार गुण-दोष के आधार पर नियम अंतर्गत निर्णय लिया जावेगा।	कृषि उपज मण्डी समिति भाण्डेर(जिला दतिया) कृषि उपज मण्डी समिति भिण्ड (जिला भिण्ड) कृषि उपज मण्डी समिति रन्नौद (जिला शिवपुरी) के नाम से फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी हुये है। इस गंभीर मामले में जिन अधिकारी/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये हैं। उनमें मण्डी बोर्ड द्वारा श्री करम सिंह सरन प्रभारी सचिव को निलंबित किया गया है साथ ही श्री संजय शर्मा, सहायक उप निरीक्षक को भी निलंबित किया गया था। श्री शर्मा की मृत्यु हो जाने से प्रकरण समाप्त हो गया है। श्रीमती प्रवीणा चौधरी तत्कालीन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति खण्डवा, श्री राकेश गोस्वामी, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा, श्री गोपाल कुशवाह सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति भाण्डेर की विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया जाकर आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके है। श्री राजेश गोयल तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, देवास एवं श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह, तत्कालीन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, भिण्ड के विरूद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाकर आरोप पत्रादि जारी किये जा रहे है। आंचलिक संयुक्त/उप संचालकों द्वारा विशेष अभियान चलाकर फर्जी अनुज्ञा पत्र के मामले में मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संलिप्त व्यापारियों के विरूद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक एवं वैधानिक (एफ.आई.आर) कार्यवाही की गई/की जा रही है। साथ ही मण्डी समिति सेवा के कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने हेतु आंचलिक कार्यालयों को संबंधित मंडी सचिवों को निर्देशित करने हेतु लिखा गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच की आवश्यकता होने से सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 05.01.2015 से महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल को प्रकरण जांच हेतु सौंपा गया है। प्रकरण की जांच राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1826/1691/2015/14-3, दिनांक 23.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
286.	**307**	परि.ता.प्र.सं. 99 (क्र. 2911) दि. 11.03.2015 (श्रीमती नीना वर्मा)	धार जिले में वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि से रबी की फसल गेहूं एवं चने के नुकसान की क्षतिपूर्ति राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से किया जाना।	(1) क्षतिपूर्ति दावा गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। (2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2013-14 मौसम रबी क्षतिपूर्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है।	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2013-14 मौसम का केन्द्रांश व राज्यांश से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर दिनांक 27.03.2015 एवं 27.05.2015 तक पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10-80/2015/14-2, दिनांक 23.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
287.	**308**	परि.ता.प्र.सं. 104 (क्र. 3021) दि. 11.03.2015 (श्री बाला बच्चन)	मंडियों में फर्जी अनुज्ञा पत्रों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रक्रियाधीन है जिसके जांच निष्कर्ष के आधार पर नियम अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।	कृषि उपज मण्डी समिति भाण्डेर(जिला दतिया), कृषि उपज मण्डी समिति भिण्ड(जिला भिण्ड), कृषि उपज मण्डी समिति रन्नोद (जिला शिवपुरी) के नाम से फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी हुये है। इस गंभीर मामले में जिन अधिकारी/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए है, उनमें से मण्डी बोर्ड द्वारा श्री करम सिंह सरन प्रभारी सचिव को निलंबित किया गया था उनकी मृत्यु हो जाने से प्रकरण समाप्त हो गया है। श्रीमती प्रवीणा चौधरी तत्कालीन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति खण्डवा, श्री राकेश गोस्वामी, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति डबरा, श्री गोपाल कुशवाह सहायक उप निरीक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति भाण्डेर की विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया जाकर आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके है। श्री राजेश गोयल तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति देवास एवं री गजेन्द्र सिंह कुशवाह तक्कालीन सचिव कृषि उपज मण्डी समिति भिण्ड के विरूद्ध विभागीय जांच का निर्णय लिया जाकर आरोप पत्रादि जारी किये जा रहे है। आंचलिक संयुक्त/उप संचालकों द्वारा विशेष अभियान चलाकर फर्जी अनुज्ञापत्र के मामले में मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संलिप्त व्यापारियों के विरूद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक एवं वैधानिक (एफ.आई.आर) कार्यवाही की गई/की जा रही है। साथ ही मण्डी समिति सेवा के कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने हेतु आंचलिक कार्यालयों को संबंधित मण्डी सचिवों को निर्देशित करने हेतु लिखा गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच की आवश्यकता होने से सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 05.01.2015 से महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को प्रकरण जांच हेतु सौंपा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1810/1689/2015/14-3, दिनांक 23.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
288.	**309**	परि.ता.प्र.सं. 129 (क्र. 3365) दि. 11.03.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)	देवास जिले की सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उप मंडी पीपलरावा के प्रागंण में मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	उपमंडी पीपलरावा के प्रागंण में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उपमंडी पीपलरावा के प्रांगण में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ट्रालीशेड, कव्हर्ड शेड एवं ट्युब वेल निर्माण कार्य प्रारंभ किये जा चुके है तथा कार्यालय भवन, बाउंड्रीवाल, सीमेन्ट कांक्रीट के कार्य के द्वितीयवार निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1822/1723/2015/14-3, दिनांक 23.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
289.	**310**	परि.ता.प्र.सं. 130 (क्र. 3366) दि. 11.03.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)	देवास जिले की सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत बलराम तालाब स्थल पर निर्माण कराये बिना ही कागजी कार्यवाही पूर्ण कर राशि का आहरण करने वाले संबंधित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	निर्देशानुसार दोषी अधिकारी श्री त्रिलोकचंद्र छावनिया तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, देवास, श्री पदम सिंह यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, श्री बबलू शाक्य, कृषि विकास अधिकारी एवं श्री के.एस.चौहान, भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी, देवास के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जा चुकी है। कृषि उत्पादन आयुक्त के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन का कार्य कलेक्टर जिला देवास, द्वारा कराया जा रहा है। कलेक्टर जिला देवास द्वारा जिले के समस्त 06 विकासखण्डों के बलराम तालाबों की जांच हेतु 32 दलों का गठन किया गया था, 32 दलों में से 29 दलों के जांच प्रतिवेदन शासन को कलेक्टर देवास द्वारा प्रेषित किये गये है, उप संचालक कृषि देवास के पत्र क्रमांक 4534 दिनांक 28.05.2016 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखंडवार देवास से एक जांच दल एवं बागली से दो जांच दल कुल 03 दलों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन आना शेष है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10-36/15/14-3, दिनांक 22.06.2016	मामला गंभीर प्रकृति का है और अभी तक जांच कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है, यह अत्यन्त चिंताजनक स्थिति है। शासकीय धन राशि का नियम विरूद्ध उपयोग करना निश्चित रूप से धोखाधड़ी है। समिति अनुशंसा करती है कि इस संबंध में तत्काल विधि अनुरूप कार्रवाई पूर्ण की जाए तथा समिति को 03 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
290.	**311**	अता.प्र.सं. 64 (क्र. 2797) दि. 11.03.2015 (श्री कमलेश शाह)	छिन्दवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भू-संरक्षण विभाग के अपूर्ण कार्यो को निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना।	अपूर्ण संरचनाओं को कृषकों से सहमति प्राप्त कर पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।	कार्य स्थल पर कड़ी चट्टान लग जाने के कारण अपूर्ण कार्यो को कृषकों की सहमति से पंचनामा तैयार कर आगे कार्य न होने के कारण कार्यो को पूर्ण मानते हुये कार्यवाही की जा चुकी है। अत: अब कोई अपूर्ण कार्य शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
291.	**312**	अता.प्र.सं. 92 (क्र. 3339) दि. 11.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	कृषि उपज मंडी समिति पवई, जिला पन्ना में फर्म शारदा दाल मिल बिना लायसेन्स के संचालन किये जाने पर तत्कालीन मंडी सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	तत्कालीन मंडी सचिवों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।	श्री आदित्य नारायण खरे, तत्कालीन मण्डी सचिव को मण्डी बोर्ड के आदेश क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-1/118/पार्ट/1215-16, दिनांक 05.12.2014 से निलंबित किया जाकर पत्र दिनांक 23.02.2015 से आरोप पत्र जारी किये गये है। श्री लखनलाल पाण्डे, श्री हरिप्रताप सिंह, श्री भगवत पटेल तत्कालीन मण्डी सचिवों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने हेतु दिनांक 15.05.15 को आरोप पत्र जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
292.	**313**	अता.प्र.सं. 110 (क्र. 3840) दि. 11.03.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वर्ष 2010 या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुये प्राध्यापक/वैज्ञानिक को पुनरीक्षित छठवीं यू.जी.सी. पेंशन का लाभ दिया जाना।	(1) विश्वविद्यालय द्वारा शासन को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन है। अत: यह शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ही पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान बाबत कार्यवाही सुनिश्चित की जाना संभव होगा। (2) प्रस्ताव विचाराधीन है।	दिनांक 28-29/04/2015 को विभागीय आदेश क्रमांक बी-4/14/2013/14-2 से राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 11 दिनांक 03 मार्च 2015 को निर्णय लिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में विभागीय आदेश क्रमांक बी-35/87/14-2, दिनांक 09.11.1994 के अंतर्गत संचालित स्ववित्तीय पेंशन योजना के आदेश को संशोधित किया जाकर परिवर्तित स्वरूप में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना 01 अप्रैल 2014 से छठवें वेतनमान के अनुसार संचालित की जावे। उक्त निर्णय के पालन में निम्न शर्तो के अधीन पेंशन योजना संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है :- (1) पेंशन योजना के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पेंशन फंड के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निर्धारित ब्लॉक ग्रान्ट से भी राशि का उपयोग किया जा सकेगा। (2) वर्तमान में विश्वविद्यालय के पेंशन फंड में उपलब्ध राशि रू.35 करोड़ पर प्रतिवर्ष अर्जित ब्याज का उपयोग पेंशन भुगतान हेतु किया जावे। (3) विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों से नियोक्ता अंशदान के रूप में वर्तमान में प्राप्त की जा रही। 10 प्रतिशत राशि को बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप, मूल वेतन, ग्रेड-पे एवं डी.ए. के रूप में प्राप्त कुल राशि के 12 प्रतिशत के बराबर राशि दिनांक 01.04.2014 से तथा 18 प्रतिशत राशि दिनांक 01.04.2018 से प्राप्त की जावे। (4) दिनांक 01.04.2014 से विश्वविद्यालय के आंतरिक स्त्रोंतो की आय का 10 प्रतिशत, दिनांक 01.04.2016 से 20 प्रतिशत, दिनांक 01.04.2026 से 30 प्रतिशत एवं दिनांक 01.04.2036 से 35 प्रतिशत के बराबर	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					राशि का स्ववित्तीय पेंशन के भुगतान हेतु उपयोग किया जावे। (5) स्ववित्तीय पेंशन भुगतान हेतु आवश्यक राशि की गणना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कर विभागीय संक्षेपिका दिनांक 28.01.2015 के साथ शासन द्वारा प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जावेगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के भुगतान हेतु इस मद में राशि रू.19.66 करोड प्रदाय की जावेगी। (6) भविष्य में शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्वीकृत वेतनमान के आधार पर पेंशन निर्धारण के दिशा-निर्देश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में भी स्वयमेव प्रभावशील किये जावे। (7) राशि का उपयोग केवल स्ववित्तीय पेंशन के भुगतान हेतु किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इस राशि का उपयोग शासन की अनुमति के बिना अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावे। (8) पेंशन फंड के प्रबंधन हेतु प्रोफेशनल मैनेजर नियुक्त किया जावे। इस संबंध में पारदर्शी तरीके से एल.आई.सी., एस.बी.आई. जैसी मान्य संस्थाओं से नियमानुसार पेंशन संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जावे। (9) भविष्य में नवीन नियुक्तियां वित्त विभाग की सहमति के बिना नहीं की जावे। (10) पेंशन योजना एवं पेंशन की दरों में वित्त विभाग की सहमति के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन नहीं किया जावे। यह अनुमति वित्त विभाग की सहमति क्रमांक सीआर 1921/बी-4/वित्त-15, दिनांक 15.01.2015 के आधार पर जारी की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10/57/2015/14-2, दि. 29.06.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
293.	**442**	परि.ता.प्र.सं. 22 (क्र. 2255) दि. 18.03.2015 (श्रीमती इमरती देवी)	ग्वालियर जिले के डबरा एवं भितरवार विकासखण्ड में कृषि महोत्सव के दौरान मिट्टी के लिये गये नमूनों की जांच शीघ्र करायी जाना।	शेष नमूनों को प्रयोगशाला में भेजकर विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।	उक्त नमूनों को प्रयोगशाला में विश्लेषित किया जाकर कृषकों को स्वाईल हैल्थ कार्ड पत्रक वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक प्रदाय किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10127/15/14-2, दिनांक 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
294.	**443**	परि.ता.प्र.सं. 24 (क्र. 2289) दि. 18.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया)	कृषि मंडी गुना की पुरानी गल्ला मंडी के सिधिंया पार्क तथा कॉम्पलेक्स क्षेत्र एवं सब्जी मंडी क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना एवं सफाई कार्य करवाना।	अतिक्रमण प्रशासन के सहयोग से हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी। सफाई कराने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।	सचिव मंडी समिति गुना द्वारा कार्यालयीन पत्र द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुना एवं पुलिस अधीक्षक गुना को मंडी प्रागंण से अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र दिनांक 23.02.2015 दिनांक 18.03.2015, 31.03.2015 एवं 01.04.2015 द्वारा सहयोग की मांग की गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंडी समिति गुना में साफ सफाई का ठेका पुराने मंडी प्रागंण का राशि रू.15850/- एवं नवीन मंडी प्रागंण का रू.14900/- में गया था । वर्तमान में पुरानी मंडी का ठेका रू.49900/- दिनांक 01.05.2015 को किया गया है। वर्तमान में नियमित रूप से सफाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10-1245/16/14-3, दिनांक 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
295.	**444**	परि.ता.प्र.सं. 54 (क्र. 3389) दि. 18.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	कृषि उपज मंडी समिति कटनी के सचिवों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) सचिवों के विरूद्ध विभागीय जॉच करने का निर्णय लिया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। (2) विभागीय जॉच करने का निर्णय लिया गया है।	श्री आदित्य नारायण खरे, तत्कालीन सचिव, मंडी को दिनांक 05.12.2014 को निलंबित किया जाकर दिनांक 23.02.2015 से आरोप पत्र जारी किये गये है। श्री हरीराम लारिया, आई.एस.बघेल, ए.के.दुबे, एम.पी.पाल, यू.के.मुदगल, सनद कुमार द्विवेदी, एन.पी.पाल, सेवापृथक तत्कालीन सचिवों, कृषि उपज मंडी कटनी की विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया जाकर आरोप पत्र जारी किये जा चुके है। श्री सुभाष तिवारी, तत्कालीन प्रभारी सचिव मंडी कटनी को 04 दिवस की अल्पअवधि होनेसे आदेश दिनांक 01.06.2015 से भविष्य में प्रागंण में नियमन को प्रभावी रूप से प्रभावी करने के लिये अधिक सजकता से कार्य करने के लिये सचेत करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया। मंडी समिति कटनी को 02 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सचिव मंडी कटनी को दिनांक 04.10.2014 से निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10-1265/16/14-3, दिनांक 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
296.	**445**	परि.ता.प्र.सं. 55 (क्र. 3390) दि. 18.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला कटनी के जाति प्रमाण पत्र की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	जॉच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
297.	**446**	परि.ता.प्र.सं. 62 (क्र. 3526) दि. 18.03.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	राज्य में कृषि नीति शीघ्र बनाये जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
298.	**447**	परि.ता.प्र.सं. 67 (क्र. 3663) दि. 18.03.2015 (श्री अशोक रोहाणी)	जबलपुर जिले में किसानों के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना।	159 देयक लंबित हैं। भुगतान की कार्यवाही जारी है।	पूर्व में उक्त प्रश्नांश के उत्तर में लंबित 159 कृषकों का टॉप-अप अनुदान शेष दर्शाया गया था। दिनांक 20.03.2015 द्वारा 127 कृषकों तथा दिनांक 30.03.2015 द्वारा 32 कृषकों इस प्रकार कुल 159 कृषकों के टॉप-अप अनुदान का भुगतान संबंधित संस्था के माध्यम से कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10-82/2015/14-3, दिनांक 23.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
299.	**448**	परि.ता.प्र.सं. 72 (क्र. 3725) दि. 18.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत रबी 2013-14 एवं खरीफ 2014 में फसलों के हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित किसानों को दिया जाना।	रबी 2013-14 एवं खरीफ 2014 की क्षतिपूर्ति का गणना कार्य प्रक्रियाधीन है।	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2013-14 में क्षतिपूर्ति की राशि रू.373,75, 95, 487 का भुगतान 5,39,912 कृषकों को किया जा चुका है। रा.कृ.बीमा योजना अंतर्गत खरीब 2014 मौसम में क्षतिपूर्ति की आंकलित राशि 515.72 करोड के विरूद्ध 513.57 करोड का 4,25,136 कृषकों को पूर्व में भुगतान किया जा चुका था। क्षतिपूर्ति की शेष राशि 2.14 करोड का भुगतान दिनांक 13.10.2015 से 30.10.2015 के दौरान विभिन्न तिथियों में पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10/118/2015/14-2, दिनांक 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
300.	**449**	परि.ता.प्र.सं. 88 (क्र. 4080) दि. 18.03.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अंतर्गत सचिव संवर्ग की पदोन्नति की जाना।	(1) कार्यरत सेवकों की पदोन्नतियों की कार्यवाही चरणबद्ध क्रम में (उच्च पद से निचले पद तक के लिये) प्रकियाधीन है। (2) चरणबद्ध क्रम में संवर्ग/वर्ग का पद की उपलब्धता के आधार पर प्रक्रियाधीन है।	चरणबद्ध प्रक्रिया में सचिव "ब" से सचिव "अ" के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही होकर पदोन्नति आदेश दिनांक 01.04.2015 को जारी किये जा चुके है। पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2019/1749/2015/14-3 दिनांक 07.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
301.	**450**	परि.ता.प्र.सं. 89 (क्र. 4102) दि. 18.03.2015 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	कृषि उपज मंडी समिति मुरैना एवं अम्बाह की आयोजित बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किये जाने की जांच और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 08.03.2014 जारी किये गये हैं।	हां यह सत्य है कि कृषि उपज मण्डी समिति की बैठक में स्थानीय विधायक को बुलाने का प्रावधान है। प्रश्नकर्ता को आमंत्रित करने के संबंध में मण्डीवार स्थिति निम्नानुसार है:- 1. मुरैना मण्डी- मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो किसी नगर पालिका निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, के अनुसार प्रश्नकर्ता माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र दिमनी के गांवों के क्षेत्र की जनसंख्या से 50% से काफी कम है। इस कारण प्रश्नकर्ता माननीय विधायक महोदय को समिति की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जा सका। 2. अम्बाह मण्डी- कृषि उपज मण्डी समिति की बैठक में स्थानीय विधायक को बुलाने का प्रावधान है, बैठक में आमंत्रित न करने के लिए संबंधित मण्डी सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 08.03.2015 को जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त हो गये है। जिस पर संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय ग्वालियर का अभिमत चाहा गया है। प्राप्त अभिमत अनुसार सचिव अम्बाह को दोषी प्रतिवेदित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1818/1728/2015/14-3, दिनांक 23.07.2015	कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद भी दोषी पर कार्यवाही करने में काफी विलंब किया गया है। समिति इस स्थिति को उचित नहीं मानती। भविष्य में यह स्थिति पुन: निर्मित न हो, यह सुनिश्चित करते हुये दोषियों के विरूद्ध समय पर दण्डात्मक कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से समिति को 03 माह की समयावधि में अवगत जाए।
302.	**451**	परि.ता.प्र.सं. 98 (क्र. 4373) दि. 18.03.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले में बलराम तालाब योजना की स्वीकृति/निर्माण/अनुदान वितरण में अनियमितता किए जाने की शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) जॉच प्रक्रियाधीन है। (2) शिकायत की जॉच प्रक्रियाधीन है। (3) दोषी कर्मचारी/अधिकारियों की विभागीय जॉच प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
303.	**452**	परि.ता.प्र.सं. 128 (क्र. 4835) दि. 18.03.2015 (श्री सूर्यप्रकाश मीना)	विदिशा जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2014 में फसलों के हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित किसानों को दिया जाना।	(1) दावा गणना कार्य प्रक्रियाधीन है। (2) दावा गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है।	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2014 मौसम हेतु अद्यतन स्थिति अभी भी क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10-135/2015/14-2, दिनांक 23.07.2015	समिति अनुशंसा करती है कि पीड़ित कृषकों को क्षतिपूर्ति की राशि का त्वरित भुगतान कराकर 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।
304.	**453**	परि.ता.प्र.सं. 143 (क्र. 5088) दि. 18.03.2015 (श्री दिवानसिंह विट्ठल पटेल)	खरगोन एवं बड़वानी जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाना।	बड़वानी एवं खरगोन में कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।	नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाने हेतु भा.कृ.अनु.परि. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 50 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं अधोसंरचना विकास हेतु राशि रू.160-170 करोड़ की आवश्यकता होती है। शासन स्तर पर विचारोपरांत वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में बडवानी एवं खरगोन में कृषि महाविद्यालय खोला जाना स्थगित रखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
305.	**454**	परि.ता.प्र.सं. 161 (क्र. 5274) दि. 18.03.2015 (श्री नारायण सिंह पँवार)	राजगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक संसाधनों/अमले की व्यवस्था किया जाना।	अमले की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	राजगढ़ जिले की विकासखंड ब्यावरा में प्रयोगशाला का निर्माण कराया जा रहा है एवं स्टाफ की भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10-11261/16/14-3, दिनांक 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
306.	**455**	अता.प्र.सं. 25 (क्र. 2453) दि. 18.03.2015 (श्री कुँवरजी कोठार)	राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लायसेंस धारी व्यापारियों द्वारा मंडी टैक्स की चोरी एवं परिवहन किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षा उपरांत गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।	उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति सारंगपुर एवं पचौर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आय में हुई कमी होने के संबंध में दोनों मण्डी सचिवों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसके परीक्षण अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में अतिवृष्टी(असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि) होने से विभिन्न कृषि जिन्स में उत्पादन एवं उत्पादकता पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ने के आधार पर उत्तर संतोषजनक पाये जाने में फलस्वरूप क्रमश: आदेश क्रमंका/1785 दिनांक 27.06.15 एवं 1787, दिनांक 27.06.15 से भविष्य में पूर्ण सजगता से कार्य करने हेतु चेतावनी दी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
307.	**456**	अता.प्र.सं. 68 (क्र. 4141) दि. 18.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले में कृषकों के खेतों की मिट्टी के लिये गये सेम्पलों की जांच समय सीमा में कराया जाना।	2356 मिट्टी नमूने परीक्षण हेतु लंबित हैं और जिन्हें दिनांक 30.06.2015 तक पूर्ण करा लिया जावेगा।	जिले में मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 2356 नमूने परीक्षण हेतु लंबित थे, उनका परीक्षण कर 15.04.2015 तक पूर्ण कर स्वाइल हैल्थ कार्ड कृषकों को वितरित कर दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10-87/2015/14-3, दि.21.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
308.	**457**	अता.प्र.सं. 83 (क्र. 4463) दि. 18.03.2015 (श्री तरूण भनोत)	कृषि उपज मंडी समिति कटनी में व्यापारिक फर्मों द्वारा आयात शुल्क की चोरी किये जाने की जांच एवं बकाया राशि की वसूली की जाना।	जाँच प्रतिवेदन अनुसार बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी की 12 व्यापारिक फर्मो में से 03 फर्मो पर बकाया राशि वसूली योग्य नहीं है। मंडी सचिव कटनी द्वारा शेष 09 व्यापारिक फर्मो पर मंडी फीस अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गई। जिससे व्यथित होकर म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 59 के अंतर्गत संबंधित व्यापारिक फर्मो द्वारा सक्षम प्राधिकारी अपर संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड से दिनांक 01.04.2015 स्थगन प्राप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1820/1692/2015/14-3, दि.23.07.2015	प्रकरण से स्पष्ट है कि बकाया राशि की वसूली अभी तक नहीं हो पाई है। अपर संचालक से प्राप्त स्थगन को रिक्त कराने के लिए सक्षम कार्यवाही नहीं हुई है। आश्वासन अनुसार वसूली की कार्यवाही हो, यह समिति की मंशा है। इस संबंध में त्वरित विधि अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाकर कृत कार्रवाई से 03 माह की समयावधि में समिति को अवगत कराया जाए।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
309.	**61**	ता.प्र.सं.15 (क्र.1131) दि.23.02.2015 (श्री लखन पटेल)	दमोह जिले के बटियागढ़ एवं पथरिया विकासखण्डों के पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में परीक्षण कराकर लंबित नल-जल योजना स्वीकृत किया जाना।	हम उसे दिखवा लेंगे, अगर वहां पर सतही जल है, तो हम उसे स्वीकार करेंगे और उस पर कार्य चालू करेंगे।	प्रमुख अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 285, दिनांक 11.09.2015 से दमोह जिले के बटियागढ़,पथरिया व हटा विकासखण्ड के 442 ग्रामों की पंचमनगर डेम सतही स्त्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजना का स्टेज-1 प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त योजना प्रस्ताव अनुसार समूह जल प्रदाय योजना की डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-22/2015/2/34, दिनांक 08.12.2015	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों की लंबित योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
310.	**62**	ता.प्र.सं.17 (क्र.1185) दि. 23.02.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र में कुशलपुरा बांध आधारित समूह नल-जल प्रदाय योजना की स्वीकृति प्रदान किया जाना।	जैसे ही निविदाओं का परीक्षण हो जायेगा काम चालू हो जायेगा।	सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डी.पी.आर.) बनाने हेतु निविदाओं के परीक्षण उपरांत दिनांक 16.03.2015 को म.प्र.जल निगम मर्या. कार्यादेश जारी कर दिया गया है। डी.पी.आर. बनाने का कार्य चालू कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-24/2015/2/34, दिनांक 10.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
311.	**63**	ता.प्र.सं.25 (क्र.810) दि. 23.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना")	रीवा जिले के मउगंज विधान सभा क्षेत्र के पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।	अगर कहीं जल स्त्रोत में पानी पाया जाएगा तो हम सबमर्सिबल पंप डलवा कर भी उसकी व्यवस्था कर देंगे।	विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में बंद 05 नलजल योजनाओं में से 01 नलजल योजनायें स्रोत सूख जाने से बंद थी, जिसे विभाग द्वारा स्रोत निर्माण कर चालू कर दिया गया है। शेष 04 योजनाअें में से 02 योजनाएं पंचायत द्वारान चलाये जाने से बंद थी, जिन्हें वर्तमान में उनके द्वारा चालू कर दिया गया है तथा 02 योजनाएं विद्युत अवरोध के कारण बंद थी, जिन्हें चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का ही है। संबंधित पंचायत को समझाइश दी जाकर विद्युत विभाग से समन्वय करवाकर योजनाएं चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के अंतर्गत जल स्तर में कमी वाले हैण्डपंपों में राइजर पाइप बढ़ाकर उन्हें चालू बनाए रखा गया इस कारण सिंगलफेस पंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-18/2015/2/34, दिनांक 30.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
312.	**64**	अता.प्र.सं.03 (क्र.113) दि. 23.02.2015 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर जिले में विधान सभा क्षेत्र शाजापुर के विभिन्न ग्रामों के खराब हेण्डपंपों को सुधार कर पेयजल व्यवस्था कराई जाना।	साधारण सुधार योग्य बंद हैण्डपंपों को 07 दिवस में सुधार दिया जावेगा।	शाजापुर जिले के शाजापुर विधान क्षेत्र में प्रश्न दिनांक को साधारण खराबी से बंद 03 हैंडपंपों को सुधार कर चालू कर दिया गया है, जिनसे ग्रामवासियों को पेयजल प्राप्त हो रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-01/2015/2/34, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
313.	**65**	अता.प्र.सं.05 (क्र. 161) दि. 23.02.2015 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले में महानदी पर आधारित 23 ग्रामों की सामूहिक नल-जल योजना को आरम्भ किया जाना।	महानदी से 23 ग्रामों की सामूहिक नल-जल योजना क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।	उमरिया जिले के 22 ग्राम एवं कटनी जिले के 23 ग्राम कुल 45 ग्रामों की छोटी महानदी आधारित करनपुरा समूह जल प्रदाय योजना लागत रू.73.54 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति शासन के पत्र एफ 8-3/2013/2/34, दिनांक 09.09.2014 द्वारा प्रदान की गई। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (नाबार्ड) के अंतर्गत किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-2/2005/ 2/34, दिनांक 07.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
314.	**220**	परि.ता.प्र.सं. 09 (क्र. 398) दि. 02.03.2015 (श्री सचिन यादव)	खरगौन जिले के कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शेष नल-जल योजना तथा पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में जल प्रदाय योजना का त्वरित क्रियान्वयन किया जाना।	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।	खरगौन जिले के कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खड़कवानी, सिनगून एवं पथौरा नलजल योजना तथा पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में जल प्रदाय योजना का त्वरित क्रियान्वयन हेतु निविदा सूचना क्र. 29, 30 एवं 31 दिनांक 22.06.2015 द्वारा आमंत्रित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-32/2015/2/34, दिनांक 30.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
315.	**221**	परि.ता.प्र.सं. 25 (क्र. 1260) दि. 02.03.2015 (श्री हरवंश राठौर)	सागर जिले के बण्डा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल प्रदाय संबंधी बंद योजनाओं को शीघ्र आरंभ कराया जाना।	बंद योजनाओं को चालू कराने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।	कुल 42 बंद नलजल योजनाओं में से वर्तमान में 28 योजनाएं चालू है। शेष 14 बंद योजनाओं में से स्रोत में जलस्तर कम होने से बंद 05 योजनाओं मं नवीन स्रोत नलकूप खनित किए गए, जिसमें 02 सफल तथा 03 असफल रहे जिसके लिये भू-जल सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण अनुसार नलकूप खनन कार्य करवाया जावेगा। 08 योजनाएं पंचायतों द्वारा रूचि न लेने के कारण बंद है, योजनाओं को पुनः चालू कराने हेतु ग्राम पंचायतों से समन्वय कर जल प्रदाय चालू कराया जा रहा है। 01 योजना रूरावन में नवीन स्रोत तैयार किया जा चुका है, विद्युत कनेक्शन शिफ्टिंग एवं इंटर कनेक्शन की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-35/2015/2/34, दिनांक 10.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
316.	**222**	परि.ता.प्र.सं. 48 (क्र. 1921) दि. 02.03.2015 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	सीधी जिले के कुसमी विकासखण्ड की अपूर्ण पेयजल योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	जी हां। योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे है।	कुसमी नलजल प्रदाय योजना लागत रू.181.00 लाख की स्वीकृत है। योजना में 1500 मीटर पाईप लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण होने के पश्चात् ठेकेदार की मृत्यु हो जाने से शेष कार्य संबंधित फर्म द्वारा नहीं किये गये है। अत: टंकी के शेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु पुन: निविदा आमंत्रित कर ली गई है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। उक्त योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त कर शेष कार्यो की निविदा आमंत्रित की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-38/2015/2/34, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
317.	**223**	परि.ता.प्र.सं. 83 (क्र. 2432) दि. 02.03.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	सिवनी जिले के पर्याप्त पानी वाले 20 नलकूपों में हेण्डपंप/मोटरपंप स्थापित किये जाकर जल प्रदाय आरंभ कराया जाना।	20 नलकूपों में हैण्डपंप/मोटरपंप स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।	20 नलकूपों में से 08 नलकूपों पर हैण्डपंप स्थापना एवं 10 नलकूपों पर पावर पंप स्थापना का कार्य कर दिया गया है शेष 02 नलकूप जो डिपाजिट मद में रेशम केन्द्र मरकावाड़ा के अंतर्गत सिंचाई कार्य हेतु खनित किये गये थे, उनमें जल आवक क्षमता कम होने के फलस्वरूप सिंचाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण पावर पंपों की स्थापना नहीं की गई है। 10 स्थापित पावर पंप वाले नलकूपों में से 03 से जलप्रदाय प्रारंभ है शेष 07 पर विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही ग्राम पंचायत के माध्यम से की जा रही है। विद्युत कनेक्शन हो जाने के उपरांत जल प्रदाय किया जाना संभव होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-47/2015/2/34, दिनांक 10.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
318.	**224**	परि.ता.प्र.सं. 108 (क्र. 2965) दि. 02.03.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले में एन.एच.7 एवं एन.एच.27 के निर्माणाधीन फोरलेन की परिधि में आने वाले नलकूपों का शीघ्र स्थानान्तरण करते हुये पुनर्स्थापन कराया जाना।	(1) 36 नलकूप स्थानांतरित होकर पुन: निर्मित/स्थापित किये जाने है। (2) शेष की कार्यवाही प्रगति पर है।	रीवा जिले में एन.एच.07 तथा एन.एच.27 का निर्माण म.प्र.सड़क विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है। हैंडपंपों को स्थानान्तरित कर पुन: निर्मित/स्थापित किये जाने हेतु विभाग को राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। उक्त कार्य संबंधित फर्म द्वारा कराया जा रहा है । म.प्र.सड़क विकास निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार एन.एच.07 अंतर्गत कुल 143 हैंडपंपों में से 130 हैंडपंपों को लगाया जा चुका है तथा शेष 13 हैंडपंपों को लगाने की कार्यवाही प्रगति पर है । एन.एच.27 अंतर्गत 96 हैंडपंपों में से 29 हैंडपंपों को लगाया जा चुका है तथा शेष को लगाने की कार्यवाही वर्षाकाल के उपरांत की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-78/2015/2/34, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
319.	**225**	अता.प्र.सं. 19 (क्र. 901) दि. 02.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में पेयजल संबंधी 08 बंद योजनाओं का शीघ्र स्त्रोत निर्माण हेतु कार्यवाही किया जाना तथा बंद योजनाओं को प्रारंभ कराया जाना।	स्त्रोत से बंद 8 योजनाओं में स्त्रोत निर्माण हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बंद योजनाओं को चालू कराने के प्रयास किये जा रहे है।	स्रोत से बंद 08 नलजल प्रदाय योजनाओं में से 06 में स्रोत निर्णय जलप्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है, 02 योजनाओं में स्रोत पर्याप्त जल आवक क्षमता के प्राप्त नहीं होने के कारण पुन: विस्तुत सर्वे कर सफल स्रोत के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। स्रोत के अतिरिक्त अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है, संबंधित सरपंचों को तकनीकी मार्गदर्शन देकर तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के माध्यम से भी उन्हें योजना चालू करवाले हेतु निर्देशित कराया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-62/2015/2/34, दिनांक 30.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
320.	**371**	परि.ता.प्र.सं.29 (क्र.1353) दि.13.03.2015 (श्री रणजीत सिंह गुणवान)	सीहोर जिले के विधान सभा क्षेत्र आष्टा में पूर्ण हो चुकी नल-जल योजनाओं को ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण किया जाना।	पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।	सीहोर जिले के विधान सभा क्षेत्र आष्टा की पूर्ण हो चुकी 07 नलजल योजनाओं में से 03 नलजल योजनायें क्रमश: लोरासखुर्द, खडीहाट एवं सेवदा संबंधित ग्राम पंचायत को योजनाओं के संचालन/संधारण हेतु हस्तांतरित की जा चुकी है, शेष 04 योजनायें क्रमश: खटसुरा, कल्याणपुरा, बडझीरी एवं अरोलिया जावर के हस्तांतरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-82/2015/2/34, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
321.	**372**	परि.ता.प्र.सं. 66 (क्र. 2885) दि. 13.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह)	गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करने के लिए नवीन हेण्डपंप खनन की कार्यवाही की जाना।	संकटग्रस्त आंशिक पूर्ण श्रेणी के ग्रामों में नवीन हैण्डपंप खनन की कार्यवाही की जावेगी।	विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर में पेयजल संकट दूर करने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में 53 आंशिकपूर्ण बसाहटों में 60 नवीन हैंडपंप स्थापना कार्य पूर्ण किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-90/2015/2/34, दिनांक 12.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
322.	**373**	परि.ता.प्र.सं. 70 (क्र. 2915) दि. 13.03.2015 (श्रीमती नीना वर्मा)	धार जिले के फ्लोराइड युक्त ग्रामों को निश्चित समय-सीमा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना।	287 ग्रामों हेतु योजनाएं प्रगतिरत, इन्हें 30 जून, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।	योजनान्तर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण किया जाकर पाईप लाईन का परीक्षण कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-92/2015/2/34, दिनांक 30.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
323.	**374**	परि.ता.प्र.सं.75 (क्र.3048) दि.13.03.2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले में सूखे नलकूपों की हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कराई जाना।	नलकूपों की हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कराई जाना प्रस्तावित है।	इंदौर जिले के विभिन्न ग्रामों में वर्ष 2014-15 में 85 नलकूपों में तथा वर्ष 2015-16 में 122 नलकूपों में हाइड्रोफ्रेक्चरिंग करवाया जाना प्रस्तावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-93/2015/2/34, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
324.	**375**	परि.ता.प्र.सं. 124 (क्र. 3864) दि. 13.03.2015 (श्री मेव राजकुमार)	खरगौन जिले की महेश्वर विधान सभा क्षेत्र के फ्लोराइड युक्त ग्रामों को निश्चित समय-सीमा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना।	30 जून, 2015 तक योजना को पूर्ण कर सभी ग्रामों में पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे है।	महेश्वर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 22 ग्रामों में जल गुणवत्ता (फ्लोराईड) योजना अंतर्गत शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जाना है । जिसके अंतर्गत 12 ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायाजा चुका है तथा शेष 10 ग्रामों में पाईप लाईन परीक्षण कार्य प्रगतिरत है । इनमें नर्मदा परियोजना (नगर निगम, इंदौर) खंड क्र.-1 मण्डलेश्वर के पंप हाऊस क्र.-3 से लगातार पानी प्राप्त हो रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 13-100/2015/2/34, दिनांक 10.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
325.	**376**	परि.ता.प्र.सं. 130 (क्र. 3904) दि. 13.03.2015 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	सिवनी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में नलजल योजनाओं के बंद स्त्रोतों को पुनः चालू किया जाना।	बंद योजनाओं के स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रश्नांश दिनांक को 02 योजनाओं के जल स्त्रोत सूख जाने के बंद थी, इनमें से 01 ग्राम चिखली में सफल जल स्त्रोत विकसित किया जा चुका है एवं स्त्रोत पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किये जाने हेतु एवं अन्य कार्यो के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 01 ग्राम हतनापुर की नलजल योजना तत्समय कृषकों द्वारा सिंचाई कार्य किये जाने के कारण उस क्षेत्र में जलस्तर एवं नलजल योजना के जल आवक क्षमता कम हो जाने के कारण बंद थी। इसमें यह योजना वर्तमान में सिंचाई कार्य बंद होने के कारण चालू है । योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जल स्त्रोत विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-102/2015/2/34, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
326.	**377**	अता.प्र.सं. 95 (क्र. 3891) दि. 13.03.2015 (श्री संजय पाठक)	प्रदेश के पहुँचविहीन ग्रामों में सौर ऊर्जा पर आधारित मोटर पंप स्थापित किया जाना।	प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।	भारत शासन के दिशा-निर्देशों अनुसार प्रदेश में सौर ऊर्जा पर आधारित मोटर पंप स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-157/2011/2/34, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
327.	**481**	परि.ता.प्र.सं. 08 (क्र. 2071) दि. 20.03.2015 (श्री संजय शर्मा)	तेन्दूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में नलकूपों का उत्खनन समय-सीमा में किया जाना।	3 शेष आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्य किया जावेगा।	शेष 03 आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में नलकूप खनन का कार्य किया जाकर उन पर हैण्ड पंप स्थापित कर दिया गया है, जिससे ग्रामवासी पेयजल प्राप्त कर रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-135/2015/2/34, दिनांक 30.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
328.	**482**	परि.ता.प्र.सं. 100 (क्र. 5006) दि. 20.03.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य))	इंदौर जिले में नल-जल योजना का कार्य लक्ष्यानुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	शेष बच रही 15 योजनाये प्रगतिरत हैं, इनमें से 07 योजनायें मार्च 2015 तक, 06 योजनायें जून 2015 तक एवं 02 योजनायें मार्च 2016 तक पूर्ण की जाना लक्षित है।	शेष बच रही 15 प्रगतिरत् योजनाओं में से 07 योजनाएं मार्च 15 तक, 02 योजनायें जून 15 तक पूर्ण कर ली गई है, शेष सभी योजनायें मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-147/2015/2/34, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
329.	**483**	परि.ता.प्र.सं. 104 (क्र. 5033) दि. 20.03.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले के काला पीपल विकास खण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हेतु पार्वती नदी आधारित समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति दी जाना।	प्राप्त योजना के विस्तृत परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।	पार्वती नदी पर आधारित समूह जल प्रदाय योजना का स्टेज-1 योजना प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-148/2005/2/34, दिनांक 07.07.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 18819/वि.स./आश्वा./2015, दिनांक 24.08.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में दिए गए आश्वासन अनुरूप योजना का परीक्षण कब तक पूर्ण किया जायेगा की अद्यतन जानकारी ?*** **अद्यतन जानकारी :-** योजना में प्रस्तावित स्त्रोत का निरीक्षण व जल संसाधन विभाग से समन्वय कर आवश्यक जल की उपलब्धता का परीक्षण उपरांत संशोधित प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-148/2015/2/34, दिनांक 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
330.	**484**	अता.प्र.सं. 16 (क्र. 3149) दि. 20.03.2015 (श्री तरूण भनोत)	कटनी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड के हेण्डपंप प्लेट फार्म का नियम विरूद्ध निर्माण कराये जाने की गई शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	उक्त शिकायत पर कार्यवाही प्रचलन में है।	कटनी जिले में लोस्वायां वि मैंके उपखण्ड में हैंडपंप प्लेटफार्म का नियम विरूद्ध निर्माण कराये जाने की शिकायत की जांच हेतु मध्य अभियंता लोस्वायां वि. जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर एवं अधीक्षण यंत्री, जबलपुर मंडल जबलपुर को निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता से अपेक्षित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 3069/2011/2/34, दिनांक 14.07.2015	समिति चाहेगी कि शिकायत की जांच शीघ्र पूर्ण होकर दोषियों के विरूद्ध शासन के निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में कार्रवाई हो।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
वन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
331.	**76**	ता.प्र.सं.09 (क्र.1406) दि. 24.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जैसीनगर एवं राहतगढ़ वन परिक्षेत्र में वनों की सुरक्षा के लिये ट्रेन्च खुदवाये जाना।	यदि संभावना होगी तो अवश्य उस पर विचार करेंगे।	वनों की सुरक्षा हेतु पृथक से ट्रेंच खुदवाने का कार्य नहीं किया जाता है । कार्य आयोजना अनुसार देय कूपों, जो सीमित रकवे के होते है एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य किया जाता है। सागर जिले के जैसीनगर एवं राहतगढ़ वन परिक्षेत्रों में वनों की सुरक्षा के लिये ट्रेंच खुदवाया जाना व्यवहारिक नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-02/2015/10-2, दि.31.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
332.	**77**	ता.प्र.सं.21 (क्र.87) दि. 24.02.2015 (श्री अरूण भीमावद)	वन परिक्षेत्र छोड़कर राजस्व क्षेत्र में 10 इंच व्यास तक के चक्राकार आरा(कटर) पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया जाना।	प्रतिबंध विचाराधीन है।	शासन द्वारा विचारण किया गया। 12 इंच व्यास का चक्राकार आराकटर म.प्र.काष्ठ चिरान (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें समय लगने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-06/2015/10-3/1822, दि. 31.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
333.	**78**	परि.ता.प्र.सं.51 (क्र.1056) दि. 24.02.2015 (श्रीमती रेखा यादव)	जबलपुर एवं बैतूल वन वृत्त में जनवरी 2008 के पश्चात् दर्ज लघु वनोपज के पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का शीघ्र परीक्षण कराया जाकर, प्रकरण समाप्त किया जाना।	प्रकरणों पर परीक्षणोंपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	जबलपुर वृत्त में जनवरी 2008 के बाद लघु वनोपज के कुल 10 प्रकरण पंजीबद्ध हुये। 4 प्रकरण निराकृत हो चुके है। शेष 6 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि बैतूल वृत्त में कुल 36 प्रकरणों में से 1 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी पेशी की नियत तिथि 31/12/2015 है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ-22-16/2015/10-3, दि.18/12/2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 3885/वि.स./आश्वा./2016, दि.11.02.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***बैतूल वृत्त के शेष 35 प्रकरणों में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।	समिति का मत है कि पंजीबद्ध वन अपराधों से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण की दिशा में समयबद्ध योजना बनाकर कार्रवाई किया जाना नितान्त आवश्यक है। वन अपराध के दोषियों विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत् कार्रवाई न होने से कहीं न कहीं आपराधियों को प्रश्रय प्राप्त होता है एवं इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना अवश्यक है। समिति अनुशंसा करती है कि इस संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाकर 03 माह की समयावधि में समिति को अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
334.	**79**	परि.ता.प्र.सं.62 (क्र.1180) दि. 24.02.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ के सड़क विहीन वन ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना।	वर्णित दो वनग्रामों में पक्की सड़क का निर्माण संबंधित विभाग द्वारा समयानुसार किया जायेगा।	छिंदवाड़ा वनवृत्त अंतर्गत दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल में वर्णित दो वनग्राम आते है। वन ग्राम टेकापार में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्र. -02, छिंदवाड़ा द्वारा मजियापुर से टेकापार ग्रेवल मार्ग लंबाई 5.70 कि.मी. का निर्माण किया गया है। वनग्राम बोरिया में संबंधित विभाग द्वारा डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। वर्तमान स्थिति में मुरूम, गिट्टी, कच्चा मार्ग है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-06/2015/10-2, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
335.	**80**	अता.प्र.सं.13 (क्र.520) दि. 24.02.2015 (श्री जतन उईके)	छिंदवाड़ा जिले के थाना बिछुआ के ग्राम गुलशी में दिनांक 22 सितम्बर 2014 को वनकर्मियों द्वारा गोली चालन की घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र कार्यवाही की जाना।	(1) कलेक्टर, छिन्दवाड़ा द्वारा शासन को प्रेषित घटना की मजिस्ट्रियल जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलित है। (2) इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।	(1) कलेक्टर, छिन्दवाड़ा द्वारा शासन को प्रेषित घटना की मजिस्ट्रियल जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण दिनांक 17.07.2015 को विभागीय अभिमत सहित गृह विभाग को प्रेषित किया गया है, जिस पर आगामी कार्यवाही गृह विभाग द्वारा की जा रही है। (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र दिनांक 27.08.2015 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-1/2015/10-1, दिनांक 09.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
336.	**249**	परि.ता.प्र.सं. 60 (क्र. 1917) दि. 03.03.2015 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	सीधी जिले के संजय दुवरी अभ्यारण्य के अंतर्गत जंगली जानवरों के द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं किसानों के फसलों के नुकसान का नियमानुसार समयावधि में मुआवजा दिया जाना।	प्रकरणों में समयावधि में मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है।	लंबित जन घायल एवं फसल हानि की संपूर्ण राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-48/2015/10-2, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
337.	**250**	परि.ता.प्र.सं. 93 (क्र. 2435) दि. 03.03.2015 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	सिवनी जिले के आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर परिवहन किये जाने के पंजीबद्ध प्रकरणों में जप्त वाहनों को नियमानुसार राजसात किया जाना।	10 प्रकरणों में जप्त वाहनों के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही प्रचलित है।	01 वाहन को दोष मुक्त किया गया है तथा 01 वाहन को जुर्माने के राशि वसूल कर मुक्त किया गया एवं 08 वाहनों के राजसात की अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रचलित है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-22-20/2015/10-3, दिनांक 17.07.2015 01 वन अपराध प्रकरण में जप्त वाहन को दोष सिद्ध न होने के कारण मुक्त किया गया है, 03 वन अपराध प्रकरणों में अभिसंधानित कर वाहन को जुर्माने की राशि वसूल कर मुक्त किया गया, 05 वन अपराध प्रकरणों में वाहनों को राजसात किया गया तथा 01 वन अपराध प्रकरण में वाहन के राजसात की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-22-20/2015/10-3, दिनांक 02.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
338.	**251**	परि.ता.प्र.सं. 110 (क्र. 2717) दि. 03.03.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	बैतूल वन वृत्त के प्रभात पट्टन में दिनांक 02 जून 2014 को लघुवनोपज (धावड़ा गोंद) जप्ती की कार्यवाही नियम विरूद्ध किये जाने की शिकायतों की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही किया जाना।	शेष शिकायतों पर जांच प्रचलित है।	शेष 10 शिकायतों की जांच संपन्न की जाकर वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल(सा.) द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया, जिसमें शिकायतों की जांच में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-22/2015/10-3, दिनांक 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
339.	**252**	परि.ता.प्र.सं. 111 (क्र. 2728) दि. 03.03.2015 (श्रीमती अनीता सुनील नायक)	टीकमगढ़ जिले के बंजारीपुरा बीट में वन भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना।	वन भूमि से बेदखल करने के लिए सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है।	वनमंडल टीकमगढ़ परिक्षेत्र निवाड़ी की बीट बंजारीपुरा में 13 व्यक्तियों द्वारा 28.350 हेक्टेयर संरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण किया जाना पाया गया था । इन 13 अतिक्रमणकारियों को वनभूमि से नियमानुसार बेदखली हेतु भारतीय वन अधिनियम बेदखली हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80ए के तहत दिनांक 23.01.2015 को 09 अतिक्रमणकारियों को एवं दिनांक 07.02.2015 को 09 अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये थे । दिनांक 17.03.2015 को वन परिक्षेत्राधिकारी निवाड़ी द्वारा वीट बंजारीपुरा के अतिक्रमित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्तमान में वीट बंजारीपुरा में कोई अतिक्रमण नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-18/2015/10-2, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
340.	**253**	अता.प्र.सं. 20 (क्र. 1447) दि. 03.03.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	भोपाल संभाग में बाजिबुल अर्ज एवं हूकूक रजिस्टर में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की भूमि दर्ज किया जाना।	विनिश्चयन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के अधीन किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।	मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 230/सी.एस./04, दिनांक 24.04.2004 में दिये गये निद्र्शानुसार भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित वनखण्डों में वन व्यवस्थापन की धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही वन व्यवस्थापन अधिकारियों द्वारा की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2756/2674/10-3/09, दिनांक 08.12.2009 द्वारा सभी जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश को वन व्यवस्थापन की कार्यवाही में गति लाने एवं नियमित समीक्षा करने के निर्देश जारी किये गये है । मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 23.12.2010 को परख कार्यक्रम के अंतर्गत वनखण्डों के वन व्यवस्थापन के कार्यो की समीक्षा की गई । वन व्यवस्थापन की कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 25/70/2003/10-3/05, दिनांक 03.01.2011 द्वारा समस्त कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय को कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जारी किये गये है। पत्र क्रमांक एफ 25/08/2015/10-3, दिनांक 04.06.2015 से मुख्य सचिव द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी किये गये है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 में अधिसूचित वनखण्डों में शामिल वन भूमि का वन व्यवस्थापन की विधिक प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा की जा रही है । यह सतत् कार्यवाही स्वरूप का है। प्रकरणों में विधिक कार्यवाही होने के कारण लंबी अवधि लगने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-27/2015/10-3, दिनांक 28.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr>
<td>341.</td>
<td>254</td>
<td>अता.प्र.सं. 99
(क्र. 2808)
दि. 03.03.2015
(श्रीमती पारूल साहू केशरी)</td>
<td>सागर जिले में शेष 777 प्रकरणों में अवैध कटाई/परिवहन/काष्ट संग्रहण के प्रकरणों में जांच समय-सीमा में कराई जाना।</td>
<td>(1) 80 प्रकरणों में वाहन राजसात की प्रक्रिया प्रचलित है।
(2) 599 प्रकरणों में भारतीय वन अधिनियम/ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच/अभिसंधान की कार्यवाही प्रचलित है।</td>
<td>(1) वन वृत्त सागर के अंतर्गत वनमण्डल उत्तर/दक्षिण/नौरादेही (व.प्रा.) सागर के 80 राजसात प्रकरणों में से 25 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं 55 प्रकरण शेष है, जिनका विवरण वनमण्डलावार निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th>वनमण्डल</th><th>लंबित</th><th>निराकरण</th><th>शेष</th></tr>
<tr><td>उत्तर सागर</td><td>11</td><td>2</td><td>9</td></tr>
<tr><td>दक्षिण सागर</td><td>50</td><td>14</td><td>36</td></tr>
<tr><td>नौरादेही (व.प्रा.) सागर</td><td>19</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>80</td><td>25</td><td>55</td></tr>
</table>
(2) वन वृत्त सागर के अंतर्गत 599 जांच/अभिसंधान प्रकरणों में से 379 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं 220 प्रकरण शेष है, जिनका विवरण वनमण्डलवार निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th>वनमण्डल</th><th>लंबित</th><th>निराकरण</th><th>शेष</th></tr>
<tr><td>उत्तर सागर</td><td>107</td><td>70</td><td>37</td></tr>
<tr><td>दक्षिण सागर</td><td>406</td><td>248</td><td>158</td></tr>
<tr><td>नौरादेही (व.प्रा.) सागर</td><td>86</td><td>61</td><td>25</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>599</td><td>379</td><td>220</td></tr>
</table>
विभागीय पत्र क्रमांक :-
एफ 22-34/2015/10-3/1625,
दिनांक 31.07.2015</td>
<td>कोई टिप्पणी नहीं।</td>
</tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
342.	**400**	परि.ता.प्र.सं. 47 (क्र. 2648) दि. 16.03.2015 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले की भगवानपुरा विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत वन समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत पुनर्गठन किया जाना।	पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित है।	खरगौन जिले की भगवानपुरा विधान सभा क्षेत्र में खरगौन वनमण्डल अंतर्गत कुल 64 समितियां गठित है 64 वन समितियों में से 04 वन समितियों क्रमश आमल्यापानी, सांगवी, सिवेल एवं रूपगढ़ का पां वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 03 वन समितियों के पुनर्गठन हेतु प्रक्रिया का पालन करते हुए एक माह के भीतर उनका पुनर्गठन कर लिया जावेगा। परिक्षेत्र बरूड की ग्राम वन समिति सांगवी निष्क्रीय होने से पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-71/2015/10-2, दिनांक 14.07.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि वन समितियों का पुनर्गठन निर्धारित समय सीमा में किया जाये।
343.	**401**	परि.ता.प्र.सं. 145 (क्र. 4602) दि. 16.03.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	(1) वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत शर्त क्रमांक 07 का कम्पनी द्वारा उल्लंघन किये जाने पर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना। (2) सतना जिले की तहसील मैहर में स्थित रिलांयस सीमेंट कंपनी द्वारा वन भूमि पर किये अवैध अतिक्रमण की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) कंपनी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (2) प्रकरण की विवेचना जारी है। विवेचना उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
344.	**402**	परि.ता.प्र.सं. 82 (क्र. 3335) दि. 16.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत पन्ना जिले में वन क्षेत्रों में स्टॉप डेम तथा तालाब निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	वन क्षेत्रपाल श्री एस.एस. पटेल के विरूद्ध विभागीय जॉच प्रचलित है।	श्री एस.एस.पटेल वन क्षेत्रपाल के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना के पत्र क्र. 1559 दि. 20.04.2015 से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की संक्षेपिका श्री पटेल को प्रदाय कर अंतिम बचाव उत्तर चाहा गया था। श्री पटेल द्वारा अंतिम बचाव उत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है, जिस पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-68/2015/10-2, दिनांक 13.07.2015	म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-6-3/2009/3-एक, दि.22.10.2009 अनुसार विभागीय जांच निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्षो एवं की गई कार्यवाही से समिति को 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
345.	**43**	अता.प्र.सं.11 (क्र.232) दि. 20.02.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	रायसेन एवं देवास जिले के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना।	अतिक्रमण हटाने हेतु स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है।	(1) प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, गैरतगंज जिला रायसेन के महाविद्यालय के भवन हेतु उपलब्ध भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है तथा भूमि महाविद्यालय अधिपत्य में ली जा चुकी है। (2) प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, उदयपुरा, जिला रायसेन के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि से तहसीलदार उदयपुरा द्वारा भूमि से फरवरी 2016 तक अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया गया है। अतिक्रमणधारियों के विरूद्ध तहसीलदार कोर्ट उदयपुरा ने दिनांक 12.10.2015 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा बेदखलीय आदेश पारित किया जा चुका है, किन्तु मौके से अभी अतिक्रमण नहीं हटा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 492/1730/2015/38-2, दिनांक 09.03.2016 विभागीय जानकारी का समिति द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरांत इस सचिवालय के पत्र दिनांक 01.04.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा जिला रायसेन के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की अद्यतन जानकारी।*** **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** तहसीलदार उदयपुरा के दिनांक 07.04.2016 को दिये गये उत्तरानुसार बेदखली आदेश पारित किया जा चुका है। अतिक्रमण एक माह के भीतर हटा दिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 979/1730/2015/38-2, दिनांक 23.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
346.	**44**	अता.प्र.सं.27 (क्र.456) दि.20.02.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 में शीघ्र संशोधन किया जाकर वर्ष 2009 के पूर्व के पी.एच.डी. उपाधि धारकों को सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की पात्रता प्रदान किया जाना।	म.प्र.शैक्षणिकसेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 में अभी संशोधन प्रक्रियाधीन है।	नियमों में संशोधन किया जाकर म.प्र.राजपत्र दिनांक 27 अगस्त 2015 को जारी किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-2/2015/38-1, दिनांक 06.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
347.	**45**	अता.प्र.सं.28 (क्र.457) दि.20.02.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	इंदौर जिले के शासकीय महाविद्यालय राउ में जनभागीदारी समिति का गठन किया जाना।	शासकीय महाविद्यालय, राउ में जनभागीदारी समिति के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कलेक्टर(योजना एवं सांख्यिकी) इंदौर के आदेश क्रमांक 5060/सं.यो.सां.का./2015/ जन.भा.समिति दिनांक 07.08.2015 द्वारा शासकीय महाविद्यालय राउ में जनभागीदारी समिति का गठन किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2051/1730/2015/38-2, दिनांक 08.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
348.	**180**	परि.ता.प्र.सं.08 (क्र.367) दि.26.02.2015 (श्री ठाकुरदास नागवंशी)	(1) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यो को यू.जी.सी. पुनरीक्षित छठवें वेतनमान की अंतर राशि (एरियर्स) का शीघ्र भुगतान कराया जाना। (2) सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं प्राचार्यो को पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान की अंतर राशि का (एरियर्स) का शीघ्र भुगतान कराया जाना।	(1) आगामी किश्त का भुगतान भारत सरकार से 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति होने के पश्चात् किया जाना संभव हो पायेगा। (2) राशि प्राप्त होते ही कार्यरत् एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य/ प्राध्यापकों को भी एरियर राशि का भुगतान किया जाना संभव होगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
349.	**181**	परि.ता.प्र.सं.16/17 (क्र.813/816) दि.27.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बना")	(1) म.प्र.भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय में पदस्थ निदेशक केमीकल साइंस के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर निश्चित समयावधि में विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना। (2) म.प्र.भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय में पदस्थ निदेशक केमीकल साइंस के विरूद्ध प्राप्त शिकायत क्र. आर-254/14 की शीघ्र जांच कराई जाकर विधि अनुरूप कार्यवाही किया जाना।	(1) जी हां। "क" के परिपेक्ष्य में प्रकरण की स्थिति यथावत है। (2) शासन स्तर पर प्राप्त शिकायत क्र. आर-254/14 की जांच क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा जांच की जा रही है।	(1) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 29/14 जांचाधीन है। शिकायत की जांच के दौरान पाए गए साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर विधिसम्मत् कार्यवाही प्रकोष्ठ द्वारा की जावेगी। निवेदन है कि उपरोक्त कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग स्तर पर प्रचलित नहीं है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। (2) शासन स्तर पर प्राप्त शिकायत क्र. आर-254/14 के संबंध में पूर्व में कृत कार्यवाही म.प्र.भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 के प्रावधान अनुसार नहीं पाए जाने के कारण, पुन: विभाग के पत्र क्र.998/254/14/38-3, दिनांक 22.06.2015 द्वारा म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 के प्रावधान अनुसार शिकायत को कुलाधिपति सचिवालय, भोपाल को आगामी कार्यवाही/जांच हेतु अग्रेषित किया गया है। कुलाधिपति सचिवालय से कृत कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होने पर अवगत कराया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-30/2015/38-3, दिनांक 31.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
350.	**182**	परि.ता.प्र.सं.38 (क्र.1314) दि.27.02.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा में 100 सीटर कन्या छात्रावास आरंभ कराया जाना।	शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा परिसर में 100 सीटर कन्या छात्रावास के संबंध में प्राचार्य द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।	प्राचार्य, नेताजी सुभाषचंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ब्यावरा जिला राजगढ़ से 100 सीटर कन्या छात्रावास निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग(पी.आई.यू.) का राशि रू.196.43 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राचार्य को राज्य योजना आयोग की चेकलिस्ट अनुसार जानकारी भेजने हेतु पत्र लिखा गया है। अत: कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 927/1534/2015/38-2, दिनांक 01.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
351.	**183**	अता.प्र.सं.38 (क्र.1038) दि.27.02.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले के गंजबासोदा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति कराई जाना।	(1) सहायक-प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दि.09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। जैसे ही चयनित सूची प्राप्त होती है, तो रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी। (2) सहायक-प्राध्यापक पदों के समग्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है।	रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लो.से.आयोग को 2395 सहा.प्रा. को प्रस्ताव प्रेक्षित किये गये है, जिसमें लो.से.आयोग द्वारा 2371 सहा.प्रा. के पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 04.04.2016 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदों की पूर्ति कर दी जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-5/2015/38-1, दिनांक 08.07.2016 **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लो.से.आयोग को 2395 सहा.प्रा. को प्रस्ताव प्रेषित किये गये है, जिसमें लो.से.आयोग द्वारा 2371 सहा.प्रा. के पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 04.04.2016 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदों की पूर्ति कर दी जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-5/2015/38-1, दिनांक 08.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
352.	**184**	अता.प्र.सं.43 (क्र.1115) दि.27.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	(1) शासकीय महाविद्यालय, पोहरी में स्थायी प्राचार्य की पदस्थापना कराई जाना। (2) शासकीय महाविद्यालय, पोहरी में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र कराई जाना।	(1) प्राचार्य पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही सेवा भर्ती नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है। (2) सहायक प्राध्यापक पदों के समग्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिनांक 09.07.2014 को जारी किया जा चुका है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>353.</td><td>185</td><td>अता.प्र.सं.67
(क्र.1670)
दि.27.02.2015
(श्री संजय पाठक)</td><td>कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भवन विहिन शासकीय महाविद्यालय हेतु शीघ्र भवन का निर्माण कराया जाना।</td><td>निक्षेप योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही कार्य एजेंसी म.प्र.गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रक्रियाधीन है।</td><td>म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास, मंडल, कटनी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भूमि का समतलीकरण उपरांत प्लेंथ लेवल तक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, कटनी के एस.डी.ओ. से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2016 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
115/1730/2015/38-2,
दिनांक 18.01.2016</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>354.</td><td>186</td><td>अता.प्र.सं.92
(क्र.2707)
दि.27.02.2015
(श्री विश्वास सारंग)</td><td>रायसेन जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरेली की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाकर अतिक्रामकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।</td><td>सर्वे एवं जांच कराई जाकर यदि पुन: अतिक्रमण है, तो म.प्र.भू-राजस्व संहित 1959 की धारा 248 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।</td><td>ग्राम धोखेड़ा, तहसील बरेली स्थित शासकीय महाविद्यालय की भूमियों का सर्वे राजस्व निरीक्षक व पटवारियों के दल बनाकर कराया गया । महाविद्यालय की भूमि पर निम्नानुसार व्यक्तियों की अस्थायी अतिक्रमण पाया गया है :-
<table><tr><th>क्र</th><th>नाम</th><th>अतिक्रमण</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>1</td><td>इकबाल खां आ.करीम खां</td><td>टप रखकर</td><td>6X6 वर्गफीट</td></tr><tr><td>2</td><td>जमनाबाई पत्नि बाबूलाल</td><td>टपरिया डालकर</td><td>20X 15</td></tr><tr><td>3</td><td>जसवंत सिंह आ.नवल सिंह</td><td>टपरिया डालकर</td><td>30X 15 वर्गफीट</td></tr></table>तहसीलदार, बरेली, जिला रायसेन द्वारा उपरोक्त तीनों अतिक्रामकों के विरूद्ध विधिवत रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर म.प्र.भू.रां.सं.1959 की धारा 248 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
1181/1730/2015/38-2,
दिनांक 28.07.2015</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
355.	**207**	परि.ता.प्र.सं. 32 (क्र. 1359) दि. 02.03.2015 (श्री राजेश सोनकर)	उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ तत्कालीन संयुक्त संचालक, इंदौर के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही कराई जाना।	(1) आगामी कार्यवाही हेतु श्री सिंह के पैतृक विभाग उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया। (2) कार्यवाही हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रेषित की गई है।	श्री एस.बी.सिंह सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र को विभाग के आदेश क्रमांक 17-10/2016/1-38, दिनांक 25.02.2016 को निलंबित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 613/3982/2016/38-1, दिनांक 13.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
356.	**330**	परि.ता.प्र.सं. 22 (क्र. 1014) दि. 12.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	ग्रंथपाल एवं शिक्षकों के वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान के लंबित प्रकरणों का निराकरण।	वर्तमान में 11 ग्रंथपाल/शिक्षकों के प्रकरण एवं वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान के प्रकरण लंबित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
357.	**331**	परि.ता.प्र.सं. 69 (क्र. 2283) दि. 12.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया)	गुना जिले के महाविद्यालयों में निर्धारित योग्यता वाले प्राचार्य की पदस्थापना किया जाना।	(1) पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) तकनीकी महाविद्यालयों के सेवा भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तत्पश्चात रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
358.	**332**	परि.ता.प्र.सं. 108 (क्र. 3047) दि. 12.03.2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले के महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के संबंध में प्राप्त शिकायत का निराकरण किया जाना।	निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।	शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, इंदौर में पदस्थ मुख्यलिपिक के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। अतिरिक्त संचालक इंदौर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2049/1730/2015/38-2, दिनांक 08.12.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि जनभागीदारी के कार्यो में पर्याप्त पारदर्शिता बरतते हुये दोषी के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।
359.	**333**	परि.ता.प्र.सं. 119 (क्र. 3197) दि. 12.03.2015 (श्री संजय शाह मकड़ाई)	हरदा जिले की सिराली तहसील मुख्यालय में नवीन शासकीय महाविद्यालय में कक्षायें प्रारंभ किया जाना।	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सिराली में कक्षायें प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सिराली जिला हरदा में सत्र 2015-16 से कक्षायें प्रारंभ हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2047/1730/2015/38-2, दिनांक 08.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
360.	**334**	अता.प्र.सं. 11 (क्र. 1108) दि. 12.03.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	ग्वालियर संभाग में शासकीय विधि महाविद्यालयों में प्राचार्यों की पदस्थापना की जाना।	पदोन्नति उपरांत प्राचार्य पदस्थ किये जायेंगे।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
361.	**335**	अता.प्र.सं. 16 (क्र. 1223) दि. 12.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर महाविद्यालय में अपूर्ण निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण कराया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	महाविद्यालय में इंदोर स्टेडियम एवं स्वीमिंग पुल के निर्माण हेतु यूजीसी द्वारा राशि रू.170.00 करोड़ स्वीकृत किये गये थे, जिसके विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 69/1150/2012/38-2, दिनांक 11.01.2013 द्वारा राशि रूपये 168.50 लाख(रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाचुकी है। यूजीसी से महाविद्यालय को प्रथम किश्त के रूप में राशि रू.85.00 लाख प्रदान की गई थी। महाविद्यालय द्वारा यूजीसी से द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट के साथ दि.10.02.2015 को एवं दिनांक 29.10.2015 को पुन: स्मरण पत्र लिखकर शेष राशि शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। लेकिन द्वितीय किश्त की राशि महाविद्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। निर्माण एजेंसी लघु उद्योग निगम द्वारा इंदौर स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल के निर्माण का संशोधित प्राक्कलन राशि रू.334.37 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पत्र क्र. 1788, दि.09.11.2015 द्वारा यूजीसी से द्वितीय किश्त प्राप्त करने एवं निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति के साथ पुनरीक्षित प्रॉक्कलन अनुसार शेष राशि यू.जी.सी. से प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को निर्देशित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमाक :-** 2045/1730/2015/38-2, दिनांक 08.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
362.	**336**	अता.प्र.सं. 25 (क्र. 1753) दि. 12.03.2015 (श्री अमर सिंह यादव)	प्रदेश के शा.महाविद्यालय में ग्रंथपाल के रिक्त पदो पर पदोन्नति दी जाना।	रिक्त पदों के पदोन्नति प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
363.	**337**	अता.प्र.सं. 59 (क्र. 3130) दि. 12.03.2015 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	शा.महाविद्यालय जावरा की भूमि का सीमांकन किया जाना।	प्रक्रियाधीन है।	न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अ-20(3)/2014-15 में पारित आदेश दि.13.03.2015 को भगतसिंह शासकीय महाविद्यालय, जावरा को शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 50/1 रकबा 5.791 में से रकबा 0.800 हेक्टर भूमि इस प्रकार कुल भूमि 5.800 हेक्टर भूमि इस प्रकार कुल भूमि 5.800 हेक्टर आवंटित की जा चुकी है। प्राचार्य के पत्र दिनांक 28.05.2015 अनुसार तहसीलदार जावरा द्वारा महाविद्यालय की भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक को आदेश प्रसारित किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 929/1620/2015/38-2, दिनांक 01.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
364.	**338**	अता.प्र.सं. 67 (क्र. 3337) दि. 12.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	शा.महाविद्यालयों के शिक्षकों को पांचवे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिया जाना।	(1) पांचवे वेतन आयोग के अनुसार शत-प्रतिशत वेतन देने संबंधी प्रारूप आदेश वित्त विभाग के समक्ष परीक्षणाधीन है। (2) कार्यवाही प्रचलन में है।	(1) पांचवे वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01.01.1996 से 31.03.2000 तक शतप्रतिशत वेतन भुगतान हो चुका है। (2) शेष दि.01.04.2000 से 31.03.2015 तक का एरियर्स मा.सर्वोच्च्च न्यायालय के आदेशानुसार पांच वार्षिक समान किश्तों में भुगतान किया जाना है। प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-10/2015/38-3, दिनांक 19.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
365.	**339**	अता.प्र.सं. 98 (क्र. 3838) दि. 12.03.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले के निजी महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित सीट से अधिक/नियम विरूद्ध प्रवेश दिये जाने की जांच एवं संबंधित महाविद्यालयों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	महाविद्यालयों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से संबद्ध 08 महाविद्यालयों में निर्धारित सीट संख्या से अधिक प्रवेश होने के कारण परीक्षा न कराने का निर्णय लिया गया। 08 महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा कराने संबंधी याचिका मा.उच्च्च न्यायालय, जबलपुर में दायर की। मा.उच्च्च न्यायालय द्वारा याचिका में दिये गये निर्णय परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम घोषित किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 239/05/वि.स;/सी.सी./15/अडतीस, दिनांक 23.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
366.	**475**	अता.प्र.सं. 70 (क्र. 4736) दि. 19.03.2015 (श्री रामसिंह यादव)	01 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2012 तक की अवधि में निलंबित प्रोफेसरों को निलंबित अवधि का शीघ्र भुगतान किया जाना।	प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है, प्रक्रिया पूर्ण होते ही भुगतान यथासमय हो सकेगा।	विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जांच में प्राप्त निष्कर्षो के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-2/2016/38-2, दिनांक 14.07.2016	विभागीय जांच का निराकरण सा.प्र.विभाग के आदेशानुसार एक वर्ष की समय-सीमा में किया जाना चाहिए। इसे अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया की श्रेणी में तो माना जा सकता है, किन्तु इस आधार पर प्रकरण को लंबे समय तक लंबित रखा जाना कदापि उचित नहीं है। समिति अनुशंसा करती है कि प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाकर 03 माह की समयावधि में समिति को अवगत करायें।
367.	**476**	अता.प्र.सं. 80 (क्र. 4903) दि. 19.03.2015 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर जिले के भवनविहीन शासकीय महाविद्यालय बिजुरी एवं जैतहरी को भूमि आवंटित किया जाना एवं भवन का शीघ्र निर्माण कराया जाना।	शासकीय महाविद्यालय बिजुरी को भूमि आवंटन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	शासकीय महाविद्यालय बिजुरी को भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1083/1730/2015/38-2, दिनांक 15.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
368.	**477**	अता.प्र.सं. 89 (क्र. 5102) दि. 19.03.2015 (श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल)	बड़वानी जिले में निक्षेप योजना अंतर्गत भवनविहीन शासकीय महाविद्यालय निवाली एवं पान सेमल में भवन का शीघ्र निर्माण कराया जाना।	(1) निक्षेप योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा प्रक्रियाधीन है। (2) भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भवन निक्षेप योजना के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है।	(1) शासकीय महाविद्यालय, निवाली जिला बड़वानी के भवन का निर्माण कार्य निक्षेप योजनान्तर्गत म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा महाविद्यालय को आवंटित भूमि पर प्रारंभ कर दिया गया है। (2) शासकीय महाविद्यालय, पानसेमल के भवन निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, पी.आई.यू. लो.नि.वि. के प्राक्कलन के साथ, प्राचार्य से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, किन्तु प्रस्ताव में कमियां होने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र. 817-18/249/आउशि/नि.शा.-6/14, दिनांक 22.05.2015 द्वारा कमियों की जानकारी चाही गई है। प्राचार्य के पत्र दि.19.06.2015 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त जानकारी अतिरिक्त संचालक, परियोजना संचालक, लो.नि.वि. इंदौर से चाही गई है। प्राप्त होने पर प्रेषित की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1183/1730/2015/38-2,दि.28.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
369.	**478**	अता.प्र.सं. 93 (क्र. 5191) दि. 19.03.2015 (श्री रामनिवास रावत)	अता.प्र.सं. 03 (क्र. 203) दिनांक 08.07.2014 में दी गई जानकारी अनुसार जीवाजी विश्वविद्यालय में की गई नियुक्तियों की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में कार्यवाही अपराध अनुसंधान विभाग एवं राजभवन भोपाल स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण में कोई जांच किसी भी स्तर पर नहीं चल रही है, जो सी.आई.डी. जांच का हवाला पूर्व में दिया गया था वह भी अभी स्थगित हे। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नियुक्तियों से संबंधित याचिका विचाराधीन है । माननीय न्यायालयीन प्रकरणों की सतत् चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें काफी समय लगने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-24/2015/38-3, दिनांक 25.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
महिला एवं बाल विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
370.	**66**	अता.प्र.सं.36 (क्र.914) दि. 23.02.2015 (श्री रामसिंह यादव)	कोलारस विधान सभा क्षेत्र के बदरवास नगर के वार्ड क्र.14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाना।	बदरवास नगर के वार्ड क्र. 14 में केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जा रही है।	कोलारस विधान सभा क्षेत्र के बदरवास नगर के वार्ड क्र. 14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-7/2015/50-2, दिनांक 04.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
371.	**226**	परि.ता.प्र.सं. 14 (क्र. 721) दि. 02.03.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)	प्रदेश की आंगनवाड़ियों में कार्यरत पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही किया जाना।	पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
372.	**227**	परि.ता.प्र.सं. 67 (क्र. 2272) दि. 02.03.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी)	बड़वाह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनवाड़ियों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति कराई जाना।	पुन: विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है।	जिला खरगौन की बड़वाह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मार्च 2015 में 04 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 08 आंगनवाड़ी सहायिका के पद रिक्त थे, जिसमें 02 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 08 आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही कर ली गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त 01 पद हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा गया है। प्रकरण परीक्षण में है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 01 रिक्त पद हेतु पुन: दिनांक 10.11.2015 को विज्ञप्ति जारी की गई है। प्राप्त आवेदन वर्तमान में खंड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत है अर्थात पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-30/2015/50-2, दिनांक 09.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
373.	**228**	अता.प्र.सं. 56 (क्र. 2157) दि. 02.03.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के डी.पी.ओ. के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कराई जाना।	कलेक्टर द्वारा प्राप्त अभिलेख एवं साक्ष्यों के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी।	श्रीमती रमिता जावड़ा द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अभिलेख कलेक्टर, न्यायालय जिला शिवपुरी में जमा कर उल्लेखित किया है। कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती रमिता जावड़ा द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र बदरवास 13,14,15 से संबंधित आवेदन पत्र पंजी एवं आवेदन पत्रों तथा पत्र क्र. 455 दिनांक 10.06.2014 की प्रति सहित जमा किया है। नियुक्ति संबंधी कोई अभिलेख जमा नहीं किया गया है। प्रकरण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती वंदना शर्मा की नियुक्ति दिनांक 09.09.2014 के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा आदेश दिनांक 16.09.2014 से आदेश दिनांक 09.09.2014 का क्रियान्वयन अंतिम निराकरण तक स्थगित किए जाने का आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध श्रीमती वंदना शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्र. 6185/2014 दायर की गई है, जिसमें दिनांक 09.10.2014 से कलेक्टर न्यायालय के आदेश को स्थगित किया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रचलित होने के कारण नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में अभिमत नहीं दिया जा सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-2/2015/50-1, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
374.	**229**	अता.प्र.सं. 95 (क्र. 2638) दि. 02.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले के महिदपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति किया जाना।	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 की आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।	प्रश्नाधीन अवधि में उज्जैन जिले के महिदपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 08 तथा आंगनवाड़ी सहायिका के 17 पद रिक्त थे, जिसमें से क्रमश: 04 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तथा 14 आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति की जा चुकी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 03 पदों पर निर्धारित पात्र आवेदक प्राप्त न होने से दिनांक 09.06.2015 को पुन: विज्ञप्ति जारी की गई है तथा 01 पर आवेदिका की बीपीएल पात्रता जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महिदपुर को लेख किया गया है। आंगनवाड़ी सहायिका के 03 पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। आंगनवाड़ी सहायिका के 02 पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र आवेदक न मिलने के कारण पुन: विज्ञप्ति जारी की गई है तथा 01 पद हेतु आवेदिका के बीपीएल की पात्रता जांच के कारण प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-35/2015/50-2, दिनांक 27.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
375.	**352**	परि.ता.प्र.सं. 111 (क्र. 3680) दि. 13.03.2015 (श्री कुंवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिना पंजीयन के नियम विरूद्ध पोषण आहार प्रदाय किये जाने की जांच एवं नियमानुसार संस्थाओं का पंजीयन किया जाना।	पंजीयन की कार्यवाही अधिनियम के पालन में प्रचलन में है।	जिले के समस्त पोषण आहार प्रदायक 973 महिला स्व. सहायता समूहों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीयन करा लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-58/2015/50-2, दिनांक 27.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
376.	**353**	परि.ता.प्र.सं. 159 (क्र. 4262) दि. 13.03.2015 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख)	जिला बैतूल में संचालित आंगनवाडियों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
377.	**354**	अता.प्र.सं. 55 (क्र. 3177) दि. 13.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	बाल कल्याण समिति, जिला सागर में की गई नियुक्तियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	प्राप्त शिकायतों की जॉच मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत सागर द्वारा की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
378.	**497**	अता.प्र.सं. 04 (क्र. 1261) दि. 20.03.2015 (श्री हरवंश राठौर)	सागर जिले की बण्डा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत एवं अनिर्माणित आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाना।	स्वीकृत एवं अनिर्मित आंगनवाड़ी भवनों के कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जायेंगे।	बंडा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत सभी 40 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य अप्रैल 2015 में प्रारंभ करा दिया गया है एवं आगामी 03 माह में कार्य पूर्ण करा लिये जावेंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-72/2015/50-2, दिनांक 25.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
379.	**498**	अता.प्र.सं. 120 (क्र. 5345) दि. 20.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना))	रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना अंतर्गत कोइझार में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र का नियमित संचालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही एवं नियमित आंगनबाड़ी के संचालन की व्यवस्था की जाना।	परियोजना अधिकारी हनुमना द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है।	श्रीमती प्रतिभा दुबे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आंगनवाड़ी केन्द्र से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण परियोजना अधिकारी हनुमना क्र. 02 द्वारा आदेश क्र. 125-126 दिनांक 30.04.2015 के द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-99/2015/50-2, दिनांक 27.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
सामान्य प्रशासन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
380.	**34**	ता.प्र.सं.19 (क्र.322) दि.20.02.2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	प्रदेश के प्रशासनिक अमले को प्रशिक्षित किया जाना।	***आसंदी से निर्देश:-*** आपकी सलाह पर विचार कर लेंगे।	भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में फेस-1, फेस-2 तथा पदोन्नति से नियुक्त भाप्रसे अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाप्रसे अधिकारियों को मिड केरियर प्रशिक्षण फेस-3, फेस-4, फेस-5 अनिवार्य है। शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ भाप्रसे अधिकारियों को शार्ट टर्म/लॉग टर्म का आयोजन भी भारत सरकार की समय सारणी तथा निर्देशों के अनुरूप प्रायोजित रहता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 में राप्रसे अधिकारी तथा मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी के माध्यम से दिये गये है और यह प्रशिक्षण आगे भी जारी रखे जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** ई.7/1/2015/5/1, दिनांक 27.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
381.	**35**	ता.प्र.सं.22 (क्र.24) दि.20.02.2015 श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में हो रही त्रुटियों पर रोक लगाई जाना।	भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न दोहराई जाएं, यह हम तय करेंगे।	लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में हो रही त्रुटियों पर रोक लगाने हेतु निम्न कार्यवाही की गई है:- 1. परीक्षकों को निर्देश दिये गये है कि प्रश्न पत्र की रचना स्तरीय व मान्य पाठ्यपुस्तकों व संदर्भ ग्रन्थों से ही करें। 2. परीक्षकों से प्रश्नवार संदर्भ ग्रन्थों का नाम, प्रकाशक का नाम, आदि भी मांगा जा रहा है। 3. सभी प्रश्न पत्रों का रचना के पश्चात् वरिष्ठ विषय विशेषज्ञों से मॉडरेशन कराया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ ए 9-14/2015/एक(1), दि. 01.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
382.	**36**	परि.ता.प्र.सं.26 (क्र.484) दि.20.02.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	लोकायुक्त संगठन के वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि के शासन को प्राप्त प्रतिवेदनों को व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित विधान सभा के पटल पर रखा जाना।	पांचों प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित विधान सभा के पटल पर रखे जाने की कार्यवाही प्रचलित है।	लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के 27वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से 31वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 तक की अवधि के पांचों प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित दिनांक 24.03.2015 को विधान सभा के पटल पर रखे गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-22/2015/1-10, दिनांक 27.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
383.	**164**	अता.प्र.सं.17 (क्र. 3648) दि.15.07.2014 (श्री आरिफ अकील) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	प्रदेश में पदस्थ आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों के यहां आय से अधिक चल/अचल सम्पत्ति की जांच सहित कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त यौन शोषण संबंधी शिकायतों की भी शीघ्र जांच कराई जाकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	जांच प्रचलित है।	यौन शोषण संबंधी शिकायतों के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रतिवेदन दिनांक 09.09.2015 को प्राप्त हुआ। जो परीक्षणाधीन है। उक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लेखित मानव अधिकार आयोग से दिनांक 26.02.2014 को प्राप्त पत्र के साथ संलग्न आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के प्रतिवेदन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग से जानकारी/अभिमत प्राप्त नहीं हुई है। विभाग को स्मरण पत्र भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-9-3/2014/6/एफ, दिनांक 14.07.2016	विभाग से प्राप्त अभिमत के आधार पर यथासमय कार्यवाही सुनिश्चित करें, इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
384.	**165**	अता.प्र.सं.20 (क्र. 3861) दि.25.07.2014 (श्री अंचल सोनकर) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों/चिकित्सकों के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन के पत्र दिनांक 20.08.2013 पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना।	प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर पर शासन निर्णय लिया जा रहा है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
385.	**191**	परि.ता.प्र.सं.32 (क्र.1074) दि.27.02.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड नगर स्थित गौरी तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य शीघ्र कराया जाना।	(1) सरोवर में हरियाली क्षेत्र विकसित करने, विद्युत व्यवस्था, घाटों का निर्माण एवं सी.सी.रोड के निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। (2) मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति शासन की एक सतत् प्रक्रिया है।	इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-05/2015/1/4, दिनांक 02.05.2015 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.05.2015 द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड से जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 6-05/2015/1/4, दिनांक 22.05.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 13595/वि.स./आश्वा./2015, दि.30.06.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गईः- ***दिये गये आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** गौरी सरोवर योजना की वित्तीय प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक यॉ.प्र./07/सिंहस्थ-2016/2015/4842 भोपाल दिनांक 21.05.2015 से प्राप्त हो गई है। उक्त स्वीकृति की शर्तो के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 6-05/2015/1/4, दिनांक 24.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
386.	**192**	परि.ता.प्र.सं.79 (क्र.1893) दि.27.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में हुये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के जांच प्रतिवेदन पर कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना।	प्रतिवेदन विस्तृत स्वरूप का होने से परीक्षणाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
387.	**193**	अता.प्र.सं.25 (क्र.821) दि.27.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बना")	निदेशक एवं प्रोफेसर केमीकल साइंस, म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के विरूद्ध आर्थिक अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर शीघ्र विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) शिकायत की सत्यता की जांच हेतु संबंधित संस्था/व्यक्ति को पत्र जारी किया गया है। (2) शिकायत के सत्यापन के पश्चात् प्राप्त साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण की जांच गतिशील है। जांच में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-05/2015/1-10, दिनांक 23.06.2015	विभाग आश्वासन अनुरूप 03 माह में जांच पूर्ण कर जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई से समिति को 03 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।
388.	**194**	अता.प्र.सं.57 (क्र.1518) दि.27.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	(1) दिनांक 01 जनवरी 2012 से फरवरी 2015 तक की अवधि में स्वयंसेवी संस्थाओं के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की शीघ्र जांच कराई जाना। (2) दिनांक 01 जनवरी 2012 से फरवरी 2015 तक की अवधि में स्वयंसेवी संस्थाओं के विरूद्ध प्राप्त आपराधिक शिकायतों की विवेचना शीघ्र पूर्ण कराई जाकर दोषियों के पंजीयन समाप्त कर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) प्रकरणों की विवेचना जारी है। (2) प्रकरण विवेचनाधीन है। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत स्वयं सेवी संस्थाओं के दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।	प्रकोष्ठ में 14 स्वयं सेवी संस्थाओं के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर विवेचना गतिशील है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों/दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण का विधिसम्मत् निराकरण किया जायेगा। उक्त प्रकृति के प्रकरणों में समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-08/2015/1-10, दिनांक 01.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
389.	**195**	अता.प्र.सं.62 (क्र.1644) एवं अता.प्र.सं.63 (क्र.1645) दि.27.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	(1) केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले म.प्र.वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध शीघ्र विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना। (2) म.प्र.वक्फ बोर्ड द्वारा दि.29.02.2014 को वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध दिये गये प्रस्ताव पर शीघ्र विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) श्री शफीकउद्दीन (सैयद), राप्रसे, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड, भोपाल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए गए है। (2) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव के क्रम में श्री शफीकउद्दीन (सैयद) के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी कर दिए गए है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
390.	**197**	परि.ता.प्र.सं.58 (क्र.1639) दि.27.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	म.प्र.वक्फ बोर्ड के अवैध लीज एवं किरायेदारी के 79 प्रकरणों में अनियमितता के दोषी अधिकारी के विरूद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	प्राप्त सभी प्रस्तावों के क्रम में श्री शफीकउद्दीन(सैयद) के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्रादि जारी किए जा चुके है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
391.	**345**	परि.ता.प्र.सं. 129 (क्र. 3387) दि. 12.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	नरसिंहपुर जिला अंतर्गत पदस्थ तहसीलदार के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से पूर्ण उत्तर भेजने हेतु दिनांक 18.05.2015 को लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1031/1316/2015/1-10, दिनांक 25.05.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 13595/वि.स./आश्वा./2015, दिनांक 30.06.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***विभाग द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को दिनांक 18.05.2015 को लिखे गये पत्र के पश्चात् आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में, की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **अद्यतन जानकारी :-** प्रकोष्ठ में नरसिंहपुर जिला अंतर्गत पदस्थ तहसीलदार के विरूद्ध 01 अपराधिक प्रकरण विवेचनाधीन है एवं 01 शिकायत जांच दर्ज होकर सत्यापनाधीन है। विवेचना/जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का विधिसम्मत् निराकरण किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-12/2015/1-10, दिनांक 25.06.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है विभाग संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर तथा जांच जो सत्यापनाधीन है, में भी त्वरित विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
392.	**346**	परि.ता.प्र.सं. 164 (क्र. 3938) दि. 12.03.2015 (श्री प्रताप सिंह)	नगर परिषद कैमोर जिला कटनी में की गई आर्थिक अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही।	प्रकरण की विवेचना की जा रही है। अनियमितता परिलक्षित होगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से पूर्ण उत्तर भेजने हेतु दिनांक 15.05.2015 को लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1031/1316/2015/1-10, दिनांक 25.05.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 13595/वि.स./आश्वा./2015, दि 30.06.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***विभाग द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को दिनांक 15.05.2015 को लिखे गये पत्र के पश्चात् आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में, की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** नगर परिषद कैमोर जिला कटनी में की गई आर्थिक अनियमितता के संबंध में प्रकोष्ठ में अपराध क्रमांक 71/2012 धारा 420 भादवि एवं 13(1) डी, 13(2) भ्रनिअ 1988 दिनांक 15.10.2012 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना गतिशील है विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत् कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-16/2015/1-10, दिनांक 31.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
393.	**100**	ता.प्र.सं.15 (क्र.442) दि.25.02.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	एम.वाय. चिकित्सालय इंदौर में उपचार हेतु लाये जाने वाले कैदियों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की पदस्थी कराई जाना।	कैदियों की सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल पदस्थ किये जाने हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर द्वारा स्थानीय पुलिस को लिखा गया है।	दिनांक 26.04.2015 से कैदी वार्ड प्रारंभ किया गया है, जहां भर्ती कैदी मरीजों का उपचार गहन सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। बंदी वार्ड से सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक 10 पुलिस बल स्थाई रूप से नियुक्त किया गया है। एम.वायऋएच. में बनाया गया बंदी वार्ड जेल नियमावली के अंतर्गत दिए गए नियमों के अनुसार ही लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है । इसमें सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाए गए है, जिससे उनकों पहचानने में आसानी हो सके। कैदी सदस्यों से मिलने वाले परिजनों के लिए समय निर्धारित किया गया है एवं मिलने वालों का आने जाने का समय व नाम दर्ज किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** f-10-68/2015/1/55, दिनांक 12.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
394.	**134**	अता.प्र.सं.89 (क्र.1908) दि.25.02.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	सुल्तानिया जनाना अस्पताल में नियम विरूद्ध क्रय करने के दोषी चिकित्सकों/ कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) तीन चिकित्सकों एवं दो कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। (2) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही कराई जा रही है।	(1) डॉ.नीरज बेदी, तत्कालीन अधीक्षक, सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल के विरूद्ध विभागीय जांच उपरांत दोषी होने के फलस्वरूप आदेश एफ 13-20/2014/1-55, दिनांक 29.12.2015 द्वारा 03 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं डॉ. सुधा मेहर चौरसिया, पूर्व अधीक्षक तथा डॉ. स्मिता भटनागर तत्कालीन सहायक अधीक्षक सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल को आंशिक रूप से दोषी होने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक एफ 13-20/2014/1-55, दिनांक 29.12.2015 द्वारा 01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा विभागीय जांच उपरांत श्री पी.डी.सूर्यवंशी, फार्मासिस्ट, ग्रेड-2 एवं श्री राजेन्द्र तिवारी, फार्मासिस्ट, ग्रेड-2, सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल को दोषी होने के फलस्वरूप उनके आदेश 18555-63, दिनांक 12.08.2015 द्वारा 01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-44/2015/1/55, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
395.	**154**	अता.प्र.सं.13 (क्र. 874) दि.12.12.2014 (श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल) ***दिसम्बर 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	निर्धारित अर्हता न रखने वाले फर्जी चिकित्सक के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही किया जाना।	संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में प्रकरण विचाराधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
396.	**276**	परि.ता.प्र.सं. 104 (क्र. 3004) दि. 04.03.2015 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप)	रतलाम में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य कराया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	रतलाम मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश रोड डव्लपमेन्ट कार्पोरेशन से निर्माण का निर्माण मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 09 जून 2015 को लिया गया तथा इसकी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश दिनांक 26.06.2015 को जारी की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-15/2015/55-2, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
397.	**407**	परि.ता.प्र.सं. 89 (क्र. 3548) दि. 17.03.2015 (श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया))	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में अंशदायी पेंशन प्लान योजना लागू की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप दिनांक 30.03.2013 द्वारा स्वशासी संस्थाओं में नवीन अंशदायी पेंशन योजना वित्तीय वर्ष से 2013 लागू किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। नवीन अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.01.2005 उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये लागू की गई हे। उक्त योजना लागू होने पूर्व प्रदेश में संचालित चिकित्सा दंत चिकित्सा एवं नर्सिंग महाविद्यालयों को राज्य शासन द्वारा 1997 से स्वशासी घोषित किये जाने से संस्थाओं में नियुक्त सभी संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में से सी.पी.एफ./ई.पी.एफ. का कटौत्रा स्वशासी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना ऐसे विभाग एवं संस्थाओं पर प्रभावशील है। जिन संस्थाओं में दिनांक 01.01.2005 के पूर्व भी पेंशन योजना लागू थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू किया गया है। विभाग के अंतर्गत संचालित स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा/नर्सिंग महाविद्यालयों एवं संबंद्ध चिकित्सालयों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में पेंशन योजना प्रभावशील नहीं थी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-21/2015/1/55, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
398.	**09**	परि.ता.प्र.सं.27 (क्र.422) दि.19.02.2014 (कुंवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन बिक्री में अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
399.	**10**	अता.प्र.सं.15 (क्र.251) दि.19.02.2015 (श्री हर्ष यादव)	सागर जिलान्तर्गत देवरी विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा में पर्ची उपलब्ध कराया जाना।	पात्र परिवारों को एक माह में पात्रता पर्ची उपलब्ध करा दी जावेगी।	सागर जिले के देवरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आवेदन करने वाले केसली जनपद के 466 एवं देवरी जनपद के 1623 पात्र परिवारों को पात्रता पर्चियों का वितरण कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 8-6/2015/29-1, दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
400.	**153**	अता.प्र.सं.05 (क्र. 407) दि.08.12.2014 (कुंवर सौरभ सिंह) ***दिसम्बर 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-2)**	कटनी जिले में उचित मूल्यों की दुकानों को नियम विरूद्ध पात्रता से अधिक खाद्य सामग्री आवंटित करने वाले अधिकारियों तथा दोषी उचित मूल्य की दुकानों के पदाधिकारियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) जिला आपूर्ति नियंत्रक जबलपुर के द्वारा जांच की जा रही है। (2) उल्लेखित शिकायत की जांच में विलंब करने के कारण जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (3) शेष व्यक्तियों से वसूली हेतु उनके विरूद्ध तहसीलदार द्वारा आर.आर.सी. जारी की गई है। (4) तत्समय कटनी जिले में पदस्थ जिला आपूर्ति अधिकारी श्री बी.आर.टेकाम एवं श्री के.आर.घोरे दोनों सेवानिवृत्त हो चुके है। तथापि उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई।	शिकायत अनुसार वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के अभिलेखों की जांच की जा रही है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा विकासखण्ड विजयराघवगढ़ के माह जून 2011 के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जनपद पंचायत की सूची में दर्ज राशनकार्ड संख्या एवं राशनकार्ड आवंटन सूची का मिलान किया गया । उक्त में एपीएल के 2345, बीपीएल के 367 अन्त्योदय कार्ड के 65 राशनकार्डो पर जनपद पंचायत की सूची में दर्ज कार्ड संख्या से अधिक आवंटन जारी किया जाना पाया गया, जिसमें वसूली योग्य राशि रू.710129.89/- है । शेष अवधि के अभिलेख जांचकर्ता अधिकारी को उपलबध कराने हेतु कलेक्टर को लिखा गया । वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा जांच के अंतिम आदेश पारित किये जाने पर रोक लगाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 8-147/2014/29-1, दि. 29.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
401.	**314**	परि.ता.प्र.सं. 111 (क्र. 3145) दि. 11.03.2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	परि.ता.प्र.सं.29(क्र. 316) दि.08.12.2014 के संदर्भ में बी.पी.एल. कार्ड का अनुचित लाभ लेने वालों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	(1) आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। (2) विवेचना की कार्यवाही पूर्ण होने पर कार्यवाही की जाएगी।	श्री रामकुमार उपाध्याय पिता श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय उम्र 66 वर्ष निवसी पाली जिला उमरिया द्वारा बीपीएल कार्ड का अनुचित लाभ लेने के संबंध में थाना बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया में दर्ज आपराधिक प्रकरण क्र. 198/14 धारा 420 में आरोपी को दिनांक 08.06.2015 को गिरफ्तार किया गया। चालान क्रमांक 146/15, दि.08.06.2015 मा.न्यायालय में दिनांक 17.06.2015 को पेश किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 8-48/2015/29-1, दि.01.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
402.	**315**	परि.ता.प्र.सं. 147 (क्र. 3703) दि. 11.03.2015 (श्री जितू पटवारी)	प्रदेश में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में म.प्र.वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कुप्रबंधन/ लापरवाही से अनाज खराब होने के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार अधिकारियो/ कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 में जारी दिशा निर्देश अनुसार निश्चित समय सीमा में जांच को पूर्ण की जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के तात्कालीक शाखा प्रबंधक बक्तरा श्री विद्याराम अर्गल, शाखा प्रबंधक पिपरिया (डोकरीखेड़ा) श्री जे.एस. पोरस, शाखा प्रबंधक पवारखेडा श्री एस.के. गुरूव एवं शाखा प्रबंधक हथनापुर श्री आई.एम.एस. मनचंदा जिला होशंगाबाद के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है।	म.प्र.वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के तत्कालीन शाखा प्रबंधक बक्तरा, श्री विद्याराम अर्गल का दिनांक 24.04.2015 को आकस्मिक निधन हो जाने से शासन के नियमानुसार उनकी विभागीय जांच समाप्त की गई। तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री जे.एस.पोरस, पिपरिया(डोकरीखेड़ा) के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, प्रकरण में निर्णय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री आई.एम.एस.मनचंदा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक हथनापुर जिला होशंगाबाद के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच पूर्ण होकर उनके विरूद्ध राशि रू.7,24,152.00 की वसूली हेतु शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है। श्री एस.के.गुरूव, तत्कालीन शाखा प्रबंधक पंवारखेड़ा के विरूद्ध दिनांक 23.03.2015 को आदेश जारी करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री गुरूव को समन भी जारी किये गये है। परन्तु श्री श्री गुरूव गंभीर पेट व्याधि के कारण विभिन्न स्टेट में सर्जरी होने से चिकित्सा अवकाश पर है, जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय जांच कार्यवाही लंबित है। उनके स्वस्थ होकर कर्तव्य पर उपस्थित होते ही विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-8/2015/29-2, दिनांक 24.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
ऊर्जा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
403.	**20**	ता.प्र.सं. 02 (क्र. 02) दि. 20.02.2015 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले के सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत डभौरा में पावर प्लांट लगाया जाना।	हम अपने विभाग से संबंधित कंपनी से यह प्रयास भी करेंगे कि वह कोल ब्लाक प्राप्त करने के बाद डभौरा में जरूर पावर प्लांट लगाये।	मेसर्स प्रास्परस इनर्जी मुंबई से 1320 मेगावाट हेतु क्रियान्वयन अनुबंध हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। उक्त कंपनी कोयले की व्यवस्था करने के लिये प्रयासरत है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर राज्य शासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 15.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
404.	**21**	ता.प्र.सं.16 (क्र.85) दि.20.02.2015 (श्री भारत सिंह कुशवाह)	(1) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के शेष फीडरों के विभक्तिकरण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना। (2) मॉनीटरिंग का काम संबंधित कंपनी द्वारा न किये जाने तथा घटिया निर्माण कराये जाने की जांच कराई जाना।	(1) उक्त कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है। (2) जरूर करा लेंगे।	(1) ग्वालियर जिले में टर्न-की ठेकेदार एजेंसी मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा कार्य में अत्याधिक विलंब किये जाने के कारण उक्त एजेंसी को जारी अवार्ड दि.15.04.2015 को निरस्त कर दिया गया है। शेष कार्य हेतु री-टेंडरिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) ग्वालियर जिले में फीडर सेपरेशन योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यो के क्रियान्वयन का सुपरविजन किये जाने हेतु मे. आई.टी.सी. नई दिल्ली एवं मेसर्स मेधाज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा.लि.लखनऊ को संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हेतु एल.ओ. की शर्तो के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही एवं निर्माण कार्य की स्टेण्डर्ड की जांच के लिये वृत्त कार्यालय में पदस्थ उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी जो फीडर सेपरेशन प्रोजेक्ट के लिये वृत्त में नोडल अधिकारी के रूप में पदस्थ है, के द्वारा दिनांक 06.02.2015 से 24.04.2015 की अवधि में विभिन्न तिथियों में कार्यो की जांच की गई है एवं जो भी कमियां पाई गई है, उन्हें संबंधित फर्म के द्वारा सुधार कार्य करवा कर दुरूस्त कराया गया है। सुधार कार्य पूर्ण होने के बाद ही किये गये कार्य को मान्य करते हुए भुगतान हेतु कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.07.2015	प्रकरण की कार्यवाही समय-सीमा में हो, इसे विभाग सुनिश्चित करें। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
405.	**22**	ता.प्र.सं.18 (क्र.360) दि.20.02.2015 (डॉ.मोहन यादव)	उज्जैन शहर में विद्युत दुर्घटना तथा सिंहस्थ क्षेत्र में कराये जा रहे विद्युतीकरण संबंधी कार्यो को दुर्घटना मुक्त रखे जाने हेतु सुदृढ व्यवस्थाएं किया जाना।	सारे मामलों में उनके साथ बातचीत करके और जो भी उसके लिए कदम उठाये जा सकते है, उठाने का निर्णय करेंगे।	माननीय विधायक महोदय की मंशा के अनुरूप विद्युत व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ किये जाने तथा माननीय विधायक महोदय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें कार्यो की स्थिति से अवगत कराने एवं यदि विधायक महोदय द्वारा कोई सुझाव/अनुशंसा की जाती है तो उसका नियमानुसार पालन सुनिश्चित करने हेतु पश्चित क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश दि.09.04.2015 द्वारा अधीक्षक अभियंता, उज्जैन को निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सिंहस्थ के दृष्टिगत विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्धेश्य से पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आदेश दि.30.10.2014 से एक नये संभाग का गठन किया गया है, जिसमें कुल 142 अधिकारी/ कर्मचारी पदस्थ किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
406.	**23**	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र.263) दि.20.02.2015 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य में विलंब के दोषी ठेकेदार से अनुबंध की शर्तो के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जाना।	क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जा रही है।	बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत विद्युतीकरण के कार्यो को समय सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कांट्रेक्ट के प्रावधानों के अनुसार संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से दि. 30.04.2015 तक क्षतिपूर्ति राशि रू.121.65 लाख की वसूली की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
407.	**24**	अता.प्र.सं.48 (क्र.571) दि.20.02.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	चंबल संभाग में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	भिण्ड जिले का शेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे है।	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत भिण्ड जिले के शेष कार्यो की शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु पत्राचार, नोटिस व समय-समय पर समीक्षा बैठकों में लक्ष्य की पूर्ति बाबत् निर्देश दिए गए है। टर्न-की ठेकेदार एजेंसी द्वारा निर्धरित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण ठेकेदार के देयकों से लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप राशि काटी जा रही है। माह मई 2015 तक रू.16.79 लाख पेनाल्टी स्वरूप राशि काटी जा चुकी है। शेष कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 03.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
408.	**172**	ता.प्र.सं.08 (क्र.1942) दि.27.02.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी)	बड़वाह विधान सभा क्षेत्र में शेष 45 ग्रामों के फीडर विभक्तिकरण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	45 ग्रामों का कार्य शेष है, जिसे माह अप्रैल 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।	बड़वाह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत फीडर विभक्तिकरण योजना में सम्मिलित कुल 187 ग्रामों में से प्रश्न दिनांक तक 142 ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका था तथा अप्रैल 2015 तक शेष 45 ग्रामों में से 06 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में शेष 39 ग्रामों को कार्य माह अगस्त 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
409.	**173**	परि.ता.प्र.सं.33 (क्र.1104) दि.27.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	पोहरी विधान सभा क्षेत्र के शेष 138 ग्रामों में अटल ज्योति योजनान्तर्गत सघन विद्युतीकरण तथा 22 अविद्युतीकृत ग्रामों में शीघ्र विद्युतीकरण कराया जाना ।	(1) प्रपत्र ब-1 एवं ब-2 में दर्शाए गए कुल 160 ग्रामों में फीडर सेपरेशन/ केबलीकरण का कार्य प्रगति पर है। प्रपत्र ब-1 में दर्शाए गए 138 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण एवं प्रपत्र ब-2 में दर्शाए गए 22 अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है। (2) उक्त कार्य माह अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (3) लाईन विस्तार कर अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।	(1) प्रपत्र ब-1 में दर्शाये 138 ग्रामों में से 30 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं प्रपत्र ब-2 में दर्शाये गए 22 ग्रामों से 05 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। (2) शेष कार्य माह अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास है। (3) लाईन विस्तार कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 03.07.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विद्युतीकरण कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।
410.	**174**	परि.ता.प्र.सं.66 (क्र.1730) दि.27.02.2015 श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले में दि.01.01.2010 से 31.01.2015 तक विद्युत कर्मचारियों के साथ हुई दुर्घटनाओं के लिये दोषी कर्मियों के विरूद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) विभागीय जांच जारी है। (2) विभागीय जांच पूर्ण होने के उपरांत दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आगे कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	सागर जिले के क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.01.2010 से 31.01.2015 तक विद्युत कर्मचारियों की दुर्घटनाओं के एक प्रकरण में प्रथम दृष्टया लाईन इंस्पेक्टर एवं सहायक लाईनमेन तथा अन्य एक प्रकरण में सहायक लाईनमेन को दोषी पाये जाने पर विभागीय जांच जारी है, जिसे शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबंधित जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा निर्देशित किया गया है । जांच पूर्ण होने पर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.06.2015	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभागीय जांच सा.प्र.विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निश्चित समय-सीमा में पूर्ण कर ली जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
411.	**175**	अता.प्र.सं.15 (क्र.647) दि.27.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया)	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत गुना एवं अशोकनगर जिलों के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत विद्युतीकरण के कार्यो को शीघ्र प्रारंभ कराया जाना।	निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत अधोसंरचना तथा ग्रामों के आबाद क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरा योजनान्तर्गत गुना एवं अशोक नगर जिले के स्वीकृत कार्यो की टर्न की आधार पर किये जाने हेतु क्रमश: मे.श्याम इडस पवार सोल्यूशंस लि.न्यू. देहली को दि.13.03.2015 को एवं मे.इनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस लि.गुडगांव (हरियाणा) को दि.11.03.2015 को अवार्ड जारी किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गुना जिले में 06 तथा अशोकनगर जिले में 5, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसके लिए निविदा उपरांत में सावन एसोसिएटस नागपुर को टर्न की आधार पर दिनांक 19.11.2014 को अवार्ड जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 26.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
412.	**176**	अता.प्र.सं.21 (क्र.786) दि.27.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	अशोकनगर जिले के ग्राम विक्रमपुर में विद्युत उप केन्द्र का निर्माण वन विभाग की चौकी के समीप कराये जाने हेतु शीघ्र तकनीकी परीक्षण कराया जाना।	तकनीकी परीक्षण उपरांत उपकेन्द्र हेतु स्थल परिवर्तन पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।	गुना जिले के ग्राम विक्रमपुर में विद्युत उपकेन्द्र के स्थल परिवर्तन हेतु तकनीकी परीक्षण में तकनीकी साध्यता नहीं होने के कारण, कलेक्टर कार्यालय भू-अभिलेख जिला अशोकनगर के द्वारा क्र. 10/10/अ 20(41)/भू-अ/नजूल/2014 दि.26.02.2014 के तहत पूर्व से ही आवंटित स्थल का सर्वे कार्य प्रगति पर है। इस कार्य हेतु टर्न की ठेकेदार एजेंसी मेसर्स इनर्गो नई दिल्ली को दिनांक 12.02.2015 को कार्यादेश दिया गया है, जिसका कार्य 02 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
413.	**177**	अता.प्र.सं.34 (क्र.916) दि.27.02.2015 (श्री राम सिंह यादव)	(1) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना। (2)म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना।	(1) उक्त प्रकरणों का परीक्षण करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। (2) उक्त प्रकरणों के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया में है।	(1) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के परिपत्र क्रमांक /प्रस/मक्षे/स्था./मासंप्र/स्था./829, दिनांक 23.04.2015 के अनुसार शिवपुरी जिले में कंपनी द्वारा लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति जो कि मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित की गई है, के प्रावधानों के अंतर्गत मृतक कर्मचारियों के 02 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु चयन किया गया है। वृत्त स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) कंपनी द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति नीति अनुसार कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरणों को सामान्य मृत्यु के प्रकरणों के ऊपर प्रथमिकता दी जाना है तथा अनुकंपा नियुक्ति हेतु दुर्घटना मृत्यु के आवेदनों पर विचार किये जाने के उपरांत ही अन्य प्रकरणों पर विचार किया जाना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकों की शैक्षणिक अर्हता एवं कंपनी की रिक्तियों के अनुरूप आवेदनों का परीक्षण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.07.2015	प्रक्रियाधीन लंबित अनुकंपा के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो। इस अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
414.	**178**	अता.प्र.सं.80 (क्र.1854) दि.27.02.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत शेष 157 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित समयावधि में कराया जाना।	शेष कार्य 30 जून 2015 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है।	लहार विधान सभा क्षेत्र में शेष ग्रामों में सघन विद्युतीकरण के कार्यो को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने के कारण टर्न-की ठेकेदार एजेंसी के देयकों से लिक्विडेटेड के रूप में पेनाल्टी स्वरूप राशि काटी जा रही है। माह मई 2015 तक रू.16.79 लाख पेनाल्टी राशि काटी जा चुकी है। शेष कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-286/2015/तेरह, दिनांक 03.07.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विद्युतीकरण का शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
415.	**179**	अता.प्र.सं.81 (क्र.1874) दि.27.02.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रतिष्ठापित किये जाने का कार्य शीघ्र कराया जाना।	उक्त कार्य वर्ष 2015-16 में पूर्ण किये जाने के प्रयास है।	महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर/ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के समस्त 38 स्वीकृत कार्य पूर्ण किये जा चुके है। महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण योजना 2015-16 के अंतर्गत 115 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर/ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के कार्य किये जाने प्रस्तावित है। उक्त कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार संपादित किये जा सकेंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 26.06.2015	समिति विभागीय कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करती है और इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि प्रस्तावित अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर एवं क्षमता वृद्धि के विद्युत ट्रांसफार्मर का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
416.	**318**	परि.ता.प्र.सं. 08 (क्र. 210) दि. 12.03.2015 (श्री भारत सिंह कुशवाह)	(1) ग्वालियर जिले के ग्राम डबरा में के.वी. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण न किये जाने पर दोषी फर्म के विरूद्ध कार्यवाही। (2) विद्युत लाईन निर्माण में क्षतिग्रस्त हुई फसलों की किसानों को मुआवजा राशि दिलाया जाना।	(1) फर्म से नियमानुसार शास्ति अधिरोपित करते हुए, अर्थदण्ड वसूल किया जावेगा। (2) मुआवजा राशि के निर्धारण एवं राजस्व अधिकारी से स्वीकृति के प्रकरण प्रक्रियाधीन है। मुआवजा दिया जाना है जिनके प्रकरण प्रक्रियाधीन है। 01 माह में मुआवजा राशि दे दी जायेगी।	**1. -** (अ) ग्वालियर जिले के ग्राम डबका(डबरा नहीं) में 132 के.व्ही.उपकेन्द्र हस्तिनापुर का कार्य निर्माणधीन है। उपरोक्त कार्य हेतु मेसर्स सीजीएल को दिये गये कार्यादेश क्र. 04-01/6549-3/जायका/टीके, दि.18.09.2012, जिसकी कुल समयावधि 18 माह है की शर्तो के अनुसार नियत समयावधि के पश्चात् संपादित कार्य का कोई भी देयक अभी तक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा भविष्य में बिल प्रस्तुत करने पर आदेश की नियत शर्तो अनुसार अधिकतम 10 प्रतिशत पेनाल्टी राशि का काटने की कार्यवाही की जावेगी। (ब) मेसर्स जीनस पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर को 132 के.व्ही.ग्वालियर (द्वितीय) हस्तिनापुर लाईन निर्माण हेतु प्रदत्त कार्यादेश क्रमांक 04-01/टी-आर-76/सप्लाई/जेड-853/06593-2, दिनांक 03.06.2013 एवं कार्यादेश क्र. 04-01/टी.आर.-76/इरेक्शन/जेड-853/06594-3, दिनांक 03.06.2013 जिनकी नियत समयावधि 12 माह है के अंतर्गत अब तक प्रदाय सामग्री एवं लाईन निर्माण कार्य के ठेकेदार कंपनी द्वारा प्रस्तुत बिलों में से कार्यादेश की शर्तो के अनुसार रू.85,48,307/- की राशि ठेकेदार कंपनी के देयकों से काटी जा चुकी है। **2. -** लाईन निर्माण हेतु टॉवर लगाने के दौरान हुए फसल नुकसान के 29 प्रकरण एवं गेन्ट्री लगाने के दौरान हुए फसल नुकसान के 02 प्रकरण (कुल 31 प्रकरण) मुआवजा निर्धारण हेतु राजस्व कार्यालयों में लंबित थे, जिसमें से 30 कृषकों के प्रकरण मुआवजा निर्धारण के पश्चात् माह अप्रैल 2015 एवं मई 2015 में राजस्व कार्यालय से प्राप्त हुए है। एक प्रकरण में शासकीय भूमि होने के कारण राजस्व अधिकारी द्वारा मुआवजा	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					प्रकरण निरस्त किया गया है । स्वीकृत 30 प्रकरणों में से 19 कृषकों को मुआवजे का वितरण किया जा चुका है एवं 11 कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 09.06.2015	
417.	**319**	परि.ता.प्र.सं. 19 (क्र. 888) दि. 12.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में बिना वैध स्वीकृति के पंपों का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	श्री आशीष सक्सेना, कनिष्ठ यंत्री को आदेश क्रमांक 1078-79, दि.11.03.2015 के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। तदुपरांत आदेश क्र. 03-04, दि.08.04.2015 के द्वारा उन्हें बहाल किया जाकर पदथापना महाप्रबंधक वृत्त शिवपुरी में की गई है एवं आदेश क्रमांक 223 दि.28.05.2015 के द्वारा उनेक विरूद्ध जांच हेतु जांच अधिकारी श्री एस.पी.दुबे एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री रोहित गुप्ता को नियुक्त कर जांच कार्यवाही प्रक्रिया में है। (2) श्री सुभाष नाग, कनिष्ठ यंत्री भदौरा के वियद्ध आदेश क्रमांक 109, दि.26.04.2014 के द्वारा परिनिंदा कर कार्यवाही कर दी गई है। (3) श्री ईलेश सस्तियां, कनिष्ठ यंत्री रामपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर आदेश क्रमांक 814-15, दि.15.12.2014 के द्वारा एक वेतन वृद्धि रोकी गई है एवं कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 935, दिनांक 09.01.2015 में उत्तर प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही लंबित है। (4) श्री रविकांत चौहान, कनिष्ठ यंत्री बमौरी को कारण बताओ सूचना पत्र क्र.9725, दि.24.02.2015 जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यवाही लंबित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.07.2015	मामले की जांच समय-सीमा में पूर्ण हो। प्रकरण में दोषी दण्डित हों, इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
418.	**320**	परि.ता.प्र.सं. 28 (क्र. 1198) दि. 12.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक 33/11 विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाना।	(1) वितरण कंपनी स्तर पर प्राप्त हुए हैं जिनमें तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। वितरण कंपनी द्वारा कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) जी हॉं, अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।	(1) जो कार्य स्वीकृत नहीं है, उनकी तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जावेगी । अत: स्वीकृति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (2) अपूर्ण कार्यो में से ग्राम मकडावदा का कार्य दिनांक 01.05.2015 को पूर्ण कर दिया गया है। ग्राम आसीदा में विद्युत उपकेन्द्र का कार्य प्रगति पर है, जिसे माह अगस्त 2015 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है। ए.डी.बी. योजना के अंतर्गत श्योपुर जिले में स्वीकृत विद्युत उप केन्द्र राडेप में विद्युत लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं विद्युत उप केन्द्र का लगभग 80 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण हो चुका है । 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र चरोंद में 33 के.व्ही.लाईन के खम्भे खड़े करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है व विद्युत उपकेन्द्र में सिविल निर्माण का कार्य प्रगति पर है। श्योपुर शहर विद्युत उपकेन्द्र हेतु पूर्व में आवंटित भूमि के कुछ हिस्से पर आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण हो जाने के कारण उक्त स्थल पर विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। इस हेतु महाप्रबंधक (संचा/संधा) श्योपुर द्वारा पत्र क्र. 831, दि.27.06.2015 से कलेक्टर, जिला श्योपुर को अन्यत्र भूमि आवंटित करने हेतु लिखा गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत ग्राम सामरसा में नवीन विद्युत उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटित हो चुकी है तथा उक्त कार्य को कार्यादेश में सिमेकल इलेक्ट्रिकल कंपनी, मुंबई को जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
419.	**321**	परि.ता.प्र.सं. 29 (क्र. 1199) दि. 12.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले में फीडरों के अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों को मार्च 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास हैं।	टर्न-की कांट्रेक्टर मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड द्वारा कार्य में अत्यधिक विलंब करने के कारण उनका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। श्योपुर जिले में फीडर विभक्तिकरण का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए नई एजेंसी को अनुबंधित करने हेतु टेण्डर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तदुपरांत ठेकेदार एजेंसी का निर्धारण कर यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दि.26.06.2015	समिति विभागीय कार्यवाही से संतुष्ट है, लेकिन यह भी चाहती है कि फीडरों के अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य जो लंबित हो रहे है, वे भी समय पर पूर्ण हो ताकि आमजन लाभान्वित हो सकें।
420.	**322**	परि.ता.प्र.सं. 38 (क्र. 1439) दि. 12.03.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	शेष रहे जीर्णशीर्ण पोल बदले जाने/रास्ते से हटाये जाने एवं नवीन पोल लगाये जाने का कार्य पूर्ण किया जाना।	पोल बदले जाने/रास्ते से हटाये जाने एवं नवीन पोल लगाए जाने का प्रश्नाधीन कार्य क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही आरएपीडीआरपी योजना में ठेकेदार एजेंसी से जून 2015 तक पूर्ण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे है।	जीर्ण-शीर्ण पोल बदले जाने एवं नवीन पोल लगाए जाने का शेष कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार एजेंसी मेसर्स ए.टू.जेड.कंपनी को निर्देशित किया गया है। शेष कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण होना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 26.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
421.	**323**	परि.ता.प्र.सं. 42 (क्र. 1600) दि. 12.03.2015 (श्रीमती संगीता चारेल)	सैलाना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों/मजरों/ टोलों में नये विद्युत कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जाना।	13759 घरेलू कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त शेष कार्य अगस्त 2016 तक पूर्ण कर दिये जाएगें। इन उपकेन्द्रों का कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण होना संभावित है।	सैलाना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वास्तवित सर्वे तथा उपलब्ध स्वीकृत राशि अनुसार पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन को पुनरीक्षित करने के पश्चात् 103 ग्रामों में कुल 8466 बी.पी.एल.कनेक्शन दिये जाने है। उक्त कार्य हेतु कार्यादेश मेसर्स आनंद इलेक्ट्रिकल, नई दिल्ली को दिया गया है । दिनांक 15.05.2015 तक 8466 बी.पी.एल. कनेक्शन में से 2770 कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है जिसे माह अगस्त 2016 तक पूर्ण किया जाना है। ग्राम करिया एवं कोटड़ा में नवीन 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य एस.सी.पी. योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। उक्त कार्य हेतु भूमि उपलब्ध करवा दी गई है। कोटड़ा उप केन्द्र का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आश्वासन के अनुसार उक्त कार्य माह 2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दि 22.06.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विद्युत कनेक्शन का कार्य समय सीमा में पूर्ण किये जाने कर, दिये गये आश्वासन की शीघ्र पूर्ति कर समिति को अवगत करायें।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
422.	**324**	परि.ता.प्र.सं. 55 (क्र. 2076) दि. 12.03.2015 (श्री संजय शर्मा)	तेंदूखेड़ा विधानसभा के अंतर्गत सुन्हेटी में सब स्टेशन का कार्य पूर्ण किया जाना।	कार्य योजनानुसार प्रश्नाधीन नवीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का कार्य अप्रैल 15 से प्रारंभ होना संभावित है तथा ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य अप्रैल-16 में पूर्ण होने की संभावना है।	जिला नरसिंहपुर के विधान सभा क्षेत्र तेन्दुखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुन्हेटी में प्रस्तावित नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य ए.डी.बी. योजनान्तर्गत टर्न की आधार पर मेसर्स गोदरेज एण्ड बॉयज मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा अप्रैल 2015 से प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में 33 के.व्ही.लाईन तथा सबस्टेशन की भूमि समतलीकरण का कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
423.	**325**	परि.ता.प्र.सं. 57 (क्र. 2115) दि. 12.03.2015 (पं.रमाकान्त तिवारी)	घरेलू उपभोक्ताओं के घर बिजली के मीटर लगाया जाना।	मार्च-2016 तक शतप्रतिशत मीटरीकरण का कार्य किया जाना अनुमानित है।	(1) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर क्षेत्रान्तर्गत माह मार्च-2015 की स्थिति में बिना विद्युत मीटर वाले घरेलू कनेक्शनों की संख्या 1,15,634 थी। माह मई 2015 की स्थिति में कुल 721 विद्युत मीटर स्थापित किये जा चुके है, शेष 1,14,913 बिना विद्युत मीटर वाले घरेलू कनेक्शनों पर विद्युत मीटर स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। (2) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 31.05.2015 की स्थिति में अमीटरीकृत कनेक्शनों की संख्या 1,62,482 है। शेष कार्य प्रगति पर है। (3) पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013-14 में कुल 426003 तथा वर्ष 2014-15 में कुल 2,36,051 गैर मीटरीकृत उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर स्थापित किये गये है। माह मार्च-15 की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के 355809 गैर मीटरीकृत घरेलू उपभोक्ता है, जिनके परिसरों में मीटर की स्थापना किया जाना शेष है। गैर मीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहां संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वितरण कंपनी द्वारा व्यवस्था कर मीटर लगाये जा रहे है। शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगा दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा लागू दीनदयाल ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत गैर मीटरकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु मीटर लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार शेष बचे उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर स्थापित किए जाने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त समस्त शेष कार्य माह मार्च 2017 तक किया जाना अनुमानित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 06.07.2015	मीटरीकरण का शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जायें, इसे विभाग सुनिश्चित करें। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
424.	**326**	परि.ता.प्र.सं. 77 (क्र. 2465) दि. 12.03.2015 (श्री सचिन यादव)	कसरावद विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना।	शेष बचे कार्य को माह जुलाई 2015 तक किया जाना संभावित है।	कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुल 227 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य में से 140 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है। शेष 87 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 22.06.2015	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि शेष 87 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाये।
425.	**327**	अता.प्र.सं. 07 (क्र. 767) दि. 12.03.2015 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले के तहसील वीरपुर के ग्राम रघुनाथपुर में विद्युत उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण किया जाना।	विद्युत उपकेन्द्र का कार्य दिनांक 30.04.2015 तक पूर्ण होना संभावित है।	श्योपुर जिले की तहसील वीरपुर के ग्राम रघुनाथपुर में विद्युत उपकेन्द्र का कार्य दिनांक 15.08.2015 तक ठेकेदार एजेंसी से पूर्ण करोन के प्रयास किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 26.06.2015	विद्युत उपकेन्द्र का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करा लिया जायेगा। समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है।
426.	**328**	अता.प्र.सं. 26 (क्र. 1755) दि. 12.03.2015 (श्री अमर सिंह यादव)	राजगढ़ विधान सभा के समस्त ग्रामों के क्षतिग्रस्त पोलों एवं तारों का मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाना।	कार्य दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।	राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 10 ग्रामों में 11 के.व्ही.लाईन के 86 विद्युत पोल आंधी-तूफान के कारण टूटे थे। उक्त सभी पोल दि.31.03.2015 तक बदल दिये गये थे। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 26.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
427.	**329**	अता.प्र.सं. 35 (क्र. 2248) दि. 12.03.2015 (श्री रामपाल सिंह)	जिला शहडोल के ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब/फेल ट्रांसफार्मरों को बदला जाना।	(1) नियमानुसार बकाया राशि की अंश राशि का भुगतान हो जाने के पश्चात् इन 16 ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्यवाही की जा सकेगी। (2) नियमानुसार बकाया राशि 50 प्रतिशत जमा करने के उपरांत ट्रांसफार्मरों को बदला जा सकेगा।	जिला शहडोल के ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब/फेल 16 वितरण ट्रांसफार्मर से सम्बद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि जमा करने पर सभी खराब/फेल ट्रांसफार्मरों को दि.27.05.2015 तक बदल दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
428.	**465**	परि.ता.प्र.सं. 07 (क्र. 1200) दि. 19.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले में फीडर विभक्तिकरण कार्य अंतर्गत में कार्य पूर्ण नहीं किये पर ठेकेदार से अनुबंध अनुसार पेनाल्टी स्वरूप की राशि वसूली जाने एवं शेष कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना ।	लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप राशि काटी जा रही है । फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रश्नाधीन शेष कार्यों को मार्च 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है।	टर्न की कांट्रेक्टर मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य नहीं करने के कारण नियमानुसार लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में रू.48.55 लाख की राशि पेनल्टी स्वरूप काटी गई है एवं उक्त ठेकेदार एजेंसी का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। शेष कार्य पूर्ण करने के लिए नई एजेंसी को अनुबंधित करने हेतु टेण्डर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है । तदुपरांत ठेकेदार एजेंसी का निर्धारण कर यथाशीघ्र शेष कार्य पूर्ण कराया जायेगा । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 26.06.2015	समिति विभागीय कार्यवाही से संतुष्ट है, लेकिन यह भी चाहती है कि फीडरों के अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य जो लंबित हो रहे है, वह भी समय पर पूर्ण हो ताकि आमजन लाभान्वित हो सकें।
429.	**466**	परि.ता.प्र.सं. 69 (क्र. 4025) दि. 19.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना))	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मऊगंज उत्तर संभाग रीवा के हितग्राही श्री पुसई कुशवाहा द्वारा विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के बावजूद विद्युत देयक प्रदाय किये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जांच ।	प्रकरण में दोषी कर्मचारी/अधिकारी को चिन्हित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है ।	कार्यपालन अभियंता (संचा.-संधा.) मऊगंज द्वारा आश्वासन में उल्लेखित प्रकरण में जांच पूर्ण कर आदेश क्र. 943-44, दिनांक 22.06.2015 द्वारा श्री पी.एल.वर्मा, कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन को परिनिंदा दण्ड पारित किया गया है तथा आदेश क्र. 947-48, दि.22.06.2015 द्वारा श्री इंद्रमणि प्रसाद मिश्रा, लाईन सहायक की एक आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
430.	**467**	परि.ता.प्र.सं. 156 (क्र. 5393) दि. 19.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पेटलवाद एवं ग्राम कछलिया सरूयद में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया जाना एवं अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाया जाना।	(1) उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। (2) ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य विचाराधीन है। (3) सभी कार्य दिनांक 31.12.2015 के पूर्व पूर्ण कर लिये जावेंगे।	महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पेटलावद में नवीन 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रणाली (1) सुदृढीकरण योजना वर्ष 2015-16 के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर किया जा सकेगा। प्रारंभिक सर्वे के आधार पर आवश्यक पाया गया। ग्राम कछलिया सैयद(कछलिया सरूयद नहीं) में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य वर्तमान में आवश्यक नहीं पाया गया है। ग्राम कछलिया सैयद एवं आसपास के गांवों को ग्राम इन्दौख में स्थापित 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र से निर्गमित 11 के.व्ही.डेलवाडी फीडर से सुचारू रूप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। ग्राम कछलिया सैयद वर्तमान में स्थापित 33/11 के.व्ही.उप केन्द्र इन्दौख से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त उपकेन्द्र पर वर्तमान में 2X5 एमव्हीए क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित है। विगत रबी सीजन 2014-15 में 11 के.व्ही.डेलवाड़ी फीडर पर अधिकतम भार 110 एम्पीयर एवं अंतिम बिन्दु पर वोल्टेज रेग्यूलेशन (व्ही.आर.) 5.99 प्रतिशत रहा था। अत: वर्तमान में ग्राम कछलिया सैयद में नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है। (2) महिदपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र इन्दौख रूपेटा, घोसला एवं बंजारी में विद्यमान पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता 3.15 एमव्हीए से बढ़ाकर 05 एमव्हीए करने तथा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र आकयालिम्बा एवं झा ाडी पर अतिरिक्त 05 एमव्हीए क्षमता का पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु एडीबी वित्त पोषित योजना के अंतर्गत मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स एण्ड मेन्यु.प्राइवेट लिमिटेड सांगली (महाराष्ट्र) को कार्यादेश क्रमांक MD/WZ/06/PUR/ADB-III/PPR-	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					41/16/702-703, दिनांक 13.01.2014 द्वारा कार्यादेश जारी किया गया है। कार्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त कार्यो को जून 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्यो में से 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र इन्दौख में विद्यमान पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता 3.15 एमव्हीए से बढ़ाकर 05 एमव्हीए करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। (3) इसी प्रकार महिदपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र सेमलिया, खेड़ामददा, झुटावद, चोरवासा, गोगाखेड़ा, जगोटी एवं खेड़ाखजुरिया में विद्यमान पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता 3.15 एमव्हीए से बढ़ाकर 05 एमव्हीए तथा 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र ढाबलीखम्मा पर अतिरिक्त 05 एमव्हीए पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित करने के कार्य प्रणाली सुदृढीकरण योजना वर्ष 2015-16 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर किया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 03.07.2015	
431.	**468**	परि.ता.प्र.सं. 168 (क्र. 5465) दि. 19.03.2015 (श्री विष्णु खत्री)	बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना।	कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।	बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत टर्न-की ठेकेदार एजेंसी मेसर्स एरा-इन्फ्रा द्वारा कार्य में अत्याधिक विलंब किया गया है। अभी तक लगभग 20 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किये गये है। उक्त एजेंसी को समय-समय पर वितरण कंपनी स्तर पर एवं महाप्रबंधक(संचा/संधा.) भोपाल द्वारा किये गये पत्राचार के माध्यम से कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के लिये निर्देशित किया गया है। कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 03.07.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि शेष विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
432.	**469**	अता.प्र.सं. 07 (क्र. 2231) दि. 19.03.2015 (सुश्री उषा ठाकुर)	म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी पूर्व/पश्चिम में रिक्त अधीक्षण यंत्री के पदों की पूर्ति पदोन्नति से किया जाना।	वर्ष 2015 में की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।	पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा यथाशीघ्र पदोन्नति कर दी जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक निरंक	कोई टिप्पणी नहीं.
433.	**470**	अता.प्र.सं. 128 (क्र. 5424) दि. 19.03.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव अनुसार ओवर लोड की समस्या के निराकरण हेतु अतिरिक्त क्षमता/वृद्धि हेतु विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना।	44 ग्रामों में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर/क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।	कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रारंभिक सर्वे अनुसार 44 ग्रामों में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर/क्षमता वृद्धि के कार्यो हेतु चयन कर सर्वे प्रस्ताव पर परीक्षण करने पर पाया गया है कि 39 ग्रामों में अतिरिक्त/क्षमता वृद्धि वितरण ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल कर लिया गया है। शेष में से 04 ग्रामों में वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं पाये जाने के कारण अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर लगाने अथवा क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है तथा 01 ग्राम में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर 12वीं पंचवर्षीय योजनायें स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल है, जिसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-286/2015/तेरह, दिनांक 04.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
434.	**95**	अता.प्र.सं.59 (क्र.1289) दि. 24.02.2015 (श्री आर.डी.प्रजापति)	छतरपुर जिले में उद्योगों के लिए आवंटित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले उद्यमियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।	मेसर्स राज एग्रो इण्डस्ट्रीज छतरपुर द्वारा दिये प्रयोजन से हटकर अन्य कार्य (धर्मकांटा) का समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण इकाई का आवंटन आदेश एवं लीज डीड निरस्त की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 12-13/2015/बी-ग्यारह, दिनांक 05.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
435.	**404**	अता.प्र.सं. 86 (क्र. 3884) दि. 16.03.2015 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	सेडमेप के कार्यकारी संचालक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जी हॉं। जॉच प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
आयुष विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
436.	**277**	ता.प्र.सं. 11 (क्र. 2838) दि. 04.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	म.प्र.आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के रजिस्ट्रार के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच एवं जांचोपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जॉच प्रतिवेदन एवं शिकायत एवं शिकायत में उल्लेखित बिन्दु संचालनालय स्तर पर परीक्षणाधीन हैं।	शिकायत की जांच कराई गई। शिकायत के कुछ बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन में अनियमितता किया जाना गया। फलस्वरूप संचालक के पत्र क्रमांक 1/शिका./2016/ 523-27, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा डॉ.खाम्बरा के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया। **विभागीय पत्र कमांक :-** एफ 6-8/15/1/59, दिनांक 25.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
खनिज साधन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
437.	**31**	ता.प्र.सं.07 (क्र.562) दि.20.02.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	प्रदेश में रेत के दामों में की जा रही मनमानी वृद्धि की जांच कराई जाकर रेत की कीमत तय करने के संबंध में स्पष्ट मापदण्ड निर्धारित किया जाना।	(1) इस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे कि कीमतों के बारे में क्या किया जा सकता है। (2) जैसा माननीय सदस्य बता रहे है कि उनके यहां तीस-पैंतीस हजार रूपये ट्रक है, इसकी भी मैं जांच करा लूंगा। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस पर विचार करेंगे।	(1) प्रदेश में रेत खनिज के बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने का म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 में कोई प्रावधान नहीं है। (2) भिण्ड जिले में रेत खनिज लगभग 600 रू. प्रति घनमीटर की दर से विक्रय हो रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3666/2241/2015/12/1 दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
438.	**32**	ता.प्र.सं.08 (क्र.493) दि.20.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम राहतगढ़ के समीप ग्राम मीरखेड़ी में अविकसित खदानों से हो रहे अवैध उत्खनन की जांच विभागीय अधिकारियों की टीम के माध्यम से कराई जाना।	वहां पर एक टीम भेजकर उस पर कार्यवाही करेंगे।	आश्वासन के विषय एवं रूप अनुसार जांच हेतु संचालक के आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा निम्नानुसार अधिकारियों का जांच दल गठित किया गया था। 1. श्री एम.आई. सिद्दीकी, अधीक्षण भौमिकीविद 2. श्री एस.बी.तिवारी भार साधक अधिकारी 3. श्री राजेन्द्र सोंप, सहायक भौमिकीविद 4. श्री सुखदेव निर्मल, खनि निरीक्षक जांच दल द्वारा दिनांक 25 एवं 26.02.2015 को ग्राम मीरखेड़ी एवं आसपास के अन्य ग्रामों/क्षेत्रों में अवैध उत्खनन/परिवहन की जांच की गई एवं प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2015 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम मीरखेड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में कोई अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया। जांच के दौरान तीन वाहन अवैध परिवहन करते हुये पाये गये, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 40,000/- रूपये अर्थदण्ड जमा कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2453/876/2015/12/1, दि.08.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
439.	**33**	ता.प्र.सं.12 (क्र.375) दि.20.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	(1) प्रदेश के होशंगाबाद, भोपाल एवं जबलपुर संभागों में खनिजों के अवैध परिवहन की सूची मा.सदस्य को उपलब्ध कराई जाना। (2) प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाई जाना।	(1) आज ही उपलब्ध कर देंगे। (2) बाकी जो आपने सुझाव दिये है उस पर जरूर विचार करेंगे।	(1) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.02.2015 से माननीय सदस्य को सूचित किया गया था कि भोपाल संभाग की जानकारी पत्र के उत्तर के साथ प्रेषित की गई है तथा नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभाग के 11 जिलों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने में समय लग रहा है। जानकारी एकत्रित होते ही उपलब्ध करा दी जायेगी। (2) जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग से जानकारी संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र दिनांक 20.03.2015 से प्राप्त हुई थी, जिसे इस विभाग के पत्र दिनांक 26.03.2015 से माननीय सदस्य को प्रेषित किया गया है। प्रदेश में समय-समय पर जांच कर जिला प्रशासन द्वारा पाये जाने पर अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरणों पर कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा समय-समय पर विभाग के संभागीय उड़नदस्ता द्वारा भी जांच की कार्यवाही की जाती है। विभाग में विजिलेंस सेल बनाये जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 16-3/2015/12/1, दिनांक 29.04.2015	आश्वासन अनुरूप नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभाग के 11 जिलों से संबंधित जानकारी माननीय सदस्य को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए एवं विजीलेन्स सेल बनाये जाने की समस्त विभागीय कार्यवाही निश्चित समय सीमा में पूर्ण की जाए, इस निर्देश के साथ समिति कृत कार्यवाही से 03 माह की समयावधि में अवगत होना चाहेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
440.	**167**	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र. 596) दि.01.07.2014 (श्री मुकेश नायक) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	पन्ना जिले के ग्राम कुटनी बन्डौरा, तहसील पवई में स्वीकृत खदानों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच प्रतिवेदन का शीघ्र परीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	उक्त प्रतिवेदन की जांच करने हेतु कलेक्टर, पन्ना द्वारा दिनांक 05.09.2014 को अपर कलेक्टर, पन्ना की अध्यक्षता में दल गठित किया गया है।	आश्वासन की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने हेतु कलेक्टर, पन्ना को पत्र दिनांक 08.05.2015 प्रेषित किया गया है । जानकारी अप्राप्त है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3668/2235/2015/12/1, दिनांक 06.07.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 17250/वि.स./आश्वा./2015, दिनांक 06.08.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा जांच कर रिपोर्ट दी गई अथवा नहीं ? जांच वर्तमान में किस स्थिति में है ? कब तक पूर्ण होगी ? विलंब के कारणों पर टीप के साथ अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	कलेक्टर, पन्ना द्वारा प्रतिवेदन की जांच हेतु अपर कलेक्टर पन्ना की अध्यक्षता में गठित दल द्वारा जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षो के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, इस निर्देश के साथ समिति कृत कार्यवाही से 03 माह की समयावधि में अवगत होना चाहेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
441.	**168**	अता.प्र.सं.03 (क्र.118) दि.01.07.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	रियो टिंटो कंपनी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	वन संरक्षक, छतरपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर को पत्र दिनांक 09.05.2014 से जांच कर प्रतिवेदन हेतु लेख किया गया है।	आश्वासन की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने हेतु कलेक्टर, छतरपुर को पत्र दिनांक 08.05.2015 प्रेषित किया गया है । जानकारी अप्राप्त है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3658/2236/2015/12/1, दिनांक 06.07.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 17250/वि.स./आश्वा./2015, दि.06.08.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रतिवेदन 10 माह विलंब के बाद भी प्राप्त न होने का क्या कारण है ? विलंब के कारणों पर टीप के साथ अद्यतन जानकारी ।*** **अद्यतन जानकारी :-** कलेक्टर, छतरपुर ने पत्र दिनांक 22.01.2016 के द्वारा प्रेषित अद्यतन जानकारी अनुसार :- वन संरक्षक सामान्य, वनमण्डल, छतरपुर द्वारा जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्ता जांच के समय उपस्थित नहीं हुये। जिन वन क्षेत्रों में कंपनी के द्वारा ड्रिलिंग का कार्य किया गया, वहां के वन अमले एवं ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन प्रा.लि. कंपनी(बंदर प्रोजेक्ट) के नाम से वन परिक्षेत्र वकस्वाहा अंतर्गत वन क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग का कार्य वर्ष 2006 से 2011 तक किया गया है। कार्य उपरांत बोर होलो को बंद कर दिया गया है, जिसकी कंपनी को वैधानिक स्वीकृति दी गई थी । वर्तमान में कंपनी के द्वारा कोई खनन संबंधी कार्य नहीं किया जा रहा है। वन क्षेत्र में अन्य जीवों/वन्य प्राणियों के पीने हेतु पानी के लिए प्राकृतिक जल स्त्रोत है, जिनकी विभागीय मद की राशि से साफ-सफाई तथा पानी की व्यवस्था की जाती है। क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय,	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के अनुसार वर्तमान में मेसर्स रियोटिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया(प्रा.) लि. तहसील वक्सवाहा, जिला छतरपुर को जल/वायु अधिनियमों के तहत प्रोसेसिंग ऑफ किम्बरलाईट हेतु सम्मति प्रदान की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2016 तक है तथा बोर्ड द्वारा वर्तमान में खनन कार्य सम्मति प्रदत्त नहीं की गई है, शिकायत से संबंधित अन्य बिन्दु इस कार्यालय से संबंधित नहीं है । खनन हेतु पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के संबंध में मेसर्स रियोटिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया(प्रा.) लि. द्वारा बंदर डायमण्ड माईन(नार्मेटिव 7.15 मिलियन टन/वर्ष रकबा 954 हेक्टेयर) हेतु आवेदन भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28 मार्च 2013 द्वारा TOR जारी किया गयाथा । उद्योग द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल में लोक सुनवाई के आयोजन हेतु आवेदन किया गया । लोक सुनवाई हेतु तिथि एवं स्थल का सुनिश्चियन कलेक्टर, छतरपुर द्वारा किया गया, तत्पश्चात् लोक सुनवाई क्षेत्रीय कर्यालय, म.प्र.नियंत्रण बोर्ड द्वारा संपन्न कराई गई, लोक सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 10.01.2014, टाईम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 11.01.2014 को प्रकाशित की गई थी । लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 12.02.2014 को ग्राम कसेरा, ग्राम पंचायत वीरमपुरा, तहसील वक्सवाहा, जिला कलेक्टर, छतरपुर की अध्यक्षता में संपन्न कराई गई है । लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियां, सुझाव, टीका-टिप्पणी तथा लोक सुनवाई की वीडियाग्राफी सहित समस्त जानकारी भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर अग्रेषित करने हेतु म.प्र.प्रदूषण बोर्ड भोपाल को प्रेषित की गई है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					लोक सुनवाई संबंधी कार्यवाही का विवरण जन-सामान्य के अवलोकनार्थ भी जिला कार्यालय छतरपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र छतरपुर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बिजावर तथा संरपच ग्राम पंचायत वीरमपुर में रखवाये गये है। क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर द्वारा जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि मेसर्स रियोटिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. (बंदर डायमण्ड प्रोजेक्ट) को खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 22 के तहत खनन योजना, खनन पट्टा स्वीकृति हेतु अनुमोदित की गई है । अभी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता डॉ.प्रणय तिवारी द्वारा लगातार खनन से पारिस्थितिकी को खतरा उत्पन्न हो रहा है के आरोप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रांसगिक है। श्रम पदाधिकारी, जिला छतरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा अन्य विभाग से संबंधित मुद्दों के साथ रियोटिन्टों कंपनी वकस्वाहा के द्वारा कर्मचारियों को नियमित नहीं करने पर उनके भविष्य के प्रति चिंता जताई गई है । उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु संबंधित कर्मचारी सीधे सक्षम न्यायालय में याचिका/प्रकरण दायर कर सकते है । जांच प्रतिवेदन विभिन्न विभागों से प्राप्त किया जाना था । अत: प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने में समय लगा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2741/2236/2015/12-1, दिनांक 27.06.2016	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
442.	**169**	परि.ता.प्र.सं.20 (क्र. 1066) दि.01.07.2014 (डॉ.गोविन्द सिंह) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	मेसर्स रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया लिमिटेड को हीरा खनन परियोजना हेतु नियम विरूद्ध वन भूमि के आवंटन की शीघ्र जांच कराई जाकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	प्रश्नाधीन जांच की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिजावर के द्वारा की जा रही है। जांच प्रचलन में है।	प्रश्नाधीन जांच अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के द्वारा की जा चुकी है। ग्राम सभा, उप खण्ड, जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव में लिये गये निर्णय अनुसार डायरेक्टर, मेसर्स रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. को विनिश्चय प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3670/2243/2015/12/1 दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
443.	**187**	परि.ता.प्र.सं.28 (क्र.983) दि.27.02.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये अर्थदण्ड की शेष राशि ₹20,07,687/- की शीघ्र वसूली किया जाना।	(1) वसूली के प्रयास किये जा रहे है। (2) शेष वसूली के प्रयास किये जा रहे है।	बकायादारों से अर्थदण्ड की शेष राशि 20,07,687 जमा किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया था। बकाया की राशि जमा न करने पर आर.आर.सी. जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3660/2242/2015/12/1दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
444.	**188**	परि.ता.प्र.सं.54 (क्र.1585) दि.27.02.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	सिवनी जिले के अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2010 से 30 जून 2014 तक की अवधि में संचालित रेत खदानों के ठेकेदारों से रायल्टी की बकाया राशि की शीघ्र वसूली किया जाना।	बकाया वसूली हेतु इन ठेकेदारों को सूचना पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	सिवनी जिले के अंतर्गत दिनांक 01जनवरी 2010 से 30 जून 2014 तक की अवधि में संचालित रेत खदानों के ठेकेदारों से रायल्टी वसूली हेतु मांगपत्र पूर्व में ही जारी किये जा चुके है। वसूली की कार्यवाही गतिशील है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3662/2240/2015/12/1दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
445.	**189**	अता.प्र.सं.59 (क्र.1570) दि.27.02.2015 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिले में वर्ष 2012 से फरवरी 2015 तक की अवधि में अवैध रेत उत्खनन के दोषियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना तथा अवैध परिवहन के शेष प्रकरणों में अर्थदण्ड की राशि की वसूली किया जाना।	अवैध रेत उत्खनन के 13 प्रकरण वर्तमान में प्रचलित है। शेष प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।	वर्ष 2012 से 2015 की अवधि में अवैध उत्खनन के 13 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, जिसमें से 02 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा शेष 11 प्रकरण न्यायालय कलेक्टर, न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में गतिशील है। वर्ष 2012 से फरवरी 2015 की अवधि में अवैध परिवहन के कुल 428 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे, जिसमें अधिरोपित अर्थदण्ड रू.70,66,539 जमा कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3664/2239/2015/12/1 दि.06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
446.	**190**	अता.प्र.सं.77 (क्र.1808) दि.27.02.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले में अवैध रेत उत्खनन तथा फर्शी पत्थर के संबंध में ठेकेदारों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	02 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की कार्यवाही की जा रही है।	रीवा जिले में वित्तीय वर्ष में रेत के उत्खनन की 02 एवं फर्शीपत्थर की 02 शिकायतें प्राप्त हुई है। (1) श्री बद्री नारायण सिंह द्वारा की गई शिकायत की जांच हो चुकी है। शिकायत वन विभाग से संबंधित है। जिसमें वन क्षेत्र से दूरी के संबंध में भ्रमात्मक जानकारी दी जा रही है। शिकायती क्षेत्र फर्शीपत्थर घोष विक्रय खदान से संबंधित है। जिसका प्रकरण माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में प्रलचन में है। (2) जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायत क्र. पी.जी./256661/2014/ 99, दिनांक 27.01.2014 का निरीक्षण प्रभारी अधिकारी एवं अधीनस्थ द्वारा किया गया। शिकायती क्षेत्र पर अवैध उत्खनन एवं विस्फोट से संबंधित निशान आदि नहीं देखे गये। मौके पर कोई भी व्यक्ति/मजदूर नहीं होने से मौका पंचनामा आदि की कार्यवाही नहीं की जा सकी। आस-पास के लोगों को सख्त हिदायत दी गई थी कि भविष्य में यदि उत्खनन कार्य किया जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को दें। (3) ग्राम नगमा टमस नदी पर हो रहे अवैध परिवहन शिकायतकर्ता श्री भूपेश दीक्षित द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय कोई भी व्यक्ति, वाहन आदि नहीं पाये गये थे।समय-समय पर उक्त क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया जाता रहा है तथा अवैध परिवहन के प्रकरण प्रकाश में आने पर प्रकरण तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है। (4) शिकायतकर्ता कृष्णकांत द्विवेदी की शिकायत सी.एम.हेल्पलाईन शिकायत क्र. 144144, दि.20.03.2014 का निरीक्षण दि.30.08.2014 को किया जा चुका है। मौके प र शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए। शिकायती क्षेत्र बीहर नदी है, जिस पर वृहद मात्रा में पानी बहता है। नदी के घाट के पास	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					कुछ एक जगहों पर रेत एकत्र पाई गई। मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं पाये जाने से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि रेत किसके द्वारा एकत्र की गई है। समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाता रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3656/2244/2015/12/1 दिनांक 06.07.2015	

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
वाणिज्यिक कर विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
447.	**196**	परि.ता.प्र.सं.50 (क्र.1555) दि.27.02.2015 (श्री मधु भगत)	मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत बालाघाट नगर के मुख्य खेल मैदान पर उत्सव आयोजित करने वाली संस्था से नियमानुसार शीघ्र लंबित करों की वसूली किया जाना।	उत्सव में आवंटित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लगाए गए स्टॉलों (दुकानों) के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।	प्रकरण में जांच उपरांत संबंधित क्लब पर दिनांक 01.04.2011 से कर दायित्व निश्चित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 12-8/2015/1/पांच, दिनांक निरंक	मामले में आश्वासन अनुरूप उत्सव आयोजन में आवंटित प्रतिष्ठानों से कर वसूली यथा समय की जाए। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
नर्मदा घाटी विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
448.	**199**	अता.प्र.सं.71 (क्र.1698) दि.27.02.2015 (श्री सचिन यादव)	खरगौन जिले में इंदिरा सागर परियोजना की माईनरों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	माईनरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र पूर्ण किया जावेगा।	खरगोन जिले में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी.80 से 125 कि.मी. के मध्य संपूर्ण वितरण शाखाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं आर.डी.130.935से 155.00 के मध्य कुल 28 माईनर्स का कार्य जिसकी लागत रू.2971.70 लाख है, जिसके विरूद्ध 2950 लाख का कार्य किया जा चुका है। मात्र 21.70 लाख का कार्य शेष है। उक्त कार्य छोटी कसरावद माईनर की ब्रांच माईनर से 100 मीटर का कार्य भू-अर्जन प्रकरण में धारा 11(1) के अंतर्गत दि.26.05.2015 को प्रकाशित होकर अवार्ड प्रक्रिया में जिसे माह जून 2015 तक करना लक्षित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुबंध के अनुसार 6103 हेक्टेयर सी.सी.ए. का क्षेत्र निर्मित हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 20-12/2015/27-1, दिनांक 18.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
449.	**347**	परि.ता.प्र.सं. 182 (क्र. 4216) दि. 12.03.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	जिला निमाड़ में इंदिरा सागर बांध व ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटॅर में डूब में आये मंदिरों का पुर्ननिर्माण किया जाना।	शेष मंदिरों के निर्माण संबंधी कार्यवाही गतिशील है।	इंदिरा सागर परियोजना बांध एवं ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर से कुल 116 मंदिर डूब से प्रभावित हुये है। इनमें से वर्तमान में अद्यतन स्थिति के अनुसार 50 मंदिरों/मस्जिदों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष का कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20-21/2014/27-1, दिनांक 05.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
450.	**348**	अता.प्र.सं. 86 (क्र. 3667) दि. 12.03.2015 (श्री अशोक रोहाणी)	रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध स्थल पहुँच मार्ग का उन्नयन किया जाना।	दिनांक 16.01.2015 को रूपये 441.63 लाख की आमंत्रण की जाकर प्रक्रियाधीन है।	इस कार्य हेतु 7वें आमंत्रण की मूल्य निविदा दिनांक 19.05.2015 को खोली जा चुकी है तथा न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता के पत्र क्र. 37/के/सा-2/2013, दि.29.05.2015 द्वारा एजेन्डा सदस्य(अभियांत्रिकी) को प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-23/2015/27-1, दिनांक 17.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
451.	**471**	परि.ता.प्र.सं. 37 (क्र. 2948) दि. 19.03.2015 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	रानी अंवतीबाई सागर परियोजना बांध अंतर्गत बरगी से बरगी नगर तक सड़क का निर्माण निश्चित समय सीमा में कराया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बांध अंतर्गत बरगी से बरगी नगर तक सड़क के निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कार्यवाही के अंतर्गत सप्तम निविदा आमंत्रण में प्राप्त न्यूनतम निविदा के मूल्य दर निर्धारण की कार्यवाही मुख्य अभियंता स्तर पर प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 20-27/2015/27-1, दिनांक 03.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
452.	39	परि.ता.प्र.सं.19 (क्र.331) दि.20.02.2015 (श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक)	छतरपुर जिले के नौगांव स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया जाना एवं छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना।	(1) भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। (2) नियमित/अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। (3) प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।	**(1)** इंजी. महाविद्यालय नौगांव में भवन निर्माण हेतु रू.2043.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन के आदेश क्र. **एफ 5-14/2012/42-1,** दिनांक 05.03.2015 को प्रदान की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। **(2)** विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2015/42-1, दिनांक 15.06.2015 के द्वारा 08 शिक्षकों का स्थानान्तरण इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव में किया गया। नियमित पदस्थापना हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-13/2015/बयालीस(1), दिनांक 04.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
453.	40	अता.प्र.सं.22 (क्र.362) दि.20.02.2015 (डॉ.मोहन यादव)	उज्जैन स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के अधिकारियों को केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम का नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाना।	केरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जो नियमानुसार लाभ देने हेतु कार्यवाही कर रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
454.	41	अता.प्र.सं.23 (क्र.378) दि.20.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	प्रदेश के प्राचार्य रहित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्यो की नियुक्ति की जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	सेवा भरती नियमों में संशोधित उपरांत नियमित प्राचार्यो की नियुक्ति की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-5/2015/बयालीस(1) दिनांक 02.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
455.	340	परि.ता.प्र.सं. 97 (क्र. 2836) दि. 12.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	डॉ. भीमराव अंबेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुरैना के अधीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।	संचालनालय कौशल विकास के आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा श्री पी.के.औरैया, अधीक्षक आईटीआई मुरैना को निलंबित किया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-12-13/2015/बयालीस/2 दिनांक 27.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
456.	**341**	परि.ता.प्र.सं. 181 (क्र. 4211) दि. 12.03.2015 (श्री केदारनाथ शुक्ल)	सीधी जिले के पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।	पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीधी में 10 व्याख्याताओं के नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे । 09 व्याख्याताओं ने पदभार ग्रहण कर लिया है। माह अक्टूबर 2015 तक रिक्त पदों की पूर्ति की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-14/2015/बयालीस(1), दिनांक 04.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
परिवहन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
457.	**152**	अता.प्र.सं.88 (क्र.1896) दि.26.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	प्रदेश में संचालित यात्री बसों के किराये का डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में हुई गिरावट के अनुपात में युक्तियुक्तकरण किया जाना।	गठित समिति की बैठक दिनांक 10 फरवरी 2015 को शासन स्तर पर आयोजित की जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।	मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.04.2015 द्वारा सार्वजनिक वाहनों के यात्री किराये मे कमी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 10-42/2015/आठ, दिनांक 15.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
458.	**317**	अता.प्र.सं. 137 (क्र. 4269) दि. 11.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	नवीन परिवहन नीति 2010 के अनुसार बसों, उप नगरीय बसों एवं टेक्सी का किराया कम किया जाना।	प्रस्ताव विचाराधीन है।	मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के अधिसूचना दिनांक 22.04.2015 द्वारा सार्वजनिक वाहनों के यात्री किराये में कमी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-56/2015/आठ, दिनांक 02.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
459.	**458**	परि.ता.प्र.सं. 40 (क्र. 2875) दि. 18.03.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी)	ईधन के मूल्यों में कमी आने पर यात्री बस किराये में कमी की जाना।	अंतिम निर्णय विचाराधीन है।	मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.04.2015 द्वारा सार्वजनिक वाहनों के यात्री किराये में कमी जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-68/2015/आठ, दिनांक 08.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
460.	**459**	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 4346) दि. 18.03.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	जिला परियोजना कार्यालय का नवीन भवन मंदसौर शहर में स्वीकृत हो जाने के पश्चात भूमि चयन/आवंटन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण की जाना।	(1) आवंटन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) ग्राम दौलतपुरा एवं जग्गाखेडी के निकट भूमि का चयन किया जाना प्रक्रियाधीन है।	(1) भूमि आवंटन की कार्यवाही निम्नानुसार पूर्ण हो चुकी है। (2) कलेक्टर मंदसौर के द्वारा परिवहन कार्यालय भवन निर्माण हेतु महू नीमच रोड मंदसौर पर भूमि का आवंटन कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग(पीआईयू) मंदसौर द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-74/2015/आठ, दिनांक 01.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
श्रम विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
461.	**133**	अता.प्र.सं.88 (क्र.1900) दि.25.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	छतरपुर जिले में विभागीय छात्रवृत्ति में अनियमितता के दोषी श्रम पदाधिकारी के विरूद्ध शीघ्र जांच पूर्ण कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	श्रमपदाधिकारी, छतरपुर को निलंबित किया गया है, जिस पर जांच कार्यवाही प्रचलन में है।	प्रकरण में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुका है, जिसमें कार्यवाही पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 25-9/2015/ए-16, दिनांक 07.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
462.	**408**	परि.ता.प्र.सं. 103 (क्र. 3721) दि. 17.03.2015 (सुश्री उषा ठाकुर)	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की राशि वसूली एवं निर्धारण किया जाना।	शेष 26 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही निरंतरित है।	26 प्रकरणों में से 04 प्रकरणों में राशि वसूल कर मंडल के खाते में जमा कर दी गई है, शेष 22 प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर, इंदौर को जारी किये जा चुके है एवं वसूली के लिय पुन: स्मरण कराया गया है। प्रयास निरन्तरित है कि मंडल में उपकर राशि जमा कराई जा सके। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 25-36/2014/ए-16, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
463.	**409**	अता.प्र.सं. 141 (क्र. 5108) दि. 17.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन, रतलाम एवं देवास जिले के उद्योगों में से निकाले गये एवं नौकरी छोड़कर गये कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान किया जाना।	वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।	देवास जिले के कुल 17 श्रमिकों में से 13 श्रमिकों के प्रकरण विधिक प्रावधानों के अनुसार श्रम न्यायालय को संदर्भित कर दिये गये है। 02 श्रमिकों के आवेदन पश्चात् में प्राप्त होने पर उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत श्रम कार्यालय, देवास में संराधन कार्यवाही में ग्रहण कर लिया है। 01 श्रमिक देवास शहर से बाहर जा चुका है जिसका पता अप्राप्त है एवं शेष 01 श्रमिक द्वारा सम्पूर्ण स्वत्वों का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 25-28/2015/ए-16, दिनांक 08.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
464.	**125**	परि.ता.प्र.सं.59 (क्र.1638) दि.25.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	विदिशा जिले के कुरवाई नगर में स्थित वक्फ इस्लामिया मदरसा की मूल्यवान भूमि का निजी भूमि से विनिमय किये जाने की जांच कराई जाकर दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	परीक्षण किया जा रहा है।	प्रश्न की कंडिकाओं के संबंध में आ.अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में अपराध क्र. 41/2014 पंजीबद्ध होकर विवेचना में है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही संभव होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-22/2016/54-2, दिनांक 02.06.2016	जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी दण्डित हो, इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
465.	**126**	परि.ता.प्र.सं.61 (क्र.1641) दि.25.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	उज्जैन जिले के ग्राम कलियादेह स्थित वक्फ दरगाह बुहारूद्दीन की भूमि का डि-नोटिफिकेशन किये जाने के प्रकरण की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना ।	ऐसा मामला वक्फ बोर्ड द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया, जो कि परीक्षणाधीन है।	उज्जैन जिले के ग्राम कालियादेह से संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में द्वितीय अपील दायर की गई है । माननीय न्यायालय निर्णय उपरांत विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-23/2016/54-2, दिनांक 07.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
466.	**127**	अता.प्र.सं.70 (क्र.1646) दि.25.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वर्ष 2013 में उज्जैन स्थित वक्फ दरगाह बुहारूद्दीन ग्राम कलियादेह की वक्फ सम्पत्ति को नियम विरूद्ध डि-नोटिफाई कराई जाने के प्रकरण में वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव का शीघ्र परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, शासन स्तर पर इसका परीक्षण किया जा रहा है।	उज्जैन जिले के ग्राम कालियादेह से संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में द्वितीय अपील दायर की गई है। जो वर्तमान में विचाराधीन है । माननीय न्यायालय निर्णय उपरांत विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-24/2016/54-2, दिनांक 07.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
467.	**128**	अता.प्र.सं.71 (क्र.1647) दि.25.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	मध्यप्रदेश में वक्फ सम्पत्तियों की अवैध हेरा-फेरी, घोटाले एवं भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरणों की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	प्राप्त सभी प्रस्तावों में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों यथा श्री एस.यू.सैयद,(राप्रसे) के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, श्री एस.एम.एच.जैदी, के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पशुपालन विभाग, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने पर उनके द्वारा जांच कार्यवाही के प्रस्ताव भेजे जाने पर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। श्री दाऊद अहमद खान, उप संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के विरूद्ध दिनांक 02.07.2014 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलित है।	श्री एस.यू.सैयद(राप्रसे) के विरूद्ध सा.प्र.वि. द्वारा चार प्रकरणों में आरोप पत्र जारी किये जा चुके है। री एस.एम.एच.जैदी के विरूद्ध पशुपालन विभाग द्वारा निलंबित कर जांच कार्यवाही प्रस्तावित है। श्री दाउद अहमद खान, उप संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के विरूद्ध भी विभागीय जांच प्रचलित है। इस प्रकार शासन द्वारा तीनों तत्कालीन मु.का. अधिकारियों के विरून नियमित विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है। विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया होने पर उसमें यथोचित समय लगता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-01/2015/54-2, दिनांक 26.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
468.	**405**	परि.ता.प्र.सं. 02 (क्र. 146) दि. 17.03.2015 (श्री मोती कश्यप)	प्रदेश में पिछड़ा वर्ग जाति समूहों की प्रविष्टियों में सुधार किया जाना।	जी हां। आवेदन दिनांक 14.01.2015 पर कार्यवाही प्रचलित है।	कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1019/2014/54-1, दिनांक निरंक समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 16333/वि.स./आश्वा./2015, दि.08.06.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***प्रकरण में कार्रवाई किस स्तर पर प्रचलित है? आश्वासन अनुरूप कार्रवाई कब तक पूर्ण करा ली जायेगी, की अद्यतन जानकारी ?*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	समिति का मत है कि चाही गई जानकारी कोई विस्तृत स्वरूप की नहीं है, इसके बावजूद विभाग द्वारा समिति को अवगत न कराया जाना आपत्तिजनक है। समिति चाहेगी कि इस संबंध में कृत कार्रवाई से 03 माह की समयावधि में कार्रवाई पूर्ण करते हुये अवगत कराया जाए।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
वित्त विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
469.	**351**	अता.प्र.सं. 99 (क्र. 3871) दि. 12.03.2015 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	राज्य सरकार का जनसंकल्प 2013 के अंतर्गत सभी विभागों में नियुक्त संविदा कर्मचारियों के लिए समान मापदण्ड निर्धारण कर संकल्प की पूर्ति की जाना।	(1) समस्त विभागों से सुझाव/ अभिमत प्राप्त होने पर समग्र रूप से नीतिगत निर्णय लिया जायेगा। (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यथासमय निर्णय लिया जायेगा।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यथासमय निर्णय लिया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 890/938/2015/नियम/चार, दि.30.05.2015	समिति अपेक्षा करती है कि जनसंकल्प 2013 के अनुरूप संविदाकर्मियों के संबंध में मापदण्डों का निर्धारण शीघ्र किया जाकर संबंधितों के स्वत्वों का संरक्षण किया जायेगा।
470.	**480**	अता.प्र.सं. 122 (क्र. 5342) दि. 19.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना))	अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसाओं का यथाशीघ्र परीक्षण किया जाकर निर्णय लिया जाना।	जी हॉं। वेतन आयोग की वेतन विसंगति संबंधी अनुशंसाओं पर परीक्षण किया जा रहा है।	मंत्री परिषद संक्षेपिका पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F10-9/2015/नियम/चार, दि.27.07.2016	

फरवरी-मार्च 2015, सत्र

जेल विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
471.	**52**	ता.प्र.सं.03 (क्र.197) दि.23.02.2015 (श्री राम लल्लू वैश्य)	सिंगरौली जिले के बैढ़न में स्थित उप जेल का जिला जेल में उन्नयन किया जाना।	आपकी बात मंजूर कर ली है और अप्रैल के अंदर यह जिला जेल घोषित हो जाएगी।	अधिसूचना क्रमांक एफ-03-36/2006/3/जेल, दिनांक 08.04.2015 द्वारा सिंगरौली जिले के बैढ़न में स्थित उप जेल का जिला जेल में उन्नयन किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 879/714/2015/ तीन/जेल, दिनांक 23.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
472.	**67**	परि.ता.प्र.सं.09 (क्र.88) दि.24.02.2015 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र शाजापुर में स्थित श्रीराम मंदिर श्री बांके बिहारी के सर्वे भूमि क्रमांक 321 से अवैध कब्जे के संबंध में कलेक्टर, शाजापुर को, की गई शिकायत तथा अतिक्रामकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है। (2) जांच की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
473.	**68**	परि.ता.प्र.सं.17 (क्र.277) दि. 24.02.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के उचेहरा स्थित नरसिंह भगवान अखाड़ा की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाकर अतिक्रामकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	नरसिंह भगवान अखाड़ा उचेहरा की आराजी पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
474.	**69**	अता.प्र.सं.02 (क्र. 109) दि. 24.02.2015 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर नगर पालिका क्षेत्र में धर्मस्व विभाग के अधीन मंदिरों की भूमि अवैधानिक तरीके से बेचे जाने की जांच कराई जाकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	नगरपालिका से प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर से जांच कराई जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.
475.	**171**	अता.प्र.सं.48 (क्र. 3279) दि.17.07.2014 (श्री वीरसिंह पंवार) ***जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 19 फरवरी 2015 को पटलित*** **(भाग-1)**	नरसिंहपुर जिले में दिनांक 01 जनवरी 2010 से जून 2014 तक की अवधि में मंदिरों/देव स्थान/भगवान के नाम पर दर्ज भूमि का नियम विरूद्ध विक्रय किये जाने की तत्काल जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना।	जिला नरसिंहपुर में विक्रय की गई भूमियों (मंदिर की भूमि) की जांच हेतु आयुक्त जबलपुर संभाग को भी निर्देश दिये गये है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
476.	**256**	ता.प्र.सं. 13 (क्र. 2384) दि. 03.03.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले की तहसील जौरा में वर्ष 2013 एवं 2014 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत वित्तीय अनियमितता किये जाने की शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। (2) जी हाँ। अनियमित कार्यवाही के कारण संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये।	तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती मनीषा कौल को कार्यालयीन पत्र क्र. मा.ओ/शिका/2014, दि.09.10.2014 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत हुआ है, प्रकरण विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 6-20/2015/छै:, दिनांक 28.10.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 24639/वि.स./आश्वा./2015, दि.09.11.2015 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***आश्वासन अनुरूप तत्कालीन तहसीलदार, श्रीमती मनीषा कौल के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** (1) श्रीमती मनीषा कौल, तत्कालीन तहसीलदार जौरा को इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उनके द्वारा 22.10.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया। (2) जवाब के परिपेक्ष्य में श्रीमती कौल को समक्ष में बुलाकर कलेक्टर द्वारा दिनांक 12.10.2015 को सुना गया। (3) शिकायत एवं जवाब का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत जवाब में श्रीमती कौल द्वारा वित्तीय अनियमितता की जाना नहीं पाई गई त्रुटियां तकनीकी स्तर की पाई गई तथा जवाब संतोष जनक होने से कारण बताओ सूचना पत्र नस्तीबद्ध किया गया। (4) अत: इनके विरूद्ध जिला स्तर पर कोई भी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1470/एफ 6-20/2015/छ:, दिनांक 19.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
477.	**403**	परि.ता.प्र.सं. 73 (क्र. 3230) दि. 16.03.2015 (श्री गोपाल परमार)	आगर जिले में शासकीय मंदिरों की जमीन से अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने बाबत्।	कब्जा हटाने की कार्यवाही की जावेगी।	जिला आगर मालवा अंतर्गत कुल 737 शासन संधारित देव-स्थान है, जिनमें से निम्नलिखित 09 देव-स्थानों की भूमियों पर अतिक्रमण पाया गया :- • श्री नरसिंह मंदिर • श्री जयेश्वर महादेव मंदिर आगर • श्री राम मंदिर ग्राम गुदीकलॉं आगर • श्री मुरली मनोहर मंदिर नलखेड़ा • लक्ष्मीनारायण मंदिर नलखेड़ा • राममंदिर धर्मशाला कस्बा नलखेड़ा • श्री राधाकृष्ण मंदिर नलखेड़ा • श्री सॉंवलिया नाथ मंदिर सुसनेर • श्री नीलकण्ठेश्वर महोदव मंदिर सुसनेर **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1033/1520/2015/छ:, दिनांक 25.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
478.	**132**	अता.प्र.सं.79 (क्र.1805) दि.25.02.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा संभाग में जिला संयोजकों के पदों पर नियमित अधिकारियों का पदांकन किया जाना।	नियमित अधिकारियों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार
479.	**406**	परि.ता.प्र.सं. 35 (क्र. 2390) दि. 17.03.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	जिला मुरैना के गणेशपुरा में पचास सीटर संभागीय कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना।	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ होगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - "अ" अनुसार

फरवरी-मार्च 2015, सत्र

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
480.	**460**	परि.ता.प्र.सं. 66 (क्र. 3558) दि. 18.03.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को नवीन मानदेय का भुगतान किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत् कर्मचारियों को एरियर एवं मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1152/1276/2015/26-2, दिनांक 11.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
481.	**461**	अता.प्र.सं. 45 (क्र. 3424) दि. 18.03.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास जिले में जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ दिया जाना।	173 व्यक्तियों के प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने की कार्यवाही प्रचलित है।	जिले में जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत 173 लंबित प्रकरणों में से 167 प्रकरण स्वीकृत किये गये, शेष 06 प्रकरण पात्रता न होने से निरस्त किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 143/29/2016/26-2, दिनांक 29.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
पशुपालन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
482.	**232**	अता.प्र.सं. 39 (क्र. 1718) दि. 02.03.2015 (श्री प्रताप सिंह)	दमोह जिले की जबेरा तहसील में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य संवर्गो के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति कराई जाना।	रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।	वर्तमान में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के चयन हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-12/2015/पैंतीस, दिनांक 04.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
खेल एवं युवक कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
483.	**96**	अता.प्र.सं.63 (क्र.1407) दि. 24.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्र के जैसीनगर में दिनांक 18 नवम्बर 2014 को आयोजित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में गंभीर अव्यवस्था एवं लापरवाही के संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई शिकायत की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	उक्त पत्र पर अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) द्वारा तहसीलदार जैसीनगर को जांच के लिये अधिकृत किया है।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर, जिला सागर द्वारा दिनांक 15.04.2015 को प्रकरण में जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें शिकायत निराधार पाई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 3-11/2015/नौ, दिनांक 06.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
484.	**255**	अता.प्र.सं. 55 (क्र. 2316) दि. 03.03.2015 (श्री जितू पटवारी)	जबलपुर स्थित रानीताल कोटरा स्टेडियम में हॉकी टर्फ निर्माण किये जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि योजना के गैर अनुमत मद में व्यय करने की जांच कराई जाना।	प्रकरण में परीक्षण किया जा रहा है।	जबलपुर रानीताल खेल परिसर में हॉकी टर्फ निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को दिया गया था। जिसके द्वारा 1.6639 करोड़ रू. मिट्टी फिलिंग व बाउण्ड्रीवाल बनाने में खर्च कर दिया गया जो कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत नहीं था। इस संबंध में जांच कर औचित्यपूर्ण व्यय पर विभागीय पत्र दि.27.03.2015 द्वारा लोक निर्माण विभाग से अभिमत चाहा गया था, इस आशय की जानकारी विभागीय पत्र दि.11.03.2015 द्वारा संचालक से भी चाही गई थी। संचालक खेल द्वारा प्रेषित संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. जबलपुर से प्राप्त दस्तावेजों की प्रति विभागीय पत्र दि.30.06.2015 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को भेजकर औचित्यपूर्ण व्यय पर अभिमत चाहा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 3-21/2015/नौ, दिनांक 21.07.2015	विभागीय जानकारी का परीक्षण किये जाने के उपरांत समिति ने दिनांक 15 फरवरी, 2016 को विभागीय अधिकारी का प्रकरण के संबंध में मौखिक साक्ष्य लिया गया। समिति द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु विभागीय सचिव को निर्देशित किया गया, जिस पर उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई। तदुपरांत विभाग की ओर दिनांक 10 मार्च, 2016 को उक्त साक्ष्य में किये गये कथन की पुष्टि किये जाने हेतु सचिवालय की ओर से पत्र भी प्रेषित किया गया, किन्तु इसके बावजूद प्रतिवेदन तैयार किये जाने तक न तो विभाग द्वारा आश्वासित जानकारी उपलब्ध कराई गई न ही विभागीय सचिव द्वारा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान किये गये कथन की पुष्टि की गई। समिति इसे अत्यधिक गंभीरता से लेती है तथा अनुशंसा करती है कि इस प्रकरण में न केवल दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जावे अपितु समिति द्वारा चाही गई एवं विभागीय सचिव द्वारा आश्वासित जानकारी उपलब्ध न कराने के दोषियों के विरूद्ध भी त्वरित अनुशासनिक कार्रवाई करते हुये 01 माह की समयावधि में समिति को अवगत कराया जाए।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
485.	**42**	अता.प्र.सं.10 (क्र. 231) दि. 20.02.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास जिले के शासकीय विद्यालयों में जनभागीदारी योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण संबंधी कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत कार्य प्रारंभ कराकर पूर्ण करा लिये जावेंगे।	31 दिसम्बर, 2015 तक 352 कार्यो में से 342 कार्य पूर्ण हो चुके है एवं 10 कार्य निरस्त किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-9-3/2015/23/यो.आ.सा., दि.01.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
486.	**472**	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 4628) दि. 19.03.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	जिला योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग शिवपुरी में जनभागीदारी योजना अंतर्गत पी.जी. महाविद्यालय शिवपुरी के भवन/ अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु आंवटित राशि निर्माण एजेंसी को प्रदाय कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाना।	जी हाँ। शेष कार्यवाही प्रचलित है।	कलेक्टर शिवपुरी द्वारा जनभागीदारी समिति की जमा राशि को स्वैच्छिक अंशदान न मानते हुये उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त करने की अनुशंसा के अनुसार विभाग के पत्र क्र. एफ9-24/2015/23/योआसां., भोपाल दिनांक 28.05.2016 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 9-24/2015/23/यो.आ.सां., दि. 06.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
487.	**473**	अता.प्र.सं. 22 (क्र. 3116) दि. 19.03.2015 (श्री मोती कश्यप)	कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी कटनी अंतर्गत बड़वारा विधान सभा क्षेत्र में विधायक विकास निधि की स्वीकृत राशि जारी की जाना।	शेष 49 कार्यों की कार्यवाही प्रचलन में है।	शेष 49 कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति माह मार्च, 2015 में जारी की जाकर निर्माण एजेंसी को राशि जारी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 9-23/2015/23/योआसां, दिनांक 04.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
488.	**496**	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 4932) दि. 20.03.2015 (श्री मोती कश्यप)	भोपाल के पुराने मछलीघर को स्थानान्तरित कर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र भदभदा परिसर भोपाल में नवीन आधुनिक मत्स्य गृह बनाया जाना।	नवीन आधुनिक मत्स्य गृह पी.पी.पी. मोड पर विकसित स्वरूप में पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है।	कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-14/2015/छत्तीस, दिनांक 11.06.2015	समिति अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
संस्कृति विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
489.	**350**	अता.प्र.सं. 126 (क्र. 4331) दि. 12.03.2015 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल)	इंदौर के राजबाड़े का सौन्दर्यीकरण हेतु बजट स्वीकृत किया जाना।	बजट स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।	राजवाड़ा के सौन्दर्यीकरण हेतु 13वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं द्वितीय चरण का कार्य किया जा रहा है, राजवाड़ा के संपूर्ण रखरखाव हेतु वर्ल्ड मान्यूमेन्ट फंड के सहयोग से प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है तथा आगामी चरणों में और भी कार्य कराए जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-13/2015/तीस, दिनांक 10.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
पर्यटन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
490.	**47**	अता.प्र.सं.43 (क्र.550) दि.20.02.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित तीर्थ स्थल घोघरा घाट को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाकर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	राजगढ़ जिले के ब्यावरा के पास स्थित घोघरा टापू(घाट) पर पर्यटक सुविधा विकसित करने हेतु वर्ष 2014-15 में कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-02/2015/तैंतीस, दिनांक 09.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
491.	**349**	अता.प्र.सं. 41 (क्र. 2671) दि. 12.03.2015 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले के अंतर्गत गोविन्दगढ़ किले का निर्माण हेतु औद्योगिक संस्था को दिये गये पट्टा/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।	म.प्र.शासन, पर्यटन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 1-1/2015/33/ भोपाल, दिनांक 21.08.2015 के द्वारा गोविन्दगढ़ किला रीवा के अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है। तत् संबंधी निरस्तीकरण आदेश की सार्वजनिक विज्ञप्ति दिल्ली/भोपाल तथा रीवा के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1997/717/2015/तैंतीस, दिनांक 20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
492.	**231**	अता.प्र.सं.12 (क्र. 770) दि. 02.03.2015 (श्री रामनिवास रावत)	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों पर शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही किया जाना।	(1) शेष 84 प्रकरणों में कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाना है। (2) शेष 214 प्रकरण प्रशासकीय विभागों में लंबित है।	(1) शेष 84 प्रकरणों में से 31 प्रकरणों में आदेश जारी होने की सूचना प्रशासकीय विभाग द्वारा प्राप्त हुई है। (2) शेष 214 प्रकरणों में से 75 प्रकरणों में आदेश होने की सूचना प्रशासकीय विभागों द्वारा प्राप्त हुई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 25/वि.स./21-ब(दो), दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
493.	**25**	अता.प्र.सं.19 (क्र.335) दि.20.02.2015 (श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक)	छतरपुर जिले के बिजावर विधान सभा के पर्वतीय अंचल में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने की परिस्थितियों का सर्वेक्षण कराया जाना।	जी हां।	विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु बजट प्राप्त किया गया है। उपयुक्त स्थल चयन एवं सर्वेक्षण कार्य हेतु स्थल पर विण्ड मास्ट की स्थापना अतिशीघ्र कर सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F 11:25/2015/साठ, दिनांक 25.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
494.	**200**	अता.प्र.सं.91 (क्र.2598) दि.27.02.2015 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल)	प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के समुचित संचालन, मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु आई.टी.आई. संस्थानों के माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रम प्रारंभ कराया जाना।	गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के संचालन, मरम्मत एवं रखरखाव विषय पर आई.टी.आई. संस्थानों में पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग से चर्चा की जाकर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्धारण करने पर विचार किया जा रहा है।	तकनीकी संस्थानों से पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, तदोपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग से पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F 11-15/2015/साठ, दिनांक 17.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
495.	**316**	परि.ता.प्र.सं. 78 (क्र. 2505) दि. 11.03.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	शाजापुर जिले के नगरीय क्षेत्र सोयतकलां में नवीन या सहायक लोक सेवा केन्द्र आरंभ किया जाना।	जी हाँ, शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।	शासन स्तर पर मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्थापित प्रदेश के लोक सेवा केन्द्रों के नवीनीकरण एवं सेवा शर्तो में संशोधन विषयक प्रकरण मंत्री-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 700/91/2015/61/लासेप्र, दि. 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च 2015, सत्र
जनसम्पर्क विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
496.	**46**	अता.प्र.सं.39 (क्र.534) दि. 20.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	भोपाल संभाग स्तरीय शरद जोशी आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार समिति की बैठक आहूत की जाना।	समिति की बैठक की कार्यवाही प्रचलन में है।	शरद जोशी आंचलिक पत्रकारिता सम्मान जूरी की बैठक दिनांक 13.03.2015 को की गई। जूरी द्वारा चयनित पत्रकारों को माननीय मुख्यमंत्री ने दि.08.04.2015 को सम्मानित किया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-2/2015/जस/24, दिनांक 17.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
497.	**474**	अता.प्र.सं. 08 (क्र. 2428) दि. 19.03.2015 (डॉ. मोहन यादव)	उज्जैन जिले के राज्य स्तरीय अधिमान्यता (स्वतंत्र पत्रकार) प्राप्त पत्रकारों की अधिमान्यता का नवीनीकरण किया जाना।	आवेदकों से नियमानुसार जानकारियाँ मंगाई गई है। प्रक्रियाधीन है।	12 स्वतंत्र पत्रकारों का नवीनीकरण किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-12/2015/जस/24, दिनांक 17.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 27 जुलाई, 2016

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट-''अ'' ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के मा.मंत्रियों द्वारा 498 आश्वासन दिये गये, जिसमें से 01 आश्वासन को विलोपित किया गया, शेष में से 415 आश्वासनों पर विभागीय उत्तर प्राप्त हुए एवं 82 आश्वासनों की जानकारी अप्राप्त है। आश्वासनों के त्वरित निराकरण के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य भी लिये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	विभाग का नाम	साक्ष्य दिनांक
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	06.05.2015, 23.11.2015 एवं 23.06.2016
2.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	06.05.2015, 09.10.2015 एवं 08.07.2016
3.	सहकारिता	29.06.2015, 15.02.2016
4.	राजस्व	29.06.2015 एवं 28.09.2015
5.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.07.2015 एवं 28.09.2015
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	14.07.2015
7.	लोक निर्माण	23.11.2015
8.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	29.06.2015, 23.11.2015 एवं 23.06.2016
9.	खेल एवं युवक कल्याण	15.02.2016
10.	उच्च शिक्षा	08.07.2016
11.	वन	14.07.2015

उपरोक्त प्रयासों के बाद आश्वासनों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में प्राप्त/अप्राप्त स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विभाग का नाम	प्राप्त आश्वासन की जानकारी	अप्राप्त आश्वासन की जानकारी	योग
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	51	06	**57**
2.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	18	07	**25**
3.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14	08	**22**
4.	स्कूल शिक्षा	27	00	**27**
5.	राजस्व	15	17	**32**
6.	लोक निर्माण	34	00	**34**
7.	सहकारिता	16	01	**17**
8.	जल संसाधन	11	00	**11**
9.	गृह(पुलिस)	32	00	**32**
10.	आदिम जाति कल्याण	00	13	**13**
11.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	29	09	**38**
12.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	22	00	**22**
13.	वन	13	01	**14**
14.	उच्च शिक्षा	19	06	**25**
15.	महिला एवं बाल विकास	07	03	**10**
16.	सामान्य प्रशासन	09	04	**13**
17.	चिकित्सा शिक्षा	04	01	**05**
18.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	04	01	**05**
19.	ऊर्जा	31	00	**31**
20.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	01	01	**02**
21.	आयुष	01	00	**01**
22.	खनिज साधन	10	00	**10**
23.	वाणिज्यिक कर	01	00	**01**

24.	नर्मदा घाटी विकास	04	00	**04**
25.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	04	01	**05**
26.	परिवहन	04	00	**04**
27.	श्रम	03	00	**03**
28.	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	05	00	**05**
29.	वित्त	02	00	**02**
30.	जेल	01	00	**01**
31.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	05	01	**06**
32.	अनुसूचित जाति कल्याण	00	02	**02**
33.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	02	00	**02**
34.	पशुपालन	01	00	**01**
35.	खेल एवं युवक कल्याण	02	00	**02**
36.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	03	00	**03**
37.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	01	00	**01**
38.	संस्कृति	01	00	**01**
39.	पर्यटन	02	00	**02**
40.	विधि एवं विधायी कार्य	01	00	**01**
41.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	02	00	**02**
42.	लोक सेवा प्रबंधन	01	00	**01**
43.	जनसम्पर्क	02	00	**02**
	कुल योग	**415**	**82**	**497**

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 82 आश्वासनों की जानकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक अप्राप्त रही।

समिति यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि सदन में मा.मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्यवाही से लोकतंत्रीय व्यवस्था मजबूत होती है और व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है । इसके ठीक विपरीत यदि सदन में दिये गये आश्वासनों पर कार्यवाही नहीं होती तो न केवल जनहित के कार्य प्रभावित होते हैं वरन् आश्वासनों की पवित्रता(Sanctity) नहीं रहती और इससे शासन तंत्र की विश्वसनीयता पर आघात होता है । समिति का स्पष्ट मत है कि यदि जनता की सबसे बड़ी पंचायत में विभाग के नीति निर्धारक द्वारा दिये गये आश्वासन भी पूर्ण नहीं हो पाते, तो जनता के पास अपना काम कराने का सामान्यत: कोई विकल्प नहीं बचता और इस स्थिति के कारण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की साख और उसकी क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे स्वस्थ लोकतंत्र का पर्याय नहीं माना जा सकता ।

समिति यहां अत्यंत खेदपूर्वक यह उल्लेख करना चाहती है कि कतिपय विभागों की एक से ज्यादा बार साक्ष्य लिये जाने के बावजूद लंबित आश्वासनों का निराकरण नहीं हो सका है । यह स्थिति ठीक नहीं है ।

समिति विभागीय मंत्रियों, मुख्य सचिव व विभागीय अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों की आभारी है जिन्होंने मामलों पर अपेक्षित संवेदना बरती, किन्तु इसके बावजूद समिति यह अपेक्षा करती है कि विभागों में लंबित आश्वासनों के त्वरित निराकरण की दिशा में और तत्परता तथा संवेदनशीलता बरती जायेगी ।

समिति अनुशंसा करती है कि –

1. विभागीय मंत्री आश्वासनों की पवित्रता और गंभीरता को समझकर उसकी पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां करें । विभागीय मंत्री संसदीय कार्य नियमावली के तहत हर माह आश्वासन पंजी का अवलोकन करें, उसकी समीक्षा करें और आश्वासनों की पूर्ति हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश दें ।
2. विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का भी यह दायित्व है कि संसदीय कार्य नियमावली के प्रावधानों के तहत वे हर 15 दिन में पंजी का अवलोकन कर लंबित मामलों की समीक्षा करें, पंजी पर हस्ताक्षर करें और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दें ।
3. हालांकि विधान सभा सचिवालय ने आश्वासन ऑन-लाईन कर दिये हैं और मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासन ऑन-लाईन विभागों को भेज दिये जाते है, फिर भी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश हों कि वे सदन की अधिकारी दीर्घा में बैठकर आश्वासनों को नोट करें और पत्राचार का इंतजार न कर उस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें क्योंकि विभागों द्वारा कई आश्वासन प्रश्नोत्तर सूची में लिखित भी दिए जाते है ।
4. कई सामान्य से मामलों की जानकारी न आ पाना चिंतनीय स्थिति है, अत: विचाराधीन सत्र के लंबित आश्वासनों की जानकारी समय पर न आने के मामलों की जांच हो, विलंब के दोषी दंडित हो और समस्त विभागीय लंबित आश्वासनों के संबंध में विभाग एक अभियान चलाकर आश्वासनों की पूर्ति कराए और यथा संभव यह कार्यवाही 03 माह में पूर्ण कराई जाकर इससे समिति को अवगत कराया जाय ।

:: परिशिष्ट :- "ब" ::

<u>अनिर्णीत प्रकरण</u>

विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	**146, 151**, 291, 294
नगरीय विकास एवं पर्यावरण	244, 397
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	**266,** 415, 417,
स्कूल शिक्षा	113, 115, **118, 121,** 262, **264**
लोक निर्माण	**93, 233,** 234, 238, 240, 382, 385
सहकारिता	**13,** 14, 98, **300, 301, 464**
जल संसाधन	344, **479**
गृह(पुलिस)	487
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	15, 310, **450, 452, 457**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	61, 484
वन	**78,** 400, **402**
उच्च शिक्षा	332, **475**
सामान्य प्रशासन	164, **193,** 345
ऊर्जा	21, 173, 174, 177, 178, 179, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 465, 468
खनिज साधन	33, **167**
वाणिज्यिक कर	196
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	125, **405**
वित्त	351
खेल एवं युवक कल्याण	**255**
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	**496**